खण्ड ७—अंक ४१
१० सितम्बर, १९५६, (सोमवार)

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

1st Lok Sabha (XIII Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड ७ में अंक ४१ से अंक ४४ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

पच्चीस नये पैसे (देश में) २ शिलिंग (विदेश में)

243 L.S.D./56

विषय-सूची

[भाग १—खण्ड ७, संख्या ४१ से ४४—१० सितम्बर से १३ सितम्बर १९५६]

संख्या ४१— पृष्ठ

सोमवार, १० सितम्बर, १९५६

मौखिक प्रश्नों के उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९४५, १९४९, १९५१, १९५४, १९५७, १९५८, १९६०, १९६२, १९६६, १९६८, १९७१, १९७२, १९७४, १९७६ से १९७८, १९८४, १९८६, १९८८, १९४८, १९५०, १९६३, १९६४ और १९८० . . . . . १९४३–६५

लिखित प्रश्नों के उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९४६, १९४७, १९५२, १९५३, १९५५, १९५६, १९५९, १९६१, १९६५, १९६७, १९६९, १९७०, १९७३, १९७५, १९७९, १९८१ से १९८३, १९८५, १९८७ और १९८९ . . १९६५–७१

अतारांकित प्रश्न संख्या १४८९ से १५३६ और १५३८ से १५८२ . १९७१–२००४

दैनिक संक्षेपिका २००५–०९

संख्या ४२—

मंगलवार, ११ सितम्बर, १९५६

मौखिक प्रश्नों के उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९९० से १९९३, १९९६ से २००९, २०१२ और २०१३ . . . . . २०११–३१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २१ और २२ . . २०३१–३५

लिखित प्रश्नों के उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९९४, १९९५, २०१०, २०११, २०१४, २०१५, २०१७ से २०२०, २०२०-क, २०२१, २०२२, २०२४ से २०२७, २०२९, २०३१ से २०३८ . . . . . २०३५–४३

अतारांकित प्रश्न संख्या १५८३ से १५८८, १५८८-क, १५८९ से १६००, १६०२, १६०३, १६०३-क, १६०४, से १६२१, १६२१-क, १६२२ से १६४८, १६५० से १६५३ . . . . . २०४३–६६

दैनिक संक्षेपिका २०७०–७४

संख्या ४३— पृष्ठ

बुधवार, १२ सितम्बर १९५६

मौखिक प्रश्नों के उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०३८-क, २०३९ से २०४२, २०४४ से २०४६, २०५३, २०५४, २०५६ से २०५८, २०६० और २०६१ . . २०७५–९५

लिखित प्रश्नों के उत्तर—

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २३ . . . . २०९५

तारांकित प्रश्न संख्या २०४३, २०५० से २०५२, २०५८-क, २०६२ से २०७१, २०७१-क, २०७२ से २०८०, २०८०—क, २०८१ से २०८८, २०८८-क, २०८९, २०९०-क, २०९१ से २०९३, २०९६ से २१००, २१०२, १९२९, १९४२ . . . . २०९६–२११३

अतारांकित प्रश्न संख्या १६५४, १६५५, १६५७, १६५८, १६६० से १६७७, १६७७-क, १६७८ से १६९०, १६९२ से १७५३, १७५३-क, १७५४ से १७६९, १७६९-क, १७७० से १७७५, १७७७ से १७८० . . २११३–५८

दैनिक संक्षेपिका २१५९–६५

संख्या ४४—

बृहस्पतिवार, १३ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१०४, से २१११, २१११-क, २११२ से २११८, २१२०, २१२२ और २१२३ . . . . २१६७–८७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २४ और २५ . . . . . . २१८७–९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१०३, २११९, २१२१, २१२४ से २१५० २१९१–२२०२

अतारांकित प्रश्न संख्या १७८२ से १८०१, १८०१-क, १८०२ से १८२६, १८२६—क, १८२७ से १८५८, १८५८-क, १८५९ से १८६३ . २२०२–३६

तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि २२३६

दैनिक संक्षेपिका २२३७–४३

तेरहवें सत्र की संक्षेपिका २२४४–४६

लोक-सभा

सोमवार, १० सितम्बर, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सम्पूर्ण डिब्बे बनाने का कारखाना

† *१९४५. **श्री वोडयार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेराम्बूर के सम्पूर्ण डिब्बे बनाने के कारखाने को अतिरिक्त संयंत्र तथा मशीनरी का संभरण करने के लिये क्या जल्दी ही कोई आदेश दिये जाने वाले हैं ;

(ख) क्या मेसर्स स्विस कार एंड एलीवेटर मेन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने संसार भर के देशों से टेंडर मांगे हैं ;

(ग) क्या सरकार ने सम्पूर्ण डिब्बे बनाने के कारखाने में पूरा उत्पादन करने के लिये उसे प्राविधिक सहायता देने के हेतु इस सार्थ से कोई समझौता किया हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सार्थ को कुल कितने के आदेश दिये गये हैं, और शीघ्र ही कितने दे दिये जाने वाले हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जून-जुलाई, १९५६ में आदेश दिये गये हैं ।

(ख) सरकार ने मेसर्स स्विस कार एंड एलीवेटर मेन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के जरिये संसार भर के देशों से टेंडर मांगे थे ।

(ग) जी हां।

(घ) मैसर्स स्विस कार एंड एलीवेटर मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन लिमिटेड कोई संयंत्र तथा मशीनरी तैयार नहीं करती । अतः उनको इसके लिये कोई आदेश नहीं दिये गये हैं ।

†**श्री वोडयार** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस कारखाने का मुख्यतः किस रूप में विस्तार किया जायेगा, और क्या सरकार हुबली में इसी प्रकार का एक अन्य कारखाना खोलना चाहती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : सम्पूर्ण डिब्बे बनाने के कारखाने का विस्तार नहीं किया जा रहा है, वहां पर डिब्बों को सजाने के लिये एक छोटी सी वर्कशाप खोली जायेगी। पहले यह ख्याल था कि डिब्बों को कहीं और अथवा रेलवे की किसी अन्य वर्कशाप में सुसज्जित किया जाये किन्तु अब हम इसका प्रबन्ध पेराम्बूर में ही कर रहे हैं । जहां तक हुबली में दूसरे कारखाने के स्थापित करने का प्रश्न है, इसे स्थापित करने का हमारा कोई विचार नहीं है ।

†**डा० जयसूर्य** : स्विस कार एंड एलीवेटर मैनुफैक्चरिंग कारपोरेशन केवल एक परामर्श दाता के रूप में है, अथवा वे खुद चीजें बनाते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री शाहनवाज खां : ये सलाह देने वाले इंजीनियर हैं। ये मशीनरी तथा संयत्र नहीं बनाते।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : संयत्रों तथा मशीनरी के लिये जो टेंडर मंजूर किये गये हैं, उनमें कौन कौन से देश भागीदार हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे यह नहीं समझ आया कि माननीय सदस्य का भागीदार से क्या अभिप्राय है।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : मैं यह जानना चाहता हूं कि स्विटजरलैंड, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड के कौन कौन से सार्थों ने इनमें से अधिकांश टेंडर दिये हैं।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मेरे पास इस समय इस का ब्योरा नहीं है। मैं इसकी जानकारी बाद को दे सकता हूं।

†**श्री च० रा० चौधरी** : इस कारखाने में काम करने के लिये कितने भारतीय प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजे गये, कितने लौट आये, और इस कारखाने में कितने विदेशी प्राविधिकों के रूप में इस समय काम कर रहे हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हमने बारीबारी से जत्थे भेजे हैं। मैं ठीक संख्या नहीं बता सकता। किन्तु शायद मोटे तौर से इनकी संख्या पचास से अधिक होगी, किन्तु मैं ठीक ठीक आंकड़े नहीं बता सकता। ये बीस, तेइस, पचीस के जत्थों में जाते रहे हैं और उनमें से अधिकांश लौट आये हैं। वहां आखिरी जत्था गया हुआ है। पेराम्बूर में इस समय स्विटजरलैंड के लगभग ४० इंजीनियर लगे हुए हैं जो इन डिब्बों के बनाने में कारीगरों को सलाह दे रहे हैं और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं।

†**श्री सारंगधर दास** : माननीय मंत्री ने कहा कि मैसर्स स्विस कार एंड एलीवेटर मेन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन लिमिटेड सलाह देने वाले इंजीनियर हैं और वे निर्माता नहीं हैं किन्तु नाम से जाहिर होता है कि वे कार और एलीवेटर बनाते हैं। क्या माननीय मंत्री इस बात की जांच करेंगे कि वे निर्माता हैं, किन्तु यहां पर वे सलाह देने वाले इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : वे संयत्र और मशीनरी तैयार नहीं करते, अपितु डिब्बे बनाते हैं।

†**श्री सारंगधर दास** : कारों का मतलब डिब्बों से है।

†**डा० जयसूर्य** : यदि मुझको ठीक याद है इस पेराम्बूर वर्कशाप के बारे में स्विटजरलैंड के एक दूसरे सार्थ के साथ ठेका किया हुआ है। उस का क्या हुआ ?

†**श्री शाहनवाज खां**: यही वह सार्थ इलीरेन है।

†**डा० जयसूर्य** : क्या उसको ही अब दूसरे नाम से पुकारा जाता है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : यह वही सार्थ है।

†**डा० जयसूर्य** : दूसरे नाम से काम कर रहा है।

डाक का पोतवहन

†*१६४६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सकरीगलीघाट और मनिहारी घाट में डाक के पोतवहन का काम रे० डा० से० के 'एच' विभाग से लेकर गैर-सरकारी ठेकेदारों को दिया जाने वाला है ;

(ख) इस परिवर्तन का छट्टियों के लिये रक्षित चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारियों पर असर पड़ेगा ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या अनिश्चित काल के लिये कुछ कर्मचारी सेवा से च्युत कर दिये जायेंगे; कितने कर्मचारियों की स्थायित्व सम्बन्धी घोषणा स्थगित कर दी जायेगी ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी नहीं। इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है ।

(ख) चतुर्थ श्रेणी के ९ कर्मचारी ।

(ग) कोई भी अनिश्चित काल के लिये सेवा से च्युत नहीं किया जायेगा ।

चतुर्थ श्रेणी के ३ अस्थायी कर्मचारियों के बारे में उनकी सेवाओं को स्थायी करने की घोषणा स्थगित कर दी जायेगी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : माननीय मंत्री ने भाग (क) के उत्तर में कहा है कि इस विषय पर अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। क्या सरकार इस प्रक्रिया को ठीक समझी है कि डाक के पोतवहन का काम उन लोगों के बजाय, जो कि सरकारी नौकरी में रहना चाहते हैं और जो कि इस कारण से अच्छा काम करेंगे, ठेकेदारों को सौंप दिया जाये ?

†**श्री जगजीवन राम** : माननीय सदस्या ने कई प्रश्न एक साथ मिला दिये हैं। पहली बात तो यह है कि डाक विभाग में हम दोनों प्रणालियों को चला रहे हैं। कहीं पर हम विभागीय रूप से काम करते हैं, और कहीं ठेकेदारों के जरिये। यहां पर किसी कर्मचारी को नौकरी से हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ठेकेदारों को सारा काम सौंप देने पर भी सारे कर्मचारियों को इस विभाग में खपा लिया जायेगा और किसी को भी नौकरी से अलग नहीं किया जायेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : छुट्टियों के लिये उस जगह पन्द्रह प्रतिशत अनुमोदित अभ्यार्थी रखे जाते हैं और उन्होंने लगातार एक, दो अथवा तीन साल काम किया है। क्या इन लोगों को भी, जो कि अनुमोदित अभ्यार्थी हैं किन्तु अर्ध-स्थायी नहीं हैं, और जो कि दो या तीन साल काम कर चुके हैं, कर्मचारियों में माना जायेगा और उनकी नौकरियां जारी रखी जायेगी ?

†**श्री जगजीवन राम** : मैं समझता हूं शायद इनको भी रखा जायेगा। मैं यह कहूंगा कि किसी को भी नहीं निकाला जाना चाहिये ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस काम को ठेकेदारों को सौंपा जाये अथवा नहीं, इस पर कब तक अन्तिम निश्चय कर लिया जायेगा ?

†**श्री जगजीवन राम** : इस पर विचार किया जा रहा है। मैं कोई निश्चित तारीख नहीं बता सकता कि कब तक इस पर अन्तिम निश्चय कर लिया जायेगा।

प्राथमिक कृषि उधार संस्थायें

† *१९५१. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र राज्य के कुरनूल जिले में ग्रामीण उधार सर्वेक्षण के प्रतिवेदन के अनुसार संस्थाओं को आपस में मिला कर नये प्रकार से खोली गयी अथवा पुनर्गठित प्राथमिक कृषि उधार संस्थाओं की संख्या कितनी है; और

(ख) कितनी संस्थायें काम कर रही हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) तेईस।

(ख) बाईस।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या यह सच है कि कुरनूल जिले के गुडीकल केन्द्र, जिसके लिये सरकार ने १०,००० रुपये नियत किये थे, राजनैतिक कारणों से अब बन्द कर दिया गया है ?

†**श्री आबिद अली** : गुडीकल के बारे में मेरी जानकारी यह है कि वहां की सहकारी संस्था काम नहीं कर रही है क्योंकि गुडीकल की वित्तीय दशा के कारण आसपास की दो संस्थायें परस्पर मिलना नहीं चाहतीं ।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या यह सच है कि ये दोनों संस्थायें अपने को इस संस्था में मिलाने के लिये राजी हो गयी हैं, और इन संस्थाओं के लेखे इस संस्था के लेखों में मिलाये जा चुके हैं ?

†**श्री आबिद अली** : जैसा बताया जा चुका है वैसी ही स्थिति है ।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जांच करने का अधिकार है कि दलबन्दी सम्बन्धी इन नीतियों के बावजूद उसकी योजनायें प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित की जाती है ?

†**श्री आबिद अली** : मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य का आक्षेप उचित है । किन्तु जहां तक अधिकारों का सवाल है, मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान नियमों के अन्तर्गत, आन्ध्र राज्य किसी संस्था को विलय के लिये बाध्य नहीं कर सकता ।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : यदि केन्द्रीय सरकार को राज्यों में अपनी योजना को लागू करने का अधिकार नहीं है, तो वह उनको वहां कैसे कार्यान्वित करेगी ? क्या सरकार को मालूम है कि इन कारणों से बहुत सी योजनायें ठीक तरह से नहीं चलायी जातीं ?

†**श्री आबिद अली** : हम प्रेरणा द्वारा अपनी योजनायें लागू करवाते हैं । जहां तक अधिकारों का सम्बन्ध है, जैसा कि मैं ने कहा, योजना संतोषजनक ढंग से चल रही है क्योंकि वहां २३ में से २२ संस्थायें काम कर रही हैं ।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार** : सहकारी फार्मों के बारे में आपका क्या कहना है ?

†**श्री आबिद अली** : यह प्रश्न ग्रामीण उधार संस्थाओं के बारे में है ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या आन्ध्र सरकार सहकारी संस्थाओं के रजिस्टर के प्रतिवेदन के आधार पर, जिसका किसी दलबन्दी से सम्बन्ध नहीं है, काम कर रही है ?

नारियल के पेड़

†*१९५४. **श्री इ० ईयाचरण** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावणकोर-कोचीन राज्य और मलबार जिले में नारियल के पेड़ों को पत्ते और जड़ की बीमारियों से काफी नुकसान होता है ;

(ख) यदि हां, तो कितना; और

(ग) इन बीमारियों को दूर करने और उन पर काबू पाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां, जहां तक त्रावणकोर-कोचीन राज्य का सम्बन्ध ह । मद्रास राज्य के मलबार जिले में नारियल के पेड़ों को ये बीमारियां लगती हुई नहीं सुनी गयी हैं ।

(ख) त्रावणकोर-कोचीन के ३६ में से २२ ताल्लुकों में नारियल के लगभग ७५ लाख पेड़ों को इनसे नुकसान पहुंचा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २४]

†श्री इ० ईयाचरण : इस बीमारी से लगभग कितने पेड़ों को नुकसान पहुंचा है ?

†श्री आबिद अली : मैंनें संख्या बता दी है ।

†श्री अच्युतन : त्रावणकोर-कोचीन राज्य के ७५ लाख पेड़ों को नुकसान पहुंचने से अनुमानतः कितनी हानि हुई है और लोशन डालने के लिये केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को कितना अंशदान दे रही है ?

†श्री आबिद अली : पहले हम लोशन छिड़कने का दो आना ले रहे थे अब एक आना ले रहे हैं। जहां तक हानि का सवाल है, यह तो अत्यधिक होनी ही चाहिये ।

†श्री अ० म० थामस : क्या यह सच है कि अभी हाल ही में जो सर्वेक्षण किया गया था उसमें यह पाया गाया था कि यदि इसी गति से बीमारी बढ़ेगी, तो त्रावणकोर-कोचीन के नारियल के सारे बागान नष्ट हो जायेंगे और यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या उपाय तत्काल करने का विचार है ?

†श्री आबिद अली : काफी काम किया जा रहा है और यह उम्मीद है कि बीमारी कम हो जायेगी ।

†श्री अ० म० थामस : विवरण को पढ़ने से ज्ञात होता है कि लोशन छिड़कने की आवश्यकता को सिद्धांत रूप में मान लिया गया है । केन्द्रीय सरकार के मार्ग में ऐसी कौन सी कठिनाई है, जिससे वह इस मामले की ओर तुरन्त ध्यान नहीं दे सकती ?

†श्री आबिद अली : काम जारी है ।

†श्री अ० म० थामस : जी नहीं ।

†श्री अच्युतन : जी नहीं ।

कराची से कलकत्ता तक रेलगाड़ी

†*१९५७. { +सरदार अकरपुरी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव रखा है कि भारतीय प्रदेश से होकर कराची से कलकत्ता तक एक सवारी रेलगाड़ी चलायी जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव के बारे में कोई उत्तर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उत्तर दिया गया है ?

†रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

रेल के डिब्बों में विद्युत यंत्र

†*१९५८. श्री अय्युण्णि : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे की गाड़ियों के प्रत्येक डिब्बे में बिजली की रोशनी उनके नीचे लगे हुए विद्युत यंत्रों से होती है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इन विद्युत यंत्रों को अच्छी तरह हिफाजत से लगाया जाता है, ताकि उनको नुकसान न पहुंचे और कोई चुरा न सके ;

(ग) उत्तर रेलवे में इन यंत्रों की कितनी चोरियां हुई हैं;

(घ) १९५५–५६ में इन चोरियों से लगभग कितनी हानि हुई; और

(ङ) क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती कि सारे डिब्बों में अथवा अधिकांश डिब्बों में रोशनी के लिये रेलगाड़ी के पीछे वाले डिब्बे में ही एक यंत्र लगाया जाये ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) रेल के डिब्बे में रोशनी या तो उसके नीचे लगे हुए विद्युत यंत्र से होती है अथवा उसके साथ के डिब्बे में नीचे लगे हुए यंत्र से ।

(ख) जी हां, जहां तक सम्भव होता है ।

(ग) लगभग ५,३३० चोरियां हुईं ।

(घ) लगभग १,४४,००० रुपये की हानि हुई ।

(ङ) जी हां, रेलगाड़ियों में रोशनी करने के इस तरीके का इस समय प्रयोग किया जा रहा है ।

†**श्री अय्युण्णि** : यह जो नया प्रयोग किया जा रहा है इस पर कितना व्यय होगा ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : इसके लिये मुझको पूर्व सूचना चाहिये । मेरे पास ठीक ठीक आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री अय्युण्णि** : क्या रेलगाड़ी के पीछे बिजली का यंत्र लगा देने से आगे के छः या सात डिब्बों में रोशनी हो सकेगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : हमें ऐसी आशा है । हमने पूर्वोत्तर रेलवे पर हाल ही में प्रयोग किया है और अब तक हमने इसे संतोषजनक पाया है ।

†**श्री अय्युण्णि** : क्या इस विषय में बिजली के इंजीनियरों की कोई बैठक हुई थी, और क्या उन्होंने यह सिफारिश की है कि यह अच्छी योजना है और इस पर खर्च भी बहुत कम पड़ेगा ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : इस का प्रयोग किया जा रहा है ।

†**सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो एक्सपेरीमेंट नार्दर्न रेलवे पर हो रहा है, उस तरह का एक्सपेरीमेंट दूसरे ज़ोनल रेलवेज़ पर भी करने का विचार है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : जी हां, हर एक ज़ोन पर करने का इरादा

†**डा० जयसूर्य** : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि बिजली का सामान हानि अथवा चोरी से काफी सुरक्षित रहेगा । क्या यह सच है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : जी हां, वह यथासंभव सुरक्षित रहेगा ।

†**डा० जयसूर्य** : मुझे आश्चर्य है कि यदि ऐसा है तो ५,३३० चोरियों के लिये आप का क्या उत्तर है ?

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : चोर अधिक चालाक होते हैं ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : इसीलिये दूसरा उपाय किया जा रहा है ताकि यथासंभव चोरियां न हों ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अय्युण्णि** : इस सामान को खरीदने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काफी बड़ी रकम रखी गयी है। क्या इस कार्य के हेतु वह रकम फिलहाल अलग रखी जायेगी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : सारी राशि नहीं रखी जायेगी, किन्तु ज्योंही यह प्रयोग सफल सिद्ध हुआ त्योंही वह रुपया इस काम में लगा दिया जायेगा।

तालाबों में मत्स्य-पालन

*१९६०. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के कितने केन्द्रों में तालाबों में मत्स्य-पालन के सम्बन्ध में गवेषणा की जा रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि उड़ीसा के केन्द्र को चलता-फिरता केन्द्र बनाया जायेगा ; और

(ग) क्या तालाबों में मत्स्य-पालन के केन्द्र से अन्य जलाशयों और बांधों में मत्स्य-पालन की समस्यायें सुलझ गयी हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) ग्यारह।

(ख) जी नहीं।

(ग) मद्रास में भवानी सागर के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं।

†**श्री स० चं० सामन्त**: क्या यह सच नहीं कि प्राक्कलन समिति ने छठी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि चलते फिरते केन्द्र खोले जायें ? क्या इस प्रश्न पर मंत्रालय ने विचार किया था ?

†**श्री आबिद अली** : हां श्रीमान्। यह सिफारिश की गयी थी और इस पर विचार भी किया गया था। किन्तु विशेषत: इसी सिफारिश को स्वीकार करना उचित नहीं समझा गया है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या बैरकपुर गवेषणा केन्द्र पश्चिमी बंगाल को सौंप दिया गया है ?

†**श्री आबिद अली** : इसके लिये मुझको पूर्व-सूचना चाहिये।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या इन ग्यारह केन्द्रों में से कोई आन्ध्र में है; और यदि हां, तो वह कहां है ?

†**श्री आबिद अली** : मेरे विचार में आंध्र में भी एक केन्द्र है। उड़ीसा का केन्द्र कटक है, एक केन्द्र त्रावणकोर-कोचीन और एक मद्रास में है। मुझे खेद है कि यहां आंध्र का नाम नहीं दिया गया है।

†**श्री ब० कु० दास** : क्या उनके परिणामों की अब तक कोई सूचना मिली है, और यदि हां, तो वे किस प्रकार के हैं ?

†**श्री आबिद अली** : हां श्रीमान्। परिणाम उत्साहवर्धक हैं और उनकी सूचना संबंधित राज्य सरकारों को दे दी गयी है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : माननीय मंत्री ने बताया है कि भवानी सागर के जलाशय का मत्स्य-पालन के लिये उपयोग किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि मेत्तूर बांध का भी इस काम के लिये उपयोग किया गया है ?

†**श्री आबिद अली** : मैं तो ऐसा नहीं समझता।

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई पत्तन

†*१६६२. **श्री राम चन्द्र रेड्डी** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन पर आयात किये गये अन्न को जल्दी उतारने के लिये एक मैकनीकल डिसचार्ज प्लांट लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, उसका मूल्य कितना है और उस का वार्षिक चलन व्यय कितना है ;

(ग) यह उपयोग के लिये कब उपलब्ध कराया गया था और क्या अब इसका उपयोग किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) हां श्रीमान्।

(ख) संयंत्र का मूल्य ४·५ लाख रुपये है। इसे चलाने पर वार्षिक-चालन व्यय ७,६०० रुपये होगा।

(ग) और (घ). यह फरवरी, १६५६ में लगाया गया था, किन्तु श्रमिकों के विरोध के कारण अभी तक चालू नहीं किया गया है।

†**श्री राम चन्द्र रेड्डी** : क्या माल उतारने में विलम्ब के कारण अन्न संभरण में विलम्ब हो रहा है, और क्या माल से भरे हुए जहाजों को पत्तन से बाहर काफ़ी समय तक खड़ा रहना पड़ता है क्योंकि पत्तन के अन्दर स्थित जहाजों को मानवीय श्रम द्वारा जल्दी खाली नहीं किया जा सकता ?

†**श्री आबिद अली** : बम्बई में जितना काम उतना दाम प्रणाली लागू करने के बाद स्थिति में आशातीत सुधार हुआ है। माननीय सदस्य ने जिस स्थिति का वर्णन किया है वह शायद पिछले वर्ष रही होगी, इस वर्ष नहीं।

†**श्री राम चन्द्र रेड्डी** : यदि वह संयंत्र बम्बई में काम में नहीं लाया जायगा तो क्या उसे उपयोग के लिये किसी अन्य पत्तन पर भेजा जायेगा ?

†**श्री आबिद अली** : यह विषय विचाराधीन है।

†**श्री केलप्पन** : इस मशीनरी के उपयोग से कितने मजदूर बेकार हो जायेंगे ?

†**श्री आबिद अली** : एक पारी में नव्वे आदमी। यदि तीन पारी में हों तो इसकी तिगुनी संख्या होगी।

†**श्री तुलसी दास** : माननीय मंत्री ने कहा है कि श्रमिकों के कारण यह संयंत्र उपयोग में नहीं लाया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि यदि यह संयंत्र काम में न लाया गया तो इससे कार्य-कुशलता पर कितना प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री आबिद अली** : यह ठीक है कि इस संयंत्र का प्रयोग करने पर काम जल्दी हो सकता है। किन्तु इससे रोजगार कम हो जायेंगे अतः मजदूर इस का विरोध करते हैं।

†**श्री राम चन्द्र रेड्डी** : मशीन के द्वारा माल जल्दी उतारने से क्या अधिक मजदूरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ?

†**श्री आबिद अली** : जी नहीं, मैंने कहा है कि एक पारी में ६० आदमी कम हो जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे पर केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण

†*१९६६. **श्री तुलसी दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने केन्द्रीकृत यातायात-नियंत्रण लागू करने की एक योजना स्वीकार की है ;

(ख) उक्त योजना का ब्योरा क्या है और यह किस दिन से लागू होगी ;

(ग) क्या केन्द्रीकृत यातायात-नियंत्रण योजना, रेल मार्ग को दोहरा बनाने के स्थान पर लागू की जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो यह योजना किन किन भागों पर लागू करने का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (घ). यह विषय विचाराधीन है।

†**श्री तुलसीदास** : क्या केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण योजनायें इकहरी लाइनों के उन भागों पर लागू की जायेंगी जहां पहले ही बहुत अधिक माल यातायात होता है, और यदि हां, तो इन भागों के नाम क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : यह प्रयोग उन भागों पर भी किया जायेगा। मैं माननीय सदस्य को उन भागों की सूचना दे सकता हूं जिनसे उनका निकट सम्पर्क है जैसे बड़ी लाइन में बीना-कटनी-सहडोल और छोटी लाइन में वीरमगांव-राजकोट।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार** : भाग (ग) का क्या उत्तर है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : सब भागों का उत्तर यही है कि यह विषय विचाराधीन है।

†**श्री तुलसीदास** : ऐसी योजना की अनुमानतः कुल लागत कितनी होगी ; और योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मूल्य का अनुमान तो मैं नहीं बता सकता। योजना अभी तैयार की जा रही है और हमें यह परामर्श अमेरिकी विशेषज्ञों द्वारा दिया गया था जो बाहर से आये थे। मार्ग-क्षमता बढ़ाने का यह भी एक तरीका है। हम समस्त रेलवे के कुछ भागों पर प्रयोग करना चाहते हैं। जब प्रयोग प्रारम्भ किया जायेगा तो इस योजना की लागत का अनुमान बताना संभव हो सकेगा।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार** : प्रश्न यह है कि क्या केन्द्रीकृत यातायात-नियंत्रण योजना को रेलवे मार्ग दोहरा बनाने के कार्यक्रम के स्थान पर लागू किया जायेगा ? हमें कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया गया है। क्या इसका यह अभिप्राय है कि यह योजना लागू होने पर मार्ग को दोहरा बनाने का कार्यक्रम छोड़ दिया जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : केन्द्रीकृत यातायात-नियंत्रण योजना से कुछ हद तक लाइनों की क्षमता सुधर जाती है। परन्तु यह स्थायी हल नहीं है। आखिर एक सीमा होती है जिसके बाद लाइनों को दोहरा करना ही पड़ेगा।

आस्ट्रेलिया के लिये विमान सेवा

†*१९६८. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आस्ट्रेलिया के लिये विमान सेवा प्रारम्भ करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) उसका रास्ता क्या होगा और विमान कितनी बार चलेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) से (ग). एयर इंडिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन अपनी सिंगापुर की सेवा को अक्तूबर, १९५६ से आस्ट्रेलिया तक बढ़ाना चाहता है। इसका रास्ता बम्बई-मद्रास-सिंगापुर-डारबिन-सिडनी होगा और प्रति सप्ताह दोनों ओर से एक विमान चलेगा।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : यह सेवा चलाने से पहले क्या इस प्रकार का कोई अनुमान लगाया गया था कि यातायात कितना रहेगा और उससे हानि होगी अथवा लाभ ?

†**श्री जगजीवन राम** : मोटे तौर पर कुछ अनुमान लगाया जाता है और जब पता लगे कि उस से लाभ होगा तो उसे प्रारम्भ किया जाता है।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या इस सेवा का संबंध एयर इंडिया की यूरोपीय सेवा से स्थापित किया जायेगा ?

†**श्री जगजीवन राम** : मेरे विचार से ऐसा किया जायेगा। पारस्परिक संबंध का प्रयत्न किया जायेगा।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : माननीय मंत्री ने बताया है कि आस्ट्रेलिया और भारत के बीच यात्रियों का आवागमन होगा। इस समय माल का यातायात बी० ओ० ए० सी० द्वारा किया जाता है। क्या उसमें एयर इंडिया इन्टरनेशनल भी हिस्सा बंटायेगी ?

†**श्री जगजीवन राम** : हिस्सा बंटाने का कोई प्रश्न नहीं है। यदि हम माल के यातायात को आकर्षित कर सकते हैं तो करेंगे। परन्तु इसमें हिस्सा बंटाने की कोई बात नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीया सदस्या यह जानना चाहती हैं कि क्या इस सेवा द्वारा माल भी ले जाया जायेगा ?

†**श्री जगजीवन राम** : यदि हम माल के आयात को आकर्षित कर सकते हैं तो ऐसा करेंगे। वैसे हम कुछ माल अवश्य ले जाते हैं।

काम दिलाऊ दफ्तरों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी

† *१९७१. **श्री ब० स० मूर्ति** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार के दफ्तरों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का प्रशासन राज्य सरकारों को हस्तांतरित करने के कारण कितने अफसर सेवामुक्त हो गये हैं ;

(ख) उनमें से कितने लोग अर्द्ध-स्थायी हैं ;

(ग) उन्हें पुनः नियोजित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या सेवा के खंडित हो जाने से उनके अर्द्ध-स्थायित्व पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) इस समय यह बताना संभव नहीं है कि प्रशासन के हस्तांतरण के बाद कितने अफसर अतिरिक्त हो जायेंगे।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) अतिरिक्त कर्मचारियों को अन्यथा योग्य होने पर रोजगार के दफ्तरों द्वारा सहायता में प्राथमिकता दी जायेगी।

(घ) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या सरकार ने यह जानने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की कि कितने व्यक्ति राज्य सरकारों को स्थानांतरित किये जायेंगे और उन में से कितने व्यक्ति राज्य सरकारों द्वारा नियोजित कर लिये जायेंगे ?

†**श्री आबिद अली** : अधिकांश अफसर राज्य सरकारों द्वारा रख लिये जायेंगे। राज्यों में जो लोग काम कर रहे हैं, वे रख लिये जायेंगे। वे सब यथास्थान लगे हुए हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो इस हस्तांतरण के कारण काम से हटेंगे। उनको रखने के लिये भी हम यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे, किन्तु यदि वे कार्यकुशल न हुए तो उन्हें स्थान नहीं मिलेगा।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या कुछ ऐसे अफसर भी जिनकी दस-बारह या तेरह साल की नौकरी है, नहीं रखे जा रहे हैं ?

†**श्री आबिद अली** : नहीं, श्रीमान्। इतने ज्येष्ठ अफसरों को नहीं निकाला जायेगा। संभवतः एक या दो ऐसे व्यक्ति हों। जब तक कि कोई व्यक्ति एकदम निकम्मा अथवा अयोग्य न हो, तो उसे ले लिया जायेगा।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या सरकार समझती है कि यदि कुछ समय के बाद उन्हें पुनः नियोजित किया जाता है, तो इस समय को उनके अर्द्ध-स्थायित्व में कोई खंडन नहीं समझा जायेगा।

†**श्री आबिद अली** : यदि उन्हें निकाल दिया जायेगा तो नौकरी टूट जायेगी इसलिये मैं चाहता हूं कि उन्हें निकाला न जाये।

†**श्री सु० चं० देव** : क्या इस हस्तांतरण का उनके वेतन स्तरों पर कोई प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री आबिद अली** : हां। इस समय वे केन्द्रीय कर्मचारियों की श्रेणी में हैं। स्थानांतरण के बाद वे राज्य के कर्मचारियों की श्रेणी में होंगे। उनके वर्तमान वेतन में कोई कमी नहीं होगी।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था

†*१९७२. **श्री बंसीलाल** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के लिये कर्मचारी चुनने के लिये अभी हाल मद्रास में साक्षात्कार परीक्षा का आयोजन किया गया था ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : जी हां।

†**श्री बंसीलाल** : क्या यह सच है कि कुछ विषयों के लिये पहले दिल्ली में साक्षात्कार परीक्षा ली गयी थी और बाद में अन्य विषयों के लिये मद्रास में ली गयी थी ? यदि हां, तो क्यों ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : जी नहीं। साक्षात्कार परीक्षा के लिये इस बार मद्रास को चुनने का कारण यह था कि चूंकि पहले साक्षात्कार परीक्षा नई दिल्ली में ली गयी थी और सारे भारत से आवेदकों को बुलाया गया था, तब चुनाव बोर्ड ने यह उचित समझा कि दूसरे समुदाय के लिये मद्रास में साक्षात्कार परीक्षा ली जाये, और यह चुनाव बोर्ड का सर्वसम्मत सुझाव था।

†**श्री बंसीलाल** : क्या यह सच नहीं है कि समय कम होने के कारण अनेक योग्य व्यक्ति मद्रास न जा सके और अच्छे चुनाव नहीं किये गये ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : यह ठीक नहीं है। साक्षात्कार परीक्षा के लिये सूचनायें काफ़ी पहले दी गयी थीं और थोड़ी सूचना की एक भी शिकायत नहीं मिली है।

†**श्री बंसीलाल** : नियुक्तियों के महत्व को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार एक और अवसर देगी ताकि योग्य उम्मीदवार उससे लाभ उठा सकें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजकुमारी अमृत कौर** : साक्षात्कार परीक्षा के लिये कुल ११७ व्यक्ति बुलाये गये थे जिसमें से केवल २३ व्यक्ति विभिन्न कारणों से उपस्थित न हो सके। कई लोगों ने तो कोई जवाब भी नहीं दिया। इसलिये दूसरी साक्षात्कार परीक्षा करने में कोई सार नहीं है।

†**डा० रामा राव** : उनमें से कितने अंतिम रूप से चुने गये, और वे कौन कौन हैं ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : मैं अभी नाम नहीं बता सकती क्योंकि मेरा मंत्रालय अभी इस विषय पर विचार कर रहा है।

†**डा० जयसूर्य** : क्या स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक ने चुनाव किया था ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक चुनाव बोर्ड के एक सदस्य हैं।

झंजोर और डांता नदियों पर पुल

†*१६७४. **श्री रा० ना० सिं० देव** : क्या **परिवहन** मंत्री २० दिसम्बर, १६५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३८६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झंजोर नदी पर पुल बनाने के काम में देर हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्यों और काम संभवत: कब तक समाप्त हो जायेगा ;

(ग) क्या डांता नदी पर पुल के नकशे और प्राक्कलन मंजूर किये जा चुके हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो देर का क्या कारण है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। (**देखिये परिशिष्ठ १२, अनुबन्ध संख्या २५**)

†**श्री रा० ना० सिं० देव** : विवरण में काम में देर का कारण बाढ़ और कटाई के मौसम की वजह से मजदूरों का अभाव बताया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दो मौसम बीत गये हैं और कटाई के मौसम तथा बाढ़ के बीच कई महीने काम के लिये मिलते हैं; क्या सरकार को देर के कारणों के ठीक होने के संबंध में संतोष है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : सरकार ने विलम्ब की ओर विशेष ध्यान दिया है। हमें आश्वासन दिया गया है कि बरसात खत्म होने के बाद काम तेजी से शुरू किया जायगा और १६५७ में अगली बाढ़ से पहले ही पुल का काम पूरा हो जायेगा।

†**श्री रा० ना० सिं० देव** : क्या ठेके में कोई समय-सीमा थी; और यदि हां, तो यह पुल कब तक पूरा किया जाने वाला था ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : उसके लिये मुझे पूर्व सूचना आवश्यक होगी।

†**श्री रा० ना० सिं० देव** : क्या ठेके की शर्तों में रात-पाली की व्यवस्था के लिये कोई शर्त थी ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : मेरे पास ठेके की सभी शर्तें अभी मौजूद नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य चाहें, तो मैं बाद में उन्हें दे सकता हूं।

†**श्री रा० ना० सिं० देव** : डांता नदी पर पुल के संबंध में, यह कहा गया है कि टेकनीकल मंजूरी दी जा चुकी है और वित्तीय मंजूरी संभवत: अगले साल दी जायेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह एक राष्ट्रीय राज-पथ पर स्थित है जो बंबई और कलकत्ता को मिलाता है, जिस पर तीन इस्पात के कारखाने स्थित हैं, और उसका बड़ा सामरिक महत्व है, क्या इस काम में शीघ्रता की जायगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री शाहनवाज़ खां : यह बात नहीं कि हम काम में शीघ्रता नहीं चाहते। कठिनाई केवल धन की कमी की है। ज्यों ही पर्याप्त धन मिल जायेगा, हम आगे काम शुरू कर देंगे और आशा है कि अगले साल वित्तीय मंज़री मिल जायेगी।

केन्द्रीय गोदाम

†*१९७६. { +सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपूरी :

क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ और १९५६ में केन्द्रीय सरकारी गोदामों में कितना और कितने मूल्य का चावल खराब हो गया ;

(ख) खराब होने के क्या कारण थे ; और

(ग) उसी अवधी में कितना और कितने मूल्य का गेहूं तथा अन्य खाद्यान्न भी खराब हुए ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २६]

(ख) प्राकृतिक कारण जैसे कीड़े, नमी और चुहे।

(ग) भाग (क) के लिये विवरण में जानकारी दी हुई है। अधिकतर गेहूं खराब होने का कारण अक्टूबर, १९५५ में जिला फीरोजपुर में कासूबेगू डिपो में आकस्मिक बाढ़ थी।

†सरदार इकबाल सिंह : कासूबेगू डिपो में लगभग ६०,००० मन गेहूं खराब हो गया था। वह खराब गेहूं किस भाव में बेचा गया और किस फर्म को ?

†श्री आबिद अली : मुझे सूचना की आवश्यकता है।

†सरदार इकबाल सिंह : क्या यह सच है कि यह खराब गेहूं कासूबेगू डिपो में पिछले एक साल से खुली जगह में पड़ा हुआ है, और क्या सरकार इस विषय में जांच करेगी ?

†श्री आबिद अली : जी हां, हम जांच करेंगे।

†सरदार इकबाल सिंह : गेहूं खराब होने के कारण के विषय में और छ आने के भाव से यह गेहूं बेचने के बारे में कोई जांच की गयी है ; यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम हुआ है ?

†श्री आबिद अली : खराबी के कारणों के विषय में जांच की गयी थी और जैसा कि मैंने पहले बताया था, खराबी भारी वर्षा के कारण हुई। दूसरे विषय के संबंध में, जानकारी यहां उपलब्ध नहीं है।

†पंडित कृ० चं० शर्मा : खाद्यान्न लोगों को बेचने के पहले क्या उसकी डाक्टरी परीक्षा की गयी थी ?

†श्री आबिद अली : हां, उसका परीक्षण किया गया था।

†पंडित कृ० चं० शर्मा : क्या वह खाने योग्य पाया गया ?

†श्री आबिद अली : नहीं, वह खराब हो चुका था।

†पंडित कृ० चं० शर्मा : वह जनता को बेचा गया। यदि वह खाने योग्य नहीं समझा गया तो उसका परीक्षण किस लिये किया गया ?

†श्री आबिद अली : वह खाने योग्य नहीं था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** : तब वह बेचा क्यों गया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जब वह खाया नहीं जा सकता था, तब वह बेचा क्यों गया ?

†**श्री आबिद अली** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि जांच की गयी थी और वह उपभोग के योग्य नहीं पाया गया। उसे उसी श्रेणी का घोषित कर दिया गया। इस प्रश्न के संबंध में कि क्या वह बेचा गया और किस मूल्य पर, मैं बता चुका हूं कि जानकारी यहां उपलब्ध नहीं है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या यह सच नहीं है कि विधान सभा के कुछ सदस्यों ने, जिनमें कुछ कांग्रेसी तथा अन्य लोग भी थे, यह शिकायत की थी कि ६ आने मन क भाव से वह बेचा जा रहा है और लोग उसे २ रुपये मन तक खरीदने के लिये तैयार थे ?

†**श्री आबिद अली** : हम इसकी जांच करेंगे ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : उत्तर यह है कि वह बेचा गया था। प्रश्न यह है कि क्या वह नहीं बेचा गया था। वह नीलाम में बेचा ही क्यों गया ? किसने उसे खरीदा और किस भाव में खरीदा ?

†**श्री आबिद अली** : मैं पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं कि वह गेहूं मानव उपभोग के योग्य नहीं पाया गया था ? यह एक भाग है। दूसरे भाग के संबंध में, अर्थात् वह क्यों और किस प्रकार बेचा गया, मैं बता चुका हूं कि यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यह ६०,००० मन गेहूं उस फर्म को बेचा गया था, जो काला बाजार करने वालों की काली सूची में दर्ज है और जो खाद्यान्न का व्यापार करती है ?

†**श्री आबिद अली** : यह जानकारी मुझे माननीय सदस्य से ही मिल रही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसे महत्वपूर्ण विषयों में, यदि माननीय मंत्री तत्काल उत्तर देने में असमर्थ हो तो वे अपना उत्तर बाद में सभा-पटल पर रख सकते हैं।

†**श्री आबिद अली** : मैं बता चुका हूं कि इस विषय में जांच करेंगे और उस जांच का परिणाम भी सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

†**श्री रा० श्री० दीवान** : माननीय मंत्री कहते हैं कि वह मानव उपभोग के योग्य नहीं था। क्या सरकार ने पर्याप्त सावधानी बरती थी कि नीलाम के बाद वह मानव उपभोग के लिये बाजार में न बेचा जाये ?

†**श्री आबिद अली** : अवश्य ही यह सावधानी बरती गयी होगी।

बेजवाड़ा-मसुलिपट्टम् लाइन

†***१९७७. श्री राम चन्द्र रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र सरकार ने यह प्रार्थना की थी कि बेजवाड़ा और मसुलिपट्टम् के बीच छोटी लाइन को छोटी-बड़ी लाइन में बदल दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में भारत सरकार ने क्या विनिश्चय किया है ; और

(ग) उस योजना को कार्यान्वित करने में संभवतः कितनी लागत आयेगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) विषय परीक्षण के अधीन है।

(ग) विस्तृत इंजीनियरिंग सर्वेक्षण के बिना लागत बताना संभव नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राम चन्द्र रेड्डी** : उसके बदलने की लागत रेलवे के दृष्टिकोण से लगभग क्या होगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मैंने बताया है कि विस्तृत इंजीनियरिंग सर्वेक्षण के बिना लागत बताना सम्भव नहीं है। उनका अनुमान भी उतना ही ठीक है जितना कि मेरा।

†**श्री राम चन्द्र रेड्डी** : क्या अब तक वह इंजीनियरिंग सर्वेक्षण किया गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : अभी नहीं। यह विषय महाप्रबन्धक, दक्षिण रेलवे को सौंपा गया है।

खाद्यान्नों के लिये एलीवेटर गोदाम

†*१९७८. **श्री काजरोलकर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत में खाद्यान्न भांडार (एलीवेटर) गोदाम स्थापित करने के लिये अमेरिकी सरकार से बातचीत कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक बातचीत में क्या प्रगति हुई है ;

(ग) ये एलीवेटर कहां स्थापित करने का विचार है और इनकी क्षमता क्या होगी; और

(घ) एलीवेटर स्थापित करने में और उन के संधारण पर कितनी लागत आयेगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां। भारत सरकार अमेरिका के भारत स्थित टैकनीकल सहकारिता शिष्टमंडल के साथ पहले ही दो उत्पादक भेजने के विषय में एक करार कर चुकी है।

(ख) दो उत्पादकों के पुर्जे जिनमें मशीनरी भी शामिल है, पहले ही भारत पहुंच चुके हैं।

(ग) एक हापुड़ में और दूसरा संभवतः कलकत्ते में। प्रत्येक की क्षमता १०,००० टन है।

(घ) इन दो यूनिटों को स्थापित करने की अनुमानित लागत १० लाख रुपये है। उनका संधारण व्यय सालाना लागत पूंजी (करीब ४८ लाख रुपये) का २ प्रतिशत अर्थात् लगभग १ लाख रुपये संभवतः होगी।

†**श्री राम चन्द्र रेड्डी** : क्या बम्बई पत्तन में श्रमिकों ने जिस प्रकार विरोध किया था उसी प्रकार के विरोध की आशंका यहां भी है ?

†**श्री आबिद अली** : मेरे ख्याल में तो नहीं है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : हम जो उत्थापक लगाने जा रहे हैं उनकी क्षमता कितनी है ?

†**श्री आबिद अली** : प्रत्येक उत्थापक की क्षमता लगभग १०,००० टन है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या दस लाख रुपये की राशि में उसका मूल्य भी सम्मिलित है ?

†**श्री आबिद अली** : मूल्य पहले ही बताया जा चुका है। यह लगभग ४८ लाख रुपये है।

†**अध्यक्ष महोदय** : दस लाख रुपये की राशि केवल एलीवेटर लगाने का व्यय है।

पर्यटन

†*१९८४. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पर्यटन संबंधी योजनाएं राज्यों द्वारा केन्द्र से प्राप्त आंशिक सहायता से लागू की जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में प्रत्येक राज्य के लिये कितनी राशि मंजूर की गई थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से प्रचार करना एक मात्र राज्यों का ही दायित्व है ; और

(घ) भारतीय पर्यटकों के लिये किन अवसरों पर विशेष रेलगाड़ियों और डिब्बों की व्यवस्था की जाती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी हां।

(ख) कोई नहीं।

(ग) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार भी इस क्षेत्र में प्रचार प्रारम्भ कर रही है।

(घ) भारत सरकार के पर्यटन कार्यालय सूचना कार्यालय के रूप में कार्य करते हैं और वे विशेष रेलगाड़ियों और डिब्बों के लिये व्यवस्था नहीं करते। रेलवे प्रशासन डिब्बे और इंजन की उपलब्धि को ध्यान में रख कर इस विशेष सुविधा की प्राप्ति के लिये जनता के अनुरोध की पूर्ति करने का यथाशक्य प्रयत्न करता है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : सरकार का उद्देश्य क्या है ; क्या राज्यों द्वारा सूचना कार्यालय खोले जायेंगे अथवा केन्द्र के प्रादेशिक कार्यालय यह जानकारी विदेशी और भारतीय दोनों पर्यटकों को देंगे ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : प्रादेशिक पर्यटन कार्यालय विदेशी और भारतीय दोनों पर्यटकों को जानकारी देंगे किन्तु राज्य सरकारें भी कुछ क्षेत्रों में अपने कार्यालय खोल रही हैं और वे भी यह कार्य करेंगे।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या प्रादेशिक कार्यालयों के मौजूदा कर्मचारी भारतीय पर्यटकों को भी जानकारी देने के लिये पर्याप्त होंगे ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : अब तक तो हमें कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई है, किन्तु यदि आवश्यक पाया गया तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी जायेगी या राज्य सरकारों से उनके कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिये कहा जायगा।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या किसी राज्य सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में पर्यटन के लिये किसी आवंटन की मांग की थी क्योंकि मैं यह देखता हूं कि कोई धन नहीं दिया गया है?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हमारे पास कोई फालतू धन नहीं था और इस कारण किसी प्रकार की वित्तीय सहायता देना परिवहन मंत्रालय की पर्यटन शाखा के लिये संभव नहीं हो सका ।

†**डा० सुरेश चन्द्र** : भारतीय पर्यटकों के लिये कार्यालयों की स्थापना के अतिरिक्त क्या उन्हें पर्यटन केन्द्रों में सस्ते दामों पर निवास स्थान देने जैसी अन्य कोई सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जी, हां। अब तक तो हम कुछ अधिक कर नहीं सके हैं, किन्तु हम ऐसे सस्ते आवास स्थानों के निर्माण पर विचार कर रहे हैं जहां पर्यटक जा कर कुछ दिनों के लिये ठहर सकें। रहने और खाने के लिये उन्हें जो धन देना होगा वह कम ही होगा। राज्य सरकारों द्वारा कुछ विश्रामगृह और अन्य इमारतें भी पर्यटकों के लिये दी जा रही हैं।

†**पंडित ह्रा० ना० तिवारी** : संसदीय सभा-सचिव ने प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में 'हां' और भाग (ख) के उत्तर में 'नहीं' कहा है। यदि केन्द्र कोई अनुदान नहीं देता है तो नीति किस प्रकार क्रियान्वित की जाती है तथा कार्य कैसे चलता है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : इस प्रयोजन के लिये रुपया ढूंढ़ने के राज्य सरकारों के पास अनेक साधन हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : केन्द्रीय सरकार की सहायता से राज्य सरकारें नीति को कार्यान्वित करती हैं। किन्तु जब कोई अनुदान नहीं है तो समस्त नीति क्रियान्वित कैसे होती है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हमने उन्हें अधिक आर्थिक सहायता नहीं दी है। किन्तु हमने उन्हें सड़कें बनाने के लिये धन दिया है। हाल ही में हमने बुद्ध जयंती के संबंध में सारनाथ और गया इन दोनों स्थानों के लिये, जो कि माननीय सदस्य के प्रान्त में हैं, और बनारस, सांची और अन्य स्थानों के लिये भी पर्याप्त धन दिया था। इस प्रकार हम राज्य सरकारों की सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु इस समय योजना आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिये बिल्कुल धन नहीं दिया गया है। इसलिये इस संबंध में राज्य सरकारों की अधिक सहायता करना हमारे लिये संभव न होगा।

†**डा० सुरेश चन्द्र** : क्या यह सच है कि अजन्ता के अतिथिगृह में, जहां बहुत अधिक पर्यटक आते हैं, बिजली और पानी की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यह सच है कि अजन्ता में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अजन्ता के पास एक अतिथिगृह है और वहां ये सुविधाएं प्राप्त हैं। किन्तु मैं यह अवश्य महसूस करता हूं कि अजन्ता में कुछ न कुछ किया जाना चाहिये। हमने संबंधित राज्य सरकार को लिखा है और यदि संभव हो सका तो इस मामले में हम कुछ करने का प्रयत्न करेंगे।

रेलवे में अच्छे काम की सराहना

†*१९८६. **श्री ब० स० मूर्ति** : क्या रेलवे मंत्री ३० अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५३४ के उत्तर के संबंध में यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे की "आविष्कार और सुझाव समिति" द्वारा १९५५-५६ में कितने मामलों पर विचार किया गया तथा अच्छे कामों के लिये कितने पारितोषिक देने की सिफारिशें की गईं ; और

(ख) पारितोषिक किस प्रकार के थे और उनका मूल्य कितना था ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख) ब्योरा एकत्रित किया जा रहा है।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : ब्योरा कब उपलब्ध होगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : यथाशीघ्र।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : "आविष्कार और सुझाव समिति" के सदस्य कौन कौन हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा ख्याल है कि ये नाम प्रकाशित हो चुके हैं।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर या जहां सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर न हो वहां डिप्टी जनरल मैनेजर, वर्कस, चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, डिप्टी चीफ इंजीनियर, डिप्टी सिगनल एण्ड टेली-कम्युनिकेशन्स इंजीनियर और सीनियर स्केल पर्सनल आफीसर।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या यह समिति दक्षिण रेलवे में ही है या अन्य रेलवे में भी ऐसी ही समितियां कार्य कर रही हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : ऐसी समितियां सभी रेलवे में कार्य कर रही हैं।

†मूल अंग्रेजी में

हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण

*१९८८. { †सरदार इकबाल सिंह :
श्री रा० प्र० गर्ग :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो उसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ;

(ग) किन हवाई अड्डों का विकास किया जाना है; और

(घ) इस आधुनिकीकरण के मुख्य पहलू और कुल व्यय क्या है ?

†संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण मैं लोक-सभा पटल पर रखता हूं। [देखिय परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २७]

†सरदार इकबाल सिंह : क्या भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन के आठवें सत्र के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उस प्रतिवेदन के अनुसार आधुनिकीकरण का कार्यक्रम बनाया है? यदि नहीं, तो सरकार के कार्यक्रम में उससे क्या द है ?

†श्री जगजीवन राम : यदि माननीय सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन के प्रतिवेदन को पढ़कर यहां दिये गये विवरण से उसकी तुलना करें तो इस बात को समझना उनके लिये आसान होगा।

†सरदार इकबाल सिंह : अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिमान के अनुसार भारत के कितने हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण किया जाना है ?

†श्री जगजीवन राम : जहां अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं के विमान आते-जाते हैं ऐसे हमारे अधिकांश हवाई अड्डे प्रतिमान के अनुसार हैं किन्तु जैसा कि विवरण में कहा गया है, आधुनिकीकरण एक निरन्तर प्रक्रिया है और हमें इस कार्य की औद्योगीकरण क्रियाओं की जानकारी सदैव रखनी पड़ती है और अपने हवाई अड्डों का विकास करके उनका प्रतिमान बढ़ाने का प्रयत्न करना होता है।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। अब दूसरा दौर आरम्भ होता है। हम १९४८ से प्रारम्भ करेंगे।

न्यूटन चिकली कोयला खान

†*१९४८. डा० रामा राव (श्री चट्टोपाध्याय और श्री कामत की ओर से) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९५४ में हुई न्यूटन चिकली कोयला खान दुर्घटना के लिये उत्तरदायी ठहराये गये प्रबन्धक के आचरण की जांच के लिये भारतीय कोयला खान विनियम, १९२६ की धारा ४८ के अन्तर्गत नियुक्त जांच न्यायालय ने क्या अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कायवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**डा० रामा राव** : प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की आशा है ?

†**श्री आबिद अली** : मामला एक न्यायालय के समक्ष है। कार्यवाही लगभग समाप्त हो चुकी है और न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाना था तथा ऐसा प्रतीत होता है कि कोई प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। मुझे ज्ञात नहीं है ; आगे की जाने वाली कार्यवाही रोक दी जाये ऐसा स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया है। इस प्रतिबन्ध के हट जाने पर जो कि संभवत: उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा लगाया गया हो—न्यायालय अपना निर्णय दे देगा।

†**डा० रामा राव** : क्या सरकार ने इस प्रतिबन्ध के विरुद्ध अपील के लिये कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री आबिद अली** : यदि आवश्यक हुआ, तो निश्चय ही करेगी।

दोहरी लाईनें बिछाना

† *१९५०. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिग्नल व्यवस्था को बदल कर एक ही लाइन पर अधिक रेलगाड़ियों के आने-जाने को सुविधाजनक बनाने के लिये क्या सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कितनी लाइनों को दोहरा किया जायेगा, और इस प्रकार लाइनों को दोहरा करने पर प्रति मील कुल कितना व्यय होगा ;

(ग) क्या सिग्नल की नई व्यवस्था जापान में दोहरी लाइनों को बिछाने की आवश्यकता को समाप्त करने में, और वह भी अत्यंत कम मूल्य पर, सहायक सिद्ध हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस नई पद्धति का प्रयोग के तौर पर काम में लाने का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां।

(ख) २७ रेल मार्गों को दोहरा या आंशिक रूप से दोहरा करने की प्रस्थापना है। दोहरी लाइन बिछाने का मौजूदा औसत व्यय बड़ी लाइन के लिये प्रति मील ७·५ लाख रुपये और छोटी लाइन के लिये ३·६ लाख रुपये प्रति मील होगा।

(ग) सिग्नल की आधुनिक व्यवस्था क्षमता को कुछ हद तक बढ़ाने में सहायक होती है और जापान में जहां कम मात्रा में अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता होती है वहां इससे लाभ उठाया जाता है।

(घ) इसकी परीक्षा की जा रही है।

†**श्री सिंहासन सिंह** : क्या सरकार ने रूस और जापान को प्रतिनिधि मंडल भेजे थे और क्या उन प्रतिनिधि मंडलों ने यह बताया है कि सिग्नल की केन्द्रीय व्यवस्था होने से इस में अधिक सुविधा हो सकती है और लाइनों को दोहरा किये बिना अधिक रेलगाड़ियां आ जा सकती हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : एक अन्य प्रश्न का उत्तर कुछ समय पूर्व दिया गया था। माननीय सदस्य संभवत: उस समय यहां नहीं थे। उस समय यह बताया गया था कि लाइनों को दोहरा करन की आवश्यकता को समाप्त तो नहीं किया जा सकता किन्तु इससे कुछ वर्षों तक काम चलाया जा सकता है और उसके बाद उन्हें इस संबंध में कुछ करना पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सिंहासन सिंह** : मेरा प्रश्न यह है। रूस जाने वाले सरकारी विशेषज्ञों का कथन है कि सिग्नल की इस केन्द्रीय व्यवस्था को अपनाने से दोहरी लाइनें बिछाने की आवश्यकता नहीं रह जाती।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बताया गया था कि यह आवश्यकता सदा के लिये समाप्त नहीं हो सकती। संभव है कि कुछ वर्षों के बाद पुनः कोई यह सुझाव दे और तब उन्हें इस संबंध में कार्यवाही करनी होगी। माननीय सदस्य उस समय यहां उपस्थित नहीं थे। यही उत्तर दिया गया था।

†**श्री देवेन्द्र नाथ शर्मा** : द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में कौन सी लाइनों को दोहरा किया जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हमारे पास २९ लाइनों की एक सूची है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा, इसे सभा-पटल पर रख दिया जाये।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या यह सच है कि गुडर-विजयवाड़ा लाइन की प्रगति अपेक्षानुकूल नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मेरी तो यह धारणा नहीं है। किंतु यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं इस संबंध में पूछ-ताछ कर सकता हूं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : श्रीमान्, प्रश्न संख्या १९८० का उत्तर दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कोई ऐसे अन्य सदस्य उपस्थित हैं जो उनके प्रश्न के उत्तर दिये जाने के समय अनुपस्थित थे ?

†**श्री काजरोलकर** : श्रीमान्, प्रश्न संख्या १९६३।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं प्रश्न संख्या १९८० को १९६३ के बाद लूंगा।

झांसी वर्कशाप

†*१९६३. {+**श्री काजरोलकर** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के झांसी वर्कशाप के कर्मचारियों ने एक "स्व-सुधार न्यास" स्थापित किया है ;

(ख) क्या इसे सरकार ने आरंभ किया है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इसे सरकार से मान्यता अथवा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है ;

(घ) क्या उक्त न्यास के कर्मचारियों ने अधिक क्षमता, शील आदि के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण दिये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो सभी रेलवे के सभी विभागों में ऐसे न्यासों को आरम्भ करने अथवा उन्हें प्रोत्साहन देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) और (ङ). मई १९५६ में रेलवे बोर्ड ने रेलवे प्रशासनों को वर्कशाप, रनिंग शेड्स और डिब्बों तथा माल के डिब्बों के डिपो में "स्व-सुधार न्यास" संगठित करने का परामर्श दिया था। परिणामों के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये न्यास अभी शैशावावस्था में हैं। मौजूदा योजना से प्राप्त अनुभव के आधार पर, रेलवे के अन्य विभागों में ऐसी योजनायें लागू करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री काजरोलकर** : क्या यह 'न्यास' सरकार से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं?

†**श्री शाहनवाज खां** : इस योजना को प्रारंभ करने के लिय अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं होती। इसे रेलवे की मौजूदा वर्कशापों और रनिंग शेडों में प्रारंभ किया जायेगा और मेरा ख्याल है कि इसमें अधिक व्यय नहीं होगा। यदि अधिक व्यय करने की आवश्यकता होगी तो उसे पूरा करने के लिये रेलवे के महा-प्रबन्धकों को शक्ति प्राप्त है।

बिजुरी-बरुवाडीह लाईन

*१९६४. **श्री जांगडे** : क्या रेलवे मंत्री दिनांक १८ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २३५६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजुरी-बरुवाडीह रेलवे लाइन द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ही तैयार की जायेगी ; और

(ख) उक्त रेलवे लाइन पर १५४ लाख रुपये के व्यय के इन रेल-कार्यों का द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में क्या उपयोग होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सिर्फ बिजुरी से करोंजी के बीच लाइन बनाने का विचार है।

(ख) इस योजना के सिर्फ बरवाडीह-सरनाडीह सेक्शन पर काम हुआ था। इसे इस्तेमाल म लाने का अभी कोई विचार नहीं है।

श्री जांगडे : क्या मैं यह जान सकता हूं कि बिजुरी-बरुवाडीह लाइन पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में १५४ लाख रुपये खर्च होने हैं, तो क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि जो अभी बिजूरी से झिलमिली विश्रामपुर को रेलवे लाइन जाती है उससे इसका सम्पर्क स्थापित किया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : माननीय सदस्य को इसका इतिहास पूरी तरह मालूम है और वे जानते हैं कि यह लाख लाइन पुराने जमाने में बनी थी और काम जिधर से शुरू करना चाहिये था उसकी उलटी तरफ से शुरू किया गया, इसलिये बड़ी कठिनाई हो रही है कि हम उसका ठीक इस्तेमाल कैसे करें लेकिन यह बिजुरी से तगनी तक लाइन बन सके, दूसरे पंचसाला प्लान में हम आगे विचार करेंगे कि इस हिस्से को बरवाडीह, सरनाडीह से जोड़ सकते हैं या नहीं।

श्री जांगडे : क्या यह सत्य नहीं है कि पूर्व रेलवे का जब विभागीकरण किया गया था तो प्रथम अगस्त को रेलवे मंत्रालय ने या पूर्व रेलवे ने एक पत्रिका निकाली थी जिसमें कि यह स्पष्ट कहा था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में बिजुरी-बरवाडीह लाइन पर जो बिजली और ट्रैफिक बढ़ गया है वह उससे कम किया जा सकता है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह एक बहुत बड़े खर्च का प्रोजेक्ट है और इसमें बहुत ज्यादा रुपया लगेगा। दूसरे यह कि इस इलाके के कोयले की अपेक्षा दूसरे इलाकों से हमें अधिक अच्छा कोयला मिल रहा है और चूंकि माननीय सदस्य जिस इलाके से आते हैं वहां का कोयला कमजोर है इसलिये उसको इंतजार करना पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

बारबिल खनिज क्षेत्र में श्रम सम्बन्धी स्थिति

† *१६८०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** • (**श्री देवगम** की ग्रोर से) : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बारबिल ग्रौर बारा जमडा के खान क्षेत्रों में कई बार श्रमिक उपद्रव हुये हैं ;

(ख) इन उपद्रवों के कारण क्या थे ग्रौर इस के लिये कौन व्यक्ति उत्तरदायी थे ; ग्रौर

(ग) इन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये ग्रौर खान उद्योग को सुचारु रूप से चलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री ग्राबिद ग्रली)** : (क) जी, हां।

(ख) ३१–१२–१९५५ को क्योंझर की खानों ग्रौर वन मजदूर संघ तथा उड़ीसा खनिज विकास कंपनी, बारबिल के मध्य कुछ विवादास्पद बातों जसे निलम्बित मजदूरों की पुर्ननियुक्ती, ग्रधिक समय की मजदूरी का भुगतान, टबों का दिया जाना ग्रादि के संबंध में एक करार हुग्रा था। करार की एक शर्त यह भी थी कि सीधी कार्यवाही करने से पूर्व दोनों पक्ष संवैधानिक उपायों को ग्रपनायेंगे। २०–४–१९५६ को मजदूरों ने बिना पूर्वसूचना के हड़ताल कर दी ग्रौर इस पर प्रबन्धक वर्ग ने ताला बन्दी की घोषणा कर दी। विधि तथा व्यवस्था का उल्लंघन भी किया गया। मैं समझता हूं कि इनमें से कुछ मामले **न्यायाधीन** होंगे ग्रतः मेरे लिये यह बताना ठीक नहीं होगा कि इस उपद्रव के लिये कौन व्यक्ति उत्तरदायी है।

(ग) हमारे समझौता कराने वाले पदाधिकारी उस क्षेत्र में गये थे, किन्तु इस समय वहां समझौते के ग्रनुकूल वातावरण नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस क्षेत्र में जीवन-दशा बहुत खराब है ग्रौर ग्रधिकांश मजदूर ग्रादिवासी हैं ग्रौर इस बात को ध्यान में रखते हुये कि मजदूरों ने केन्द्रीय श्रम पदाधिकारी से त्रिपक्षीय रूप से समझौता कराने के लिये कहा है क्या सरकार का हस्तक्षेप करने का विचार है ग्रौर क्या कोई त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाया जायेगा जिस से यह मामला सन्तोषजनक रूप से हल हो जाये ?

†**श्री ग्राबिद ग्रली** : ग्रभी तक हमें यही नहीं मालूम पड़ सका कि इस मामले में विवाद का विषय क्या है। कुछ लोग जो मजदूरों को गुमराह कर रहे हैं राजनैतिक लडाई लड़ना चाहते हैं, यही इस का कारण है।

मजदूरों के नियोजकों के साथ स्वेच्छा से ग्रौर सन्तोषजनक रूप से करार कर लेने के बाद उन्हें हड़ताल नहीं करनी चाहिये थी, ग्रौर इस के पीछे राजनैतिक उद्देश्य के ग्रतिरिक्त ग्रौर कुछ नहीं हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : श्रम विवाद का ब्यौरा केन्द्रीय श्रम ग्रायुक्त को तीन सप्ताह पूर्व दिया जा चुका है। क्या सरकार ने उसे देखा है ग्रौर क्या उन का इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने ग्रौर इस मामले को सुलझाने का प्रयत्न करने का विचार ह ?

†**श्री ग्राबिद ग्रली** : हमारी मजदूरों के साथ पूर्ण सहानुभूति है, किन्तु जब तक वे गलत लोगों के प्रभाव में हैं ; ग्रौर ग्रवांछनीय लोग उन पर प्रभाव डाल रहे हैं, समझौते के लिये ग्रनुकूल वातावरण नहीं ह, ग्रौर यदि संबद्ध व्यक्ति ग्रपना रुख बदल लें, तो मजदूरों की सहायता करके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी।

†**ग्रध्यक्ष महोदय** : प्रश्नकाल तो बहुत पहले समाप्त हो गया था।

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

†**डा० रामा राव** : अभी माननीय मंत्री ने कहा था कि ये मामले **न्यायाधीन** है और उन पर यहां चर्चा नहीं होनी चाहिये। बाद में श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि मजदूर लोग यहां राजनैतिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं। क्या उनके लिये यह कहना उचित है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को यह प्रश्न बिल्कुल पूछना ही नहीं चाहिये था। ज्यों ही माननीय मंत्री ने यह कहा था कि यह मामला **न्यायाधीन** है माननीय सदस्य को वहीं रुक जाना चाहिये था, परन्तु, इस की अपेक्षा उन्होंने माननीय मंत्री से और जानकारी मांगी, जिन्होंने इस का ब्यौरा बता दिया है।

†**श्री साधन गुप्त** : केवल यह पूछा गया था कि क्या सरकार इस में सहायता करेगी—ब्यौरे के बारे में कुछ नहीं पूछा गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा है कि जब तक और लोगों ने इसे सम्भाला हुआ है और समझौते के अनुकूल वातावरण नहीं है तब तक वे किसी प्रकार से सहायता नहीं कर सकते। माननीय मंत्री का यही कहना है। इसमें मैं क्या कर सकता हूं ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कृषि उत्पादन

†*१९४६. **श्री हेमराज** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने राज्य सरकारों को एक यह पत्र जारी किया है कि वे कृषि उत्पादन को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किये गये लक्ष्य से भी अधिक बढ़ाने का प्रयत्न करें ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार 'शुष्क-कृषि' जो कि कृषि योग्य भूमि का एक मुख्य क्षेत्र है, के उपायों को सुधारने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां।

(ख) 'शुष्क-कृषि' की रीति को सुधारना कृषि भूमि के मिट्टी परिरक्षण संबंधी कार्यों का एक भाग है जिनके लिये योजना में उपयुक्त व्यवस्था की गयी है।

गांधी धाम के लिये नगरपालिका

†*१९४७. **श्री गिडवानी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्धु पुनर्स्थापना निगम तथा गांधी धाम वस्ती के लोगों की यह मांग है कि वहां पर एक नगरपालिका बनायी जाये ;

(ख) क्या सरकार ने उस योजना पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). वहां पर एक नगरपालिका स्थापित करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

हिन्दी में डाक और तार निर्देशिका

*१९५२. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार है कि भारतवर्ष के कुल डाकघरों और तारघरों की निर्देशिका हिन्दी में निकाली जाय ; और

(ख) यदि हां, तो वह कब तक निकाली जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हां।

(ख) यह काम इस समय भारत के महा-सर्वेक्षक के पास विचाराधीन है। क्योंकि वह स्थानों के नामों को रोमन से देवनागरी लिपि में ठीक-ठीक लिखने के लिये अन्ततः ज़िम्मेदार है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितना समय लगेगा।

संसद सदस्यों को टेलिफोन

†*१९५३. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् के १२वें सत्र में कितने संसद् सदस्यों ने अपने रिहाइशी क्वार्टरों में टेलीफ़ोन लगाने के लिये आवेदन पत्र भेजे थे;

(ख) कितने आवेदन पत्र संबंधित प्राधिकारियों के पास अभी तक निलम्बित रूप में पड़े हुये हैं; और

(ग) इतने विलम्ब का क्या कारण है?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) १३६।

(ख) १२वें सत्र से तीन।

(ग) ये तीन कनेक्शन १२वें सत्र में इसलिये न लगाये जा सके कि नयी दिल्ली में एक्सचेंज संबंधी सामान की कमी थी। इन तीन सदस्यों से चालू सत्र के लिये कोई आवेदन पत्र नहीं आया है।

†उत्तर रेलवे के श्रमिक

†*१९५५. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे प्रशासन ने हाल ही में रेलवे जोन के श्रमिकों द्वारा बैठकों तथा प्रदर्शनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे श्रमिकों के कार्मिक संघों के अधिकारों का हनन करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्तरीय रेलवे मज़दूर यूनियन ने यह मांग की है कि उन मज़दूरों को उपयुक्त प्रतिकर दिया जाये जिन की २९ जुलाई, १९५६ को कालका शिमला लाइन पर ड्यूटी देते हुये मृत्यु हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस मांग के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) संभवतः निर्देश २९-७-५६ की गाड़ी के पटरी से उतर जाने वाली दुर्घटना की ओर है। यदि यह बात है तो इस संबंध में यूनियन की ओर से कोई अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता; फिर भी रेलवे द्वारा उन व्यक्तियों के लिये कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के आधीन प्रतिकर देने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

आसाम को चावल का संभरण

†*१९५६. **श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री १४ अगस्त, १९५६ को सभा-पटल पर रखे गये अपने विवरण के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आसाम सरकार के लिये जारी किया गया १०,००० मन चावल १६ रुपये प्रतिमन के हिसाब से कलकत्ते में दिया जायेगा अथवा उस दर पर वह चावल गौहाटी में पहुंचा कर दिया जायेगा?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : भारत सरकार के केन्द्रीय रक्षण डिपो आसाम में ही हैं और आसाम सरकार को वितरण के लिये चावल सीधे ही १६ रुपये प्रति मन के हिसावसे दिया गया है। फुटकर दुकानदारों को १८ रुपये प्रतिमन के हिसाब से दिया जाता ह, और परिवहन का खर्चा नहीं लिया जाता, परन्तु यह दर केवल उन्हीं स्थानों के लिये है जहां परिवहन का व्यय २ रुपये से कम आता है। अन्य स्थानों के लिये चावल १६ रुपये प्रति मन के हिसाब से फुटकर व्यापारियों को दिया जाता है। क्योंकि इस समय आसाम में खुली मार्किट में चावल के मूल्य वहुत ऊंचे हैं, इसलिये व्यापार द्वारा प्राप्त किये जा रहे अनुचित लाभ को रोकने की दृष्टि से ही यह किया जा रहा है।

प्रसंकृत मकई

†*१९५९. **श्री देवगम** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'प्रसंकृत मक्की' अब सारे देश में किसानों को उपलब्ध कर दी गयी है ;

(ख) इस मक्की को अधिक प्रचारित तथा सर्वप्रिय बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) प्रति एकड़ में 'प्रसंकृत मक्की' की उपज स्वदेशी मक्की की उपज की तुलना में कैसी ठहरती है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २८**]

रामगंगा नदी पर पुल

†*१९६१. **श्री रघुवीर सहाय** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मोटर लारी संबंधी परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिये बरेली के निकट रामगंगा नदी पर एक पुल बनाने के संबंध में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई उपबन्ध रखा गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मथुरा बदायूं-बरेली-पीलीभीत सड़क राज्य के अधीन है, इस पर पुल बनाना भारत सरकार का काम नहीं है। तो भी ऐसा विचार है कि इसके निर्माण के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ६० लाख रुपयों की व्यवस्था की गयी है।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२

†*१९६५. **मुल्ला अब्दुल्ला भाई** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ के अधीन योजनाओं की प्रतियां, उस अधिनियम द्वारा प्रभावित उद्योगों को अभी उपलब्ध नहीं हुई हैं, और इस कारण उद्योगों के काम में बड़ी भारी कठिनाईयां आ रही हैं ; और

(ख) क्या सरकार इन योजनाओं की प्रतियां उद्योगों को उपलब्ध करने का कोई उचित प्रबन्ध करेगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे डाक सेवा के कर्मचारी

†*१९६७. **श्री कामत** : क्या **संचार** मंत्री ७ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८१९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों को जब लगातार १२ घंटे से अधिक काम करना पड़ता है तो क्या उन्हें अधिक समय तक काम करने का भत्ता दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो किस दर पर ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)**:(क) जी, नहीं। उन्हें अधिक समय तक काम करने का भत्ता चार सप्ताहों की ड्यूटी के आधार पर दिया जाता है जब कि उनके काम के घंटे चलती गाड़ियों के डाक छांटने के विभागों में १४४ से अधिक बढ़ जायें और डाक तथा पत्र छांटने के कार्यालयों तथा मार्गस्थ (ट्रांजिट) विभागों में १९२ घंटों से अधिक बढ़ जायें।

(ख) कर्मचारियों को अधिक समय तक काम करने पर दिये जाने वाले भत्तों के दर, वेतन के अनुसार ४ आने प्रति घंटे से लेकर २ रुपये प्रति घंटे तक हैं।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स श्रम संघ

†*१९६९. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि चितरंजन में चल रहे दो पंजीबद्ध कार्मिक संघ हाल ही मिल कर एक हो गये हैं और उसका नाम चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स श्रम संघ रखा गया है ; और

(ख) क्या उस संघ को शीघ्र ही अभिस्वीकार कर लिया जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) संघ की ओर से इस संबंध में एक वक्तव्य दिया गया है।

(ख) प्रशासन इस संबंध में विचार कर रहा है।

रेलवे कर्मचारियों के लिये विभागीय परीक्षायें

*१९७०. **श्री म० ना० सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड में असिस्टेण्ट (सहायक) के पद पर तरक्की देने के लिये कोई विभागीय परीक्षा ली जायेगी ;

(ख) क्या ऐसी परीक्षायें पहले भी किसी वर्ष में हुईं, और यदि हां, तो किस किस वर्ष में हुईं ; और

(ग) क्या सभी कर्मचारियों के लिये, चाहे उनकी तीन वर्ष की असिस्टेण्ट की नौकरी हो या दस वर्ष की या उससे ऊपर की, एक-सी परीक्षा होगी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां, १९५३ और १९५४ में।

(ग) जी हां। लेकिन ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो इम्तहान पास किये बिना लगातार दस साल या इससे ज्यादा समय से स्थानापन्न सहायक के पद पर काम कर रहा हो । लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे जरूर हैं जो इम्तहान पास किये बिना लगातार तीन साल या इससे ज्यादा समय से स्थानापन्न सहायक के पद पर काम कर रहे हैं।

काम दिलाउ दफ्तर, नागपुर

*१९७३. **श्रीमती अनुसूयाबाई बोरकर** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो नागपुर के काम दिलाऊ दफ्तर में दो या तीन वर्ष पहले पंजीबद्ध हो चुके थे किन्तु अभी तक इण्टरव्यू के लिये बुलाये नहीं गये ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : १४।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय कृषि कालेज

*१९७५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली का केन्द्रीय कृषि कालेज बन्द किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) किस तारीख को इसे बन्द किये जाने का विचार है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) तथा (ग). जी हां, दो साल के बाद ; अगर इस अर्से में दिल्ली विश्वविद्यालय जिसने इसको लेने का प्रस्ताव किया है, इसको न ले सके ।

(ख) यह निर्णय एस्टिमेट्स कमेटी की सातवीं रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार किया गया है । यह कालिज अपने वर्तमान रूप में विद्यार्थियों की आवश्यकतायें पूरी नहीं करता । इसमें कोई लेक्चर हाल और प्रयोगशाला नहीं है । शिक्षा भी भारतीय कृषि अनुसन्धानशाला के विभिन्न विभागों में दी जाती है, जिससे इस अनुसन्धानशाला में गवेषणा कार्य में रुकावट पड़ती है ।

आसाम में स्टीमर घाट

†*१९७९. **श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या **परिवहन** मंत्री १० मई, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १९६१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्टीमर घाटों का विकास कार्य कब प्रारंभ होगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : पांडू में घाट बनाने के बारे में विस्तृत जांच की जा चुकी है । इस घाट के रुपांकन को तैयार करने का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ कर दिया जायेगा । रुपांकन तैयार हो जाने पर वास्तविक कार्य प्रारंभ किया जायेगा ।

अन्तर्देशीय परिवहन सम्बन्धी औद्योगिक समिति

†*१९८१. **श्री त० ब० विट्ठल राव** :
श्री पुन्नूस :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्तर्देशीय परिवहन के संबंध में उसी प्रकार की एक औद्योगिक समिति का सम्मेलन बुलाने पर विचार कर रही है जैसी कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघटन ने स्थापित की है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब बुलाया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). परिवहन सेवाओं के संबंध में एक औद्योगिक समिति स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

कर्मचारी भविष्य निधि

†*१९८२. **मुल्ला अब्दुल्ला भाई** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ से जून, १९५६ तक कर्मचारी भविष्य निधि के रूप में राज्य-वार कुल कितनी राशि एकत्रित हुई है, और उसके कर्मचारियों तथा नियोजकों का कितना कितना अंश है ;

(ख) क्या सरकार कार्यालय के लिये कार्य-व्यय के रूप में भी कुछ प्रति शत रुपया लेती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २६]

(ख) जी हां, कर्मचारियों तथा नियोजकों के कुल अंशदान का कुल ३ प्रति शत।

(ग) भविष्यनिधि संबंधी सामान्य प्रशासनीय खर्चों को पूरा करने के लिये जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना की कंडिका ३६ में उपबन्धित है ?

हिन्दी में रेलवे टाईम टेबल

*१६८३. श्री म० ना० सिंह : क्या रलवे मंत्री २४ अगस्त, १६५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६१० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आल इंडिया रेलवे टाइम-टेबल का हिन्दी में प्रकाशन क्यों बन्द कर दिया गया ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि हिन्दी में डिपार्टमेण्टल टाइम-टेबल ठीक समय से विक्री क लिय नहीं आता है और ठीक मांग की जगहों पर भी नहीं जाता है, जिसके फलस्वरूप उसकी विक्री कम होती है ; और

(ग) समय-सारणी (टाइम-टेबल) का हिन्दी संस्करण नई गाड़ियों का समय चालू होने के कितने दिन पूर्व या पश्चात् बिक्री-स्टाल पर जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) बनारस की एक प्राइवेट एजेन्सी पहले से हिन्दी में एक छोटा सा अखिल भारतीय टाइम टेबल निकालती है। चूंकि अखिल भारतीय टाइम टेबल को कम लोग खरीदते हैं, इसलिये इस बात में कोई लाभ नहीं है कि रेलवे की तरफ से भी यह टाइम टेबल निकाला जाय। इसलिये यह तय किया गया है कि हिन्दी का सरकारी अखिल भारतीय टाइम टेबल बन्द कर दिया जाय।

(ख) हिन्दी का सरकारी अखिल भारतीय टाइम टेबल आम तौर पर गाड़ियों के और बदले हुये समय से डेढ़ महीने बाद स्टेशनों पर बिकता रहा है।

(ग) जिन बड़े स्टेशनों पर इस टाइम टेबल की मांग रहती है, वहां इसकी प्रतियां रख दी जाती हैं। आम तौर पर इसकी बिक्री बढ़ रही है।

ट्रैक्टर प्रयोग सम्बन्धी शुल्क

†*१६८५. श्री कामत : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य भारत सरकार द्वारा ट्रैक्टर प्रयोग संबंधी शुल्कों तथा उसके बकाया धन पर किस दर से व्याज लिया जाता है ;

(ख) क्या इस प्रकार के शुल्कों तथा उसके बकाया धन पर व्याज लगाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कोई अनुदेश जारी किये हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के अनुदेशों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी तक भूमि के पुनरुद्धार तथा 'कांस' को समाप्त करने के हेतु केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के माध्यम से राज्य सरकारों को कुल कितना ऋण दिया गया है ; और

(ङ) इस प्रकार के प्रत्येक ऋण के वापिस अदा करने की क्या शर्तें हैं ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा ट्रैक्टर से किये जाने वाले कार्य पर मध्य भारत सरकार काश्तकारों से ३ ७/८ प्रति शत प्रति वर्ष के दर से व्याज लती है। ट्रक्टर-प्रयोग शुल्कों के बकाया धन पर राज्य सरकारें जिस दर से व्याज ले रही है वे हमें ज्ञात नहीं है। जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने अभी तक राज्य सरकारों को निम्न लिखित ऋण दिये है :—

उत्तर प्रदेश	२१४,७५,३५४ रुपये
मध्य प्रदेश	२०८.०३,९७४ ,,
मध्य भारत	२०३,७७,३३८ ,,
भोपाल	२२५,७०,६२३ ,,

(ङ) उपरोक्त ऋण तथा ३ ७/८ प्रति शत प्रति वर्ष के हिसाब से व्याज उन राज्य सरकारों से ७ बराबर की वार्षिक किस्तों से वसूल किया जायेगा।

दक्षिण रेलवे की यातायात और लेखा शाखा

†*१९८७. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के मद्रास यातायत और लेखा शाखा कार्यालय को त्रिचनापल्ली में केन्द्रित करने की कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मद्रास में काम करने वाले कर्मचारियों की कठिनाई और असुविधा का भी विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो यह निर्णय किन स्थितियों के कारण हुआ तथा कर्मचारियों की कठिनाई और असुविधा को किस प्रकार दूर किया जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे वर्कशाप

†*१९८९. **श्री कामत** :
ठाकुर युगल किशोर सिंह :
श्री अस्थाना :
बाबू रामनारायण सिंह :

क्या श्रम मंत्री २१ जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे वर्कशापों में श्रमिको को प्रबन्ध कार्य भाग देने के लिये आगे और क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मेरे पहिले उत्तर में उल्लिखित अध्ययन दस अक्टूबर के मध्य में काम शुरू करेगा और उसके प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

दमदम में रामकृष्ण मिशन का स्टूडेंट्स होम

†१४८६ **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दमदम हवाई अड्डे के पास की भूमि और इमारतों के अर्जन के लिये रामकृष्ण मिशन स्टूडेंटस् होम (छात्रावास) को कितना प्रतिकर चुकाया गया ; और

(ख) क्या कुछ राशी बकाया भी है ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) ६,८४,३२२ रुपये १ आने ३ पाई (छ लाख चौरासी हजार तीन सौ बाइस रुपये एक आना तीन पाई)।

(ख) जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रम कल्याण

†**१४६०. श्री राम कृष्ण** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १६५५–५६ में केन्द्रीय सरकार ने श्रम कल्याण के कार्य पर राज्यवार कितनी राशि व्यय की ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर रेलवे पर ऊपरी पुल

†**१४६१. श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १६५५–५६ में समतल-पारणों पर कुल कितने ऊपरी पुल बनाये गये तथा वे कहां कहां स्थित हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : १६५५–५६ में समतल पारणों के स्थान पर दो ऊपरी पुलों का निर्माण एक मुख्य लाइन में निजामुद्दीन और ओखला की बीच और दूसरा शाखा लाइन में निजामुद्दीन तथा दिल्ली सफदर जंग के बीच प्रारंभ किया गया था और काम अभी जारी है।

१६५५–५६ में एक तीसरे ऊपरी पुल का काम, मुख्य लाइन पर निजामुद्दीन और ओखला के बीच फ्रेंडस् कालोनी के निकट प्रारंभ किया गया था। किन्तु यह समतल पारण के स्थान पर नहीं बन रहा है।

राष्ट्रीय राजपथों पर पुल और पुलियां

†**१४६२. श्री भीखा भाई** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ संख्या ८ में उदयपुर खैरवाड़ा खंड के बीच पुलियों और पुलों की संख्या तथा उनकी चौड़ाई बताने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ;

(ख) क्या यह सच है कि पुलियों की चौड़ाई, नियमों द्वारा विहित चौड़ाई के अनुसार नहीं बढ़ाई गई है ; और

(ग) सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां। आवश्यक जानकारी एकत्र होने के पश्चात् विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) और (ग). उदयपुर खैरवाड़ा सड़क एक पुरानी सड़क है जिसके पुलियों की चौड़ाई राष्ट्रीय राजपथ के पुलियों की विहित मापदंड के अनुसार नहीं है। यथासमय उन्हें उपयुक्त माप-दंड के अनुसार चौड़ा कर दिया जायेगा।

भारतीय कृषि गवेषणा संस्था

†**१४६३. श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय कृषि गवेषणा संस्था दिल्ली के प्रत्येक विभाग और वर्कशाप में मासिक तथा दैनिक आधार पर मजदूरी पाने वाले कितने व्यक्ति हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** :

	विभाग का नाम	३१–८–५६ को मासिक मजदूरी पाने वालों की संख्या	३१–८–५६ को दैनिक मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की संख्या
	१	२	३
१	एग्रोनोमी (क्षेत्रीय) विभाग और डैरी (गव्य-शाला) जिसमें सी० सी० ए० भी सम्मिलित है)	३६	१६०

†मूल अंग्रेजी में

१		२	३
२	उद्यान कर्म विभाग (जिसमें सी० सी० ए० भी सम्मिलित है) . . .	१	२४
३	रसायन विभाग . .	१	१३
४	माइकोलोजी (कवक) विभाग	१	१
५	कीटशास्त्र विभाग . .	१	
६	वानस्पतिक विभाग .	६	५१
७	कृषि इंजीनियरिंग विभाग वर्कशाप और ए० एम० प्लॉट . :	६	९
८	सी० सी० ए० हास्टल .	८	१
९	एस्टेट कार्यालय . .	७	२५
१०	पुस्तकालय .	१	..
११	स्नातकोत्तर हास्टल . .	६	१
	योग	७७	२८५

भारतीय कृषि गवेषणा संस्था

†१४९४. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां भारतीय कृषि गवेषणा संस्था की शाखायें हैं ; और

(ख) इन केन्द्रों में मासिक मजदूरी के आधार पर कितने व्यक्ति नियुक्त हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (१) कृषि उप-केन्द्र (सब-स्टेशन), करनाल (पंजाब)

(२) वानस्पतिक उप-केन्द्र, पूसा (बिहार)

(३) गेहूं अभिजनन केन्द्र (वानस्पतिक विभाग) हटीकुंडी, शिमला (पंजाब)

(४) गेहूं मेरुआ नियंत्रण केन्द्र (कवक विभाग) फ्लावरडेल, शिमला

(५) गेहूं (गेरूआ) नियंत्रण केन्द्र वेलिंगडन (दक्षिण भारत)

(६) समन्वय उद्भिज नियंत्रण केन्द्र, पूना

(७) समन्वय उद्भिज वायरस् केन्द्र, कालिमपोंग

(८) गेहूं अभिजनन केन्द्र, इन्दौर

†मूल अंग्रेजी में

(६) गेहूं अभिजनन केन्द्र मबाली

(१०) तरकारी अभिजनन उपकेन्द्र, कटरे (कुल्लू घाट)

(ख) केन्द्र का नाम	मासिक मजूरी के आधार पर नियुक्त व्यक्तिओं की संख्या
(१) कृषि उपकेन्द्र, करनाल	१६
(२) वानस्पतिक उपकेन्द्र, पूसा (बिहार)	२४
(३) गेहूं अभिजनन केन्द्र वानस्पतिक विभाग, हटी कुंडी (शिमला)	४
(४) गेहूं जर नियंत्रण केन्द्र, फ्लावरडेल, शिमला	१

भारतीय कृषि गवेषणा संस्था

†१४६५. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि गवेषणा संस्था दिल्ली में मासिक मजूरी के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को कितने क्वार्टर दिये गये हैं ; और

(ख) दिल्ली के बाहर प्रत्येक केन्द्र में कितने क्वार्टर दिये गये हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अ ी)** : (क) ३५

(ख)		
(१)	करनाल	५
(२)	पूसा (बिहार)	कुछ नहीं
(३)	शिमला	कुछ नहीं

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १६५२

†१४६६. **श्री हेम राज** : क्या **श्रम** मंत्री १२ अप्रैल, १६५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७७८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम १६५२ को परिवहन कर्मचारियों पर भी लागू करने का निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी नहीं।

(ख) परिवहन संस्थापनों का एक सर्वेक्षण किया गया है। राज्य सरकारों तथा नियोजक और श्रमिक संघों की राय मांगी जा रही है। इस विषय पर अंतिम निश्चय करने में कुछ समय लगेगा।

तरकारी के बीज

†१४६७. **श्री हेमराज** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के विभिन्न बीज अभिजनन केन्द्रों में कौन कौन से विशेष प्रकार के बीज पैदा किये गये हैं तथा प्रत्येक केन्द्र में उत्पन्न बीज की किस्मों के क्या नाम हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : केन्द्रीय तरकारी अभिजनन केन्द्रों में पैदा की गई तरकारी की किस्में निम्न प्रकार की हैं :

(१) भारतीय कृषि गवेषणा संस्था, नई दिल्ली—

टमाटर :—सिम्रोक्स, सुधारी हुई भीरुति, पूसालाल प्लम

फूल गोभी:—पूसा कातकी

कडपीज (एक प्रकार की मटर) :—पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती

भिन्डी:—पूसा मखमली

पेठा:—पूसा, चिकनी पूसा नसदर

बेंगन:—पूसा वेंगनी लम्बा, पूसा बेंगनी गोल

लौकी:—समय प्रोलिफिक, गर्मी में होने वाली

तरबूज:—असाही चमाटो, न्यू हेम्पशायर मिडगेट (छोटी)

मटर:—अरली वेगर, असौजी, बनेवेली

प्याज:—अर्ली ग्रानो, पूसा लाल

गुआर:—पूसा सदा बहार, पूसा मौसमी

(२) कृषि गवेषणा संस्था का तरकारी अभिजनन उपकेन्द्र कटरा (कुल्लू)—

पत्तागोभी:—स्युअर हेड, गोल्डन एकर

गांठ गोभी:—सफेद वियना

चुकन्दर:—चायइनीज पीली

शलजम:—वेंजनी सिरा और सफेद गोले वाला वर्फ की गेंद (स्नो बाल) सुनहरी गेंद (गोल्डन वाल)

गाजर:—चंटेनी, नांटेज

मूली:—सफेद आहसी सेल, रेपिड राउन्ड

टमाटर:—रटगर्स

राज्यों में उत्पन्न की गई तरकारी की किस्मों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है उसे लोक-सभा के पटल पर रख दिया जायेगा ।

तार सेवा को अस्थायी रूप से बन्द करना

†१४९८. श्री नि० बि० चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिदनापुर जिले के घाटल तार घर की सेवा अगस्त १९५६ के मध्य में एक सप्ताह के लिये अस्थायी रूप से बन्द कर दी गई जिससे जनता को बहुत अधिक परेशानी हुई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार की अव्यवस्था को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) घाटल और खडगपुर के बीच तार सेवा ९ अगस्त के ढाई बजे दोपहर से १० अगस्त के साढ़े नौ बजे प्रातः तक और तारीख ग्यारह के पौने नौ बजे प्रातः से १४ तारीख के साढ़े सात बजे तक बन्द रही ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) संचार के ठीक होने में विलम्ब का कारण यह था कि घाटल का लाइनमैन खराबी के स्थान का पता नहीं लगा सका जिससे काफी समय तक अव्यवस्था जारी रही।

(ग) घाटल के लाइनमैन का स्थानान्तरण कर दिया गया है। पुनः गड़बड़ी न होने देने के लिये लाइन का भली प्रकार निरीक्षण और आवश्यक मरम्मत की जा चुकी है।

डाक सुविधायें (कोटड़ा, उदयपुर)

†१४६६. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उदयपुर विभाग के कोटड़ा में अभी तक डाक तथा तार की उपयुक्त सुविधायें नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सुविधायें कब तक प्राप्त हो जायेंगी ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) और (ख). कोटड़ा में एक स्थायी विभागीय शाखा डाकखाना है। तार सुविधायें देने की मंजूरी दी जा चुकी है। सामान के उपलब्ध होने पर उसे चालू वर्ष में ही शुरू कर दिया जायेगा।

राजस्थान में पौधशाला व फल गवेषणा केन्द्र

†१५००. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजस्थान के उदयपुर विभाग में गवेषणा व फलों के पौधे पैदा करने का केन्द्र खोलने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके विवरण क्या हैं ?

†**श्रम उप मंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). जी नहीं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण फलों पर गवेषणा कार्य को बढ़ाने की योजना के अन्तर्गत, राजस्थान सरकार से स्वीकृत आदर्श योजना जिसके अन्तर्गत आवर्ती व्यय का ५० प्रति शत केन्द्रीय सरकार देती है, के अनुसार आम तथा खट्टे मीठे फलों की गवेषणा के लिये एक योजना प्रस्तुत करने को कहा गया था। अभी राज्य सरकार से कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

मध्य प्रदेश में रेलवे के फाटक

†१५०१. **श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री ७ अगस्त १६५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४४८ के उत्तर के सम्बन्ध में —

(क) लोक-सभा पटल पर ऐसे सभी समतल पारणों की सूची रखेंगे, जिनके स्थान पर मध्य प्रदेश सरकार ने ऊपरी या नीचे के पुल बनने की सिफारिश की है; और

(ख) यह बताने की कृपा करेंगे कि यह काम कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ३०**]

नये डाक घर

†१५०२. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **संचार** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखेंगे जिसमें निम्न स्थानों पर १ अप्रैल १६५६ से खोले गये नये डाकखानों के नाम दिये गये हों :

(१) मिदनापुर जिले में घाटल और तामलुक उपविभाग में; और

(२) जिला हुगली में आरामबाग उपविभाग में

---

†मूल अंग्रेजी में

†संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (१) और (२). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ३१]

इटारसी रेलवे स्टेशन

†१५०३. श्री कामत : क्या रेलवे मंत्री २४ अप्रैल १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १३८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटारसी स्टेशन यार्ड को फिर से बनाने की योजना पर निश्चय हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा ?

†रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) २४-४-'५६ को अतारांकित प्रश्न १३८२ के उत्तर में बताया जा चुका है कि ३३·८२ लाख रुपये की अनुमानित लागत पर इटारसी यार्ड को फिर से बनाने की योजना मंजूर की गई है और यह काम १९५६-५७ में आरम्भ कर दिया जायेगा ।

(ख) इटारसी पर "अप और डाउन यार्डों" में निम्न सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार है :

अप यार्ड—

(१) जबलपुर से आने वाली रेलगाड़ियों के खड़े होने के लिए एक और लाइन ।

(२) भोपाल से आने वाली रेलगाड़ियों के खड़े होने के लिए एक अधिक लाइन ।

(३) सोलह विन्यासन लाइनें ।

(४) दो वाहनान्तर छादक प्लेटफार्म जिनमें प्रत्येक की लम्बाई ९०० फुट होगी ।

(५) तीन विकृत पथिकायें (साइडिंगस) जिन से इटारसी मुख्य सी० एंड डब्ल्यू० डिपो बनेगा ।

(६) अप-यार्ड में माल के डिब्बों के तोलन के लिये तोलन-पट्ट से हटाने वाले लूप के साथ मुक्त लाइन पर तोलन-पट्ट इस से दो यार्डों के बीच आना जाना कम हो जायेगा

(७) विकृत लाइनों, तोलन-पट्ट को जानें वाली लाइनों, वाहनान्तर छादक प्लेटफार्मों की लाइनों और वाहनान्तर छादक प्लेटफार्मों को मिलाने वाली दो विन्यसन लाइनों से सम्बन्ध रखने वाला एक मुक्त अपनयन-बाहु ।

डाउन यार्ड—

(१) एक ककुद (हम्प)

(२) भुसावल से आने वाली रेलगाड़ियों के खड़े होने के लिये एक और लाइन ।

(३) १३ विन्यसन लाइन ।

(४) भुसावल को जाने वाली मुख्य लाइन के साथ उन नई लाइनों को मिलाने के लिए जिनसे गाड़ियां आती व जाती हैं एक मुक्त केबिन ।

(५) डाउन यार्ड के दिल्ली छोर पर खुली जगह में माल छादक का लाना तथा वाहनान्तर छादक का डाउन यार्ड से हटाकर अप यार्ड में लाना ।

(६) विकृत माल के डिब्बों की छोटी-मोटी मरम्मत करने के लिए एक छोटी विकृत पथिका ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नर्मदा पर सडक का पुल

†१५०४. **श्री कामत** : क्या **परिवहन** मंत्री २४ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १३८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बर्मदन (मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के नरसिंहपुर प्रदेश) में नर्मदा नदी पर सड़क के पुल के निर्माण की क्या स्थिति है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : राज्य सरकार से अभी विस्तृत प्राक्कलन प्राप्त नहीं हुआ है ।

नल-कूप

†१५०५. **श्री कामत** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २४ अप्रैल १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १३८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा बेसिन में पृथ्वी में किये गये परीक्षात्मक सारे पन्द्रह छेद, जो नल-कूप बनाये जाने के लिये उपयुक्त पाये गये हैं, नल-कूप बना दिये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) हां, तेरह नल-कूपों पर पम्प लगाने के अतिरिक्त जो सम्भवतः दो मास में लगा दिये जायेंगे ।

(ख) अभी निर्माण कर्ताओं से पम्प प्राप्त नहीं हुए हैं ।

जबलपुर-इटारसी रेलवे लाईन

†१५०६. **श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री २८ मई, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २४१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे पर जबलपुर-इटारसी भाग में लाइन को आंशिक रूप में दोहरा बनाने के प्रस्ताव की जांच हो गई है; और

(ख) यदि हां, उसका क्या परिणाम रहा ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हरदा-इटारसी-जबलपुर सैक्शन

†१५०७. **श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री ६ अप्रैल १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य रेलवे के हरदा-इटारसी-जबलपुर भाग के रेलवे स्टेशनों के सुधार व विस्तार के कार्य में कितनी प्रगति हुई है और वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : हरदा में कार्य समाप्त हो गया है । तब से जब्बलपुर में पैदल पुल को एक स्थान से हटा कर दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य पूरा हो गया है तथा इटारसी, मदन महल, और जब्बलपुर के स्टेशनों पर कार्य हो रहे हैं । तिमरनी में कार्यों की योजनायें और प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं । पिपरिया स्टेशन के महत्व का ध्यान रखते हुए पिपरिया के लिए योजना का पुनर्विलोकन किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे पर खोमचे वाले

†१५०८. **श्री कामत** : क्या रेलवे मंत्री २२ मार्च, १९५६ को रेलों पर विशेषताओं के सम्बन्ध में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ५०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित कर ली गई है और सभा-पटल पर रखी जाती है [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ३२**]

डाक के डिब्बे

†१५०९. **श्री कामत** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान डाक यान (मेल वेन) (रेलवे-डाक-सेवा) उनमें किये जाने वाले कार्य की दृष्टि से बहुत छोटे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में उनके स्थान पर बड़े और अधिक स्थान वाले डिब्बे रखने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) हां, कुछ मामलों में ।

(ख) हां ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

डाक के डिब्बे

†१५१०. **श्री कामत** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो डाक यान में नहीं रखी जा सकती उसे ले जाने के लिये डाक के डिब्बों के साथ तृतीय श्रेणी के अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें जाने वाली डाक एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के नियन्त्रण व देखभाल में होती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह प्रबन्ध नियमानुकूल है ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) हां, यदि तृतीय श्रेणी के डिब्बे में डाक डिब्बे को मिलाने वाला कोई बीच में दरवाजा न हो ।

(ख) नहीं । वह एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के कब्जे में होते हुए भी विभाग के मुख्य सार्टर के नियन्त्रण व देख भाल में होती है ।

(ग) जी हां ।

सांप के काटे का उपचार

†१५११. { **श्री गिडवानी** :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार का ध्यान इस सम्बन्ध में "टाइम्स् आफ इंडिया" में प्रकाशित एक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि आस्ट्रेलिया

---

†मूल अंग्रेजी में

में मेलबोर्न विश्वविद्यालय के शरीर विज्ञान विभाग के डा० ई० आर० ट्रेथेवी ने एक नया उपचार निकाला है जिससे विषैले सर्प के काटने पर जीवित रहने की सम्भावनाएं बढ़ गई हैं तथा इसके परिणाम "आस्ट्रेलिया मैडिकल जर्नल" में प्रकाशित हुए हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : स्वास्थ्य मंत्रालय ने उल्लिखित समाचार पढ़ा है ।

त्रिपुरा में सहकारी संस्थाएं

†१५१२. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में कोई ऐसा नियम बनाया गया है कि सहकारी समितियां विस्थापित व्यक्तियों की सहकारी समितियों और अनविस्थापित व्यक्तियों की सहकारी समितियों के आधार पर बनाई और रजिस्टर की जायें;

(ख) क्या सहकारी समितियों का सचिव अनिवार्यतः सरकारी कर्मचारी होगा; और

(ग) यदि हां, तो किसी राज्य विशेष में ऐसे नियम होने का क्या विशेष कारण है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

औद्योगिक और कृषि मजूरी

†१५१३. { **ठाकुर युगुल किशोर सिंह** :
श्री अस्थाना :
बाबू राम नारायण सिंह :
श्री देवगम :

क्या **श्रम** मंत्री देश में क्रय क्षमता के सम्बन्ध में भारत की औद्योगिक कृषि मजूरियां बताने की कृपा करेंगे ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : पिछले वर्षों में बारहमासी कारखानों के मजदूरों की वार्षिक औसत आयों के आंकड़ों से प्रकट होता है कि मजदूरों की आयों की क्रय क्षमता में निरन्तर वृद्धि हो रही है तथा यह १६५४ में १६४७ की अपेक्षा ३० प्रति शत अधिक थी ।

कृषि मजदूरों के बारे में, उपभोक्ता मूल्य देशनांक (इन्हें पहिले निर्वाह व्यय देशनांक कहा जाता था) अभी प्राप्य नहीं हैं अतः वास्तविक मजूरी के आंकड़े नहीं निकाले जा सकते । १६५०–५१ की कृषि मजदूर जांच द्वारा उपबन्धित "तोलों" तथा कुछ चुनी हुई वस्तुओं के प्रचलित फुटकर मूल्यों के आधार पर उपभोक्ता मूल्य देशनांक बनाने तथा बनाये रखने का हाल में ही विनिश्चय किया गया है ।

रोजा जंक्शन स्टेशन

†१५१४. **श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के रोजा जंक्शन पर गम्भीर परिस्थितियां विद्यमान हैं और कुछ कार्मिक संघवादियों का जीवन खतरे में है;

(ख) क्या सरकार को इस मामले में शिकायत मिली है; और

(ग) यदि हां, तो मजदूरों के डर को मिटाने के लिए सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) नहीं।

(ख) और (ग). रोजा में रेलवे कर्मचारि ों के दो दल हैं। एक दल उत्तरीय रेलवे मजदूर संघ का अनुकरण करता है और दूसरा मतभेद रखने वाले भाग का जिसने संघ के पदाधिकारियों को मानने से मना कर दिया है। इन दोनों दलों के सदस्य विरोधी दल के कर्मचारियों के कथित अशिष्ट, अवैध या अनियमित व्यवहार समय समय पर शिकायत भेजते रहे हैं। पिछले दिनों में प्रत्येक ऐसी मिली शिकायत की उसकी विशेषताओं के आधार पर जांच की गई है। एक या दो मामलों में, जहां यह सिद्ध हो सका कि कुछ रेलवे कर्मचारियों ने कोई गम्भीर अनियमितता की है, उचित कार्यवाही की गई है।

बिना टिकट यात्रा

१५१५. श्री विभूति मिश्र : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के विद्यार्थियों ने रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करने के खिलाफ जुलूस निकाले और सभायें कीं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे रेलवे की आय पर कोई असर पड़ा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां। बिना टिकट रेल में चलना समाज-विरोधी काम है। इस बात पर जोर देने के लिए बिहार के कुछ क्षेत्रों में विद्यार्थियों ने जुलूस निकाले और सभाएं कीं।

(ख) जी हां। उदाहरण के तौर पर, जिन क्षेत्रों में इस तरह की सभाएं की गयीं वहां पूर्व और पूर्वोत्तर दोनों रेलों में विद्यार्थियों के मासिक सीजन टिकट की बिक्री बढ़ गयी है।

रेलों पर चोरी

१५१६. श्री राघेलाल व्यास : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रतलाम के श्री केशरीमल नाथूलाल डोंगी नाम के एक सज्जन के पास से यह शिकायत प्राप्त हुई है कि हावड़ा स्टेशन से सूरत, इन्दौर और रतलाम को भेजे जाने वाले सोने और चांदी के पार्सलों में से पूर्वी, मध्य और पश्चिमी रेलवेज पर हजारों रुपयों का सोना व चांदी चुरा लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो हावड़ा स्टेशन से भेजे जाने वाले सोने और चांदी के पार्सलों में से १ जनवरी और ३१ जुलाई, १९५६ के बीच कितनी मात्रा में सोना व चांदी चुराया गया; और

(ग) इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). जो सूचना मांगी गयी है उसका एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ३३]**

राष्ट्रीय गव्यशाला विकास कार्यक्रम

†**१५१७. श्री शिवनंजप्पा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार का विचार भारत-अमरीका टेक्नीकल सहकारिता करार के अन्तर्गत भारत में राष्ट्रीय डेरी विकास कार्यक्रम में सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितना धन उपलब्ध किया गया है ?

†**श्रम उप मंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) हां।

(ख) ९,२६,२७७ डालर।

---

†मूल अंग्रेजी में

भोजन व्यवस्था के ठेकेदार

†१५१८. { **श्री बेलीराम दास :**
श्री ब० स० मूर्ति :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे तथा उत्तर-पूर्वी रेलवे के आहार प्रदायकों और विक्रय ठेकेदारों ने उनसे तथा प्रधान मंत्री से भी प्रार्थना करते हुए अपील की थी कि उन्हें दिये गये समाप्ति नोटिस वापस ले लिये जायें;

(ख) यदि हां, तो क्या अपीलों पर विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो आहार-ठेकों की समाप्ति के कारण कितने अभियोग चलाये गये हैं और उन पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है;

(घ) क्या आहार सम्बन्धी अलगेशन समिति ने सिफारिश की थी कि विभागीय आहार प्रदायकों के साथ ही साथ गैर-सरकारी आहार तथा विक्रय ठेकेदारों को भी रखा जाये; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उत्तर रेलवे के मुरादाबाद, बरेली, कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद स्टेशनों और उत्तर-पूर्वी रेलवे के गोरखपुर में एक साथ सारे आहार-प्रदायकों और विक्रय ठेकेदारों की समाप्ति नोटिस देते समय इस बात का ध्यान रखा गया था ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) हां ।

(ग) अभी तक अभियोगों की संख्या २० है ।

बिलों के प्राप्त न होने के कारण अभी इस मद सम्बन्धी व्यय का बताना सम्भव नहीं है ।

(घ) समिति ने मत प्रकट किया था कि वे विभागीय आहार व्यवस्था के साथ-साथ कुशल ठेका आहार व्यवस्था चाहते हैं तथा चाहते हैं कि प्रत्येक दूसरी व्यवस्था के अनुभव से लाभ उठायें और संपूरक कार्य की पूर्ति करे । 'साथसाथ' पदका अर्थ एक ही स्टेशन से नहीं है, अपितु एक ही रेलवे से है ।

(ङ) हां । फिर भी, बरेली में असन्तोषजनक सेवा के होने के कारण ठेका समाप्त कर दिया गया था ।

आवास योजना (डाक और तार) विभाग के कर्मचारी

†१५१९. **श्री राम कृष्ण** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार ने डाक और तार विभाग के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये कोई आवास योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में और पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक हलके में कितने कितने मकान बनाये जाने हैं; और

(ग) और इस योजना की मुख्य बातें क्या है ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) से (ग). लगभग ३०० ईकाइयां चालू वर्ष में बनकर पूरी हो जायेंगी । पंचवर्षीय अवधि के कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कैंटीन स्टोर; रोजा जंक्शन

†१५२०. **श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रोजा स्टेशन के कैंटीन स्टोरों के कितने पदाधिकारियों को १९५५–५६ में स्थानान्तरित किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : केवल एक दो ।

कलकत्ते का एसप्लेनेड भवन

†१५२१. **श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ते के एसप्लेनेड भवन का जो भाग रेलवे प्रशासन के कब्जे में था उसका उचित प्रयोग किया गया है और क्या इसका पट्टा लिखा लिया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : जी हां, परन्तु पट्टा अभी नहीं लिखा गया है ।

कर्मचारियों को लाभांश

†१५२२. **श्री क० कु० बसु** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों में रुई, पटसन, चाय, सीमेंट, लोहा और इस्पात उद्योगों के कर्मचारियों को कई लाभांश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी धनराशि कितनी है ; और

(ग) उसी अवधि का बड़े अधिकारियों का तथा शेष का अलग अलग मजदूरी का खर्चा कितना था ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). प्राप्त सूचना को देनेवाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ३४**]

कांडला-डीसा रेलवे कर्मचारी

†१५२३. **श्री त० ब० विठ्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला डीसा रेलवे के निर्माण कार्य और अन्य सम्बद्ध परियोजनाओं के कर्मचारियों ने, जो गांधी धाम में रखे गये हैं, अपनी मांगों और शिकायतों के सम्बन्ध में कोई स्मृति-पत्र सरकार को प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस स्मृति-पत्र की मुख्य बातें क्या हैं, और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां ।

(ख) स्मृति पत्र में कर्मचारियों ने प्रार्थना की है कि उन तमाम लोगों को जो गांधीधाम-कांडला परियोजना, कांडला डीसा रेलवे निर्माण कार्य और आदीपुर-भुज प्रतिस्थापन में काम कर रहे हैं, प्रतिकरात्मक (निर्माण/सर्वेक्षण) भत्ता स्वीकार किया जाय । गांधीधाम-कांडला परियोजना के अन्तर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को स्वीकृत सीमा तक भत्ता देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

केन्द्रीय पत्तन संस्था

†१५२४. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई स्थायी केन्द्रीय पत्तन संस्था कार्य कर रही है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस संस्था का संगठनात्मक गठन क्या है और इसमें इस समय कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(ग) अब तक इसने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किये हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग). शायद यह निर्देश राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड की ओर है जिसे कि केन्द्रीय सरकार ने १९५० में पत्तन नीति सम्बन्धी सभी मामलों के समन्वय के लिए बनाया था। उक्त बोर्ड की स्थापना से सम्बन्धित संकल्प की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ३५**]

अब तक बोर्ड की पांच बैठकें हो चुकी हैं। मुख्य पत्तनों के विकास और प्रशासन की जिम्मेदारी परिवहन मंत्रालय पर है। मंत्रालय के कार्य और संगठनात्मक गठन का विवरण मंत्रालय के एक संस्मरण में दिया गया है, जिसकी एक प्रति संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध है। राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड की सिफारिशों पर समय समय की गई कार्यवाही का विवरण परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद् के समक्ष भी प्रस्तुत किये जाने वाले वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन में दिया जाता है।

भ्रष्टाचार रोक समिति की सिफारिश

*१५२५. **श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न रेलों के महाप्रबन्धकों के लिये ये आदेश जारी कर दिये हैं कि वे इस बात की जांच करें कि भ्रष्टाचार रोक समिति की सिफारिशों के अमल में लाने से क्या परिणाम निकले हैं और वे उन परिणामों के बारे में सरकार को भी बतायें ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन आदेशों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्य किस साधन से सरकार इस सम्बन्ध में अपने द्वारा की गई कार्यवाही की सफलता का अनुमान लगाना चाहती है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). इस के बारे में अभी कोई खास हिदायत नहीं दी गयी है। लेकिन रेलों की खास खास घटनाओं और कामों की जो रिपोर्टें जनरल मैनेजर समय-समय पर देते हैं. उनसे यह पता चलेगा कि भ्रष्टाचार विरोध जांच समिति की सिफारिशों पर अमल करने का क्या असर हुआ है।

(ग) चौकसी संगठन को मजबूत करने के लिये रेलवे बोर्ड के दफ्तर में जल्द एक स्पेशल अफसर नियुक्त किया जा रहा है। इस अफसर के आ जाने के बाद इस सम्बन्ध में जरूरी हिदायतें जारी की जायेंगी।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण

†१५२६. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कोलम्बो योजना के अन्तर्गत परिवहन के सम्बन्ध में विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये कुछ अधिकारियों को नाम निर्देशित करने को कहा है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनसे अधिकारियों का चुनाव करके उन्हें विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया है; और

(ग) उन देशों के नाम क्या है जहां इन अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाने को है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां।

(ख) १९५७ के अगले प्रशिक्षण कार्यक्रम में परिवहन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये किसी अधिकारी को सम्मिलित करना सम्भव नहीं हो सका है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

दिल्ली और गोधरा के बीच जनता एक्सप्रेस

१५२७. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रेलवे के दिल्ली और गोधरा स्टेशनों के बीच जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी फिर से चालू की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली, रतलाम और गोधरा पर इस गाडी के आने और जाने के समय क्या-क्या होंगे ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) १–१०–५६ से दिल्ली और बम्बई सेन्ट्रल के बीच एक जनता एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का विचार है।

(ख) इन गाड़ियों के चलने का समय नीचे दिया गया है। इसमें इनके रतलाम और गोधरा पहुंचने और वहां से छूटने का समय भी शामिल है :—

३५ डाऊन जनता एक्सप्रेस				३६ अप जनता एक्सप्रेस
११.५०	पहुंच	दिल्ली	छूट	१८.३०
२०.४७	छूट	रतलाम	पहुंच	७.५८
२०.३२	पहुंच		छूट	८.१३
१५.१५	छूट	गोधरा	पहुंच	१३.०३
१५.०९	पहुंच		छूट	१३.१३
६.३५	छूट	बम्बई सेन्ट्रल	पहुंच	२२.५५

रेलवे कर्मचारियों का चुनाव

†१५२८. **डा० जाटव-वीर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में खलासियों, मेटों, वर्क मिस्त्रियों और उप-कार्य निरीक्षकों को कार्य निरीक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिये चुनाव करने का तरीका और न्यूनतम अपेक्षित अर्हतायें (शिक्षा सम्बन्धी तथा प्रविधिका) क्या हैं;

(ख) क्या उत्तर रेलवे प्रशासन ने दिसम्बर १९५१, मार्च १९५२ और अप्रैल, १९५४ में कार्य निरीक्षकों के पदों के लिये चुनाव करते समय चुनाव के इन तरीकों और अर्हताओं को ध्यान में रखा था;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि दिसम्बर १९५१ और मार्च १९५२ में हुए चुनावों में जो कुछ व्यक्ति, लिखित और मौखिक और व्यावहारिक परीक्षाओं में चुने गये थे उन्हें अप्रैल १९५४ के चुनाव में, जब कि केवल मौखिक परीक्षा ही हुई थी, अस्वीकृत कर दिया गया था और जो १९५१ और १९५२ के चुनावों में अस्वीकृत कर दिये गये थे अथवा अर्ह नहीं थे उन्हें अप्रैल १९५४ के चुनाव में चुन लिया गया है और उन्होंने उन व्यक्तियों का अवक्रमण किया है जिनको कि पहले चुना गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) कार्य निरीक्षकों के पद उपकार्य निरीक्षकों को पदोन्नति दे कर भरे जाते हैं, और उन्हें वरिष्ठता के आधार पर एक विधिवत् संगठित चुनाव बोर्ड द्वारा बुलाया जाता है। खलासी, मेट और वर्क मिस्त्री इन पदों के लिये चुने जाने के पात्र नहीं हैं। कोई विशेष अर्हतायें निर्धारित नहीं की गई हैं। भूतपूर्व पूर्वी पंजाब रेलवे में इस पद पर चुनाव का वही तरीका था और साथ ही एक लिखित परीक्षा भी होती थी।

(ख) हां।

(ग) नहीं, परन्तु अप्रैल १९५४ में हुए चुनाव में उन कुछ व्यक्तियों को जिन्हें दिसम्बर, १९५१ और मार्च १९५२ में हुए चुनावों में नहीं लिया गया था, अन्य व्यक्तियों के साथ चुन लिया गया था।

(घ) किसी एक अवसर विशेष पर न चुना जाना किसी अन्य अवसर पर चुने जाने के मार्ग में कोई बाधा नहीं है।

कोट्टायम्-क्विलोन रेलवे पर ऊपरी पुल

†१५२९. **श्री मैथ्यू** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वजहागल्ली पंचायत और चंगनाचेरी स्थित राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड की परामर्शक समिति जैसी सार्वजनिक संस्थायों से कोट्टाम-क्विलोन रेलवे उस स्थान पर जहां हथियानम कल्लू काडू रोड को जाने वाली पक्की सड़क रेलवे लाइन को पार करती है एक ऊपर का पुल बनाये जाने की बहुत अधिक आवश्यकता के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) इस प्रकार के ऊपर के पुल पर लगभग क्या खर्च होगा; और

(ग) इस सम्बन्ध क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) वजहागल्ली पंचायत के प्रधान से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और उसका यह उत्तर दे दिया गया था कि रेलवे चौकी पर उपयुक्त सुविधाओं की व्यवस्था कर दी जायगी।

(ख) ऊपर के पुल का निर्माण करने पर लगभग ३० हजार रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(ग) उस रेलवे चौकी पर की गयी व्यवस्था के बारे में लोक-निर्माण विभाग से निर्देश करने पर यह उत्तर मिला है कि राज्य सरकार द्वारा एक "ख" प्रकार की रेलवे चौकी का अनुमोदन किया गया ह।

तुलनात्मक वित्तीय तथा अन्य उपलक्षणाओं की गणना की जा रही है और अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

टैलीफोन सुविधायें (आन्ध्र)

†१५३०. **श्री लक्ष्मय्या** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र राज्य के अनन्तपुर जिले के रायद्रुग स्थान पर टैलीफोन संचार को उसके शीघ्र ही चालू किये जाने सम्बन्धी सरकार के निर्णय के अनुसार चालू कर दिया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो यह लगभग कब तक खोल दिया जायगा;

(ग) क्या उसी जिले के कल्याणद्रुग नगर में भी टैलीफोन लगाने की कोई प्रस्थापना है; और

(घ) टैलीफोन संचार द्वारा नगरों को जिला मुख्यालयों से मिलाने के लिये कसौटी क्या है ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) और (ख). ३१-३-५६ को रायद्रुग में सार्वजनिक टैलीफोन चालू कर दिया गया है।

(ग) इस प्रस्थापना पर विचार किया गया था परन्तु उसे इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि उससे विभाग को घाटा होता है।

(घ) टैलीफोन संचार (तार और टैलीफोन) सर्किटों का मार्ग निर्धारित करने में साधारणत: यथासंभव मितव्ययी और सुविधाजनक व्यवस्था पर भी विचार करना होता है। किसी नगर को जिला मुख्यालय से तभी जोड़ा जा सकता है जब कि ऐसा करना सुविधाजनक हो।

किसी नगर के लिये टैलीफोन घर अथवा सार्वजनिक टैलीफोन की स्वीकृति देने के लिये कसौटी यही है कि उससे विभाग को हानि न हो। परन्तु फिर भी परगना सदर मुकाम जैसे प्रशासनिक स्टेशनों के सम्बन्ध में कुछ घाटे की अनुमति दी जाती है।

विश्व स्वास्थ्य संस्था की दक्षिण पूर्वी एशिया सम्बन्धी क्षेत्रीय समिति

†१५३१. **श्री गिडवानी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संस्था की दक्षिण पूर्वी एशिया सम्बन्धी क्षेत्रीय समिति का एक अधिवेशन दिल्ली में होगा;

(ख) उक्त सम्मेलन के लिये कौन कौन प्रतिनिधि होंगे; और

(ग) सम्मेलन में किन-किन विषयों पर विचार किया जायेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) हां।

(ख) अफगानिस्तान, बरमा, लंका, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, थाइलैन्ड और गोआ के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में सम्मिलित होने की आशा है।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १२ अनुबन्ध संख्या ३६**]

बेरोजगारी

१५३२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सारे देश के और साथ ही प्रत्येक राज्य के बेकारों की संख्या का ब्योरा सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : सब बेरोजगार व्यक्ति अपना नाम काम दिलाउ दफ्तरों में नहीं लिखाते, इसलिए देश में बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या मालूम नहीं है।

"भारतीय डाक"

१५३३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली के हिन्दी के साहित्य सम्मेलन ने यह निवेदन किया कि इस समय डाक के टिकटों पर जो 'इंडिया पोस्टेज' लिखा जा रहा है, उसके स्थान पर 'भारतीय डाक' लिखा जाये ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

डाक तथा तार विभाग की एजेन्सी (अभिकरण) सेवा

१५३४. **श्री खू० चं० सोधिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल सेविंग्ज़ सर्टिफिकेट के बेचने और रेडियो लाइसेंस देने से डाक तथा तार विभाग अन्य मंत्रालयों के लिये अभिकरण के रूप में जो कार्य करता है, उसके उपलक्ष में उपर्युक्त मदों पर अलग अलग पारिश्रमिक के रूप में १९५५–५६ में उसे कितनी रकम मिली ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) :

	रुपये लाखों में
सार्टिफिकेटों की बिक्री व भुगतान	१२.६४
रेडियो लाइसेंस	२३.१७

हनुमान गढ़—भटिंडा लाईन

†१५३५. **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हनुमानगढ़-भटिंडा मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का प्रश्न विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे किस तिथि तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पंजाब से सिंचाई योजनायें

†१५३६. **श्री हेम राज** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री १६ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६२७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसमें उल्लिखित छोटी सिंचाई योजनाएं पंजाब सरकार द्वारा पुनः तैयार किये जाने के बाद वापस आ गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). उन तीन योजनाओं में से कोई भी राज्य सरकार से वापस नहीं आई है, यद्यपि उस ने ४८ और योजनायें भेजी थीं जिन में से ४४ को वित्तीय सहायता के लिये अनुमोदित कर दिया गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

†१५३८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या श्रम मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महा निदेशक के कार्यालय में कुल कितने घोषित तथा अघोषित कर्मचारी सेवायुक्त हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनमें से कितने को किसी न किसी ग्रेड में स्थायी बनाया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि अस्थायी कर्मचारियों, विशेषकर अघोषित कर्मचारियों को, अन्य स्थानों पर उन्नति की अधिक सम्भावनायें होने पर भी अपनी सेवाओं का हस्तांतरण कराने की अनुमति नहीं दी जा रही है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (विशेष भर्ती) के लिये भी उनके आवेदन-पत्र रोक दिये गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे प्रतिबन्ध लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :

(क) घोषित १२

अघोषित (चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों के अतिरिक्त) . . ११७

(ख) घोषित ३१, अन्य ९ स्थायी सरकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं,

अघोषित (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अतिरिक्त) . ७१

(ग) और (घ). जी हां, यही सामान्य नियम है।

(ङ) अधिक संख्या में कर्मचारियों को अन्य विभागों में जाने की स्वीकृति देना निगम के हित में नहीं है। यह एक विकासोन्मुक संगठन है और अपने अनुभवी और प्रशिक्षित व्यक्तियों को नहीं छोड़ सकता है। फरवरी, १९५५ से निगम को स्थायी संगठन घोषित कर दिया गया है, और यह निश्चय किया गया है कि विभिन्न वर्गों के ६० प्रति शत पद स्थायी बना दिये जायें। संगठन में ही पदोन्नति के अवसर देने के लिये सुरक्षण कर दिये गये हैं।

डाक और तार विभाग के क्लर्क

†१५३९. **श्री जांगड़े** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ सितम्बर, १९४५ से पूर्व भर्ती किये गये और १० अप्रैल १९५६ से पूर्व प्रतिनियुक्तियों पर तार प्रशिक्षण क्लास में भेजे गये डाक और तार विभाग के क्लर्कों को समस्त प्रशिक्षण काल के लिये वेतन और भत्ते नहीं दिये गये थे ;

(ख) उपरोक्त आधारों पर कितने व्यक्तियों को भुगतान से वंचित किया गया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि मद्रास सर्किल में उसी वर्ग के क्लर्कों को भुगतान दिया गया था ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) नहीं, १५ सितम्बर, १९४५ से पूर्व भर्ती किये गये और १०-४-५७ (न कि १०-४-५६) से पूर्व तार प्रशिक्षण क्लास में भेजे गये डाक विभाग के अस्थायी क्लर्कों को उनके मूल पदों के वेतन और भत्ते नहीं दिये गये थे।

(ख) और (ग). यह जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बिलासपुर रेलवे बस्ती

१५४०. **श्री जांगड़े** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि रेलवे प्रशासन ने चहचुहिया ग्राम के दोनों तरफ दक्षिण पूर्वी रेलवे की बिलासपुर रेलवे बस्ती के सामने दो बहुत गहरी नालियां खुदवाई हैं और वे ढकी नहीं गई हैं ; और

(ख) क्या इन खुली और गहरी नालियों के खतरनाक सिद्ध होने की संभावना नहीं है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) गांव के किनारे किनारे रेलवे की हद में एक बड़ी नाली बनी हुई है। इस नाली को पार करने के लिये कई जगह कंकरीट की पटियां रख दी गयी हैं।

(ख) जी हां, गलत रास्ते से आने जाने वालों के लिये, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा वहां लगी हुई बाढ़ को तोड़ डालते हैं।

बिलासपुर रेलवे बस्ती

१५४१. **श्री जांगड़े** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलासपुर रेलवे बस्ती के चुहचुहियापाड़ा और बुधवारी बाजार के बीच ऊपर का पुल बनाने के बारे में क्या कोई निर्णय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : पास ही एक सम-पार (रेलवे फाटक) है जिसके इतने नजदीक ऊपरी पुल बनाने की जरूरत नहीं मालम होती।

डाकघर, मुजफ्फरपूर

†१५४२. **ठाकुर युगुल किशोर सिंह :**
श्री अस्थाना :
बाबू राम नारायण सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला मुजफ्फरपुर में एक ही नाम के कई डाकघर हैं ;

(ख) क्या प्राधिकारियों को उन में से एक डाकघर का नाम बदलने का सुझाव दिया गया है ताकि डाक की वस्तुओं के गलत स्थान पर पहुंचने की गड़बड़ी को रोका जा सके ;

(ग) अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या इस बारे में कोई निदेश है कि एक ही जिले में एक ही नाम के दो डाकघर न हों ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी हां।

(ख) दो नामों के बदलने के बारे में सुझाव प्राप्त हुए थे। एक में घरवारा का नाम बदल कर ससुआला घरवारा रखने और दूसरे का डुमरी नाम बदलने के बारे में था।

(ग) घरवारा का नाम बदलने का सुझाव १६-३-५६ और डुमरी का ७-११-५५ को प्राप्त हुआ था। दोनों सुझाव बिहार के पोस्ट मास्टर-जनरल द्वारा राजस्व प्राधिकारियों को भेज दिये थे। राजस्व प्राधिकारियों ने घरवारा का नाम बदले जाने की सिफारिश नहीं की है, और बिहार के पोस्ट मास्टर जनरल इस बात की जांच कर रहे हैं कि मिलते जुलते नामों के कारण कितनी वस्तुएं गलत स्थानों को भेज दी जाती हैं। डुमरी के बारे में राजस्व प्राधिकारियों के, उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) इस प्रकार का कोई निदेश जारी नहीं किया गया है। डाकघरों के नाम ग्रामों अथवा नगरों के नाम पर ही रखे जाते हैं।

बैरागनिया डाकघर का स्थानान्तरण

†१५४३. **ठाकुर युगुल किशोर सिंह :**
श्री अस्थाना :
बाबू राम नारायण सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में जिला मुजफ्फरपुर के बैरागनिया डाकघर को किसी अन्य केन्द्रीय स्थान पर स्थानान्तरित कर देने के संबंध में कोई प्रस्थापना की गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, एक ओर से ।

(ख) प्रस्थापना पर विचार किया गया है और यह देखा गया है कि वर्तमान इमारत काफी खुली, उपयुक्त और पुलिस थाने के निकट है और गत २५ वर्ष से उचित किराये पर डाकघर इसी इमारत में रहा है । कोई और इमारत जो अधिक उपयुक्त और मध्य में स्थित हो उपलब्ध नहीं है । अतः अभी इसे स्थानान्तरित करने का कोई विचार नहीं है ।

देवगढ़-बनेड़ा-शाहपुरा-कोटा रेलवे लाइन

१५४४. श्री ह० रा० नथानी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पश्चिम रेलवे भूतपूर्व बी० बी० एण्ड सी० आई० कम्पनी द्वारा अधूरी छोड़ी गयी देवगढ़-बनेड़ा-शाहपुरा-कोटा रेलवे लाइन को पूरा कराना चाहती है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): जी नहीं । दूसरी पंच वर्षीय योजना में नयी रेलवे लाइनें बनाने की रकम में कमी हो जाने के कारण उन लाइनों पर पहले काम शुरू करना पड़ा जो लोहे और इस्पात या कोयले जैसे बड़े व्यवसाय के विकास या परिचालन के उद्देश्य से जरूरी समझी गयीं ।

रेलवे स्टेशनों पर फलों के मूल्य

†१५४५. { ठाकुर युगुल किशोर सिंह :
श्री अस्थाना :
बाबू राम नारायण सिंह : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे स्टेशनों पर, विशेषकर दिल्ली और कानपुर के रेलवे स्टेशनों पर, बेचे जाने वाले फलों के मूल्य किस आधार पर निश्चित किये जाते हैं ?

†रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): यह मूल्य इस आधार पर निर्धारित किये जाते हैं कि वह उस स्थान पर प्रचलित मूल्यों के प्रायः बराबर हैं ।

औद्योगिक न्यायाधिकरण में पंचाट

†१५४६. { ठाकुर युगुल किशोर सिंह :
श्री अस्थाना :
बाबू राम नारायण सिंह : }

क्या श्रम मंत्री लोक-सभा में कहे अपने इस कथन की ओर निर्देश करते हुए कि औद्योगिक न्यायाधिकरण पंचाटों के अनुसार चौकीदार भी श्रमिकों की परिभाषा में आ जाते हैं, इन पंचाटों का ब्योरा बताने की कृपा करेंगे ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : पश्चिम बंगाल की पटसन मिलों और उनके श्रमिकों के बीच हुए औद्योगिक विवाद में (जो लेबर लॉ जर्नल, १९५२, खंड १, पृष्ठ २६४–२७२ में प्रकाशित हुआ है) यह निर्णय किया गया था कि चौकीदारों का काम करने वाले दरबानों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के प्रयोजनों के लिये 'श्रमिक' समझा जाये ।

अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) ने, जिसे शास्त्री न्यायाधिकरण कहा जाता है, पंचाट की कंडिका १६९ में चौकीदारों को श्रमिक माना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे सेवाओं में हरिजन

१५४७. **श्री जांगड़े** : क्या रेलवे मंत्री २८ मई, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५६१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे सेवाओं में रखे गये हरिजन भूमिजनों को पदोन्नति देने के लिये खोले गये प्रशिक्षण केन्द्र में बिलकुल भिन्न प्रथा अपनाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि ९ सितम्बर को असिस्टेण्ट्स के लिये परीक्षा होने वाली है ; और

(ग) प्रस्तावित परीक्षा में हरिजन भूमिजनों के लिये क्या नीति अपनायी जाने वाली है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) कुल मिला कर अनुसूचित जाति के २६ क्लर्क और एक स्टेनोग्राफर जनवरी, १९५६ में शुरू होने वाली ट्रेनिंग में लिये गये थे। लगभग उसी समय बोर्ड के दफ्तर में कुछ दूसरे क्लर्क भर्ती किये गये और उनके लिये भी ट्रेनिंग क्लास शुरू की गयी। चूंकि इनकी ट्रेनिंग और अनुसूचित जाति के क्लर्कों की ट्रेनिंग के पाठ्य-क्रम लगभग एक जैसे थे, इसलिये यह समझा गया कि इन क्लासों को मिला देना अधिक अच्छा होगा। जैसा कि २८ मई, १९५६ को अतारांकित प्रश्न २५६१ के उत्तर में बताया जा चुका है, ये क्लासें १–३–५६ को मिला दी गयीं और ३१–८–५६ तक जारी रहीं।

(ख) जी हां।

(ग) इनके लिये योग्यता के स्तर को अनावश्यक रूप से ऊंचा रखने पर जोर नहीं दिया जायेगा।

औद्योगिक तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, कोनी

१५४८. **श्री जांगड़े** : क्या श्रम मंत्री २८ मई, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५६० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४, १९५५ और १९५६ में औद्योगिक तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, कोनी की मंत्रणा समिति की कोई बैठक क्यों नहीं की गयी ;

(ख) प्रशिक्षण उपसमिति का पुनर्गठन न करने का क्या कारण है जब कि उस के एक सदस्य की मृत्यु हो गई है और अन्य कई सदस्यों का तबादला हो गया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि कोनी प्रशिक्षण संस्था के कार्य संचालन में सहायता करने के लिये १० अमरीकी विशेषज्ञ आने वाले हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). औद्योगिक तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, कोनी के लिये पहली बार सलाहकार समिति बनाई जा रही है। इससे पहिले इस प्रकार की कोई समिति नहीं थी। सन् १९५० से १९५३ तक प्रादेशिक सलाहकार समिति की उप-समिति को प्रशिक्षण केन्द्र में भरती करने के लिये उम्मीदवार चुनने का काम सौंपा गया था। १९५४ में स्थानीय समिति द्वारा इस प्रकार के चुनाव का काम किया गया था। १९५५ में इस काम के लिये एक अलग समिति बनाई गई थी, जो तभी से काम कर रही है।

(ग) जी हां।

यात्री सुविधायें

१५४९. **श्री जांगड़े** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटनी जंक्शन पर प्लेटफार्मों पर शेड लगाने, विश्रामघरों को नये बनाने, नये शौचालयों को बनाने और प्लेटफार्मों को ऊंचा कर कांक्रीट से जमाने का कार्य कब शुरू हुआ था और अभी तक इस कार्या में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) उस पर कितना धन व्यय किया जायेगा ;

(ग) क्या यह सच है कि कटनी स्टेशन पर कांक्रीट की सभी बैंचें चटक कर टूट गयी हैं ; और

(घ) कटनी के अलावा दमोह और सागर स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर शेड लगाने और वहां भोजनगृह की व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) कटनी में यात्री-सुविधा सम्बन्धी काम मई, १९५५ में शुरू किया गया था। प्लेटफार्म पर छत डालने के लिये इस्पात का ढांचा खड़ा कर दिया गया है और आशा है कि छत पर चद्दरें जल्द लगा दी जायेंगी। स्टेशन की इमारत के विस्तार का काम पूरा हो गया है। इस काम में नया प्रतीक्षालय भी शामिल है। कटनी में विश्रामालय बनाने या शौच-कमरे में सुधार करने का कोई विचार नहीं है। तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय का सहन और नये टिकट घर काम में लाये जा रहे हैं। यहां के प्लेटफार्म पहले से ऊंची सतह के हैं। फंड की कमी के कारण प्लेटफार्म को पक्का करने का काम इस कार्यक्रम में शामिल न किया जासका।

(ख) इस काम पर ४,३०,६७८ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(ग) जी नहीं; ५७ बैंचों में से १५ रास्ते में कुछ चटख गयी थीं।

(घ) दमोह और सागर स्टेशनों के प्लेटफार्म पर जलपान घर और छत की व्यवस्था करने का अभी कोई विचार नहीं है।

जबलपुर-गोंदिया रेलवे लाइन

१५५०. **श्री जांगड़े** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे मंत्रालय ने जबलपुर के लोगों को यह आश्वासन दिया है कि जबलपुर से गोंदिया तक सकरी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया जायेगा ;

(ख) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने भी सुझाव दिया है कि भंडारा के पास कबडसी तथा अन्य स्थानों पर युद्धास्त्र कारखाने खोले जायेंगे इसलिये उक्त लाइन को चौड़ा बनाना जरूरी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस समय मामले की क्या स्थिति है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) इस लाइन को छोटी से बड़ी लाइन में बदलने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।

(ख) रक्षा मंत्रालय से ऐसा कोई सुझाव नहीं आया है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

थातीपका टैलिफोन एक्सचेन्ज

†१५५१. **श्री मोहन राव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र के पूर्वी गोदावरी जिले में थातीपका स्थान पर टैलीफोन एक्सचेंज खोलने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे आरम्भ करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी हां।

(ख) कुछ आवश्यक उपकरणों और वस्तुओं की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है। उनके मिलते ही अधिष्ठापन का कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

†१५५२. **श्री ब० स० मूर्ति :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का आंध्र को हस्तांतरण किया गया है ;

(ख) क्या वे सब कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) यदि पाठ्यक्रम में कोई सुधार किये गये हैं, तो वे क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) तीन—वुय्यूरू, अनन्तपुर और काकिनाडा।

(ख) जी हां।

(ग) यदि और जब भी कभी सुधार करने की आवश्यकता होगी तो व्यवसायिक व्यापार प्रशिक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद उन पर विचार करेगी।

सिन्कोना की खेती (आन्ध्र)

†१५५३. **श्री ब० स० मूर्ति :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) १९५४–५५ में और चालू वर्ष में आंध्र में कितने एकड़ भूमि में सिन्कोना की काश्त की गई थी ; और

(ख) जिला विशाखापतनम की अरुकु घाटी को सिंकोना बागान के केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी आंध्र सरकार से मांगी गई है और उपलब्ध होते ही प्रस्तुत कर दी जायेगी।

कल्याण निधियां

†१५५४. **श्री ब० स० मूर्ति :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने राज्यों ने केवल श्रमिकों के लिये ही कल्याण निधियों की व्यवस्था की है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे रिजर्वेशन सुविधा

१५५५. **श्री भक्त दर्शन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय सीधे सुरक्षण (थ्रू रिजर्वेशन) की सुविधा केवल प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिये ही उपलब्ध है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सुविधा को दूसरी व तीसरी श्रेणी के यात्रियों को भी प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) कुछ गाड़ियों में सभी दर्जे के यात्रियों के लिये सीधे रिजर्वेशन किये जाते हैं। जिन गाड़ियों में यह सुविधा दी गयी है उनकी तादाद अलग अलग दर्जे के मुताबिक अलग अलग है।

(ख) जी नहीं, इस समय नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम में अन्तर्देशीय पत्तन

†१५५६. **श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम में अन्तर्देशीय पत्तनों के विकास के लिये कितनी धन राशि की मंजूरी दी गई है और १९५६–५७ में इस कार्य के लिये कितनी धन राशि खर्च की जाने की है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आसाम में अन्तर्देशीय पत्तनों के विकास के लिये कुल ४३·३२ लाख रुपयों की धन राशि की व्यवस्था की गयी है। पाण्डु के विकास की योजना के संबंध में ब्यौरेवार जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है। शीघ्र ही उसके रूपांकनों की तैयारी आरंभ कर दी जायेगी। संभव है कि चालू वित्तीय वर्ष में इस पर कोई धन राशि व्यय करना सम्भव न हो।

आसाम में रेल परिवहन का विकास

†१५५७. **श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम प्रदेश कांग्रेस समिति ने उनके आसाम के दौरे के समय, गत जून माह में उन्हें एक ज्ञापन दिया था, जिसमें आसाम के रेल परिवहन के विकास का विशेष तौर पर उल्लेख किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस ज्ञापन में उल्लिखित उन विषयों के संबंध में कोई कार्यवाही करने की प्रस्थापना है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी हां।

(ख) रेलवे मंत्रालय से सम्बन्धित विषयों के संबंध में, स्थिति इस प्रकार है :

(१) **संयोजक मार्ग का सुधार—**

संयोजक मार्ग को, या तो वर्तमान मार्ग का सुधार कर के या फिर उसके वैकल्पिक मार्ग का सुझाव दे कर, स्थायित्व देने के प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है।

(२) **तेजपुर से उत्तर लखीमपुर तक रेल सम्बन्ध—**

अभी इस समय तेजपुर से उत्तर लखीमपुर तक रेलवे लाइन को विस्तृत करने का विचार नहीं है।

(३) **पाण्डु से गारो पर्वत तक रेलवे लाईन का विस्तार और बोनगाईगांव तथा डिब्रुगढ़ के वर्तमान कारखानों का विकास—**

ये मामले अभी विचाराधिन हैं।

(४) **ब्रह्मपुत्र पर रेलवे पुल का निर्माण—**

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद की अवस्थाओं में जब भी कभी अधिक निधियां उपलब्ध होंगी, उस समय इस प्रस्ताव की जांच करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

(५) **पाण्डु में प्रधान कार्यालय वाला एक अलग रेलवे जोन—**

पाण्डु में प्रधान कार्यालय वाला एक नया जोन स्थापित करने का विचार नहीं है।

(६) **आसाम राज्य में यात्री सुविधाओं की व्यवस्था—**

यह तो किया ही जा रहा है।

माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित अन्य बातों के संबंध में, अभी सूचना इकट्ठी की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम में प्रादेशिक वन-गवेषणा केन्द्र

†१५५८. **श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में आसाम में एक प्रादेशिक वन गवेषणा केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : केन्द्रीय वन बोर्ड की स्थायी समिति ने अपनी गत जून में हुई बैठक में एक सुझाव दिया है कि यदि सम्भव हो तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में उत्तर-पूर्वी जोन में एक प्रादेशिक वन गवेषणा केन्द्र स्थापित करने का प्रयास किया जाये ।

गुना-सारंगपुर-शाजापुर-माखी लाइन

१५५९. **श्री भ० न० मालवीय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुना-सारंगपुर-शाजापुर-माखी लाइन का पूर्ण सर्वेक्षण उसी प्रकार किया जायेगा जिस प्रकार प्रस्तावित ग्वालियर-उज्जैन लाइन के लिये गुना–आगरा लाइन का सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का काम कब शुरू किया जायेगा ; और

(ग) क्या गुना-सारंगपुर-शाजापुर-माखी लाइन के निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जायेगी क्योंकि इस लाइन की लम्बाई अपेक्षाकृत कम है और इसमें खर्च भी कम होगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) गुना से व्यावरा तक का टुकड़ा दोनों रास्तों पर पड़ेगा और व्यावरा से माखी तक एक दूसरा रास्ता बनाने के ख्याल से उसका सर्वे किया जा रहा है ।

(ख) सर्वे जल्द शुरू किया जायेगा ।

(ग) सर्वे की रिपोर्ट मिलने पर जब रेलवे बोर्ड उस पर विचार कर लेगा, तब फैसला किया जायेगा ।

रेलवे के इंजीनियर

†१५६०. **श्री फ० गो० सेन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के संकेतन और दूर संचार विभागों में कितने व्यक्ति इंजीनियरिंग की अर्हताओं के बिना इंजीनियर या सहायक इंजीनियर बन गये हैं ;

(ख) उनमें से कितने मैट्रिक से भी कम शिक्षा प्राप्त हैं और कितनों ने पूर्व रेलवे के विशेष निर्देश के साथ प्रारम्भिक विज्ञान का अध्ययन किया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि पदोन्नति के ऐसे मामलों में निरीक्षक या सहायक संकेत इंजीनियर के पद के लिये आवश्यक न्यूनतम अर्हताओं को ध्यान में नहीं रखा गया था ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) से (ग). रेलवेज से सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

तिरुनेलवेली में डाकघर

†१५६१. **श्री थानू पिल्ले** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिरुनेलवेली जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में कितने नये डाकघर खोले गये हैं ; और

(ख) कितने प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) ८५।

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है, पिछले कार्यक्रम का कोई बकाया नहीं था। फिर भी, चालू वर्ष में डाक घर खोलने के तीन प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं।

दूध सुखाने के कारखाने

†१५६२. सरदार इकबाल सिंह : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से मद्रास और कलकत्ता में सुखाये हुए दूध के कारखाने स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी, नहीं। विशेष गुणों वाले दूध के कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हरि के पुल से होती हुई भटिण्डा-अमृतसर रेलवे लाईन

†१५६३. सरदार इकबाल सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरि के पुल से होती हुई भटिण्डा से अमृतसर तक रेलवे लाइन का निर्माण करन के प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

†रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव को वाणिज्यिक और वित्तीय आधार पर उचित नहीं समझा गया।

लिस्बन में पुल इंजीनियरों का सम्मेलन

†१५६४. सरदार इकबाल सिंह : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लिस्बन में पुल इंजीनियरों का एक सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन के मुख्य निर्णय क्या हैं ?

†रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) महा सम्मेलन में विभिन्न प्रकार के प्रतिबल और दबाव के अन्तर्गत विभिन्न सामग्रियों और ढांचों के गुण-प्रभाव के संबंध में कई प्रविधिक पत्रों पर चर्चा हुई थी। सम्मेलन में निकाले गये परिणामों की एक अधिकृत प्रति की अभी महासम्मेलन के अधिकारियों से प्रतीक्षा की जा रही है।

तीर्थ स्थानों को जाने वाली सड़कें

†१५६५. सरदार इकबाल सिंह : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीर्थस्थानों को जाने वाली सड़कों के सुधार के लिये पंजाब राज्य सरकार को कोई धन राशि स्वीकृत की गई है तथा दे दी गई है ;

(ख) अभी तक कुल कितनी धन राशि मंजूर की गई है ; और

(ग) इस राशि को किन किन स्थानों पर खर्च किया जायेगा ?

†रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे फाटक

†१५६६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के भारी यातायात के कारण ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित लधियाना नगर, फिलौर, गोराया, ब्यास के निकट के समपार और अन्य फाटक भी बन्द रहते हैं जिससे सड़क यातायात में बड़ी असुविधा होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). रेलगाड़ियों को निकालने के लिये फाटक बन्द किये जाते हैं, लेकिन अभी तक इन फाटकों पर इस कारण सडक यातायात के किसी गम्भीर रूप में रुक जाने के संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में लुधियाने के निकट और ब्यास तथा ढिलवान के बीच, ग्राण्ड ट्रंक रोड पर स्थित दो फाटकों के स्थान पर ऊपर के पुल वाली सड़क बनाने के प्रस्ताव हैं। फिलौर के निकट वाले फाटक के संबंध में राज्य सरकार ने ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा है। गोराया के निकट एक 'ख' श्रेणी का फाटक है, लेकिन वह ग्राण्ड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है।

रेलगाड़ी का पटरी से उतरना

†१५६७. **श्री ह० ग० वैष्णव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में, गत चार माहों में, अर्थात् अप्रैल से जुलाई, १९५६ तक, रेलों के पटरी से उतर जाने की कितनी दुर्घटनायें हुईं ;

(ख) यात्री गाड़ियों और मालगाड़ियों के संबंध में हुई ऐसी दुर्घटनाओं की अलग-अलग संख्या क्या है ; और

(ग) इन दुर्घटनाओं के फलस्वरूप जीवन और संपत्ति की कितनी हानि हुई तथा साथ ही रेलवे उपकरणों को कुल कितनी हानि पहुंची ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) साठ।

(ख) पटरियों से उतर जाने की दुर्घटनायें :—

(१) यात्री गाड़ियां		७
(२) माल गाडियां		४७
(३) अन्य गाड़ियां		६
	कुल	६०

(ग) हताहत व्यक्तियों की संख्या २

रेलवे सम्पत्ति की हानि का लगभग मूल्य १,३०,६११ रुपये

लोक सम्पत्ति को पहुंची हानि की लागत ज्ञात नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय वन-गवेषणा संगठन संघ

†१५६८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय वन-गवेषणा संगठन संघ का बारहवां महाधिवेशन ऑक्सफोर्ड में हुआ था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या भारत ने इस सम्मेलन में भाग लिया था ; और

(ग) इस सम्मेलन में किन किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई थी ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) इस सम्मेलन में संरक्षण पहियों, अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों के वन्यीकरण, भारत में सागौन और 'सिल्वीकल्चर' (पेड़ों की पत्तियों के सफेद पड़ जाने के रोग के निदान) गवेषणा संबंधी समस्याओं आदि के संबंध में किये गये कार्य से संबंधित विषयों के बारे में चर्चा हुई थी।

स्वास्थ्य पुस्तकालय और संग्रहालय

†१५६९. सरदार इकबाल सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दिल्ली में एक स्वास्थ्य पुस्तकालय और एक स्वास्थ्य संग्रहालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) और (ख). एक स्वास्थ्य संग्रहालय और एक स्वास्थ्य पुस्तकालय, उस केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के भाग होंगे, जिसे भारत सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में नई दिल्ली में स्थापित करेगी।

संग्रहालय में स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं के संबंधित प्रदर्श्य, प्रतिरूप, चार्ट इत्यादि रहेंगे और वह स्वास्थ्य शिक्षा के लिये एक सामुदायिक केन्द्र का काम करेगा।

पुस्तकालय में स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी सामग्री, चिकित्सकीय और लोक स्वास्थ्य संबंधी चलचित्र रहेंगे और एक पूर्ण रूप से उपस्कृत आधुनिक प्रदर्शन-गृह उस से संलग्न होगा।

राज्य सहकारी फार्म

†१५७०. सरदार इकबाल सिंह क्या खाद्य और कृषि : मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना अवधि में राज्य सहकारी फार्मों की स्थापना की कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) (क): पता नहीं कि माननीय सदस्य का 'राज्य सहकारी फार्म' से क्या आशय है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राष्ट्रीय राजपथों पर पुल

†१५७१. सरदार इकबाल सिंह : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बाला तथा राजपुरा के मध्य राष्ट्रीय राजपथ संख्या १ के नवनिर्मित पुल गत वर्ष बह गये थे ;

(ख) क्या इसके निर्माण तथा अन्य कमियों के संबंध में जांच की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम हुये ; और

(घ) इन पुलों के पुनर्निर्माण के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) सितम्बर–अक्तूबर, १९५५ की अभूतपूर्व बाढ़ से अम्बाला तथा राजपुरा के मध्य ग्राण्ड ट्रंक रोड, राष्ट्रीय राजपथ संख्या १ के १३०/१ तथा १३०/३ मील पर जो पुल थे, उनको बहुत हानि पहुंची क्योंकि उन पर कार्य हो रहा था।

(ख) और (ग). हानि के ब्यौरेवार प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है जो कि राज्य सरकार से मंगाई गई है।

(घ) पुल के पुनर्निर्माण का प्राक्कलन, जो कि राज्य के मुख्य इंजीनियर को संशोधन के लिये भेज दिया है, उस की भी प्रतीक्षा की जा रही है।

खाद्यान्नों का आयात

१५७२. श्री खु० चं० सोधिया : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष के अन्त तक किन-किन देशों से कितनी-कितनी कीमत के कितने कितने खाद्यान्नों का आयात किया जायेगा ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : जो खाद्यान्न निम्न देशों से आयात किये जा चुके हैं और जो १९५६ में आयात किये जाने वाले हैं, उनकी मात्रा तथा खर्च और भाड़ा समेत लागत निम्न प्रकार की है :—

	मात्रा (टन हजारों की संख्या में)	खर्च और भाड़ा समेत लागत (रुपये लाखों की संख्या में)
गेहूं—		
आस्ट्रेलिया . . .	७००	२४८०
यू० एस० ए० . . .	६००	२३०२
यू० एस० एस० आर० . .	४०	१५०
	१३४०	४९३२
चावल—		
बर्मा	३००	१५५०
चीन . . .	६०	३०८
यु० एस० ए० . . .	१००	७३५
	४६०	२५९३
कुल योग	१८००	७५२५

†मूल अंग्रेजी में

गुन्तकल में खण्डीय मुख्य कार्यालय

†१५७३. **श्री लक्ष्मय्या :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के गुन्तकल में खंडीय मुख्य कार्यालय स्थापित है ;

(ख) यदि हां, तो क्या नवीन कार्यालय के लिए नवीन भवन बनाया जायेगा ;

(ग) कितनी धन राशि स्वीकृत की गई है ; और

(घ) गुन्तकल में किस तिथि से इसमें कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) जी हां, एक खंडीय मुख्य कार्यालय गुन्तकल में स्थापित करने का विचार है।

(ख) जी हां।

(ग) अभी तक कोई नहीं। कार्यालय भवन का डिजाइन बनाया जा रहा है तथा डिजाइन स्वीकृत हो जाने के पश्चात् कार्य का प्राक्कलन बनाया जायेगा।

(घ) खंड के नवम्बर १९५६ से इस समय प्राप्त कार्यालय भवन में, कार्य करने की आशा है।

नल-कूप

†१५७४. { **श्री लक्ष्मय्या :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमेरिका ने उपहार के रूप में नल-कूप खोदने के लिये कितनी धन राशि दी है ;

(ख) नल-कूप संगठन के लिये अब तक कितनी धन राशि सहायता रूप में दी गई है; और

(ग) क्या पूरी धन राशि व्यय की जा चुकी है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). अमेरिका ने निम्न लिखित दो परियोजनाओं के लिये क्रमशः १८,६४४,८४२ तथा ४,०५०,००० डालर की निधि दी है। (१) उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब तथा पेप्सु राज्यों में संचालन करार सख्या ६ के अधीन सिंचाई कार्यों के लिये नल कूप निर्माण के लिये ; तथा (२) १६ राज्यों में ३५० खोजी नलकूप खोदने के लिये, जिनसे उन क्षेत्रों का पर्यवेक्षण किया जा सके जहां मुख्यतः सिंचाई कार्यों में जमीन के नीचे के पानी के पर्याप्त संभरण की सम्भावना विद्यमान होने का अनुमान है।

(ग) जी नहीं।

कलकत्ता और नागपूर के बीच दोहरी लाइन बिछाना

१५७५. **श्रीमती अनुसूयाबाई बोरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागपुर और कलकत्ता के बीच दोहरी लाइन बिछाने के निश्चय को सरकार कब तक कार्यान्वित करना चाहती है ; और

(ख) क्या यह लाइन भंडारा शहर या उस के पास से होकर गुजरेगी क्योंकि वर्तमान लाइन इस से केवल ६ १/२ मील दूर है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) रास्ते की दोहरी लाइन वाले हिस्से को छोड़ कर नीचे लिखे इकहरी लाइन के सेक्शनों पर दोहरी लाइन बिछाने का काम शुरू

---

†मूल अंग्रजी में

हो गया है या होने वाला है। जब इस बात का अनुमान लग जायेगा कि किस लाइन पर कितनी गाड़ियां चलाने की जरूरत है, तो इकहरी लाइन वाले दूसरे सेक्शनों पर भी एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोहरी लाइन बिछाने का विचार किया जायेगा :—

१. मनोहरपुर—रूरकेला
२. राबर्टसन—अकालतारा
३. राबर्टसन—बेलपहाड़
४. हाटबांध—दुर्ग
५. सिनी—गोमहारिया।

(ख) अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इस सेक्शन पर दोहरी लाइन के बिना काम चल सकेगा या नहीं या यदि दोहरी लाइन बिछाने का फैसला किया भी जाय तो वह लाइन भंडारा शहर से होकर निकाली जायेगी या इसके पास से।

सड़क परिवहन कर्मचारियों का राष्ट्रीय संघान

†१५७६. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के सड़क परिवहन कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघान तथा भारत के राज्य परिवहन कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघान के प्रतिनिधित्व का पता लगाने के लिये जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हुए ; और

(ग) क्या परिवहन कर्मचारियों के किसी अन्य संगठन का प्रतिनिधित्व प्राप्त मान लिया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**:(क) से (ग). प्रश्न के भाग (क) में वर्णित संघानों समेत मोटर परिवहन के कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों को प्राप्त प्रतिनिधित्व के संबंध में जांच की जा रही ह।

कानपुर स्टेशन पर शिकायत की किताब

†१५७७. **ठाकुर युगुल किशोर सिंह** :
श्री अस्थाना :
बाबू राम नारायण सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ७ बजे प्रात: से पहिले आने वाली महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों के यात्रियों के प्रयोग के लिये लिफ्ट के कार्य के घंटे बढ़ाने के संबंध में जनवरी, १९५६ में कानपुर की शिकायत की किताब में जो सुझाव दिया गया था उस पर रेलवे पदाधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : कानपुर की लिफ्ट के काम के घंटे बढ़ा दिये गये हैं तथा प्रात: ५ बजे से अब इसका उपयोग किया जा सकता है।

चिकित्सा अनुदान

†१५७८. **ठाकुर युगुल किशोर सिंह** :
श्री अस्थाना :
बाबू राम नारायण सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना के डाक तथा तार कर्मचारियों के अस्पताल के लिये चिकित्सा अनुदान देने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख). जी, हां, एक अभ्यावेदन डाक तथा तार अस्पताल समाज, पटना से प्राप्त हुआ है तथा विचाराधीन है।

रेलवे समय सारणी

†१५७९. ठाकुर बुगुल किशोर सिंह :
श्री अस्थाना :
बाबू राम नारायण सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा भारत के अन्य महत्व पूर्ण स्टेशनों के मध्य चलायी जाने वाली तीन तेज चलने वाली गाड़ियों की कोई समय सारणी निश्चित की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पटना जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों, जो निर्धारित मार्ग पर नहीं आते हैं, से आने तथा जाने वाली तत्सम्बन्धी गाड़ियों से मेल कराने के प्रश्न पर विचार किया गया है ?

†रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) इन ट्रेनों जो सप्ताह में दो बार चलायी जायेंगी के समय निर्धारित करते हुए चलने के स्थान तथा पहुंचने के स्थान पर समय की उपयुक्तता पर प्रथम रूप से विचार किया जाता है। परन्तु यथासम्भव, इस प्रकार का मेल करवाने के प्रयत्न किये जायेंगे।

खाद्यान्नों की बिक्री

†१५८०. श्री काछत : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शक्तिनगर दिल्ली के सरकारी डिपो में खाद्यान्नों की बिक्री के क्या प्रबन्ध किये गये हैं;

(ख) किस आधार पर कोटा बांटे गये हैं ;

(ग) क्या इस आशय की सूचना अथवा शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि जिनको यह खाद्यान्न दिया गया है वह मुनाफा कमा कर अन्य व्यक्तियों को यह बेच रहें हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति तथा भारत सेवक समाज को प्रतिदिन ८० मन कोटा निर्धारित किया गया है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). शक्तिनगर, दिल्ली के सरकारी डिपो में केवल गेहूं बेचा जाता है। यह घोषणा की गयी है कि वह व्यापारी जो दिल्ली के उपभोक्ताओं को गेहूं खुदरा में बेचते हैं, वह १४ रुपये प्रति मन (बोरे के मूल्य समेत) के हिसाब से गेहूं प्राप्त करने के लिये डिपो में प्राप्त निर्धारित फार्म में आवेदन पत्र दें तथा इसके मूल्य का पूर्व भुगतान करें। खरीदार एक समय ३० मन अथवा ६० मन गेहूं ले सकते हैं। आवेदक द्वारा दिये गये पते पर गेहूं भेजने के आवेदन पत्र की जांच की जाती है। यह ज्ञात होने पर कि दिये गये पते पर कोई खुदरा दुकान नहीं है, गेहूं नहीं दिया जाता है। और आगे संभरण करने के लिये आवेदक द्वारा पहले ली गयी मात्रा पर भी विचार किया जाता है। दुकानों पर, दुकानदारों को यह सूचना लिखनी पड़ती है कि सरकारी गेहूं १४ रुपये ८ आने प्रति मन बेचा जाता है तथा यदि यह शर्त पूरी नहीं की जाती है तो गेहूं नहीं दिया जाता है।

मिलों तथा चक्कियों को, उनकी पीसने की निर्धारित शक्ति के अनुसार सरकारी डिपो से गेहूं लेने की अनुमति दी गयी है तथा उनसे थोक में ३९ रुपये प्रतिबोरा (जिसमें २-१/२ मन आटा होता है) बेचने को कहा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी गेहूं बेचने के लिये लम्बे समय के आधार पर खुदरा दुकानें स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) जी हां ।

(घ) शहादरा बांध के निर्माण कार्य में लगे कार्यकर्ताओं के लिये ८० मन प्रति दिन के हिसाब से कोटा आवंटित किया गया है परन्तु दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति को कोई कोटा नहीं दिया गया है ।

तेलीचरी-मैसूर रेलवे लाईन

†१५८१. **श्री अच्युतन :** क्या रेलवे मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को इस आशय के कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि तेलीचरी-मैसूर लाईन का सर्वेक्षण किया जाये तथा इस सम्बन्ध में काम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही शुरू किया जाये; तथा

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी हां ।

(ख) सर्वेक्षण का एक भारी कार्यक्रम हमारे पास पड़ा है । १९५७–५८ में कौन कौन नया सर्वेक्षण कार्य शुरू किया जायेगा, इस सम्बन्ध में अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

कृषि सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

†१५८२. **श्री ब० स० मूर्त्ति :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि के लिये मजूरी बोर्ड स्थापित करने का विचार करती है ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से राय पूछी गयी है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, १० सितम्बर, १९५६]

		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	. . . . .	१९४३–६५
तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	
१९४५	सम्पूर्ण डिब्बे बनाने का कारखाना . . .	१९४३–४४
१९४९	डाक का पोतवहन	१९४४–४५
१९५१	प्राथमिक कृषि उधार संस्थायें . . .	१९४५–४६
१९५४	नारियल के पेड़	१९४६–४७
१९५७	कराची से कलकत्ता तक रेलगाड़ी . .	१९४७
१९५८	रेल के डिब्बों में विद्युत यंत्र . . .	१९४७–४९
१९६०	तालाबों में मत्स्य पालन . . .	१९४९
१९६२	बम्बई पत्तन	१९५०
१९६६	रेलवे पर केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण . .	१९५१
१९६८	आस्ट्रेलिया के लिये विमान सेवा कामदिलाऊ . .	१९५१–५२
१९७१	कामदिलाऊ दफ्तरों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी	१९५२–५३
१९७२	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था . .	१९५३–५४
१९७४	झंजोर और डांता नदियों पर पुल . . .	१९५४–५५
१९७६	केन्द्रीय गोदाम	१९५५–५६
१९७७	बेजवाड़ा मसुलीपट्टम लाईन . . .	१९५६–५७
१९७८	खाद्यान्नों के लिये एलिवेटर गोदाम . . .	१९५७
१९८४	पर्यटन	१९५७–५९
१९८६	रेलवे में अच्छे काम की सराहना . . .	१९५९
१९८८	हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण . . .	१९६०
१९४८	न्यूटन चिकली कोयला खान . . .	१९६०–६१
१९५०	दोहरी लाईनें बिछाना	१९६१–६२
१९६३	झांसी वर्कशाप	१९६२–६३
१९६४	बिजूरी-बरुबाडीह लाइन	१९६३
१९८०	बारबिल खनिज क्षेत्र में श्रम सम्बन्धी स्थिति . .	१९६४–६५

[दैनिक संक्षेपिका]

		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . . .	१९६५–२००४
तारांकित प्रश्न संख्या	**विषय**	
१९४६	कृषि उत्पादन	१९६५
१९४७	गांधी धाम के लिये नगर पालिका . .	१९६५
१९५२	हिन्दी डाक और तार निर्देशिका . . .	१९६५–६६
१९५३	संसद सदस्यों को टेलीफोन . . .	१९६६
१९५५	उत्तर रेलवे के श्रमिक . . .	१९६६
१९५६	आसाम को चावल का संभरण . . .	१९६६–६७
१९५९	प्रसंकृत मकई	१९६७
१९६१	रामगंगा नदी पर पुल	१९६७
१९६५	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ . .	१९६७
१९६७	रेलवे डाक सेवा-कर्मचारी . . .	१९६७–६८
१९६९	चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स श्रम संघ . .	१९६८
१९७०	रेलवे कर्मचारियों के लिये विभागीय परीक्षायें . .	१९६८
१९७३	कामदिलाऊ दफ्तर, नागपुर . .	१९६८
१९७५	केन्द्रीय कृषि कालेज, दिल्ली . .	१९६९
१९७९	आसाम में स्टीमर घाट	१९६९
१९८१	अन्तर्देशीय परिवहन सम्बन्धी औद्योगिक समिति .	१९६९
१९८२	कर्मचारी भविष्य निधि	१९६९–७०
१९८३	हिन्दी में रेलवे टाईम टेबल	१९७०
१९८५	ट्रैक्टर प्रयोग सम्बन्धी शुल्क	१९७०–७१
१९८७	दक्षिण रेलवे की यातायात और लेखा शाखा . .	१९७१
१९८९	रेलवे वर्कशाप	१९७१
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१४८९	दमदम में रामकृष्ण मिशन का स्टूडेन्टस होम . .	१९७१
१४९०	श्रम कल्याण	१९७२
१४९१	उत्तर रेलवे पर ऊपरी पुल	१९७२
१४९२	राष्ट्रीय राजपथ पर पुल और पुलियां . .	१९७२
१४९३	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था . . .	१९७२–७३
१४९४	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था . . .	१९७३–७४

[दैनिक संक्षेपिका]

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१४९५	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था	१९७४
१४९६	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२	१९७४
१४९७	तरकारी के बीज . . .	१९७४–७५
१४९८	तार सेवा का अस्थायी रूप से बन्द करना	१९७५–७६
१४९९	डाक सुविधायें (कोटड़ा, उदयपुर)	१९७६
१५००	राजस्थान में पौधशाला व फल गवेषणा केन्द्र	१९७६
१५०१	मध्य प्रदेश में रेलवे के फाटक	१९७६
१५०२	नये डाक घर	१९७६–७७
१५०३	इटारसी रेलवे स्टेशन	१९७७
१५०४	नर्मदा पर सड़क का पुल	१९७८
१५०५	नल-कूप . . .	१९७८
१५०६	जबलपुर-इटारसी रेलवे लाइन	१९७८
१५०७	हरदा-इटारसी जबलपुर सेक्शन	१९७८
१५०८	रेलवे पर खोमचे वाले	१९७९
१५०९	डाक के डिब्बे	१९७९
१५१०	डाक के डिब्बे .	१९७९
१५११	सांप के काटे का उपचार	१९७९–८०
१५१२	त्रिपुरा में सहकारी संस्थायें .	१९८०
१५१३	औद्योगिक और कृषि मजूरी	१९८०
१५१४	रोज़ा जंक्शन स्टेशन	१९८०–८१
१५१५	विना टिकट यात्रा	१९८१
१५१६	रेलवे में चोरी	१९८१
१५१७	राष्ट्रीय गव्यशाला विकास कार्यक्रम	१९८१
१५१८	भोजन व्यवस्था के ठेकेदार . .	१९८२
१५१९	आवास योजना (डाक और तार) विभाग के कर्मचारी	१९८२
१५२०	कैंटीन स्टोर, रोजा जंक्शन .	१९८३
१५२१	कलकत्ते का एस्प्लेनेड भवन	१९८३
१५२२	कर्मचारियों को-लाभांश .	१९८३
१५२३	कांडला–डीसा रेलवे कर्मचारी	१९८३
१५२४	केन्द्रीय पत्तन संस्था	१९८३–८४

[दैनिक संक्षेपिका]

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१५२५	भ्रष्टाचार रोक समिति की सिफारिश	१९८४
१५२६	कोलम्बो योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण	१९८४–८५
१५२७	दिल्ली और गोधरा के बीच जनता एक्सप्रेस	१९८५
१५२८	रेलवे कर्मचारियों का चुनाव	१९८५–८६
१५२९	कोट्टायम-क्विलोन रेलवे पर ऊपरी पुल	१९८६
१५३०	टेलीफोन सुविधायें (आन्ध्र)	१९८६–८७
१५३१	विश्व स्वास्थ्य संस्था की दक्षिण पूर्वी एशिया सम्बन्धी क्षेत्रीय समिति	१९८७
१५३२	बेरोजगारी	१९८७
१५३३	"भारतीय डाक"	१९८७–८८
१५३४	डाक व तार विभाग की एजेन्सी (अभिकरण) सेवा	१९८८
१५३५	हनुमान गढ़-भटिंडा लाइन	१९८८
१५३६	पंजाब मे सिंचाई योजनायें	१९८८
१५३८	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	१९८८–८९
१५३९	डाक व तार विभाग के क्लर्क	१९८९
१५४०	बिलासपुर रेलवे बस्ती	१९८९–९०
१५४१	बिलासपुर रेलवे बस्ती	१९९०
१५४२	डाकघर, मुजफ्फरपुर	१९९०
१५४३	बैरागनिया डाकघर का स्थानान्तरण	१९९०–९१
१५४४	देवगढ़-बनेड़ा-शाहपुरा-कोटा रेलवे लाईन	१९९१
१५४५	रेलवे स्टेशनों पर फलों के मूल्य	१९९१
१५४६	औद्योगिक-न्यायाधिकरण के पंचाट	१९९१
१५४७	रेलवे सेवाओं में हरिजन	१९९२
१५४८	औद्योगिक तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, कोनी	१९९२
१५४९	यात्री सुविधायें	१९९२–९३
१५५०	जबलपुर-गोंदिया रेलवे लाइन	१९९३
१५५१	थातीपका टैलीफोन एक्सचेंज	१९९३
१५५२	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	१९९४
१५५३	सिन्कोना की खेती (आन्ध्र)	१९९४
१५५४	कल्याण निधियां	१९९४

[दैनिक संक्षेपिका]

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१५५५	रेलवे रिजर्वेशन सुविधा	१९९४
१५५६	आसाम में अन्तर्देशीय पत्तन .	१९९५
१५५७	आसाम में रेल परिवहन का विकास	१९९५
१५५८	आसाम में प्रादेशिक वन-गवेषणा केन्द्र	१९९६
१५५९	गुना-सारंगपुर-शाजापुर-मारवी लाईन	१९९६
१५६०	रेलवे के इंजीनियर .	१९९६
१५६१	तिरुनेलवेली जिले में डाकघर	१९९६–९७
१५६२	दूध सुखाने के कारखाने	१९९७
१५६३	हरि के पुल से होती हुई भटिंडा-अमृतसर रेलवे लाईन	१९९७
१५६४	लिस्बन में पुल इंजीनियरों का सम्मेलन	१९९७
१५६५	तीर्थस्थानों को जाने वाली सड़कें	१९९७
१५६६	रेलवे फाटक . .	१९९८
१५६७	रेलगाड़ी का पटरी से उतरना	१९९८
१५६८	अन्तर्राष्ट्रीय वन-गवेषणा संगठन संघ	१९९८–९९
१५६९	स्वास्थ्य पुस्तकालय और संग्रहालय	१९९९
१५७०	राज्य सहकारी फार्म	१९९९
१५७१	राष्ट्रीय राजपथों पर पुल	१९९९–२०००
१५७२	खाद्यान्नों का आयात .	२०००
१५७३	गुन्तु कल में खंडीय मुख्य कार्यालय	२००१
१५७४	नल कूप	२००१
१५७५	कलकत्ता और नागपुर के बीच दोहरी लाइन बिछाना	२००१–०२
१५७६	सड़क परिवहन कर्मचारियों का राष्ट्रीय संधान	२००२
१५७७	कानपुर स्टेशन पर शिकायत की किताब	२००२
१५७८	चिकित्सा अनुदान	२००२–०३
१५७९	रेलवे समय सारणी ..	२००३
१५८०	खाद्यान्नों की बिक्री .	२००३–०४
१५८१	तेलीचेरी-मैसूर रेलवे लाईन	२००४
१५८२	कृषि संबन्धी मजूरी बोर्ड	२००४

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ८, १९५६

(२७ अगस्त से १३ सितम्बर १९५६ तक)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

तेरहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ८ में अंक ३१ से ४५ तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

6—257 L.S. 57.

विषय-सूची

[भाग २—वाद-विवाद खंण्ड ८—२७ अगस्त से १३ सितम्बर, १९५६]

अंक ३१—सोमवार, २७ अगस्त, १९५६ — पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४८५

समिति के लिये निर्वाचन—

लोक लेखा समिति १४८६

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक . . . १४८६

लोक ऋण (संशोधन) विधेयक १४८६

अनुपूरक अनुदानों की मांगें—(त्रावनकोर-कोचीन), १९५६–५७ . १४८७–१५०९

तोल और माप मानदन्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव १५०८–२८

मनीपुर के लिये विकास अनुदानों की बारे में आधे घंटे की चर्चा . १५२८–३३

दैनिक संक्षेपिका १५३४–३५

अंक ३२—मंगलवार, २८ अगस्त १९५६

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . १५३६–३८

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५३८

राज्य-सभा से सन्देश १५३८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

साठवाँ प्रतिवेदन. १५३८

सभा का कार्य १५३८–४०

कार्य मंत्रणा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन १५४०

हैदराबाद राज्य बैंक विधेयक १५४०

त्रावनकोर कोचीन विनियोग (संख्या २) विधेयक . . . १५४०–४१

तौल और माप मानदन्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव १६४१–४५

पृष्ठ

राष्ट्रीय स्वंय सेवक बल विधयक—

विचार करने का प्रस्ताव १५४५–७२

खंड २ से ११ और १ . . . . . १५५९–६८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव. . . . १५६८

समाचार पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . १५७२–९२

जिप्सम के बारे में आधे घंटे की चर्चा १५९२–९४

दैनिक संक्षेपिका . १५९५–९६

अंक ३३—गुरुवार, ३० अगस्त, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . १५९७

बीमे के राष्ट्रीयकरण के बारे में वक्तव्य . . १५९८–१६०२

सभा का कार्य . . . १६०२–०३

राज्य-सभा से सन्देश १६०३–०४

समाचार पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में १६०४–१२

खण्ड २ से ४ और १ . . १६०४–१२

पारित करने का प्रस्ताव . . . १६१२

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १६१४–३८

खण्ड २ से २५ और १ . . . . . १६१४–३८

संशोधत रूप में पारित करने का प्रस्ताव १६३५

खान पट्टों के प्रारूप (शर्तों का रूपभेद) नियमों के बारे में संकल्प . १६३८–४८

सरकारी रिहाई १६४८

कोयला खानें भविष्य निधि के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . १६४८–५४

दैनिक संक्षेपिका १६५५–५६

अंक ३४—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखा गया पत्र १६५७

कार्य मंत्रणा समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन १६५७

राज्य-सभा से संदेश . . १६५७

पृष्ठ

प्राचीन एवं एतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन विधेयक . १६५८

सभा का कार्य १६५८, १६९२

खान पट्टों के प्रारूप (शर्तों का रूपभेद) नियम त्रावणकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा से सम्बन्धित संकल्प १६५८–८०

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों तथा विधेयकों सम्बन्धी समिति—

साठवां प्रतिवेदन. १६८०–८१

राज्यनीति के विदेशक तत्वों के कार्य-संचालन के बारे में समिति की नियुक्ति सबन्धी संकल्प . . . १६८०–८१, १६९३–१७००

आणविक तथा तापीय आणविक परीक्षकों सम्बन्धी संकल्प १७००–०१

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक . १६९१–९२

दैनिक संक्षेपिका १७०२–०३

अंक ३५—शनिवार, १ सितम्बर १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

दिल्ली में बम विस्फोट . १७०५–०७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . १७०७

राज्य-सभा से सन्देश . १७०७–०८

सभा का कार्य . . . १७०८–१०

कार्य मंत्रणा समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन . . १७०९

जन प्रतिनिधान (तीसरा संशोधन) विधेयक . . . १७१०

त्रावनकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उदघोषणा से सम्बन्धित संकल्प . १७११–१८

लोक ऋण (संशोधन) विधेयक १७१८–१९

विचार करने का प्रस्ताव . . . १७१८

खण्ड १ से १५ . . १७१८–१९

पारित करने का प्रस्ताव . . १७१९

पृष्ठ

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १७१६–२६

खण्ड ८, १ और २ . . . १७१६–२६

पारित करने का प्रस्ताव . . . १७२६

अखिल भारत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विधेयक . १७२६–६०

विचार करने का प्रस्ताव . . १७२६

खण्ड २ से २६ और १ . . . १७५६–५६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १७६०

दैनिक संक्षेपिका . . १७६१–६२

अंक ३६—सोमवार, ३ सितम्बर, १६५६

स्थगन प्रस्ताव—

जड़चरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना . . १७६३–६६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . १७६६

राज्य-सभा से संदेश . . १७६७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १७६७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

इंडियन ऐल्युमीनियम कं०लिमिटेड अल्वाई में हड़ताल . १७६७

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक— . .

विचार करने का प्रस्ताव १७६८–१८०६

खण्ड २ और १ . . . . १८०६

पारित करने का प्रस्ताव १८०६

दैनिक संक्षेपिका १८१०–११

अंक ३७—मंगलवार, ४ सितम्बर, १६५६

राज्य-सभा से सन्देश १८१३–१४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकसठवां प्रतिवेदन . . . १८१४

सभा पटल पर रखा गया पत्र १८२०–२४

संविधान (७वां संशोधन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव . १८१४–२०, १८२४–६३

पृष्ठ

दैनिक संक्षेपिका १८६४

अंक ३८—बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६

राज्य-सभा से संदेश. १८६५

गैरे-न्यायिक तथा न्यायालय शुल्क मुद्रांक पत्रों के बारे में याचिका . १८६५

सभा का कार्य . . . १८६६

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक . . . १८६६–१९०६
. . . १९११–१४

खंड २ से १० . . १८८४–१०

खंड ११ से १६, २० क और २५ . . . . १८८४–१९०६
. . . . १९११–१४

जड़चरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना सम्बन्धी वक्तव्य . १९०६–१०

दैनिक संक्षेपिका . . १८१५

अंक ३९—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र १९१७

शिशू सन्यास दीक्षा निरोध विधेयक सम्बन्धी याचिका . १९१७

समिति का निर्वाचन—

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद १९१७

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक १९१८

संविधान (नवा संशोधन) विधेयक १९१८–९१

खण्ड १७ से २९, और अनुसूची. . १९१८–९१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . १९८९

दैनिक संक्षेपिका . १९९२

अंक ४०—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६

राज्य-सभा से सन्देश . १९९३

लोक लेखा समिति—

बीसवां प्रतिवेदन १९९३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

साईप्रस में राष्ट्र मण्डल की ओर अन्य सेनाओं का रखा जाना १९९३–९४

पृष्ठ

समिति के लिये निर्वाचन—

विश्व भारती की संसद १९९४

सभा का कार्य . . १९९४–९७

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आदेश (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १९९७–२०१५

लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . २०१५–२४

खंडों पर विचार . २०१५–२४

पारित करने का प्रस्ताव २०२४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकासठवां प्रतिवेदन २०२५

मजूरी का भुगतान (संशोधन) विधेयक २०२५–२६

निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक . . . २०२६

भारतीय लाइट रेलवेज राष्ट्रीयकरण विधेयक . . . २०२६

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक और . २०२६–२७

संविधान (संशोधन) विधेयक २०२७

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियां तैयार करना) नियम, १९५६ के

बारे में प्रस्ताव . . २०२७–४४

दैनिक संक्षेपिका . २०४५–४६

अंक ४१—शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

कलकत्ता पत्तन की स्थिति . . २०४७–५०

सभा पटल पर रखा गया पत्र २०५०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दामोदर घाटी निगम परियोजना में सार्वजनिक निधि का कथित अपव्यय २०५०–५२

सभा का कार्य २०५२–५३

द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . २०५३–९८

दैनिक संक्षेपिका . २०९९

पृष्ठ

अंक ४२—सोमवार, १० सितम्बर, १९५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१०१–०२

अतिरिक्त अनुदानों की मांग (रेलवे), १९५३-५४ . . २१०२

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका २१०२

सभा का कार्य २१०२

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २१०२–०५

खण्ड २ से ७, अनुसूचित १ से ४ और खण्ड १ . . . २१०५–५०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . २१५०

भारत की शासन प्रणाली के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में एप्पलबी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . २१५१–६८

सदस्यों की रिहाई २१६८

दैनिक संक्षेपिका २१६९–७०

अंक ४३—मंगलवार, ११ सितम्बर, १९५६

नेताजी जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य . . . २१७१–७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २१७३

राज्य-सभा से संदेश २१७३

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २१७४

सभा की बैठक से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

१७वां प्रतिवेदन २१७४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आसाम में बाढ़ और दी गई सहायता २१७४–७५

दूसरी पंच-वर्षीय योजना के बारे में संकल्प . . . २१७६–२२२१

दैनिक संक्षेपिका २२२२–२४

अंक ४४—बुधवार, १२ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

प्रतिरक्षा कर्मचारियों की आसन्न छंटनी . . . २२२५–२७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २२२७–२८,२२२९

विशेषाधिकार का प्रश्न २२२८–२९

लोक लेखा समिति—

उनीसवां प्रतिवेदन २२३०

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का आगमन . . . २२३०
द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . . २२३०–७९
दैनिक संक्षेपिका २२८०–८१

अंक ४५—गुरुवार, १३ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
स्वेज के मामले पर ब्रिटेन के प्रधान मंत्री का वक्तव्य . . २२८३–८६
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतन क्रम और सेवा की शर्तें . २२८६–८७
उत्तर प्रदेश में बाढ़ . . . २२८७–८९
सभा पटल पर रखे गये पत्र २२८९–९०
राज्य सभा से संदेश २२९०
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . २२९०
याचिका समिति—
दसवां प्रतिवेदन २२९०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
टिहरी गढ़वाल में बाढ़ २२९०–९२
अनुपस्थिति की अनुमति . . २२९२
रेलवे यात्रियों पर सीमा कर विधेयक २२९२
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक . . . २२९३
जडचरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . २२९३–९५
विशेषाधिकार प्रश्न २२९५–९९
द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . . २२९५, २२९९–२३५५
आगामी सत्र की तिथि . . . २३५५
दैनिक संक्षेपिका २३५६–५८
१३ व सत्रकी संक्षेपिका २३५९–६१

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २----प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

सोमवार, १० सितम्बर, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)।

११—३२ म० पू०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति की साठवी से छियासठवी बैठकों की कार्यवाही का सारांश

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला-भटिंडा) : श्रीमान, मै गैर-सरकारी सदस्यों के बिलों और संकल्पों सम्बन्धी समिति की तेरहवें सत्र में हुई साठवी से छयासठवीं बैठकों की कार्यवाही का सारांश सभा-पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एस ४१६।५६**]

वर्ष १९५६-५७ की अनुदानों की मांगों (रेल्वे) के सम्बन्ध में सदस्यों से प्राप्त ज्ञापनों के उत्तर

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : श्रीमान्, मैं वर्ष १९५६-५७ तक की अनुदानों की मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में सदस्यों से प्राप्त कई ज्ञापनों के उत्तरों के कुछ और विवरणों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ३७**]

सम्पदा शुल्क नियमों में संशोधन

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : श्रीमान, मैं श्री म० च० शाह की ओर से सम्पदा शुल्क अधिनियम, १९५३ की धारा ८५ की उपधारा (३) के अधीन सम्पदा शुल्क नियम, १९५३ में कुछ और संशोधन करने वाली २२ अगस्त, १९५६ की अधिसूचना संख्या ४२ एफ० संख्या १।६।५६ ई० डी० की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस ३७३/५६**]

एयर इंडिया इंटरनेशनल कार्पोरेशन और इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन के आय-व्ययक संबंधी प्राक्कलनों का सारांश

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : श्रीमान, मैं विमान निगम नियम, १९५४ के नियम ३ के उपनियम (५) के अधीन निम्न पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगजीवन राम]

(१) एयर इंडिया इंटरनैशनल निगम के १९५६-५७ के राजस्व और व्यय के आय-व्ययक संबन्धी प्राक्कलनों का सारांश;

(२) इंडियन एयर लाइंस निगम के १९५६–५७ के राजस्व और व्यय के आय-व्ययक सम्बन्धी प्राक्कलनों का साराश; [**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एस ३७४/५६**]

†**अध्यक्ष महोदय :** इन सारांशों को प्रस्तुत करने में इतना समय क्यों लगा ।

†**श्री जगजीवन राम :** ये सामान्यत: तीन महिने में तैयार कर लिये जाते हैं । इस बार कुछ देर हो गयी ह । मैं इस काम को जल्दी कराने की कोशिश करूंगा ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के आयुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर) :** मैं श्री दातार की ओर से संविधान के अनुच्छेद ३३८ (२) के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर, १९५५ को समाप्त हुई अवधि के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के आयुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग १ और २) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस० ३७५/५६**]

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल्वे) १९५३-५४

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** श्रीमान्, मैं १९५३–५४ के लिये आय-व्ययक (रेलवे) के बारे में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : श्रीमान्, मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक १९५६ के बारे में एक याचिका, प्रस्तुत करता हूं जिस पर १७ व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं ।

सभा का कार्य

†**डा० जयसूर्य** (मेदक) : मैं यह जानना चाहता हूं कि महबूब नगर में हाल ही में जो दुर्घटना हुई थी, उसके बारे में माननीय रेलवे मंत्री अपना अन्तिम वक्तव्य कब देंगे ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** माननीय सदस्य ने समाचारपत्रों में पढ़ लिया होगा कि पदाधिकारी ने अपनी जांच पूरी कर ली है । एक दो दिन में हमें उसका प्रतिवेदन मिल जायेगा । तभी मैं यह बता सकूंगा कि मैं अपना वक्तव्य कब दूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** १३ तारीख को सत्र की समाप्ति से पूर्व । श्री वें० प० नायर के प्रस्ताव पर आज के लिये नियत आधे घंटे की चर्चा के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि सम्बन्धित माननीय मंत्री आज उपस्थित नहीं हैं । अत: इसको अगले सत्र में लिया जायेगा, किन्तु माननीय सदस्य को इसकी सूचना दुबारा दे देनी चाहिये ताकि यह व्यपगत न हो जाये ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक (**समाप्त**)

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी । इसके लिये ६ घंटे का समय नियत किया गया ह, जिस में से २ घंटे २१ मिनट का समय लिया जा चुका है ।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)**: यह एक छोटा सा विधेयक है और माननीय गृह मंत्री के प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इसके सम्बन्ध में काफी बताया जा चुका है। विधेयक का उद्देश्य संलग्न सूचियों में गिनाई गयी कुछ अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों को, जिनको मत देनें का अधिकार होगा, प्रतिनिधित्व देना है।

माननीय सदस्यों को विदित है कि इस काम के लिये एक आयोग नियुक्त किया गया था जिस नें कुछ सिफारिशें की थी। सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श लेने के बाद सूचियां तैयार की गयी हैं। उन सूचियों के बारे में माननीय सदस्यों नें कुछ सुझाव दिये थे। मैं उनका संक्षेप में उल्लेख करूंगा।

श्री राघवाचारी का कहना है कि जिस तरीके को हम अपना रहे हैं, उससे बहुत बडी संख्या में लोगों के छुट जाने की संभावना है। किन्तु जैसा कि बताया गया था, माननीय सदस्यों को मालूम है कि इन लोगों की, जिनको इस सूचियों के आधार पर अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा, संख्या का अनुमान लगाने का केवल यही तरीका हैं।

वर्तमान परिस्थितियों में इससे अधिक और कुछ भी नहीं किया जा सकता।

श्री ब० स० मूर्ति ने बताया कि आंध्र नें अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या ३० लाख स ऊपर है और परिसीमन आयोग ने उनके लिये लोक-सभा में केवल तीन स्थान निश्चित किये हैं, यद्यपि १९५२ के निर्वाचनों में उनको लोक-सभा के चार स्थान मिले थे। १९५४ में एक अधिनियम के के पारित होने तथा अन्तिम आदेश के दिये जाने के बाद परिसीमन का काम पहिले ही खत्म हो चुका है। इस अवस्था में उस सम्बन्ध में कुछ भी करना मेरे विचार में सम्भव नहीं है।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** (एलुरु) : यदि यह परिसीमन आयोग की गलती है, तो क्या उसे ठीक करने का कोई उपाय नहीं है ?

†**श्री पाटस्कर** : वर्तमान विधेयक कुछ दूसरे पहलुओं के सम्बन्ध में है। यदि कोई गलती हो गयी है, तो परिसीमन अयोग को ही उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। माननीय सदस्य, श्री रिशांग किशिंग ने कुछ बातें उठाई थीं। उन्होंने "लोइस" नामक जाति के बारे में कहा था कि वे अछूत नहीं हैं और उन्हें इस सूचि में क्यों रखा गया है। मैं पहिले ही बता चुका हूं कि जातियों की सूचि राज्य सरकारों के परामर्श तथा सिफारिश से तैयार की गयी है। उन्होंने दूसरी बात यह उठायी थी कि कूकी और नागा अदिम जातियों के सम्बन्ध में आसाम और मनीपुर के बीच विभेद किया गया है। यह स्मरणीय है कि आसाम में कूकी की सभी उप-आदिम जातियों को एक ही शीर्षक 'कोई कूकी आदिम जाति' के अन्तर्गत दिखाया गया है, जब कि मनीपुर में इन सब को अलग अलग दिखाया गया है। केवल यही अन्तर है। ऐसा कोई सन्देह नहीं करना चाहिये कि इन अदिम जातियों के साथ कोई अन्याय किया जा रहा है ऐसा राज्य सरकार और पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिश से किया गया है और इसलिये विभेद की बात नहीं उठती।

श्री ईयाचरण ने एक बात यह उठायी थी कि मलाबार और त्रावनकोर-कोचीन राज्य के सम्बन्ध में जो जातियां एक जगह अनुसूचित जातियों के रूप में मानी जाती हों, वे दूसरी जगह भी उसी रूप में मानी जायें। केरल राज्य की अनुसूचित जातियों की सूचि तैयार करते समय इस बात पर विचार किया जायेगा। जहां तक कुछ जातियों के छूट जाने के प्रश्न का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने बताया है कि वे केवल मलाबार और नीलगिरि जिलों में ही अनुसूचित जातियां मानी जाती हैं। कनक्कण पुलायन और वेहुवन जातियां केवल मलाबार और नीलगिरि के जिलों में ही अनुसूचित जातियां मानी जाती हैं और इसलिये हमनें उनको उस क्षेत्र में ही अनुसूचित जातियां माना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाटस्कर]

इन सब बातों के सम्बन्ध में मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये सब उपबन्ध राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ही किये गये हैं। श्री आनन्द चन्द ने कहा था कि जोगी और लोहार जातियां परम्परा से भाग्य बताने का और लोहारगीरी का काम करती आ रही है और वे अछूत नहीं हैं। इन सभी मामलों में हमें एक सा नियम अपनाना पड़ता है और वह नियम यह है कि इन कामों को करते समय हम सबसे पहिले पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोगों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन का ध्यान रखते हैं और फिर राज्य सरकारों के प्रतिवेदनों का, क्योंकि वे सारी स्थिति हम से अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं।

श्री राजय्या ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों की जो सूचियां तैयार की गयी हैं, वे वर्तमान राज्यों के आधार पर ही हैं, पुनर्गठन के बाद बनने वाले राज्यों के आधार पर नहीं। स्वभावतः हम ऐसा ही कर सकते थे क्योंकि नये राज्य १ नवम्बर से बनेंगे किंतु जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम में इन मामलों का उपबन्ध कर दिया गया है और सब कुछ उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ही किया जायेगा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि मैसूर के लिये जाडूमाली जातिको अनुसूचित जाति में रखा जाये और हक्कीपिक्की जाति को अनुसूचित आदिम जाति की सूचि में रखा जाये। मैसूर में हक्कीपिक्की जाति को अनुसूचित आदिम जातियों की सूचि में रखने का विचार है और जाडूमाली जाति के बारे में राज्य सरकार से पूछतांछ की जायेगी।

श्री जांगड़े ने कहा कि सूचि बहुत ही दोषपूर्ण और अपूर्ण है और बहुत सी जातियां छोड़ दी गयी हैं। इस सम्बन्ध में मैं केवल यही कह सकता हूं कि पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग के प्रतिवेदन और राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर ही सूचि तैयार की गयी है।

इस सम्बन्ध में भी कुछ कहा गया था कि जनगणना करने वालों ने अनुसूचित जाति के लोगों के बारे में जानबूझ कर गलत प्रविष्टियां की हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि ऐसा नहीं है। जनगणना करने वाले जानबूझ कर ऐसा क्यों करेंगे ?

श्री नवल प्रभाकर ने भी शिकायत की है कि दिल्ली राज्य की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के आंकड़े गलत हैं और अन्य राज्यों की अनुसूचित जातियों को भी दिल्ली की अनुसूचित जातियां माना जायें। जैसा कि मैं कहता आ रहा हूं इसमें एकरूपता नहीं लायी जा सकती क्योंकि तब आपको अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की एक अखिल भारतीय सूचि तैयार करनी होगी। जो आदिम जाति अथवा जाति एक प्रान्त में अनुसूचित मानी गयी है, उसके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह दूसरे प्रान्त में अनुसूचित जाति मानी जाये।

इस लिये हमें इन सूचियों को राज्यवार बनाना पडता है।

श्री बर्मन ने कहा है कि अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में क्षेत्र संबंधी बन्धन लगाने से बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के परामर्श से काफी विचार किया गया है। अन्ततः यह निर्णय किया गया है। ये बन्धन मुख्यतः मध्य प्रदेश तथा मध्य भारत के बारे में हैं। आयोग के सदस्यों ने जो भी विचार सामने रखे थे, उनका ध्यान रखा गया था। राज्य सरकारों से परामर्श लिया गया था। अन्त में यह सूची तैयार की गई है। मेरे विचार में यही महत्वपूर्ण बातें थीं, जो कि सदस्यों द्वारा उठाई गई थीं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हमने जो पद्धति अपनाई है वह यह है कि पहले हम पिछड़ें वर्गों सम्बन्धी आयोग की सिफारिशों पर चलते हैं और फिर राज्य सरकारों की सिफारिशों पर। मुझे आशा है कि संशोधनों को लेते समय इस विधेयक पर थोड़ी चर्चा और की जायेगी। मैं सभा से सिफारिश करता हूं कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करे।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : शनिवार को एक अनौपचारिक भेंट में गृह मंत्री ने कुछ जातियों को सूची में सम्मिलित करना स्वीकार कर लिया था और कुछ संशोधन भी स्वीकार कर लिये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

विधि-कार्य मंत्री को उनके सम्बन्ध में क्या कहना है ?

†**श्री पाटस्कर** : माननीय गृहमंत्री उस समय जिन बातों से सहमत हो गये थे, उन्हें स्वीकार कर लिया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री वेलायुधन नें एक संशोधन रखा है । यह विधेयक पर जन मत जानने के लिये उसे परिचालित करने के बारे में है ।

†**श्री पाटस्कर** : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक विलम्बकारी प्रस्ताव है और विधेयक को पुन: परिचालित करने से कोई लाभ नहीं होगा । पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर इस मामले पर काफी विचार किया गया है और राज्य सरकारों से भी परामर्श किया गया है और उसके बाद ही इसे अन्तिम रूप दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री वेलायुधन का संशोधन संख्या १ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में कुछ जातियों और आदिम जातियों को सम्मिलित करने तथा उनमें से कुछ जातियों और आदिम जातियों को निकालने और तत्सम्बन्धी मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री केलप्पन** (पोन्नानी) : इस विधेयक पर खण्डश: विचार प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय मंत्री से एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं । त्रावनकोर-कोचीन राज्य के लगभग एक हजार कुटुम्ब दूसरे राज्य में बसने जा रहे हैं । इनमें से कुछ कुटुम्ब अनुसूचित जातियों के भी हो सकते हैं । नये राज्य में बसने पर यदि उनके नाम नये राज्य की सूची में न हो, तो क्या उन्हें ये सारी रियायतें और विशेषाधिकार दिये जायंगे ? क्या यह सम्भव नहीं है कि सारे भारत की एक सूची तैयार की जाये, ताकि कहीं भी चले जाने पर इन लोगों को ये रियायतें मिलती रहें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को अनुसूची से ज्ञात होगा कि एक व्यक्ति, जो कि एक राज्य में अनुसूचित जाति का है, दूसरे राज्य में अनुसूचित जाति का नहीं है और इसलिये उसे अन्य राज्य में अछत नहीं माना जाता है । एक राज्य के अन्दर ही एक जगह एक जाति को अनुसूचित माना जाता है और दूसरी जगह नहीं माना जाता । अत: सारे भारत की एक सूची नहीं तैयार की जा सकती ।

अब हम खण्डश: चर्चा करेंगे । खण्ड २ के बारे में कोई भी संशोधन नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"खंड २ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड दिया गया ।

खण्ड ३—(अनुसचित जाति आदेश संशोधन)

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २, पंक्ति ३ के बाद यह जोड़ा जाये :

"परन्तु केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

के आधार पर अनुसूचित जातियों की सूचियों को यथाशीघ्र बदल सकती है अथवा समय समय पर उनमें और नाम जोड़ सकती है।"

इस संशोधन का उद्देश्य स्पष्ट है। जो अनुसूचियां तैयार की गई हैं, वे राज्य पुनर्गठन अधिनियम की दृष्टि से पूर्ण नहीं प्रतीत होतीं। पिछली बार जब मैंने इस बात को उठाया था तो माननीय मंत्री ने कहा था कि सरकार इन सब बातों पर विचार करेगी। किन्तु जब तक विशिष्ट उपबन्ध नहीं हो जाता, सरकार इन सूचियों में परिवर्तन नहीं कर सकेगी। उदाहरण के तौर पर, हैदराबाद का मामला लीजिये। हैदराबाद तीन भागों में बांटा गया है। परिणाम यह होगा कि भावी आंध्र प्रदेश में जो नाम नहीं होने चाहिएं वे उसमें तब भी रहेंगे और जो नाम बम्बई में नहीं होने चाहियें, वे तब भी बम्बई में रहेंगे। मेरे इस संशोधन का उद्देश्य केवल यही है कि सरकार को वह शक्ति प्राप्त हो सके जिससे वह आवश्यकता पड़ने पर इन सूचियों में यथासंभव राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ के आधार पर परिवर्तन कर सके। मझे आशा है कि सरकार को इसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री ब० स० मूर्त्ति : मैं श्री रामचन्द्र रेड्डी के संशोधन का समर्थन करता हूं। यद्यपि ये सूचियां बड़ी सावधानी से तैयार की गई हैं और पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग की सिफारिश और राज्य सरकारों की सलाह से तैयार की हैं फिर भी सम्भव है कि इनमें कोई त्रुटि रह गई हो। अतः केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति मिलने से इन भूलों को बाद में भी सुधारा जा सकता है। अतः मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय को इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि इसके द्वारा सरकार संसद के समक्ष आये बिना अपनी भूल सुधार सकेगी।

†**श्री अ० म० थामस** (एरणाकुलम) : मैं खण्ड ३ के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। अनुसूची १ कण्डिका ३ में यह कहा गया है कि हिन्दू और सिख धर्मावलम्बियों के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं समझा जायेगा। यह एक विचारणीय विषय है विशेषतः मेरे राज्य की स्थिति को देखते हुए। इस उपबन्ध में धर्म को आधार माना गया है और वह भी केवल हिन्दू और सिख धर्म को जब कि अनुसूचित आदिम जातियों के लिये ऐसा कोई आधार नहीं माना गया है।

इस विषय में, मैं यह बताना चाहता हूं कि ईसाई और इस्लाम धर्मों में भी अस्पृश्य जातियों के कुछ व्यक्ति हैं। धर्मपरिवर्तन के बाद भी वे अस्पृश्य ही समझे जाते हैं। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठ ६ पर भी यह कहा गया है कि दक्षिण भारत के ईसाईयों में अस्पृश्यता प्रचलित है और जो अस्पृश्य जातियों के व्यक्ति ईसाई बन गये हैं, उन्हें अब तक अस्पृश्य समझा जाता है।

आगे चल कर रिपोर्ट के पृष्ठ २८ पर कहा गया है कि ऐसे लोगों को साथ-साथ प्रार्थना नहीं करने दी जाती और उनके मुर्दों को अलग स्थान पर गाड़ा जाता है।

मैं चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों के हितों का भी ध्यान रखा जाये क्योंकि यह सूची संविधान के अनुच्छेद ३४१ (१) के अन्तर्गत बनाई जा रही है। यदि केवल लोक-सभा अथवा राज्यों की विधान सभाओं में उनके प्रतिनिधित्व का ही प्रश्न होता तब तो मैं यह बात नहीं कहता लेकिन अनुसूचित जातियों को जो अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं, वे भी उनको नहीं मिल सकेंगी।

मैं समझता हूं कि अनुसूचित जाति आदेश के अनुसार जाति अथवा धर्म के कारण शिक्षा आदि की सुविधाओं में कोई भेदभाव नहीं रखा जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अनुसूचित जाति आदेश में कुछ संशोधन किया जायेगा । इस समय आप अपना भाषण केवल खण्ड ३ तक ही सीमित रखिये। उसमें केवल हिन्दू और सिख धर्म का उल्लेख है। अन्य धर्मों के उल्लेख से चर्चा बहुत विस्तृत हो जायेगी।

†**श्री अ० म० थामस** : मैं स्पष्टीकरण के लिये यह जानना चाहता हूं कि यह सूची केवल संसद् और विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व के लिये बनाई गई है या अन्य रियायतों के लिये भी बनाई गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या पहले ऐसा हुआ है कि दोनों कार्यों के लिये दो पृथक् सूचियां हों ?

†**श्री अ० म० थामस** : नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : तब तो यह नीति सम्बन्धी प्रश्न होगा ।

†**श्री अ० म० थामस** : मैं चाहता हूं इस कण्डिका को विधेयक से निकाल दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो एक संशोधन विधेयक है। आप इस कण्डिका को बढ़ाने के लिये कह सकते हैं। मूल विधेयक का जो उद्देश्य है वही इसका भी होगा। यदि मूल सूची का प्रयोजन केवल प्रतिनिधित्व स था तो इसका भी वही प्रयोजन होगा।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : यह विधेयक अछूतों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिये है। अन्य सुविधाओं तथा कल्याणकारी कार्यों के लिये तो ईसाई अनुसूचित जातियों लोगों के भी एक सूची में नाम मौजूद हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह सूची कौन सी है ?

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : वह पिछड़े वर्गों की सूची है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह सूची अनुसूचित जातियों की सूची से भिन्न है।

†**श्री अ० म० थामस** : किन्तु मुझे उस कण्डिका को निकाल देने के बारे में कहने का अधिकार है क्योंकि मेरा इस आशय का संशोधन ग्रहण नहीं किया गया है जिस के विरोध में मैं कुछ शब्द कह सकता हूं।

मैं अधिक समय नहीं लूंगा। राष्ट्रपति के सचिवालय की एक विज्ञप्ति में यह कहा गया है कि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का पृथक्करण केवल राजनैतिक प्रतिनिधित्व के लिये किया गया है। अन्य सुविधाओं पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किन्तु, व्यवहार में हम देखते हैं कि जब सुविधा और सहायता का प्रश्न आता है तो केवल हिन्दुओं और सिखों पर ही ध्यान दिया जाता है। चाहे मद्रास और आंध्र में दशा कुछ ठीक हो, किन्तु त्रावनकोर-कोचीन में तो मैं बराबर देखता रहा हूं कि ईसाइयों में जो अनुसूचित जातियों के लोग हैं उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे यहां की विधान सभा के सब सदस्यों ने इस की मांग की है कि उन धर्मपरिवर्तितों को भी समस्त सुविधायें दी जायें। मैं गृह-कार्य मंत्री से पुनः यह अपील करता हूं कि इस बात को स्पष्ट किया जाये कि यह सूची केवल प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से बनाई गई है या इस के आधार पर अन्य सुविधाओं का भी निश्चय किया जायेगा।

†**श्री बालकृष्णन्** (इरोड—रक्षित-अनुसूचित जातियां): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री थामस के इस सुझाव का कि धर्मपरिवर्तन करने वाले लोगों को भी अनुसूचित जातियों की सुचियों में सम्मिलित

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बालकृष्णन्]

किया जाये, विरोध करता हूं। जो लोग ईसाई बनते हैं वे यह सोच कर बनते हैं कि उन्हें शिक्षा आदि की सुविधायें मिलेंगी। यदि उन्हें ये सुविधायें नहीं मिलती तो उन्हें अपना धर्म बदल कर हिन्दू बन जाना चाहिये।

मैंने सूची में देखा है कि हज़ारों जातियों के नाम दिये गये हैं। इसके बजाय में चाहता हूं कि केवल कुछ नाम रखे जायें जो आम तौर से सब पर लागू हों जैसे उत्तर भारत में समस्त हरिजन जातियों के लिये आदि-धर्मी शब्द चलता है। मद्रास में हरिजनों और अनुसूचित जातियों के लिये वेत्तुवन और कनक्कन शब्द चलते हैं। मैं तो समझता हूं कि इन सब जातियों के लिये हम महात्मा गांधी के दिये हुये 'हरिजन' नाम का प्रयोग कर सकते हैं।

सूची में "चांडाल" आदि भद्दे शब्द भी दिये हुए हैं। वास्तव में चांडाल तो सभी जातियों में मिल सकते । चांडाल शब्द अच्छा नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे सब शब्दों के स्थान पर "हरिजन" शब्द का प्रयोग किया जाये।

†**श्री तिम्मय्या** (कोलार—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मुझे श्री थामस की बातों के विषय में कुछ शब्द कहने हैं। अनुसूचित जातियों का निश्चय जातीयता के आधार पर किया जाता है। जब अंग्रेज़ भारत में थे तो कुछ लोग ईसाई बन गये जिस से उन्हें कुछ लाभ भी हुआ। उस के बाद कांग्रेस सरकार आई और स्वभावतः हिन्दू हरिजनों को विशेष सुविधायें दी गई। जो ईसाई बन गये उन्हें अब यह कहना शोभा नहीं देता कि वे सब सुविधायें उन्हें भी दी जायें। पिछड़े वर्गों में होने के कारण उन्हें सारी सुविधायें पहले ही दी जा रही हैं। अतः उन लोगों को अनुसूचित जातियों में सम्मिलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रामचन्द्र रेड्डी अपने संशोधन द्वारा यह चाहते हैं कि पुनर्गठन विधेयक के आधार पर इन जातियों की फिर से जांच होनी चाहिये और समय समय पर इन में परिवर्तन होता रहना चाहिये। मैं फिर से जांच के पक्ष में तो हूं किन्तु बार बार हेरा-फेरी के पक्ष में नहीं हूं। उदाहरण के लिये मैसूर को कुछ जिले बम्बई, मद्रास और आंध्र से प्राप्त हुए हैं। उन में कहीं कोई जाति अनुसूचित समझी जाती है और कहीं पर नहीं। इन सब बातों में एकरूपता की आवश्यकता है।

अंत में मैं अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के प्रश्न को लेता हूं। प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कम दिखाई जाती है। सरकारी अधिकारियों को डर है कि शायद ये लोग अधिक नौकरियां मांगने लगेंगे। किन्तु हमें स्थान रक्षण का अधिकार अंतिम बार ही मिल रहा है अतः मैं निवेदन करता हूं कि हमारी जनसंख्या का उचित अंकन किया जाये।

श्री हेमब्रोम (संथाल परगना व हज़ारीबाग—रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां) : अध्यक्ष महोदय, आज से ५, ६ साल पूर्व राष्ट्रपति के १९५० एवं १९५१ के आर्डर के अनुसार विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित आदिम जातियों की सूची बनायी गई थीं और उस समय कुछ ऐसी उपेक्षित जातियां छूट गई थीं और जिस समय पिछड़े वर्ग आयोग ने इन जातियों की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था की जांच के लिये सम्पूर्ण देश का दौरा किया तब उस अवसर पर ऐसी सभी उपेक्षित जातियों ने भी स्मरणपत्र दिये जिन्हें कि सूची से छोड़ दिया गया था। यह बड़े सन्तोष का विषय है कि इस वर्त्तमान विधेयक के द्वारा जो जातियां छूट गई थीं उन्हें भी सूची में जोड़ा जायेगा और यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इसके अनुसार उन जातियों की जनसंख्या की गणना होगी और जनसंख्या के अनुसार विधान सभाओं एवं संसद् में हमारे सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

मैं यह मानता हूं कि भारत सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में आदिवासी जनजाति तथा ऐसे अन्य लोगों के लिये कल्याण कार्य किया है फिर भी यह स्वीकार किया जाएगा कि उनके लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। आज के दिन ही मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे बिहार में जंगल और पहाड़ी इलाक़ों में जो आदिवासी रहते हैं उनकी दशा बड़ी दयनीय है। दुमका संथाल परगना क्षेत्र के आदिवासी अत्यन्त गरीब, अनपढ़ तथा शोषित हैं। ४ वर्ष होने को आये थे वहां के लोगों की हालत देखने और सुधार करने के हेतु। सरकार ने एक कमेटी बैठाई थी लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है और उनकी वैसी ही हालत बनी हुई है। आज उनका हर प्रकार से शोषण हो रहा है। ईसाई मिशनरीज़ उनके जन्मजात धर्म का अपहरण करते हैं, व्यापारी वर्ग उनके साथ दुगने, तिगुने मूल्य पर सामान बेच कर रुपये ऐंठते हैं, ठेकेदार मज़दूरी करा कर कम पैसे देते हैं और रात्रि में काम के घंटे बढ़ा कर यदाकदा चरित्रहीनता का परिचय देते हैं और उनकी नवयुवतियों के चरित्र को बिगाड़ते हैं। विदेशी मिशनरीज़ उनको रोटीके चन्द टुकडों का लालच दे कर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। उन मिशनरियों का धर्म परिवर्तित लोगों को "राइस क्रिश्चयन" कहना मात्र ही इसका यथेष्ट प्रमाण है। केन्द्रीय सरकार ने इसके रोकथाम के हेतु १९५४–५५ में राज्य सरकारों के नाम एक परिपत्र जारी कर उनसे आग्रह किया था कि वे अपने यहां इस निमित्त एक क्षेत्रीय समिति नियुक्त करें जो राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार को ऐसी बातों की जानकारी कराये। खेद है कि, बिहार स्टेट अब तक भी इस ओर सक्रिय नहीं हुई और मेरा अनुरोध है कि उसका ध्यान शीघ्र ही इस ओर आकृष्ट कराया जाय।

आज बन में रहने वाली आदिवासी जातियों में शिक्षा का नितान्त अभाव है और जिसका कि परिणाम यह हो रहा है कि उनका हर क्षेत्र में शोषण हो रहा है और लोग उनकी अज्ञानता का लाभ उठा कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, अतः सरकार को सर्वप्रथम उन्हें शिक्षा देनी चाहिये और उनको साक्षर बनाना चाहिये।

पढ़ाई का इंतज़ाम करने के साथ साथ हमें उनके लिये रोटी की भी व्यवस्था करनी होगी क्योंकि भूखे पेट पढ़ाई का काम सफलतापूर्वक नहीं चल सकता है।

इसके साथ साथ हमें उनके स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान करना होगा। अतः उनके लिये मुफ्त दवादारू का प्रबन्ध करना भी उतना ही आवश्यक है और इसके लिये प्रत्येक पांच मील की दूरी पर एक सरकारी दातव्य औषधालय खोलकर इसका निदान किया जा सकता है।

जहां तक उनके कपड़े का सवाल है, वह आप सहकारी संघों के नियंत्रण में संचालित सहयोग समितियों के जरिए कर सकते हैं। ऐसी समितियां रूई उगाने, सूत कातने तथा वस्त्र बुनवाने का प्रबन्ध करेंगी। वे अम्बर चर्खे का भी पूरा लाभ उठायेंगी। इस सिलसिले में ग्राम पंचायतों को व्यापक अधिकार देने होंगे। वन जीवन के सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्था को मद्दे-नज़र रख कर उनके निवास ग्राम में या उसके सन्निकट ही सच्चे, सस्ते तथा सुलभ न्याय की व्यवस्था करनी होगी। कारण यह है कि दूर जाकर या खर्च कर न्याय पाने की उनमें क्षमता नहीं है, अतः वर्तमान व्यवस्था उनके लिये कतई उपयुक्त नहीं है तभी तो हम आए दिन देखते हैं कि निर्दोष आदिवासी भी अपनी गरीबी के कारण सज़ा पा जाते हैं।

यह सारे काम केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग के बिना पूरा नहीं कर सकती है और राज्य सरकार भी बिना स्थानीय लोगों के सहयोग के ऐसा नहीं कर सकती है। अतः आवश्यक यह है कि केन्द्रीय गृह मंत्री महोदय के निर्देशन पर राज्य सरकार व्यापक अधिकार सम्पन्न प्रदेश ज़िला तथा थाना आदिवासी समितियां क़ायम करायें जो अपने माध्यम से सम्पर्क तथा सेवाओं के बल पर पिछड़े आदिवासियों को रोज़ी, रोटी, न्याय तथा अन्य कल्याणकारी सुविधाएं दिलाने में सहायक हों।

हमारे क्षेत्र के आदिवासियों के लिये साधारणतः मुख्य सड़क पर पहुंचने के लिये छोटी सड़के नहीं हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिये विद्यालयों की कमी है, दवादारू या उपचार के लिये अस्पतालों का अत्यन्त अभाव है और पानी पीने [illegible] भी नगण्य हैं।

[श्री हेमब्रोम]

मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह एक मोटी रक़म का अनुदान राज्य सरकार को दे कर वहां के निवासियों के लिये हर पांच मील की दूरी पर एक अस्पताल और एक डेढ़ सौ की आबादी पर एक कुंआ बनवाया जाय। अगर देश को वेलफेयर स्टेट बनाना है तो यह आवश्यक है कि हम लोगों के दुखों को सोलह आना दूर किया जाय। मैं इस को मानता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में आदिवासी जनजातियों के लिये काफी किया गया है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

आदिवासी लोगों को न्याय मिलने में बड़ी कठिनाई होती है। वह लोग दिन दिन भर अदालत में जा कर बैठे रहते हैं, फिर भी कभी कभी उन के मामलों की सुनवाई नहीं हो पाती है। मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर हमारे आदिवासी लोग रहते हैं वहां से पांच मील से ज्यादा दूर उन को न्याय पाने के लिये जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। इसके लिये मैं प्रार्थना करूंगा कि जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं उन को व्यापक अधिकार मिलने चाहिये, उन को सोलह आने पावर दीजिये कि वह हमारी तकलीफों और दिक्कतों को दूर करने के लिये प्रयत्न कर सकें। ग्राम पंचायतों के फैसलों की अपीलें सुनने के लिये समय समय पर कोई अधिकारी हमारे यहां इजलास किया करे। लेकिन उसके लिये भी हमें पांच मील से दूर जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिये।

इसके साथ ही मैं एक बात की प्रार्थना और करना चाहता हूं। आदिवासियों के बीच में क्रिश्चियन मिशनरीज प्रचार किया करते हैं। चूंकि आदिवासी गरीब होते हैं, इस लिये वह लोग हम को रुपयों का लालच देते हैं और लाचार हो कर हम उनके बहकावे में आ कर ईसाईयों में शामिल हो जाते हैं। इस तरह से जो लोग ईसाई बनते हैं, उनके समाज में उन का कोई आदर नहीं होता है, वह लोग धर्म परिवर्तन के बाद भी अपने पुराने रीति रिवाजों पर ही चलते रहते हैं, क्योंकि दूसरे ईसाईयों में वह मिल नहीं सकते हैं। सब प्रकार से वह आदिवासी ही बने रहते हैं, हां क्रिश्चियन्स की इस पालिसी से उन की संख्या जरूर बढ़ जाती है। इसके लिये हमने बार बार सरकार से प्रार्थना की कि आप कोई ऐसा कानून बनाइये कि जो लोग गांवों में क्रिश्चियन बनाने जाते हैं, तो वह पहले आप के पास दरख्वास्त भेजें, और जब आप की मंजूरी मिल जाय, तब वह किसी को क्रिश्चियन बना सकें। लेकिन आप ने कहा कि आप को इस के करने में दिक्कत है, और यह नहीं हो सकता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप आदिवासियों की कुछ सेवा करना चाहते हैं तो उस को ठीक से करना चाहिये, अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो आगे चल कर उन का कोई फायदा नहीं हो सकता है। आज पालिसी यह है कि क्रिश्चियन मिशनरीज को पहले से अधिक पैसा मिल रहा है। बाहर से भी वह अधिक पैसा पा रहे हैं और यहां पर भी उन को रुपया अधिक मिल रहा है। आप भी उनके लिये रकम अलग कर देवें यह ठीक है। हमारी रकम जो होती है उस को आप को हम को अलग से देना चाहिये। ईसाई व गैर-ईसाई को साथ देना उचित नहीं है। क्योंकि इस तरह से तो उन को दोनों ही तरफ से मिलता है। बात असल यह है कि वह आप के सामने फर्स्ट क्लास अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, आप उनकी बात को समझते हैं, इस लिये आप उन की बात जल्दी मान जाते हैं।

स्कालरशिप्स (छात्रवृत्तियां) वगैरह का जो कोटा होता है वह भी बराबर सा होता है लेकिन बिहार में ८०० आदिवासियों में से मुश्किल से १५० आदिवासी आदमियों को मिला। बाकी सारे स्कालरशिप्स मिशनरीज के आदमियों को मिले। इस की ओर हमारी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। मैं तो केवल यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप हम को कुछ सुभीते दीजिये। आप हमको पढ़ा लिखा दीजिये, हम आप से कोई राज पाट नहीं मांगना चाहते हैं, हम अपना खाना अपनी जमीन से पैदा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम को दवादारू का सुभीता प्राप्त हो जिस में कि हम बीमारियों से बच सकें। हम को खेती का सामान मिलना चाहिये, हम को कृषि करने में बहुत दिक्कत होती है, उस के लिये हम को सुविधा मिलनी चाहिये। मैं आग्रह करूंगा कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के जरिये से रुपये दे कर इंतजाम कराये कि हर पांच मील की दूरी पर एक अस्पताल हो, हर डेढ़ सौ की आबादी पर या हर गांव में एक कुंआ हो, मुख्य सड़क से मिलाने वाली छोटी

छोटी सड़कें हों, पांच हजार की आबादी पर एक कल्याण केन्द्र हो, ग्रेन गोला का भी इंतजाम होना चाहिये। एक ग्रेन गोला से सिर्फ दो चार हजार आदमियों का ही काम चल सकता है, जब कि एक क्षेत्र में ६० और ७० हजार तक आदमी रहते हैं। इन जगहों पर ज्यादा ग्रेन गोले रखने चाहियें। मैं चाहता हूं कि उन लोगों को हमारे बीच में काम करने के लिये भेजा जाय जो अब तक हमारा काम करने वाले हैं, जो हमारी दिक्कत को जानते हों। जो हमारी दूसरी फाइव इअर प्लैन (द्वितीय पंचवर्षीय योजना) है, उस में हम को इस प्रकार की पूरी मदद मिलनी चाहिये। स्टेट गवर्नमेंट के जरिये यह सब काम होने चाहियें ताकि इस में कोई गड़बड़ी न हो।

मैं अम्बर चर्खे के बारे में भी कहना चाहता हूं। अम्बर चर्खे को हम लोग भी चाहते हैं। उस चर्खे से हम लोग अपने घर के लिये भी कपड़ा बना सकते हैं और अपनी जरूरत से बच रहे तो उसको बेच भी सकते हैं। जंगलों की हमारे यहां भरमार है। अगर उन जंगलों की तरफ ध्यान नहीं दिया जायेगा तो दो चार वर्ष में वह जंगल नष्ट हो जायेंगे। उन जंगलों की रक्षा करने के उपाय नहीं किये जा रहे हैं। उन को बचाने के लिये आदिवासियों को कोई भी मदद नहीं दी जा रही है। उस के लिये हम को पूरी सुविधा मिलनी चाहिये। वहां बांस बहुत होता है। उस से हम लोग अपने घर बनाते हैं और लकड़ी का काम लेते हैं। इस काम के लिये हम को पूंजी मिलनी चाहिये। हम लोगों के यहां पुराने रीतिरिवाज ही चल रहे हैं। उनके लिये हम को अनाज की जरूरत पड़ती है, बाहर के लोग वहां पर आते हैं और हम को बहकाकर चावल आदि देने का लालच दिखला कर हमारे सारे जंगलों और जमीनों को नीलाम कर देते हैं, जिस से लोगों को हर साल तकलीफ मिलती है। इस लिये मेरा कहना यह है कि हम को मदद करने के लिये ग्रेन गोला का इन्तजाम होना चाहिये और वहां से हम को चावल वगैरह मिलना चाहिये। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो बिहार सरकार भी हम को ज्यादा मदद देगी। हमारे यहां कालेज खुलने चाहियें ताकि हमारे लड़कों को पढ़ने के लिये दूर न जाना पड़े। एक कालेज खुला भी है। लेकिन वहां पर छात्रावास का भी प्रबन्ध होना चाहिये जिस में कि दूर वाले लड़के उस में रह सकें।

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सब बातें रिपोर्ट पर चर्चा के समय कही जा सकती हैं।

†**श्री हेमब्रोम** : मैं बहुत थोड़ा समय और चाहता हूं। बिहार से अभी कोई और नहीं बोला है।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले मैं इस संशोधन को मतदान के लिये रखना चाहता हूं।

†**श्री बाल्मीकी** (जिला बुलन्दशहर—रक्षित अनुसूचित जातियां) : मैं केवल दो मिनिट का समय चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे पास १५ सदस्यों की सूची है जो अभी नहीं बोले हैं। पहले मैं संशोधनों को निवटाना चाहता हूं। माननीय मंत्री इस संशोधन का उत्तर दे सकते हैं।

†**श्री पाटस्कर** : मैं इस विषय को कुछ स्पष्ट करना चाहता हूं ताकि इसे सभा में दुबारा उठाया जाये।

इस मामले में हम यह समझे हुए थे कि पहले यह विधेयक पारित होगा किन्तु पहले राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित हो गया और बाद में यह आया।

राज्य पुनर्गठन विधेयक के खण्ड ४१ में यह कहा गया है कि यह अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रपति संविधान (अनुसूचित जाति) आदेशों में उचित परिवर्तन करेंगे।

नये राज्य १ नवम्बर को बन जायेंगे। इस समय तो यह विधि साधारणतया पारित की जा रही है। इन राज्यों के बारे में राज्य पुनर्गठन विधेयक के खण्ड ४१ में संविधान (अनुसूचित जातियां) और संविधान (अनुसूचित आदिम जातियां) आदेशों को ध्यान में रखते हुए विशेष उपबन्ध किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाटस्कर]

इस के पश्चात् उस अधिनियम की धारा ४२ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या का निश्चय करने का उपबन्ध किया गया है।

इसके बाद धारा ४३ है। परिसीमन, जनसंख्या का पता लगाने तथा हर चीज के बारे में आदेशों में क्या संशोधन करने पड़ेंगे। इनके सम्बन्ध में पूरी योजना दी हुई है। तो यह कहा जा सकता है कि फिर इस उपबन्ध की क्या आवश्यकता थी। इन आदेशों में केवल राज्य पुनर्गठन के कारण ही संशोधन नहीं करना पड़ा है अपितु राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत नियुक्त आयोग की जांच के कारण भी इन में संशोधन की आवश्यकता थी। उक्त आयोग की सिफारिश के अनुसार कुछ दूसरे राज्यों में भी जिन पर राज्य पुनर्गठन का प्रभाव नहीं पड़ा है कतिपय परिवर्तन किये जा रहे हैं। स्वाभाविकतया अब कुछ जातियां इन में सम्मिलित कर ली जायेंगी और कुछ इन में से निकाल दी जायेंगी। इस के लिये भी कुछ करना होगा। इस प्रकार सारे भारत के सम्बन्ध में ये सामान्य उपबन्ध हैं। राज्य पुनर्गठन से जो परिवर्तन होंगे उन के लिये हमने पहले ही उपबन्ध कर दिया है। अतः मुझे आशा है कि मेरे माननीय मित्र को अब यह विश्वास हो गया होगा कि उनके संशोधन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : इस स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं। परन्तु यह जानना चाहता हूं कि रूपभेद का अर्थ वृद्धि भी होता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका अर्थ वृद्धि, परिवर्धन अथवा कुछ घटाना भी हो सकता है। इसलिये संशोधन वापिस लेने का कोई मतलब नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड ३ विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ५ (जनसंख्या का निर्धारण आदि)

†**श्री पाटस्कर** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

पृष्ठ २ में, पंक्ति १८ के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाये :

"Provided that nothing in this section shall apply to any State in relation to which provision for redetermining the population of scheduled castes and scheduled tribes is made in section 42 of the States Reorganisation Act, 1956, or in section 15 of the Bihar and West Bengal (Transfer of Territories) Act, 1956."

("परन्तु शर्त यह है कि इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे राज्य पर लागू नहीं होगी जिसके संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या का फिर से निश्चय करने के संबंध में उपबन्ध राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ४२ में या बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) अधिनियम, १९५६ की धारा १५ में किया गया है")

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री जांगड़े** : मैं अपना संशोधन संख्या ३१५ और ३१६ प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर यह बताना चाहता हूं कि १९५१ में जो जनगणना हुई थी उसमें हरिजनों की जनसंख्या के बारे में बहुत सी गलतियां पाई गई हैं। मैंने स्वयं इलैक्शन कमिश्नर (निर्वाचन आयुक्त) को और लोकल (स्थानीय) अधिकारियों को इस संबंध में तीन चार महीने पहले जानकारी दी थी परन्तु कुछ भी नहीं किया गया है। जो भी उनके विचार इस संबंध में हैं उनसे मुझे संतोष नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि आप जो रूल (नियम) प्रेस्क्राइब (विहित) करेंगे, जो अधिनियम बनायेंगे और जो जो जानकारी हरिजनों की जातियों और उपजातियों के बारे में जो इस बिल के द्वारा जोड़ी जा रही हैं आप प्राप्त करने की कोशिश करेंगे उससे उनकी कोई निश्चित संख्या मालूम नहीं हो सकेगी। मैं जानता हूं कि कई प्रान्तों में नैशनल रजिस्टर आफ सिटिज़न्स (नागरिकों की राष्ट्रीय पंजी) रखा हुआ है और यदि आप उसको देखें तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें एक एक घर के एक एक आदमी का नाम लिखा हुआ है और उससे आप को हर बात का पता चल जाएगा। आप कह सकते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा मेहनत पड़ेगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह मेहनत का सवाल नहीं है, यह तो एक प्रिंसिपल का सवाल है। मैं समझता हूं कि इसमें देरी का भी कोई सवाल नहीं उठना चाहिये। अगर आप इस सिद्धांत को मानते हैं तो आपको येन केन प्रकारेण इसको करना ही होगा। आप अगर देखें तो आपको अवश्य ही जो गणना हुई थी उसमें गड़बड़ी मिलेगी। इस वास्ते यदि आप सिद्धांत को मानते हैं तो आप इसे जल्दी करें और चाहे देर में, आपको उनकी ठीक ठीक संख्या मालूम करनी होगी। और मैं तो कहता हूं कि देरी लगने का भी कोई कारण नही है। यदि आप यहां से आदेश जारी करें और स्टेट गवर्नमेंटस (राज्य सरकारों) को कहें कि वे तहसीलदारों और डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स (जिला पदाधिकारियों) को हिदायतें जारी कर दें कि वे लोग इस काम को एक महीने के अन्दर या १५ दिन के अन्दर खत्म करें, तो वे इसको १० दिन में ही खत्म कर सकते हैं। वे लोग हर एक गांव के हरिजनों की और उनकी जातिवार संख्या आपको उपलब्ध कर सकते हैं। मैं आपको अपने अनुभव से बतलाता हूं कि एक जिले के अधिकारी ने एक तहसीलदार को कहा कि वह बताये कि उस तहसील में कितने हरिजन जातिवार हैं, तो उसने १० दिन के अन्दर इस काम को खत्म कर दिया और पता चला कि उनकी संख्या ५०,००० कम दिखाई गई थी। यह किस्सा विलासपुर की जाजगीर तहसील का है। यह काम उसने नैशनल रजिस्टर आफ सिटिज़ंस (नागरिकों की राष्ट्रीय पंजी) को देख कर पूरा किया।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य पहले बोल चुके हैं उन्हें और अवसर नहीं दिया जा सकता।

श्री जांगड़े : मैं इस खंड के संबंध में कुछ कहूंगा। मेरा मतलब सिर्फ यही है कि लोक-गणना के अधिकारी और राज्य सरकारें इन्हीं आधारों को लेकर हरिजनों और भूमिजनों की संख्या निर्धारित करें। बहुत सी जातियां ऐसी हैं, जिनका उल्लेख १९४१ और १९५१ की सैन्सस में नहीं किया गया, परन्तु १९०१, १९११, १९२१ और १९३१ की सेन्सस में उनके आंकड़े मिल सकते हैं। मैं यह चाहता हूं कि इन वर्षों की जन-गणनाओं के आंकड़ों के आधार पर उन जातियों की जनसंख्या निर्धारित की जाय। मेरे दूसरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि नैशनल रजिस्टर आफ सिटिज़न्स को भी उतना ही महत्व दिया जाय, जितना कि १९४१ और १९५१ की सैन्सस (जनसंख्या) के आंकड़ों को दिया जा रहा है। जो जातियां सैन्सस के आंकड़ों में शामिल नहीं की जा सकीं, उन की संख्या के संबंध में निश्चय नैशनल रजिस्टर आफ सिटिजन्स के आंकड़ों के आधार पर किया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री जांगड़े के संशोधन सभा के समक्ष हैं।

श्री बाल्मीकी : अध्यक्ष महोदय, बड़ी मुश्किल से मुझे समय मिला है। उस के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस धारा पर मैंने जो अमेंडमेंट्स (संशोधन) मूव (प्रस्तुत) की हैं उन की संख्या ३५० और ३५१ है।

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री बाल्मीकी]

यह जरूर है कि ये तीनों अमेंडमेंट्स (संशोधन) कुछ विचित्र सी नजर आती हैं, लेकिन फिर भी जब कि हम इस बिल पर विचार कर रहे हैं, जिस में कुछ जातियां घटाई बढ़ाई जा रहीं हैं, तो मेरी इन अमेंडमेंट्स में निहित सिद्धांत पर विचार किया जा सकता है। मैंने इस बिल को देखा है और मैं महसूस करता हूं कि कुछ जातियां, जो कि नहीं आनी चाहिये थीं, इसमें शमिल कर ली गई हैं, जो पहले नहीं थीं, वे आ गई हैं और कुछ रह गई हैं। इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारा देश हर एक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और संसार की सभ्यता तथा उन्नति में आगे चल रहा है। ऐसे समय में भी अगर यहां पर जात पात का जिक्र हो और जातियों के घटाने बढ़ाने की चर्चा हो, तो उससे हमें बड़ा सदमा पहुंचता है। आज हमारे देश में वह समय और वह व्यवस्था लाने की जरूरत है जब कि यहां पर जातियों का इस रूप में जिक्र न हो। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित गोविन्द वल्लभ पंत और दूसरे नेता इस बात के लिये पूर्णतया प्रयत्नशील हैं कि इस देश में जातिवाद की भावना पर कुठाराघात हो और यहां पर एक जातिविहीन समाज की स्थापना हो—एक ऐसे समाज की स्थापना हो, जिस में किसी प्रकार की जाति न हो—केवल एक भारतीय जाति हो। इस लिस्ट में भंगी, चमार आदि जातियों को रख कर और इस प्रकार की पर्यायवाची सब जातियों को एक ही स्तर पर और एक ही लाइन में रख कर एक समझदारी की बात की गई है। हम तो यह चाहते हैं कि हम सब में किसी भी प्रकार की घृणा और द्वेष न होना चाहिये। मैं ने डा० जाटववीर के भाषण को सुना है। मैं यह कहना चाहता हूं कि

न जच्चा वसलो होति, न जच्चा होति ब्रह्मणो,
कम्मना वसलो होति, कम्मना होति ब्रह्मणो।

इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति के अनुसार उंचा या नीचा नहीं है, बल्कि वह अपन कर्म के अनुसार ऊंचा और नीचा है। वेद में कहा गया है कि "अकर्मा दस्यु"। जो कर्म नहीं करता वह चोर है। हमने तो सदैव कर्म किया है। पर हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जो कर्म करते हैं वे चोर समझे जाते हैं नीच समझे जाते हैं और जो कर्म नहीं करते वे हर प्रकार से उच्च समझे जाते हैं। तमाम हरिजन जातियां कर्म करने वाली हैं, लेकिन वे हर दृष्टि से पीछे रह गई हैं। जो जातियां कर्म करने वाली नहीं हैं वे आगे चली गई हैं। परन्तु मैं इस समय इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार के भेद-भाव को दूर किया जाय। जहां तक इस बात का संबंध है कि अब हम को पांच सीटें लोक-सभा में मिल गई हैं और ३२ सीटें विधान सभाओं में मिल गई हैं, उस से न हमें खुशी है और न रंज है। जो गलतियां पहले की गई हैं, उनको पहचाना गया है।

मैं श्री जांगड़े के संशोधन से सहमत हूं कि इन जाति की संख्या को जनगणना में निर्धारित करने के संबंध में १९०१, १९११, १९२१, १९३१ व १९४१ की जन गणना के आंकड़ों को भी उचित महत्व दिया जाय और नैशनल रजिस्टर आफ सिटिजंस का भी ध्यान रखा जाय और जो जातियां इस तरह बढ़ें, उन को भी मौका दिया जाय।

इस के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि जातियां तो मिट रही हैं, लेकिन जातिवाद खत्म नहीं हो रहा है। इस में कमी मेरी है या किसी और की है, लेकिन वह है जरूर। इस विषय में तमाम देशवासियों को प्रयत्न करने की जरूरत है—हृदय को साफ करने की जरूरत है और सारी स्थिति को समझने की जरूरत है। जब भी जातियों का जिक्र आता है तो मुझे गांधी जी के शब्द याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि समाज की सबसे नीची सीढ़ी पर भंगी खड़ा है। मैं आज विभिन्न जातियों में घृणा नहीं फैलाना चाहता हूं। उनके हृदय में इस विषय में जो कराहट, दुख और वेदना थी, मैं केवल उस को सब के सामने प्रकट करना चाहता हूं। मैं तमाम देशवासियों से यह कहना चाहता हूं कि हम को जातिवाद को नहीं फैलाना चाहिए, बल्कि गिरी हुई जातियों में बल और शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जहां तक भंगियों, बाल्मीकियों और मेहतरों का संबंध है, वे सिर्फ इस मुल्क में ही नहीं, बल्कि सारे संसार में छाये हुए हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि नैरोबी में भंगियों का मंदिर

है और जिबराल्टर और इंग्लैंड तथा अन्य स्थानों में भंगी और बाल्मीकी हैं। वे पूर्णतया अपने धर्म का पालन करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों का हिन्दू धर्म से गहरा संबंध है। हम हरिजनों ने हिन्दू धर्म में रह कर बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत लानतें और चोटें बर्दाश्त की हैं, लेकिन जरा हमारे दिलों में वर्तमान धर्म की भावना को देखिये।

धर्मेव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः
तस्मात् धर्मो न हन्तव्यः मानो धर्मो हतोऽवधीत्।

अर्थात् जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है और जो धर्म की रक्षा नहीं करता है, धर्म भी उस की रक्षा नहीं करता है। इस देश में धर्म की सच्चे मायनों में अगर किसी ने रक्षा की है, वेदों की रक्षा की है, तो वह हमने—हरिजनों ने—की है।

प्रथम वेद उद्धार देवमच्छ हत्तन किन्नौ
द्वितीय वेद उद्धार ब्रह्म वराह लिन्नौ (चन्द्रबरदाई)

हम लोगों ने ही इस देश में सदा हिन्दू धर्म की रक्षा की, आर्य संस्कृति की रक्षा की। इस प्रकार हम आज भी धर्म की भावना रख कर हिन्दू धर्म में जीवीत हैं। आशा है कि देशवासी व हिन्दू हमारे साथ न्याय करेंगे।

कहा जाता है कि जो जाति एक सूबे के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति) मानी जाती है वह दूसरे सूबे में जाने पर भी अछूत नहीं रह जाती। मैं बतलाना चाहता हूं कि आसाम में, कलकत्ते में, नागपुर में और दूसरे सूबों के अन्दर जब दूसरे प्रान्तों से बाल्मीकी भाई या भंगी जाते हैं तो चाहे उन को मेहतर के बजाय मेहतोर कहा जाता हो, लेकिन उनको जो आसानियां मिलनी चाहिये वे नहीं मिलतीं। जब आप सारे देश की एकता के लिए लोगों को आसानियां दे रहे हैं तो उनको भी हर जगह आसानियां मिलनी चाहिये। अपने देश की एकता के लिए राज्य पुनर्गठन बिल पास किया। उस को पास करने में आपका उद्देश्य देश में एकता और समानता लाने का था। तो मैं माननीय मंत्री महोदय का इस ओर खास तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारी असुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाये। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि कुछ जातियां इस सूची में आने से रह जायें तो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अधिकार दिया जाना चाहिये कि वे उनको बाद में भी सूची में शामिल कर सकें।

अब मैं दो मिनट अमेंडमेंट नं० ३५२ पर बोलना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य हर मौके पर सामान्य चर्चा नहीं कर सकते। मैंने उन्हें केवल अपना संशोधन रखने की अनुमति दी है।

†**श्री बाल्मीकी** : मुझे केवल दो मिनट चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं किसी असंगत बात की अनुमति नहीं दूंगा। वह अपने संशोधन पर बोल चुक है। अब वह यह कहना चाहते हैं कि अनुसूचित जातियों को नगरपालिका परिषदों में भी लिया जाये। यह बात असंगत है। श्री बाल्मीकी के दोनों संशोधन सभा के सामने हैं। माननीय मंत्री उन के संबंध में अपनी बात कह सकते हैं।

श्री गणपति राम (जिला जौनपुर, पूर्व—रक्षित, अनुसूचित जातियां) : मैं क्लाज ५ पर दो मिनट लेना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : केवल खंड ५ को।

श्री गणपति राम : शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में ही बोलना चाहता हूं, आप सुनिये तो।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गणपति राम]

यह देखा जाता है कि हर स्टेट में सन् १९२१ के बाद से शिड्यूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति) और शिड्यूल्ड ट्राइब्स (अनुसूचित आदिम जातियां) की आबादी बढ़ने की बजाय घटती जाती है। प्रकृति का यह नियम है कि गरीबों के घर बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं लेकिन आश्चर्य की बात है कि हिन्दुस्तान में जब गरीबों की गणना की जाती है तो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की आबादी घट जाती है। मैं नहीं कह सकता कि यह कहां तक ठीक है। लेकिन मुझे यह उम्मीद है कि सरकार संविधान की धाराओं के अनुसार इन जातियों के प्रति अपनी वफादारी दिखाना चाहती है और मुझे आशा है कि जो भी गलतियां इनकी गणना के बारे में रह गयी हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जायेगा। जैसा कि अभी श्री जांगड़े ने कहा है कि सन् १९४१ और १९५१ की जनगणना में अगर और जातियों की संख्या में सन् १९३१ की जनगणना की तुलना में वृद्धि हुई है तो उसी अनुपात में शिड्युल्ड कास्टस् और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की गिनती में भी वृद्धि कर दी जाये। इस तरह जो नुकसान उनको आज तक रिप्रेजेंटेशन (प्रतिनिधित्व) आदि के मामलों में होता रहा है वह आगे से पूरा कर दिया जाये।

उत्तर प्रदेश में कुछ चमारों की उपजातियां हैं जो कि अपने को विभिन्न नामों से सूचित करती हैं। उन्होंने अपने को चमार न लिखवा कर चर्मकार, जैसवाल, कुरील, रविदास या रहदास आदि नामों से लिखवाया है। इसलिए उनको चमारों में शामिल नहीं किया गया है और छोड़ दिया गया है। इस प्रकार की गलती उत्तर प्रदेश में चमारों की गणना में हुई है। मेरा सुझाव है कि इनको भी चमारों में गिना जाना चाहिये और उनको उनके हक मिलने चाहिए।

एक बात मुझे और कहनी है और वह यह कि उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार ने, प्रान्तीय सरकार के अनुरोध पर कोरी जाति को शिड्यूल्ड कास्ट माना है लेकिन आगरा, रुहेलखंड और मेरठ डिवीजनों में उनको शिड्यूल्ड कास्ट नहीं माना जाता। इस कारण उनकी ढाई लाख की आबादी संविधान द्वारा प्रदत्त राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकारों से वंचित हो जाती है। मेरा सुझाव है कि कोरी जाति को इन तीन डिवीजनों में भी उत्तर प्रदेश में शिड्यूल्ट कास्ट माना जाये और उनको उनके अधिकारों से वंचित न किया जाये।

मेरा इतना ही सुझाव है। आशा है इस पर ध्यान दिया जायेगा।

डा० सत्यवादी (करनाल—रक्षित, अनुसूचित जातियां) : श्री जांगड़े ने जो अमेंडमेंट नम्बर ३१५ और ३१६ हरिजनों की तादाद के मुतल्लिक पेश किये हैं उन पर मुझे कुछ आंकड़े आपके सामने रखने हैं। अभी आनरेबल मिनिस्टर ने कहा कि मर्दमशुमारी (जनगणना) के लिए यह ऐतराज करना कि वह गलत की गयी है, सही नहीं है। जो आंकड़े मेरे पास हैं उन से जाहिर होता है कि सन् १९५१ में पंजाब में मजहबी लोगों की संख्या ९४४ लिखी गयी है जिसको कि बैकवर्ड क्लासेज कमीशन (पिछड़ी जाति आयोग) ने अपनी रिपोर्ट में कोट किया है और पेप्सू में उनकी तादाद ११६ लिखी है। मुझे यकीन है कि पेप्सू में मजहबी लोगों की तादाद पंजाब से ज्यादा है। और पंजाब में उनकी तादाद २ लाख से कम नहीं है। पंजाब में तमाम रीजन्स में जितने भी स्वीपर्स हैं वे मजहबी हैं और वे अक्सरियत में हैं, लेकिन उनकी तादाद एक हजार भी नहीं दिखायी गयी है गो कि उनकी तादाद कई लाख है।

अभी मेरे भाई बतला रहे थे कि कई राज्यों में शिड्यूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति) और शिड्यूल्ड ट्राइब्स (अनुसूचित आदिम जातियां) की तादाद कम होती चली जा रही है। मैंने स्वीपर्स के बारे में कुछ आंकड़ें देखे हैं और उनको आपके सामने रखता हूं ताकि आपको मालूम हो कि सन् १९२१ से १९३१ तक उनकी तादाद पर क्या असर पड़ा है। मर्दुमशुमारी के रिपोर्ट के मुताबिक इन दस सालों में मुल्क की आबादी में करीब २५ फी सदी का इजाफा हुआ है। १९२१ में बाल्मीकियों की तादाद २,२१,००० लिखी गयी थी और वह सन् १९३१ में १,५५,००० रह गयी यानी २९.५ फीसदी की कमी हुई। इन्हीं का दूसरा सेक्शन लालबेगी है। उनकी तादाद सन् १९२१ में ४,३७,२९५ थी और वह सन १९३१ में ५८,८९७ रह गई जिसका मतलब है कि ८६.५ फीसदी इस अर्से में उनकी तादाद कम हो गयी। तीसरा इन्हीं का सेक्शन बाले शाही है जिनकी

तादाद में ६३.५ फीसदी की कमी हुई है इस दस साल के अर्से में। लेकिन इन दस सालों में मुल्क की आबादी में २५ फीसदी का इजाफा हुआ है। मैं सन् १८८१ के मुकाबले में आपको बताऊं कि इनकी तादाद कितनी कम हो गयी है। सन् १८८१ में पंजाब में इनकी तादाद मजमुई तौर पर १०,३९,०३९ थी और यह तादाद १९११ में १२,३५,५४१ हो गई। जो तादाद सन् १९११ में १२,३५,००० थी उस के मुताल्लिक आप यह सुनकर हैरान होंगे कि बैकवर्ड क्लासेज कमीशन ने जो १९५१ के आंकड़े दिये हैं उनमें जो तादाद सन् १९११ में १२ लाख थी वह ५१,२५५ रह जाती है। यह किस कदर ताज्जुब की बात है। तो यह बिलकुल जाहिर है कि इसमें दो बातें हैं कि लोगों ने गलत इंदराजात (प्रविष्टियां) कियें हैं क्योंकि सन् १९२१ के बाद से मर्दुमशुमारी पर सियासी असरात का गलबा हो गया और लोगों ने अपनी अपनी तादाद को बढ़ाने के लिये ऐसा किया। मैं सन् १९४१ की मर्दुमशुमारी (जनगणना) के दिनों में नालागढ़ में था और जब एक हलके के कागजात की पड़ताल कराई गई तो मालूम हुआ कि एक पटवारी ने अपने तमाम हलके में जिसकी कि आबादी कोई १३ हजार थी, उस सारी १३ हजार की १३ हजार आबादी को एक नुक्ते के फर्क के बगैर "आर्य हिन्दू" लिख दिया हालांकि वहां पर ब्राह्मण, खत्री आदि अन्य जातियां रहती थीं। मैंने यह बात नोट कराई और इस तरीके से मुझे मालूम है और मैंने देखा कि कई जगहों पर उनकी तादाद को इस तरीके से कम दिखाने की कोशिश की गई है।

श्री जांगड़े ने हरिजनों की तादाद के मुताल्लिक जो अपना अमेंडमेंट रक्खा है तो मेरा कहना यह है कि हमारी तादाद सन् १९१४ में १२ लाख ३५ हजार थी और अगर आप आंकड़ों के मुताल्लिक तादाद शुमार करके देखना चाहते हैं तो आप कम से कम बाल्मीकियों के मुताल्लिक यह देख सकते है कि पिछले पचास सालों में उनकी तादाद में कितना इजाफा हुआ है और बड़होत्री हुई है, उस ऐतबार से उनकी तादाद को मानना चाहिये। इन शब्दों के साथ श्री जांगड़े के जो ३१५ और ३१६ नम्बर के संशोधन हैं, मैं उनकी ताईद करता हूं।

†**श्री पाटस्कर** : इन संशोधनों के उद्देश्य से मैं सहमत हूं किन्तु यदि माननीय सदस्य इस उपबन्ध पर थोड़ी अधिक सावधानी से विचार करें तो निश्चय ही उन्हें यह दिखायी देगा कि उनके संशोधन अनावश्यक हैं।

संशोधन संख्या ३१५ के संबंध में, मैं नहीं जानता कि उसमें दिया गया सुझाव प्रत्येक मामलें में ठीक होगा। यदि १९४१ की जनगणना में किसी विशिष्ट जाति का कोई उल्लेख न हो तो निश्चय ही कुछ करना पड़ेगा। इसीलिये इस खंड में यह उपबन्ध रखा गया है "जनगणना अधिकारी द्वारा, इस प्रकार से जो विहित किया जाये, निर्धारित अथवा अनुमानित किया जायगा"। उन्हें यह निश्चय करने की शक्ति दी गयी है कि यह किस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिये। यदि कुछ करना आवश्यक हो, तो वे वह करेंगे।

इसी प्रकार संशोधन संख्या ३१६ के संबंध में मैं यही कहूंगा कि इस शब्दावलि से कि "जन गणना अधिकारी द्वारा, इस प्रकार से जो विहित किया जाये, निर्धारित अथवा अनमानित किया जायगा" के अन्तर्गत वह बात आ जाती है। उससे अधिक कुछ करना जरूरी नहीं है। किसी विशिष्ट मामले में जो कुछ करना होगा वह ठीक ठीक किया जायगा और कोई भी यह नहीं देखना चाहता कि किसी के प्रति अन्याय किया जाये। संशोधनों का आशय उस में पहले ही विद्यमान है और जहां तक संभव हो, न्याय किया जायगा। कोई भी यह नहीं चाहता कि वे व्यक्ति जो वैध रूप से शामिल किये जान चाहिये, अपवर्जित किये जाये। मैं उस बारे में माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं।

संशोधन में "नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के आंकड़ों के आधार पर" का उल्लेख है। ऐसा कहां उपबन्ध है कि कोई राष्ट्रीय रजिस्टर में न देखे ? स्थिति मालूम करने के लिये जो भी आवश्यक होगा, किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाटस्कर]

संशोधन संख्या ३५० के संबंध में जिसमें कहा गया है "किसी राज्य की सूची में उल्लिखित किसी अनुसूचित जाति या आदिम जाति के लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक, सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी", मैं नहीं जानता कि यह सब यहां कैसे आ जाता है। इसी प्रयोजन के लिये संविधान के भाग १५ में उपबन्ध रखा गया है। इस विधेयक में केवल जातियों को गिनाया गया है। किन्तु यह संशोधन एक सामान्य प्रस्थापना है और विधेयक के उद्देश्य के साथ उसका मेल नहीं बैठता।

यही बात संशोधन संख्या ३५१ के संबंध में है। यह भी संविधान के आशय के विरुद्ध है। इन चीजों के बारे में संविधान में उपबन्ध रखा गया है। सर्व प्रथम राष्ट्रपति संविधान के किसी एक अनुच्छेद के अधीन आदेश जारी करता है और आयोग द्वारा एक बार परीक्षण के बाद, आदेश दिये जाते हैं। जब उस आदेश में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो स्वाभाविक ही हमें संसद् से अनुमोदन प्राप्त करना होता ह। हम राज्य सरकारों को किस प्रकार अधिकार दे सकते हैं कि वे कुछ जातियों को शामिल कर या अपवर्जित कर इन चीजों में बराबर परिवर्तन करती रहें? यह संविधान के मूल आशय के विरुद्ध है। कोई भी सरकार यह नहीं चाहती कि जिन लोगों को वैध रूप से यहां शामिल किया जाना चाहिये, वे निकाल दिये जायें। इसके विपरीत इस ओर ध्यान दिया जायगा कि प्रत्येक संभव बात की जाये, सर्व प्रथम एक आयोग नियुक्त किया गया, उसके बाद सूचियां तैयार की गयीं, राज्य सरकारों से इस विषय में परामर्श किया गया और आखिर में सूचियां अंतिम रूप से तय की गयीं। हम अनुसूचियों पर पुनः विचार करेंगे और उस समय हम इस बात का परीक्षण करेंगे। अतः ये सभी संशोधन पूर्णतः अनावश्यक हैं।

†**श्री आनंदचंद** (बिलासपुर) : माननीय मंत्री ने अभी अभी बताया है कि तरीका निकाला जायगा। १९५१ में, पहले ही एक तरीका था अर्थात् संविधान जनसंख्या निर्धारण आदेश, १९५० जिसके अधीन यह सब किया जाता है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या उस आदेश के मूलभूत सिद्धांतों का ध्यान रखा जायगा जब कि इस खंड के अधीन नये आदेश जारी किये जायेंगे।

†**श्री पाटस्कर** : इस विषय में ठीक और न्यायपूर्ण निश्चय करने के लिये प्रत्येक संगत बात का ध्यान रखा जायगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ २, पंक्ति १८ में निम्नलिखित जोड़ा जाय :

"Provided that nothing in this section shall apply to any State in relation to which provision for redetermining the population of scheduled castes and scheduled tribes is made in section 42 of the States Reorganisation Act, 1956, or in Section 15 of the Bihar and West Bengal (Transfer of Territories) Act, 1956."

["परन्तु शर्त यह है कि इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे राज्य पर लागू नहीं होगी जिस के संबंध में अनुसूचि जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या का फिर से निश्चय करने के संबंध में उपबन्ध राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ४२ में या बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) अधिनियम, १९५६ की धारा १५ में किया गया है।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री जांगड़े** : मुझे अपने संशोधन संख्या ३१५ और ३१६ वापस ले लेने की अनुमति दी जाये।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिये गये।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या ३५० और ३५१ का क्या हुआ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बाल्मीकी : चूंकि मंत्री महोदय ने मेरे अमेंडमेंट्स के द्वारा जो सुझाव दिये हैं उनकी स्पिरिट को मान लिया है, इसलिये मैं उनको प्रैस नहीं करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या मंत्री महोदय श्री बाल्मीकी के संशोधनों की स्पिरिट को स्वीकार कर रहे हैं ?

†**श्री पाटस्कर :** यदि एक राज्य में कोई अनुसूचित जाति हो तो सारे भारत में वह अनुसूचित जाति ही रहेगी। यह मैं नहीं मानता।

श्री बाल्मीकी : आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यू० पी० के मेहतर या बिहार के रावतों को ले लीजिये, वे कलकत्ता और आसाम में छाये पड़े हैं लेकिन उन्हें शिक्षा संबंधी तथा अन्य सुविधाएं बिलकुल नहीं मिलती हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बाल्मीकी लोग काफी बड़ी तादाद में मध्य प्रदेश, हैदराबाद दक्षिण तथा अन्य सूबों में और यहां तक कि आंध्र और मद्रास के भी कुछ भागों में छाये हुए हैं और उन्हें क्यों न सुविधाएं मिलें, मैं इसका कारण जानना चाहता हूं।

†**श्री पाटस्कर :** मैंने यह कभी नहीं कहा कि उन्हें कोई सुविधा न मिलेगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** केवल इस कारण कि किसी खास सूची में किसी जाति का नाम दिया गया है, इससे यह संकेत नहीं मिलता कि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या आदिम जाति का है। यह व्यवहार का प्रश्न है। एक जगह अनुसूचित जाति के लोग सर्वत्र ही अनुसूचित जाति के लोग होंगे। इस कारण कि वे रोजगार की खोज में दूसरी जगह जाते हैं, तो क्या उन्हें लाभ न मिलेगा या उस राज्य में छात्रवृत्तियां आदि की वही सुविधाएं न मिलेंगी ?

†**श्री पाटस्कर :** उन्हों ने संशोधन संख्या ३५० और ३५१ रखा है। कुछ जातियों को कुछ लाभ केवल इस कारण मिलते हैं कि वे पिछड़े वर्ग की होती हैं। हमने ये चीजें स्वत: निर्धारित नहीं की है, बल्कि सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श किया है। हो सकता है कि एक जाति एक राज्य में अस्पृश्य हो और वह एक अनुसूचित जाति समझी जाती हो। किसी दूसरे राज्य सरकार कहती है कि वह अनुसूचित जाति नहीं है। मैं आपकी बात समझता हूं। एक व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में चला जाता है और उस राज्य में उसे अनुसूचित जाति का नहीं माना जाता। अत: उसे वे विशेषाधिकार नहीं मिलते जो उसे दिये गये थे। किन्तु इस प्रकार का संशोधन स्वीकार करना उचित न होगा। अन्यथा सारी योजना बिगड़ जायेगी। मेरे विचार से उस हद तक जाने की आवश्यकता नहीं है। ये बातें उसी भावना से की जायेंगी जिस तरह कि हमें कुछ बातें करनी पड़ती हैं।

†**श्री तिमय्या :** संविधान के अधीन, कोई व्यक्ति इस सभा के लिये कहीं से भी निर्वाचन लड़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति, जो एक राज्य में अनुसूचित जाति का सदस्य माना गया हो, दूसरे राज्य में जाता है जहां वह अनुसूचित जाति का नहीं माना जाता, तो क्या वह निर्वाचन लड़ सकता हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह रक्षित स्थान के लिये निर्वाचन नहीं लड़ सकता।

†**श्री पाटस्कर :** मैंने इस विषय पर विचार नहीं किया है। मेरे विचार से वह जन प्रतिनिधान अधिनियम से शासित होगा। मैं समझता हूं कि कोई कठिनाई नहीं होगी। वह कहीं से भी दूसरों के साथ साथ निर्वाचन लड़ सकेगा।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने संशोधन संख्या ३५० और ३५१ मतदान के लिये सभा के समक्ष रखे और वे अस्वीकृत हुए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि खंड ५ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५ संशोधित रूप में विधेयक में जोड दिया गया ।

खंड ६—(परिसीमन आयोग के आदेशों का संशोधन)

†**श्री पाटस्कर** : एक शाब्दिक संशोधन है जिसकी जरूरत राज्य पुनर्गठन विधेयक के पास होने के कारण पड़ गई है । वास्तव में कोई परिवर्तन नही हुआ है उसका उद्देश्य यह है कि विधेयक का प्रारूप ठीक हो जाय ।

संशोधन किया गया

पृष्ठ २ और ३ में खंड ६ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये ।

"6. *Amendment of orders of the Delimitation Commission.*—In addition to the duties imposed by section 44 of the States Reorganisation Act, 1956, and any other law on the Delimitation Commission constituted under section 43 of the said Act, it shall be the duty of that Commission.

37 of 1956

(a) to redetermine, on the basis of the population figures notified under section 5 of this Act for any State, the number of seats to be reserved for the scheduled castes and scheduled tribes of that State in the House of the People and in the Legislative Assembly, if any of that State, having regard to the relevant provisions of the Constitution and of the States Reorganisation Act, 1956;

186

37 of 1956

(b) if on such redetermination the number of reserved seats of any class in any State is found to be different from the number fixed in Final Order No. 1 of the former Delimitation Commission, to make such amendments in any of the orders made by that Commission under section 8 of the Delimitation Commission Act, 1952, as may be necessary for the purpose of giving proper representation to the scheduled castes or the scheduled tribes, as the case may be, of that State, and

81 of 1952

(c) to take into account the provisions of this section while preparing the Order referred to in sub-section (2) of section 47 of the States Reorganisation Act, 1956."

37 of 1956

["६. **परिसीमन आयोग के आदेसों का संशोधन** :—राज्य पूनर्गठन अधिनियम की धारा ४४ और उक्त अधिनियम की धारा ४३ कें अन्तर्गत बनायें गयें परिसीमन आयोग सम्बन्धी किसी अन्य विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्यों के अतिरिक्त, उस आयोग का यह कर्तव्य होगा कि :—

१९५६ का ३७

(क) इस अधिनियम की धारा ५ अन्तर्गत किसी राज्य के लिये अधिसूचित जनसंख्या के आधार पर, उस राज्य की अनूसूचित जातियों और अनूसूचित आदिम जातियो के लिये लोकसभा और उस राज्या कि विधान सभा, यदि कोई है तो, मैं स्थानों की संख्या फिर सें निर्धारित करना, और ऐसा निर्धारण करते समय संविधान और राज्या पूनर्गठन अधिनियम, १९५६ के संगय उपबन्धों को ध्यान में रखना;

आंकडों

१९५६ का ३७

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि ऐसा पुननिर्धारण करने पर किसी वर्ग के लिये किसी राज्य में सुरक्षित स्थानों की संख्या उस संख्या से भिन्न हो जोकि भूतपूर्व परिसीमन आयोग के अंतिम आदेश संख्या १ में निर्धारित की गई है, तो परिसीमन आयोग अधिनियम, १९५२ की धारा ८ के अन्तर्गत उस आयोग द्वारा दिये गये आदेशों में ऐसा संशोधन करना जो कि उस राज्य की अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदि जातियों को, जैसी भी दशा हो, समुचित प्रतिनिधित्व देने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो; और

१९५२ का ८१

(ग) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ४७ की उप-धारा २ में निर्दिष्ट आदेशों को तैयार करते समय इस धारा से उपबन्ध को ध्यान में रखना"]

१९५६ का ३७

[श्री पाटस्कर]

†**श्री बाल्मीकी** : मेरा संशोधन संख्या ३५२ जिस पर मैं एक शब्द कहना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बात तो इस विधेयक के क्षेत्र से बाहर है ।

प्रश्न यह है :

कि खंड ६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ६, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया।

अनुसूची १ स ४

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम अनुसूचियों पर विचार करेंगे । मैं माननीय मंत्री को अपने सभी संशोधनों को रखने की अनुमति देता हूं ।

†**श्री जांगड़े** : मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्रत्येक सदस्य ने इन अनुसूचियों के सम्बन्ध में संशोधन रखे हैं। इसलिये इन सब पर इकट्ठा विचार किया जाये और सदस्यों को इन सब पर एक ही समय बोलने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं पहले इन सब अनुसूचियों में सरकार के संशोधनों को निबटाना चाहता हूं । इसके बाद यदि आवश्यक हुआ तो मैं अन्य माननीय सदस्यों को, जिन्हों ने संशोधन रखने की पूर्व सूचना दी है, अनुमति दूंगा । अब मैं संशोधन संख्या १९९, संशोधन संख्या ३७८ द्वारा संशोधित रूप में रखता हूं ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ ३० और ३१ में, क्रमानुसार पंक्ति २८ से ३७ और १ से ९ में—

"In (i) Melghat taluk of Amravati district" (अमरावति जिले के मेलघाट तालुक) शब्दों से प्रारम्भ होने वाले और "Samrai and Sitapur tehsils of Surguja district" (सरगुजा जिले की समराई और सीतापुर तहसीलें) शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय:—

"In (1) Baster, Chhindwara, Mandla and Surguja districts,

(2) Melghat tehsil of the Amravati district,

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[अध्यक्ष महोदय]

(3) Bihar tehsil of the Balaghat district,

(4) Betul and Bhainsdehi tehsils of the Betul district,

(5) Bilaspur and Katghora tehsils of the Bilaspur district,

(6) Gadchiroli Sironcha tehsils of the Chanda district,

(7) Durg and Sanjari tehsils of the Durg district,

(8) Murwara, Patan and Sihora tehsils of the Jabalpur district,

(8A) Hoshangabad, Narsimhapur and Sohagpur tehsils of Hoshangabad district,

(9) Harsaud tehsils of the Nimar district,

(10) Gharghoda, Jashpur, Raigarh, Sarangarh and Udaipur tehsils of the Raigarh district,

(11) Bindra, Nawagarh, Dhamtari and Mahasamund tehsils of the Raipur district,

(12) Kelapur, Wani and Yeotmal tehsils of the Yeotmal district."

[(१) बस्तर-छिन्दवाड़ा, मांडला और सुरगुजा जिलों,

(२) अमरावती जिले की मेलघाट तहसील,

(३) बालाघाट जिले की बेहार तहसील,

(४) बैतूल जिले की बैतूल और भैन्सडेही तहसीलें,

(५) बिलासपुर जिले की बिलासपुर और कटघोड़ा तहसीलें,

(६) चांदा जिले की गर्दाचरोली सिरोंचा तहसीलें,

(७) दुर्ग जिले की दुर्ग और संजरी तहसीलें,

(८) जबलपुर जिले की मुखरा, पाटन और सिहोरा तहसीलें,

(९) नीमाड़ जिले की हरसुद तहसील,

(१०) रायगढ़ जिले की धरघोड़ा, जशपुर, रायगढ़, सरनगढ़ और उदयपुर तहसीलें,

(११) रायपुर जिले की बिन्दरा-नवगढ़, धमतरी और महांसमुन्द तहसीलें,

(१२) यवतमाल जिले की केलापुर, वानी और यवतमाल तहसीलें।"]

—[श्री पाटस्कर]

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं सरकार के बाकी सारे संशोधन रखता हूं।

संशोधन किये गये :—

(१) पृष्ठ ६, पंक्ति ३ में—

"Swasi" ("स्वासी") के स्थान पर "Sawasi" ("सवासी") रखा जाय।

(२) पृष्ठ ६, पंक्ति २० में—

"Kanigar, Rohidas or Rohit" ["कानीगर, रोहीदास या रोहित"] के स्थान पर "Kanigar, Rohidas, Rohit or Samgar" ["कानीगर, रोहीदास, रोहित या समगर"] रखा जाय

---

†मूल अंग्रेजी में।

(३) पृष्ठ ७ में—

(१) पंक्ति ३ हटा दी जाय।

(२) पंक्ति ४ में—

"Sevda"["सेवदा"] के स्थान पर "Sedma" ["सेदमा"] रखा जाय।

(४) पृष्ठ ७, पंक्ति २१ में—

"Dankhani-Mang Mang Mahashi" ["दनखनी-मांग मांग महाशी"] के स्थान पर "Dankhani-Mang, Mang Mahashi" ["दनखनो-मांग, मांग महाशी"] रखा जाय।

(५) पृष्ठ ७, पंक्ति २६ में—

"Dhayat" ["धायत"] के स्थान पर "Dahayat"["दाहायत"] रखा जाय।

(६) पृष्ठ ११, पंक्ति २९ में—

"Jhala Malo"["झाला मालो"] के स्थान पर "Jhala, Malo" ["झाला, मालो"] रखा जाय।

(७) पृष्ठ १४, पंक्ति ३० के बाद निम्नलिखित रखा जाय :—

"51A. Mazhabi" ["५१ क. मजहबी"]

(८) पृष्ठ १७ में—

पंक्ति १५ हटा दी जाय।

(९) पृष्ठ २० पंक्ति २० में—

(१) "5" ["५"] के बाद "10" ["१०"] रखा जाय।

(२) पंक्ति २३ के बाद निम्नलिखित रखा जाय :

"10 Kuravan, Sidhanar" ["१० कुरावान, सिद्धनार"]

(१०) पृष्ठ २२, पंक्ति २० में—

"Jatva chamar" ["जट्व चमार"] के स्थान पर "Jatav chamar" ["जाटव चमार"] रखा जाय।

(११) पृष्ठ २७ —

(१) पंक्ति १२ में—

"Sidhoppaiko" ["सिधप्पकेयो"] के स्थान पर 'Sidhopaiko" ["सिधपकेयो"] रखा जाय।

(२) पंक्ति २० में--

"Porja" ["पोरजा"] के स्थान पर "Perja (Paragiperja" ["पोरजा (पारंगी पेरजा)"] रखा जाय ।

(१२) पृष्ठ ३०—

(१) पंक्ति २ में—

"Neswi Bhil" ["नेस्वी भील"] के स्थान में "Meswi Bhil" ["मेस्वी भोल"] रखा जाय।

(२) पंक्ति ३ में--

"Porawa and Vasava" ["पोरवा और वसवा"] के स्थान पर "Bhilwara, Pawra, Vasava, and Vasave" ["भीलवाड़ा, पावरा, वासवा, और वासवे"] रखा जाय ।

(३) पंक्ति ४ में—

"or Chaudhari, ["या चौधरी"] शब्द हटा दिये जायें ।

(४) पंक्ति ६ के स्थान पर, "Vasava" Vasave and Valvi" ["वासवा, वासवे और वलवी"] शब्द रखे जांय ।

(५) पंक्ति १३ में--

"Kokni, Kunbi or Kunbi" ["कोकनी, कुन्बी या कुन्बी"] शब्द हटा दिये जायें ।

(६) पंक्ति १५ से २६ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय:—

13. Naikda or Nayaka including Cholivala Nayaka, Kapadia Nayaka, Mota Nayak and Nana Nayaka
14 Pardhi including Advichincher and Phanse Pardhi
15. Patelia
16. Pomla
17. Rathawa
18. Varli
19. Vitolia, Kotwalia or Barodia.
2. In Dangs district—
Kunbi
3. In Surat district—
Chaudhri
4. In Thana district—
Koli Malhar
5. (a) In Ahmednagar district—
Akola, Rahuri and Sangamner talukas

(b) In Kolaba district—
Karjat, Khalapur, Alibagh, Mahad and Sudhagad talukas
(c) In Nasik district—
Nasik, Niphad, Sinnar, Chandor, Baglan, Igatpuri Dindori and Kalvan talukas and Surgana and Peint Mahals

} Koli Mahadev or Dongar Koli

(d) In Poona district— Ambegaon, Junnar, Khed, Mawal and Mulshi talukas and Valhe Mahal. (e) In Thana district— Thana, Murbad, Bhivandi, Bassein, Wada, Shahapur, Dahanu Palghar, Umbergaon, Jawhar and Mokhada talukas.	
6. (a) In Ahmednagar district— Akola, Rahuri and Sangamner talukas. (b) In Kolaba district— Karjat, Khalapur, Pen, Panvel and Sudhagad talukas and Matheran (c) In Nasik district— Igatpuri, Nasik and Sinnar talukas. (d) In Poona district— Ambegaon, Junnar, Khed and Mawal talukas. (e) In Thana district— Thana, Kalyan, Murbad, Bhivandi Bassein, Wada, Shahapur, Palghar, Jawhar and Mokhada talukas."	Thakur or Thakar including Ka Thakur, Ka Thakar, Ma Thakur and Ma Thakar.

[

"१३. नैकड़ा या नायाका, जिसमें चोलिवाला नायाका, कापाड़िया नायाका, मोटा नायाका और नाना नायाका भी शामिल होंगे ।	
१४. परधी जिसमें आदिवीचीनचेर और फंसे परधी भी शामिल होंगे ।	
१५. पटेलिया	
१६. पोमला	
१७. रथवा	
१८. वर्ली	
१९. विटोलिया, कोतवाली या बड़ोदिया	
२. डांग्स जिले में— कुंबी	
३. सूरत जिले में — चौधरी	
४. थाना जिले में — कोली मल्हार	
५. (क) अहमदनगर जिले में — अकोला, राहूरी और संगमनेर तालुके (ख) कोलाबा जिले में — कर्जत, खालापुर, अलीबाग, महाड और सुधागड तालुके (ग) नासिक जिले में— नासिक, निफाड, सिन्नर, चंदौर, बागलान, इगतपुरी, दिंडोरी और कलवन तालुके और सुरगाना और पेंट महल (घ) पूना जिला में— अम्बेगांव, जुन्नर, खेड, मावल और मुल्शी तालुके और वल्हे महल	कोली महादेव या डोंगर कोली

(ङ) थाना जिले में—
थाना, मुरबाड, भिवंडी, बसीन, वाडा, शाहापुर, दाहानु पालघर, उम्बेरगांव, जवाहर और मोखडा तालुके

६. (क) अहमदनगर जिले में—
अकोला, राहूरी और संगमनेर तालुके

(ख) कोलाबा जिले में—
कर्जत, खालापुर, पेन, पनवेल और सुधागढ़ तालुके और मथेरान

(ग) नासिक जिले में—
इगतपुरी, नासिक और सिन्नर तालुके

(घ) पूना जिले में—
अम्बेगांव, जुन्नर, खेड़ और मावल तालुके

(ङ) थाना जिले में—
थाना, कल्यान, मुरबाद, भिवंडी, बसीन, वाडा, शाहापुर, पालघर, जवाहर और मोखड़ा तालुके"

} ठाकुर या ठाकर जिसमें का ठाकुर, का ठाकूर और मा ठाकुर और मा ठाकर

(१३) पृष्ठ ३१ में—
पंक्ति ३० के बाद "Gond Gowari" ["गोंड गोवरी"] रखा जाय ।

(१४) पृष्ठ ३२, पंक्ति १५ में—
"Mouasi Nihal" ["मौसी निहाल"] के स्थान पर "Mouasi. Nihal" ["मौसी, निहाल"] रखा जाय ।

(१५) पृष्ठ ३३, पंक्ति १ में—
"Kudiya" ["कुडिया"] के स्थान में "Kudiya or Melakudi" ["कुडिया या मेलाकुडी"] रखा जाय ।

(१६) पृष्ठ ३३, पंक्ति १७ के बाद निम्नलिखित रखा जाय :
"A. In Malabar and Nilgiri Districts:—Kurumbas" ["२क. मालाबार और नीलगिरी जिलों में. "कुरुम्बास"]

(१७) पृष्ठ ३३ में पंक्ति २९ हटा दी जाय ।

(१८) पृष्ठ ३५, पंक्ति २१ में "Tibetan" ["तिबेतन"] हटा दिया जाय ।

(१९) पृष्ठ ३६, पंक्ति ११ में—
"Mahashwar ["महेश्वर"] से पहले "tehsils of Sendhwa, Berwani, Rajpur, Khargone, Bhikagaon and" ["सेन्धवा, बरवानी, राजपुर, खड़गोन, भीखागांव की तहसीलें और"] शब्द रखे जांय ।

(२०) पृष्ठ ३६ में—
पंक्ति १८ के बाद निम्नलिखित रखा जाय :
"1A. Hakkipikki" ["१क. हाक्की पिक्की"]

(२१) पृष्ठ ३८ में—
पंक्ति २७ से ३० के स्थान में निम्नलिखित रखा जाय ।
"3. Jad, Lamba, Khampa and Bhot or Bodh

4. Kanaura or Kinnara
5. Lahaula
6. Pangwala"

["३. जड़ा, लम्बा, खम्पा और भोट या बोध
४. कनोड़ा या किन्नारा
५. लाहौला
६. पांगवाला"]

(२२) पृष्ट ३९, पंक्ति १७ में—
"Lushai" ["लुशाई"] के स्थान पर "Any Mizo (Lushai) tribes" ["कोई मिज़ो (लुशाई) आदिम जातियां"]

(२३) पृष्ठ ३९ में, पंक्ति ३१ के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाय :
"29. Zou" ["२९. जाउ"]

(२४) पृष्ठ ४०, पंक्ति १७ में—
("except in Agartala") [("अग्रताल के सिवाए")]

(२५) पृष्ट २७ में—
पंक्ति २४ के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाय :

'21. "Sugalis Lambadis
22. Yenadis
23. Yerukulas"

["२१. सुगाली (लम्बाडिया)
२२. यनाड़ी
२३. येरुकुल"]

—[श्री पाटस्कर]

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या अब कोई माननीय सदस्य अपने संशोधन रखना चाहते हैं ?

†**श्रीमती गंगा देवी** (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी–रक्षित अनुसूचित जातियां) : मैं अपने संशोधन संख्या ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८ और ८९ प्रस्तुत करती हूं ।

अध्यक्ष महोदय, अपनी अमेंडमेंट की सपोर्ट में मैं कुछ कहना चाहती हूं। सन १९५० में राष्ट्रपति ने शैड्यूल्ड कास्टस (अनुसूचित जाति) की जो लिस्टें (सूची) बनाई थीं उसमें बहुत सी ऐसी अनुसूचित जातियां तथा उनकी ये उप-जातियां छोड़ दी गई थीं, जिनका कि ज़िक्र उनमें होना चाहिये था। इन लिस्टस को यदि इस भवन के सामने लाया जाता और उस पर वाद-विवाद किया जाता तो हम अपने संशोधन पेश कर सकते थे। और कुछ जातियों को उन लिस्टस् में जोड़ने का आग्रह कर सकते थे । इससे बहुत ज्यादा फायदा होता। इस बीच में इन अनुसूचित जातियों की काफी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हानि हुई। अब कुछ संशोधन किया जा रहा है और इस को ध्यान में रखते हुए इस बिल को इस भवन के सम्मुख उपस्थित किया गया है। इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती गंगा देवी]

बहुत सी जातियां जो सन् १९४१ में शैड्यूल्ड कास्टस (अनुसूचित जाति) की लिस्ट में गिनी गई थीं उनको सन् १९५१ में छोड़ दिया गया। मैं चाहती थी कि उनको इस समय शैड्यूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति) की लिस्ट में हमें शामिल कर लेना चाहिये था। हम को ऐसा भी कहा गया है कि इन जातियों को जो हिन्दुस्तान में काफी संख्या में हैं, हम शैड्यूल कास्टस की लिस्ट में तो नहीं रखेंगे लेकिन उनको बहुत सी सामाजिक तथा शैक्षणिक सुविधायें दी जा सकती हैं और जो सुबिधायें शैड्यूल्ड कास्टस को दी गई हैं वे उनको भी हम दे सकते हैं। इस से हम सहमत नही हो सकते। हम चाहते हैं कि हमको राजनीतिक अधिकार दिएं जाए जिन की हमें सब से ज्यादा आवश्यकता है। इस वास्ते जब तक हमको राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते तब तक हमें इससे कोई फायदा नहीं हो सकता। इस वास्ते जो अमेंडमेंटस (संशोधन) मैंने दी है उनके द्वारा मैंने चाहा है कि जो जातियां छूट गई हैं उनको भी इन लिस्टस् (सूचियों) में शामिल कर लिया जाए। कई जातियों को सन् १९३१ में लिस्टस में नहीं लिया गया उसके बाद सन् १९४१ में भी उनको छोड़ दिया गया और उसके बाद फिर १९५१ में उनको लिस्टस् में शामिल नहीं किया गया। इससे शैड्यूल्ड कास्टस (अनुसूचित जाति) की जो जनसंख्या है वह बहुत कम हो गई है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में १९३१ की मत-गणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या १,२८,००,००० थी। उस के बाद १९४१ में वह घट कर १,१९,००,००० हो गई और १९५१ में वह १,१४,००,००० हो गई। इस प्रकार से लगातार यह संख्या घटती चली गई। हमारी समझ में नहीं आता कि इन नीची कही जाने वाली जातियों की पापुलेशन (जन संख्या) किस प्रकार घटती जा रही है, जब कि जन-गणना अधिकारियों नें इस बात को माना है कि जितनी भी छोटी जातियां होती हैं, उनकी पापुलेशन (जन संख्या) दूसरों की अपेक्षा हर साल ज्यादा बढ़ जाती है। इस कमी होने के कारण हमको तो यह मालूम होता है कि जन-गणना लिए जाने के तरीके बहुत गलत होते हैं और उनको देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि जन-गणना ठीक तरह से ली गई है। यह तथ्य है कि सरकारी पटवारी और सरकारी मास्टर जन-गणना के लिये हरिजन बस्तियों में जाना पसन्द नहीं करते। वे देहात में मुखिया के घर जा कर पूछ ताछ कर लेते हैं और उस के अनुसार ही संख्या दर्ज कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग कभी को संतुष्ट या सहमत नहीं हो सकते हैं। जो जन-गणना इस तरह से ली जाती है, वह कभी भी सही नहीं हो सकती है। इस लिये इस बात की बहुत अवश्यकता है कि अनुसूचित जातियों की जन-गणना करने के लिए कोई दूसरा तरीका निकाला जाय, जिस से उन लोगों की संख्या सही ढंग से पता लग सके। यह देखते हुए कि इस गरीब और बहुत ही पिछड़े हुए वर्ग के स्तर को हम ऊंचा उठाना चाहते हैं, हम जातिवाद को मिटाना चाहते हैं और उन लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार देना हमने अपने संविधान में स्वीकार किया है, सरकार का यह कर्तव्य है कि उन लोगों की जन-गणना लेने का एक बहुत सही तरीका अख्तियार किया जाय। यह नहीं होना चाहिये कि जैसे जिस ने लिख दिया, उस को मान लिया गया। सरकार इन लोगों के लिये जो कुछ कर रही है, उसको हम भूल नहीं सकते, लेकिन जो मशीनरी काम करती है, उसका काम इतना संतोषजनक नहीं होता कि हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर ऊंचा उठ सके। इस कारण हम लोगों की जो हानि हुई है, उस को हम बखान नहीं सकते। इस बिल (विधेयक) के ज़रिये पार्लियामेंट (संसद) और विधान सभाओं में हमारी सीटों को बढ़ाया जा रहा है। १९५१ के जेनरल इलैक्शन (सामान्य चुनाव) में जितनी सीटें हम को मिलनी चाहिए थीं, वे नहीं मिलीं। वे सीटें हम को जिस जन-गणना के आधार पर दी गई थीं, वह सही तरीके से नहीं हुई थी।

हम चाहते हैं कि इन संशोधनों को मन्जूर कर लिया जाय और हम लोगों को पूरे राजनीतिक अधिकार उपलब्ध किए जायें। तभी हम समझ सकते हैं कि हमारे साथ—अनुसूचित जातियों के साथ—न्याय हो रहा है। इन शब्दों के साथ जितने भी संशोधन आए हैं, मैं उनका समर्थन करती हूं।

†**सरदार अ० सि० सहगल** (बिलासपुर): मैं अपने संशोधन संख्या १८, १९, १०२, २०४, २८५, २८६ और २८७ प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभापति जी, जो शिड्यूल (अनुसूची) दिया हुआ है, उस में यदि आप मध्य प्रदेश के बारे में देखेंगे, तो आप को मालूम होगा कि उस में पनका, धोबी, माला और गांडा लोगों को सम्मिलित नहीं किया गया है। इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मिस्टर आर० वी० रसेल ने अपनी किताब "दी ट्राइब्ज एंड कास्ट्स आफ दी सैंट्रल प्राविंसिज़ आफ इंडिया, वाल्यूम ३" में गांडों के बारे में कहा है कि इस क्षेत्र के बंगाल को हस्तांतरित करने के पश्चात् केवल लगभग १५०,००० गांडा लोग मध्य प्रांत, रायपुर बिलासपुर और रायगढ़ में रह गये हैं। उन्हें अपवित्र जाति समझा जाता है और व्यवहार्यतः वे मेहर और चमारों के समान हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

जो १,५०,००० गोंड थे, उनको इस में शामिल नहीं किया गया था। खैर, माननीय मंत्री जी जो दूसरी एमेंडमेंट (संशोधन) लाए हैं, उसके द्वारा उन्होंने इन को सम्मिलित कर लिया है।

उसी तरह से यदि आप पनका के बारे में मिस्टर आर० वी० रसेल की किताब "दी ट्राइब्ज़ एंड कास्ट्स आफ दि सैंट्रल प्राविंसिज़ आफ इंडिया, वाल्यूम ४" में देखें तो आप को मालूम होगा कि इस वक्त पनकों की संख्या क्या है। आप की आज्ञा से मैं १९५१ की सैन्सस रिपोर्ट (जन गणना प्रतिवेदन) आप के सामने रखना चाहता हूं।

१९५१ की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश की अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या २८,९८,९६८ है। १९२१ में मध्य प्रदेश की जनसंख्या का १९ प्रतिशत थी। १९५१ में यह १३.६ प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में यह कमी खेदजनक है। यदि उन जातियों को जिनका उल्लेख मैंने पहले किया है सूची में सम्मिलित कर लिया जाये तो अनुसूचित जातियों में ७,५०,००० की वृद्धि होगी।

जनसंख्या की इस कमी के कारण अब वे कम से कम एक संसद् सदस्य भेजने से रह जायेंगे। अतः इस प्रश्न पर विचार करके इन जातियों को सम्मिलित कर लेना चाहिये। इसी प्रकार आर० वी० रसेल की पुस्तक के अनुसार धोबियों की जनसंख्या में १,८८,००० की वृद्धि हुई है। मालों की जनसंख्या बढ़ी है।

अनुसूची ३ में "बिलासपुर और बिलासपुर जिला की कठघोड़ा तहसील" सम्मिलित की गई है, परन्तु माननीय मंत्री ने अपने संशोधन में भी मुंगाली तहसील को भुला दिया है। मेरा निवेदन है कि इस तहसील को भी जोड़ देना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : मैं अपने संशोधन संख्या १६९ और १७० प्रस्तुत करता हूं।

अनुसूची में यह १९ 'मादिगा' है। उनमें से कुछ क्योंकि वैष्णव हैं अतः उन्हें 'मादिगा दासू' भी कहा जाता है। इसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं।

एक और मशतून है। यह हरिजन जाति है। मुझे ज्ञात हुआ है कि सरकार इन संशोधनों को स्वीकार कर रही है। अतः मैं अधिक नहीं कहना चाहता।

†**श्री राने** (भुसावल): मैं अपने संशोधन संख्या ३७५ और ३७६ प्रस्तुत करता हूं। मेरे संशोधन का प्रयोजन यह है कि बंजारों को अनुसूचित आदिम जातियों में सम्मिलित किया जाय। वस्तुतः बंजारे आदिवासी हैं और वे प्रायः जंगलों में रहते हैं। आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त बिहार में इस विधेयक के अधीन बंजारों को अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में रखा गया है। पृष्ठ २९ की पंक्ति ३० में आप देख सकते हैं। पृष्ठ ३३, पंक्ति २७ में उन्हें अनुसूचित जातियों में भी सम्मिलित किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राने]

मेरा निवेदन है कि मेरे संशोधन ३७५ अथवा ३७६ को स्वीकार किया जाय। संख्या ३७५ सारे बम्बई राज्य के लिये सामान्य संशोधन है। संशोधन संख्या ३७६ का सबंध केवल मेरे ज़िलें से है।

†**डा० सत्यवादी** : मैं अपने संशोधन संख्या १२४, १२५, १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२, १३३, १३४ १३५, १३६, १३७, १३८, १३९, १४०, १४१, १४२, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६, १५७, १५८, १५९, १६०, १६१, ३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३३८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७, ३४८ और ३४९ प्रस्तुत करता हूं।

आज सुबह मैंने एक दूसरी लिस्ट (सूची) दी है। यह दो सेट हैं। इनको कंसालीडेट (समन्वय) करके सर्कुलेट (परिचालित) कर दिया जायेगा। मेरे तीन किस्म के अमेंडमेंट (संशोधन) हैं। दो तो बहुत छोटे किस्म के हैं। मेरे अमेंडमेंट (संशोधन) नम्बर १४०, १४६, १५० और १५४ तो धानुक कम्युनिटी से सम्बन्ध रखते हैं। इनको कहीं धानुक कहा जाता है, कहीं धानक कहा जाता है और कहीं धनकिया कहा जाता है। इनके ये दो तीन नाम हैं। इन सबको धानुक ही समझा जाये। मेरे अमेंडमेंट (संशोधन) नम्बर १३३ और १४४ तुरी कम्युनिटी के बारे में हैं। यह पंजाब और पेप्सू से सम्बन्ध रखते हैं। ये बिरादरी हिमाचल प्रदेश में और पंजाब के पहाड़ी इलाके में है जिसमें शिमला भी आ जाता है। बम्बई, बिहार, सौराष्ट्र, उड़ीसा, वैस्ट (पश्चिम) बंगाल और हिमाचल प्रदेश में इस तुरी जाति को शिड्यूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति) में माना है। सिर्फ पेप्सू में जो पिछले दिनों लिस्टें (सूचियां) बनी थीं उनमें इस बिरादरी को शिड्यूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति) नहीं लिखा गया है। ऐसा होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश का एक हिस्सा जो पहले पंजाब में शामिल था, उस तमाम इलाके में तुरी आबाद थे और उनमें आपस में रिश्तेदारियां है लेकिन चूंकि शिमले में तुरी शेडयूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति) में नहीं सुमार किये जात तो उस इलाके में छोटी सी नदी के इस किनारे एक तुरी शेडयूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति) रहता है जब कि उसका सगा भाई जो उस छोटी सी नदी के उस पार रहता है वह शेडयूल्ड कास्ट नहीं है। इस के बारे में मैंने पहले भी स्टेट गवर्नमेंट (राज्य सरकार) को लिखा था लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि वे हमारी बात को नहीं मान सके।

लकिन अब तो सारा पंजाब और पैप्सू इकट्ठा हो गया है और शायद कुछ अर्से बाद हिमाचल प्रदेश भी इस यूनिट (इकाई) में आ जायगा। तुरी को शेडयूल कास्ट बनाने के मुताल्लिक मेरी दो तरमीमें (संशोधन) हैं।

मेरी ज्यादातर तरमीमें स्वीपर्स कम्युनिटी के मुताल्लिक हैं। यह एक ऐसी कम्युनिटी है जो हर इलाके में मुख्तलिफ नामों से पुकारी जाती है। मुख्तलिफ जमानों में लोगों ने जैसा चाहा इनका नाम डाल दिया। पंजाब में जहां तक उस बिरादरी का सम्बन्ध है, उसके दो, तीन खास सैक्शन हैं। वह पंजाब, यू० पी०, दिल्ली और राजस्थान वगैरह में आम तौर पर पाई जाती है और आसाम में और बंगाल में भी है और वह खास सैक्शन है। बाल्मीकी, लालबेगी, बालाशाही और झालोमालो कुछ इस किस्म के उस बिरादरी के नाम हैं। यह उस बिरादरी के अपने सैक्शन और हिस्से हैं और उनको मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। यह तमाम उस स्वीपर कम्युनिटी (भंगी समुदाय) के सैक्शन हैं और यह मुख्तलिफ जगहों पर शेडयूल्ड कास्ट में अलग अलग शामिल हैं। मिसाल की तौर पर मैं आपको बतलाऊं कि लालबेड़ी कई जगहों पर शेड्यूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति) हैं, बाल्मीकी शेड्यूल्ड कास्ट हैं और पंजाब और राजस्थान में बालाशाही का नाम इनको दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि लोगों ने मख्तलिफ जगहों पर इस स्वीपर्स कम्युनिटी को मुख्तलिफ नाम दे डाले हैं क्योंकि स्वीपर्स का काम ऐसा गंदा और गलीज है कि जो लोग उस काम को करते हों, उनकी तबियतों पर उसका असर न हो, इस वास्ते

---

†मूल अंग्रेजी में

लोगों ने उनको कुछ अच्छे नाम दे दिये हैं, जैसे मेहतर और हलालखोर ताकि उस अच्छे नाम का नशा उन पर कायम रहे और वह उस गंदे काम को करते रहें। काम तो उनका गंदा है लेकिन नाम उनको अच्छा दे दिया जाता है जैसे कि महात्मा गांधी ने उनको "हरिजन" नाम दिया था। अब कुछ लोग स्वीपर्स को हलालखोर कहते हैं लेकिन मैं तो सबको ही हलालखोर कहता हूं और मैं समझता हूं कि कोई भी इसके वास्ते तैयार न होगा कि उन स्वीपर्स को छोड़ कर बाकी लोगों को हम जो हलालखोर का उलटा होता है, वह उनको कहें। कहीं पर उनको भंगी कहा जाता है, कहीं पर चूढ़ा कहा जाता है और कहीं पर जमादार और मेहतर के नाम से स्वीपर्स को पुकारा जाता है। मेरी स्वीपर्स कम्युनिटी के मुताल्लिक जो तरमीम (संशोधन) है उसमें एक तो यह है कि मिसाल के तौर पर हमारे पंजाब में लालबेगी को अलहदा कर दिया है, बाल्मीकी को अलहदा कर दिया है और मजहबी को अलहदा कर दिया हैं, इस कानून ने एक अच्छी बात की है कि हमारे हिन्दू और सिखों में जो तफरीक पदा हो गई थी वह भी दूर हो गई है। मैं अभी अपने भाई श्री जांगड़े की तरमीम पर बोलते हुए बतला रहा था कि पैप्सू में ११६ मजहबी लिखे हुए हैं और पंजाब म सिर्फ ९४४ मजहबी (धर्मी) सरकारी आंकड़ों में दिये हुए हैं और जब हम मर्दुमशुमारी के कागज़ों पर देखते हैं तो हिन्दू चूढ़ों और सिक्ख चूढ़ों के नाम अलग अलग सरकारी कागजात पर लिख हुए मिले जब कि सन् १९२१ में ४७ हज़ार सिक्ख चूढ़े के नाम से दर्ज हुए। अब वहां पर मैं समझता हूं कि २ लाख के करीब मजहबी कम्युनिटी के आदमी मौजूद हैं और उनको उस हिसाब से ऐडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) में हिस्सा मिलना चाहिये तो हमारे सामने सरकारी रिपोर्ट का हवाला देकर कह दिया जाता ह कि तुम्हारी तादाद तो केवल ११६ लिखी हुई है और वह ४७ हजार जो सिक्ख चूढ़े लिखे हुए हैं वे अलहदा हो जाते हैं। नतीजा यह हुआ है कि मुख्तलिफ सैक्शनों को अलग अलग दर्ज करने से उनकी तादाद बंट गई है और वे अब किसी एक जगह भी अपने लिये कोई मांग नहीं कर सकते तो बाल्मीकी बिरादरी के मुताल्लिक यह तरमीम है कि कहीं पर उनको बाल्मीकी कहा जाता है, कहीं पर भंगी, कहीं पर लालबेगी, कहीं पर बालाशाही, कहीं पर मेहतर, कहीं पर झालामालू, इस तरह के नाम हैं। कहीं पर उनको चांडाल कहा जाता है तो कहीं पर चूंकि वे फांसी देने का काम करते हैं इसलिए इनको जल्लाद का नाम दे दिया गया है। मेरी तमाम तरमीमों में यह नाम अलहदा अलहदा दिये गये हैं और मेरा कहना यह है कि यह तमाम के तमाम स्वीपर्स कम्युनिटी के ताल्लुक रखते हैं और इनके मुताल्लिक यह शुबहा नहीं हो सकता कि किसी खास सूबे में वे शेड्यूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति) नहीं हैं, अछूत नहीं हैं और उनसे छुआछत और भेदभाव नहीं बर्ता जाता।

बाल्मीकी शब्द के मुताल्लिक मेरे भाई श्री बी० एस० मूर्त्ति ने कहा था कि उनके यहां उनसे भेदभाव नहीं बर्ता जाता और उनसे छुआछूत नहीं की जाती। हो सकता है कि वहां पर ऐसा हो और मुझे मालूम है कि कई इलाके ऐसे हैं कि जहां बाल्मीकि ब्राह्मण भी मिलते हैं और हमें उसमें कोई झगड़ा करने की बात नहीं है.....

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** इस विधेयक का पृष्ठ २७।

डा० सत्यवादी : मैं यह अर्ज कर रहा था कि अगर आपके यहां बाल्मीकी कोई ऐसा तबका है जो शेड्यूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति) में नहीं आता और उससे आप छुआछूत नहीं करते लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में स्वीपर्स कम्युनिटी के लोग पंजाब, यू० पी० और राजस्थान से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गये हैं, मिसाल की तौर पर मैं आपको बतलाऊं कि लाखों बाल्मीकी पंजाब और राजस्थान से बंगाल और आसाम में गये हुये हैं और मझे मालूम ह कि वहां के हमारे लोगों ने शिकायतें की हैं कि हम बाल्मीकियों को यहां अछूत होने के नाते जो रियायतें मिलनी चाहिये थीं, वह हमें हासिल नहीं हैं। मैं अभी बंगलौर में पिछड़े दिनों गया था तो उधर जो हमारे बाल्मीकी भाई गये हुये हैं वे मुझसे मिले और उन्होंने बतलाया कि

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सत्यवादी]

उनको अछूत होने के नाते जो रियायतें मिलनी चाहिये थीं, वे उनको सुलभ नहीं हैं। यह लैंड रिफार्म (भूमि सुधार) का जो किस्सा चला है और उसकी वजह से जो देहात में जमींदार और किसानों और मजदूरों के दरमियान झगड़ा पैदा हो गया है, उसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद हरिजनों की देहात से निकल कर शहरों में आ रही है और जो स्वीपर्स हैं वे बाहर जाकर भी स्वीपर्स का ही काम करते हैं, तो मैं अपनी तमाम तरमीमों (संशोधनों) पर अलहदा अलहदा तफसील में बातें न करते हुए खुलासे के तौर पर यह अर्ज कर रहा हूं जहां तक स्वीपर्स कम्युनिटी का ताल्लुक है यह जहां जहां जिस नाम से भी पुकारी जाती है जैसे कि लालबेगी, जमादार, हलालखोर आदि, उन्हीं स्वीपर्स लोगों को मुख्तलिफ हालात में और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नामों से पुकारते रहते हैं, हालांकि वे सब के सब एक लोग हैं। मेरे कहने की मंशा यह है कि उनके मुख्तलिफ सूबों में चाहे कुछ भी नाम क्यों न हो लेकिन जो कि तमाम स्वीपर्स कम्युनिटी के हैं और स्वीपर का काम करते हैं, उन तमाम ग्रुप्स (वर्गों) को एक जाति में, एक बिरादरी में शामिल करके उनको शेड्यूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति) में गिना जाय, यह मेरी इन तमाम तरमीमों (संशोधनों) की मंशा है।

†**श्री गाडिलिंगन गौड** (कुरनूल) : मैं अपने संशोधन संख्या ९०, ९८ और २८२ प्रस्तुत करता हूं।

मेरे संशोधन संख्या ९० के सम्बन्ध में सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वह लिंगधारी माडिगा, लिंगधारी कुमारी, लिंगधारी मांगली और लिंगधारी चाकली को अनुसूचित आदिम जातियों में सम्मिलित करने पर विचार करे।

मेरा संशोधन संख्या ९८ आदिम जातियों के सम्बन्ध में है। विधेयक के पृष्ठ २७ से आपको मालूम होगा कि अभिकरण क्षेत्रों के "बाल्मिकी" अनुसूची ३ में शामिल किये गये हैं जब कि आंध्र के रायल सीमा के "बाल्मीकी" अपवर्जित किये गये हैं। रायल सीमा के "बाल्मिकी" अभिकरण क्षेत्र के "बाल्मिकी" से बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं। अतः मेरा यह निवेदन है कि बोया, मांगली, कोराछी, सुगाली आदि अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में सम्मिलित किये जाने चाहियें।

अन्य राज्यों के ठंडा और सुगाली लोग अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में सम्मिलित किये गये हैं जब कि आंध्र में उन्हें अपवर्जित किया गया है। वे बहुत पिछड़े लोग हैं। और उनकी संख्या भी बहुत अधिक नहीं है। अतः मेरा यह निवेदन है कि आंध्र के ये लोग भी अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में सम्मिलित किये जाने चाहियें।

तत्पश्चात् श्री रामदास ने अपने संशोधन संख्या ७, ८, १० और २७९ सभा के समक्ष प्रस्तुत किये।

†**श्री रामदास** (होशियारपुर—रक्षित अनुसूचित जाति) : मैं अपने संशोधन संख्या ७, ८ १० और २७९ प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन संख्या ७ के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि घई लोग गाय बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं और वे बहुत पिछड़े हुए लोग हैं और इसलिये वे सूची में शामिल किये जा सकते हैं।

संशोधन संख्या ८ में, मैंने उन कुछ जातियों को शामिल करने के लिये कहा है जो पहाड़ों में रहती हैं और बहुत पिछड़ी हुई हैं।

मेरा संशोधन संख्या १० दोसाली, पुंबा, हादी, धोबी, सोई और जोगी लोगों के सम्मिलित करने के लिये है। धोबियों की एक जाति अस्पृश्य नहीं हैं किन्तु कुछ धोबी ऐसे हैं जो अस्पृश्य हैं। उनकी संख्या बहुत ही थोड़ी है और इस कारण उन्हें अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने की ओर सरकार का ध्यान नहीं दिलाया जा सका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में कबीर पंथियों को पहले ही अनुसूचित जाति मान लिया गया है। दिल्ली में भी उनकी वही स्थिति है। कुछ जगहों पर उन्हें जुलाहा कहा जाता है। मेरी प्रार्थना है कि वे पेप्सू में भी अनुसूचित जातियों में शामिल किये जायें।

†**श्री अमजद अली** (ग्वालपाड़ा—गारो पहाड़ियां) : मेरा संशोधन संख्या २४ इसलिये है कि आसाम की गारो पहाड़ियों में रहने वाली गारो आदिम जाति अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में सम्मिलित की जाये। मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले गारो लोग मैदान की अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में शामिल किये गये हैं। गारो पहाड़ियां आसाम के छः स्वायत्तशासी जिलों में से एक है और वही गारो लोगों का मूल घर है, फिर भी वे बहुत अधिक संख्या में बाहर रहते हैं और सारे आसाम में फैले हुए हैं। यद्यपि गारो लोग अधिकांशतया ग्वालपाड़ा और कामरूप जिलों में रहते हैं, फिर भी वे सारे आसाम में बिखरे हुए हैं। उनके रीति रिवाज मैदानी गारो लोगों की तरह ही हैं किन्तु केवल इस कारण कि वे आसाम में अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें वह लाभ नहीं मिलता जो अन्य गारो लोगों को मिलता है। पश्चिम बंगाल की अनुसूचित जातियों की सूची में भी वे शामिल किये गये हैं। इस नियोग्यता के कारण उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आशा है मंत्री महोदय मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे।

†**श्री रिशांग किशिंग** (बाह्य मनीपुर—रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां): मैं अपने संशोधन संख्या १७१, १७२ और १७३ प्रस्तुत करता हूं।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पिछड़े वर्ग आयोग ने अन्त में लोई जाति को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल कर लिया है किन्तु उसने इस जाति के साथ एक अन्याय किया है जिसकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किया गया है। सभी जानते हैं कि मनीपुर में अस्पृश्यों का कोई वर्ग नहीं है। लोई लोग आदिवासी हैं और यदि वे देश के किसी दूसरे भाग में रहते होते तो उन्हें आदिवासी ही समझा जाता।

जब माननीय गृह मंत्री मनीपुर आये थे तो इन लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं उन्हें लिखूं और मैंने लिखा भी था कि उस क्षेत्र में अस्पृश्यों की कोई जाति नहीं है। माननीय मंत्री ने कहा था कि जब तक वे अस्पृश्य न हों उन्हें अनुसूचित जातियां नहीं समझा जा सकता। अतः मैं यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि उन्हें अनुसूची २ के पृष्ठ २४ की पंक्ति ३७ से निकाल दिया जाये।

मेरा एक और संशोधन है कि आसाम की पेइट आदिम जाति को अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में रखा जाये।

मनीपुर में नागा और कुकियों की उप-आदिम जातियों का उल्लेख स्वतन्त्र आदिम जातियों के रूप में किया गया है। मेरा निवेदन है कि इन सब उप-आदिम जातियों को नागा अथवा कुकी आदिम जाति के रूप में रखा जाये।

श्री भक्त दर्शन (जिला गढ़वाल-पूर्व व जिला मुरादाबाद-उत्तर-पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के शेड्यूल (अनुसूची) १ में मेरे तीन संशोधन हैं, जिनके नम्बर हैं, १६३ १६४ और १६५ और शैड्यूल ३ में मेरा एक संशोधन नम्बर १६७ है, जिनको मैं प्रस्तुत करता हूं।

उपर्युक्त संशोधनों में मेरे साथ तीन और माननीय सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किये हैं जिनके नाम हैं, श्रीराम शरण, श्री बीरबल सिंह और श्रीमती कमलेन्दुमति शाह। मेरे संशोधनों का असली मंतव्य यह है कि जब कि देश के अन्य प्रान्तों में सब जगह जन-जातियों को माना गया

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भक्त दर्शन]

है, केवल उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रान्त है जहां कि एक भी व्यक्ति शैड्यूल्ड ट्राइब्स (अनुसूचित आदिम जातियों) की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया गया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सन् १९४१ की जनगणना में लगभग तीन लाख व्यक्ति शैड्यूल्ड ट्राइब्स की श्रेणी में सम्मिलित किये गये थे लेकिन १९५० में राष्ट्रपति जी का जो आदेश था उसके अनुसार यू० पी० के अन्दर शैड्यूल्ड ट्राइब्स को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया था। अब जो यह संशोधित विधेयक यहां पर उपस्थित किया गया है, उसमें भी उनको सम्मिलित नहीं किया गया है। बैकवर्ड क्लासिस कमिशन (पिछड़ी जाति आयोग) ने जिसके सभापति हमारे देश के इतने बड़े समाज सुधारक हैं, तथा जो बहुत अनुभवी तथा बुद्धिमान व्यक्ति हैं बहुत सोच विचार के बाद उत्तर प्रदेश की १३ जातियों के बारे में सर्वसम्मत सिफारिश की है कि उनको शैड्यूल्ड ट्राइब्स (अनुसूचित आदिम जातियों) में यानी जन-जातियों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाय, लेकिन फिर भी चूंकि यू० पी० की सरकार ने शायद इसका विरोध किया है, इसलिए हमारी केन्द्रीय सरकार का गृह मंत्रालय इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। इस सम्बन्ध में मैं दो एक उदाहरण आपके सम्मुख पेश करना चाहता हूं। हमारे यू० पी० के मिर्जापुर जिले में गौंड जाति के लोग रहते हैं लेकिन उनको शैड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल नहीं किया गया है। इनको सन् १९५० के आदेश के अनुसार शैड्यूल्ड कास्टस् में रखा गया था। उनका एतराज यह है कि हमें क्यों शैड्यूल्ड कास्टस् में रखा जा रहा है। जब कि हम शड्यूल्ड कास्ट नहीं है। हमें शैड्युल्ड ट्राइब्स में रखा जाये। उनका अपना एक इतिहास है। वे अपने आपको राजपूत जाति का मानते हैं। आप जानते ही हैं कि गोंडवाना नाम का बड़ा राज्य भारतवर्ष में था। अतः उनको, मैं समझता हूं, शैडयूल्ड कास्टस् में रखना उनके प्रति एक अन्याय करना है। विन्ध्य प्रदेश में गोंड लोगों को शैड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल किया गया है। अब आप देखिये कि एक बराबर वाले प्रान्त में एक जाति के लोगों को तो शैड्यूल्ड ट्राइब्स में रखा जाता है परन्तु उसी के साथ लगने वाले दूसरे प्रांत में उनको शैड्यूल्ड कास्ट माना जाता है। इस तरह का भेद क्यों किया जाता है, यह मेरी समझ में नहीं आया।

इसी तरह से हमारे यू० पी० में अल्मोड़ा, गढ़वाल और टिहरी-गढ़वाल यह तीन पर्वतीय जिले हैं और भोटिया जाति के जो लोग यहां रहते हैं उनके रीति-रिवाज वेष-भूषा इत्यादि सभी दूसरे लोगों से भिन्न हैं। हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में तथा दार्जिलिंग में इनको शैड्यूल्ड ट्राइब्स की श्रेणी में रखा गया है परन्तु यू० पी० ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर उनको इस श्रेणी में न रखकर, सब सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। यह उनके प्रति बड़ा अन्याय है। मैं जानना चाहूंगा कि वे कौन से विशेष कारण हैं जिनको दृष्टि में रखते हुए इनको सब सुविधाओं से वंचित किया गया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि गड़वाल जिले की नीति घाटी के जो भोटिया लोग हैं उनमें से कुछ ने बी० ए० पास कर लिया है। चूंकि वहां पर शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं इस वास्ते उन्होंने देश में पढ़ाई आरम्भ की और अब वे नौकरी तलाश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि उनकी उम्र चार या पांच साल अधिक हो गई है, इसलिए उनको नौकरी में नहीं लिया जा रहा है। यदि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल कर लिया जाय तो उनको बड़ी आसानी से नौकरी मिल सकती है और वे अपने तथा अपने घर वालों के पेट भर सकते हैं तथा अपने इलाके का विकास भी कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं और अधिक न कहते हुए केवल इस सदन का ध्यान कमिशन की रिपोर्ट के पृष्ठ १५५ के पैरा ८ की ओर दिलाना चाहता हूं। कमिशन (आयोग) ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की अपने राज्य की आदिम जातियों के सम्बन्ध में नीति कुछ असामान्य है। वे किसी जाति को आदिम जाति के रूप में अनुसूचित नहीं करना चाहते और कहते हैं कि इस से और समस्याएं पैदा होंगी।.....हमारी दृष्टि में यह नीति न्यायोचित नहीं है।

आयोग ने यह भी कहा है कि पड़ोस के राज्यों से भिन्न नीति का अनुसरण उत्तर प्रदेश के लिये उचित नहीं है। हम सिफारिश करते हैं कि उन्हें अनुसूचित आदिम जातियों में रखा जाये।

मैं समझता हूं कि कमीशन ने बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद सिफारिश की है और भारत सरकार को उसे टालना नहीं चाहिये । मैंने जो संशोधन रखे हैं, उन पर मेरे प्रान्त के अन्य सदस्यों ने भी हस्ताक्षर किये हैं । अतः मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री महोदय और भारत सरकार उन पर ध्यान देंगे और उनको स्वीकार करेंगे ।

†**श्री बु० रा० वर्मा** (जिला हरदोई-उत्तर-पश्चिम व जिला फरुखाबाद-पूर्व व जिला शाहजहांपुर-दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं अपने संशोधन संख्या २९१, २९२, २९३, २९४ २९५, २९६, २९७, २९८, २९९, ३००, ३०१, ३०२ और ३०३ प्रस्तुत करता हूं ।

इस संबंध में मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हरिजनों में धोबी जाति बहुत ही पिछड़ी हुई है । कई सूबों में तो यह जाति मेहतर और भंगी वगैरह से भी ज्यादा गिरी हुई है । इस के बाबजूद हम देखते हैं कि आन्ध्र, बंबई, मैसूर, पंजाब, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, पेप्सू, राजस्थान और विन्ध्य प्रदेश में उन को शिडयूल्ड कास्टस में नहीं रखा गया है । जहां तक राजस्थान का सवाल है, वहां इन लोगों की हालत बहुत गिरी हुई है । इन की आर्थिक दशा बहुत खराब है और शिक्षा में तो वे "निल" हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आदि-काल से ले कर आज तक भंगी, धोबी और धानुक ये तीन जातियां इतनी गिरी हुई समझी जाती हैं कि उन का छुआ हुआ पान भी नहीं खाया जाता है । जैसा कि हमारे भाई कहते है, हो सकता है कि मैसूर में धोबी अनटचेबल न हों, लेकिन दूसरे सूबों में तो उन की हालत बहुत गिरीहुई है । जहां तक विन्ध्य प्रदेश, मध्य भारत और मध्य प्रदेश का सवाल है, वहां पर बैकवर्ड क्लासिज़ कमीशन (पिछड़ी जाति आयोग) ने भी धोबियों को शिडयूल्ड कास्टस् में रखने की सिफारिश की है, लेकिन इस बिल में उन सूबों में भी धोबियों को शिडयूल्ड कास्टस् में नहीं रखा गया है । हिमाचल प्रदेश में धोबियों को शिडयूल्ड कास्टस में रखा गया है, लेकिन पंजाब और पेप्सू में जहां उन की हालत हिमाचल प्रदेश के धोबियों से अच्छी नहीं है, उन को शिडयूल्ड कास्टस की लिस्ट में नहीं रखा गया है ।

मध्य भारत और मध्य प्रदेश में भी धोबियों की हालत अत्यन्त शोचनीय है । शिक्षा में भी "निल" हैं । उन के बच्चे गरीबी के कारण पढ़ नहीं सकते हैं और सरकार द्वारा उन को कोई सहूलियत नहीं मिलती है । अगर इन प्रदेशों में इन को शिडयूल्ड कास्टस् में शामिल कर लिया जाय, तो इन की दशा कुछ सुधर सकती है । अगर ऐसा नहीं किया गया, तो एक दिन वह आने वाला है कि जब इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जायेगी और समाज में वे सब से नीचे हो जायेंगे ।

†**श्री ब० द० पांडे** (अलमोड़ा-जिला—उत्तर-पूर्व) : मेरा एक छोटा सा संशोधन है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जिस किसी को भी बोलने के लिये कहा जा रहा है उसका संशोधन है ।

†**श्री गणपति राम** : मैं अपने संशोधन संख्या १०१, १०४, १०५, १०८, १०९, ३१६, ३२७, ३२८ और २३२ प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं आप का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी जातियां हैं, जो कि चमारों की सब-कास्टस् कही जाती हैं, जैसे रैदास, रविदास, चर्मकार, जैसवार, कुरील और जाटव । ये जातियां चमारों में आती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जब कभी इन जातियों के पढ़ने वाले विद्यार्थी स्कालरशिप का फार्म भरते है और अपनी जाति चर्मकार, जैसवार या कुरील लिखते हैं, तो उन को स्कालरशिप नहीं मिलता है । उन का फार्म वापिस कर दिया जाता है और उन को वैरिफिकेशन (सत्यापन) वगैरह करानी पड़ ी है और बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है । मेरी यह साधारण सी अपील है कि उत्तर प्रदेश में शिड्यूल्ड कास्टस् में जहां चमार, धसिया, झूसिया और जाटव को रखा गया है, उन्हीं के साथ कुरील, रैदास, रविदास, चमकार और जैसवार को भी जोड़ दिया जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गणपति राम]

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि कमिशन ने जिन आठ जातियों को शिडयूल्ड कास्टस् में शामिल करने का सुझाव दिया था, उन में से सरकार ने बलाई, खटिक, कोरी, मुसहर और तारपाली को शामिल कर लिया है, लेकिन एक जाति वियार को छोड़ दिया गया है, हालांकि उस की दशा मुसहर से भी खराब है। वे लोग फावड़ा चला कर और लकड़ी बेच कर रोज़ी कमाते हैं और पत्तों के झोपड़ें बना कर रहते हैं। मेरे ख्याल में उन लोगों में एक लाख में से एक भी शिक्षित न होगा। वे लोग मिरज़ापुर और बनारस की पूर्वी तहसील में रहते हैं। मेरा अनुरोध है कि जैसे मुसहर को लिस्ट में रखा गया है, उसी तरह वियार को भी रख कर और उन को शैक्षिक, आर्थिक और औद्योगिक सहायता दे कर उन का उत्थान किया जाय।

मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि कमिशन (आयोग) की रिकमेंडशन (सिफारिश) के अनुसार भूइया, बोरा, चेरू, गोडर, धुरिया नायक, ओझा, खखार, कोल, कोरवा और बनमानुष जातियों को शामिल कर लिया गया है, लेकिन थारू, गोड़, गोडिया, भोड़, धीमर, दुतिया, सोरहिया और रवानी जातियों को शामिल नहीं किया गया है, हालांकि उन की शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दशा उतनी ही दयनीय है, जितनी कि अन्य जातियों की है। अगर सरकार इन को भी लिस्ट में शामिल कर ले, तो उन का भी उत्थान हो सकता है।

मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि १९३१ में हरिजनों की आबादी १,२८,५०,००० थी, लेकिन १९४१ में वह १,१९,००,००० रह गई और १९५१ में वह घट कर १,१४,५०,००० रह गई, जब कि उत्तर प्रदेश में हिन्दुओं की आबादी १९३१ में ३,६७,००,००० थी, १९४१ में बढ़कर ४,४६,००,००० हो गई और १९५१ में और भी बढ़ कर ५,१७,००,००० हो गई। दूसरे शब्दों में १९३१ से १९४१ तक शिडयूल्ड कास्टस की आबादी ७.२८ परसेंट घट गई और १९४१ से १९५१ तक ३.७८ घट गई। १९३१ से १९५१ के बीच उन की आबादी १०.८ परसेंट घट गई है। इस के मुकाबले में और जातियों की आबादी १९३१ से १९४२ तक ३३.६८ परसेंट (प्रतिशत) बढ़ी, १९४१ से १९५१ तक १३.७४ परसेंट बढ़ी और टोटल आबादी ४०.४८ परसेंट बढ़ी। तो इन लोगों की टोटल आबादी...

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य का समय पूरा हो गया है।

श्री गणपति राम : मुझे केवल इतना ही और कहना है कि शिडयूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की रक्षा की जाये।

श्री गोपी राम (मंडी महासू–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : मैं अपने संशोधन संख्या १३, १४, १५ और १६ प्रस्तुत करता हूं। मैं अपना अमेंडमेंट नम्बर (संशोधन संख्या) १२ पेश नहीं करना चाहता। मेरा काम बैकवर्ड क्लासेज कमीशन ने बहुत कुछ पूरा कर दिया है। मेरे अमेंडमेंट में मेरे साथ श्री हेमराज और श्री रामदास का भी नाम लिखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास तो बोल चुके हैं।

श्री गोपी राम : मुझे अमेंडमेंट नम्बर १३ के बारे में यह कहना है कि हमारे यहां लोहार दो प्रकार के होते हैं, एक सवर्ण और दूसरे अछत। मेरा सुझाव है कि जो अछत लोहार हैं उनके सामने ब्रेकिट (कोष्टक) में अछूत लिख दिया जाना चाहिये।

अमेंडमेंट नम्बर १४ के बारे में मुझे यह कहना है कि हमारे यहां की कुछ शिडयूल्ड कास्ट की जातियों को लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है जैसे पुम्बा, सोई, हाडी, घाई और थाविन। पम्बा रुई, धुनने का काम करते हैं, सोई दरजी का काम करते हैं, हाडी लकड़ी का काम करते हैं, घाई घास आदि लाने का काम करते हैं और थाविन मकान बनाने का काम करते हैं। ये थाविन दो प्रकार के होते हैं एक टचेबिल और दूसरे अनटचेबिल। मैं चाहता हूं कि ये जो अनटचेबिल (अस्पृश्य) थाविन हैं उनके आगे ब्रेकिट में अनटचेबिल लिख दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री निरंजन जेना** (ढैकानाल–पश्चिम–कटक–रक्षित–अनुसूचित जातियां) मैं अपना संशोधन संख्या ५१ प्रस्तुत करता हूं।

उड़ीसा के भाग ६ में कुमारी नाम की जाति को अनुसूचित जातियों में शामिल किया गया है। परन्तु खेद है कि कुम्मारा और कुमारी एक ही जाति हैं। और वे सवर्ण-हिन्दू समझे जाते हैं।

मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों कुम्मारा को शामिल नहीं किया गया हैं और कुमारी को किया गया है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रतियोग में कुम्मारा को पिछड़ी जातियों में शामिल करने के लिये सिफारिश की गई है।

राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार जो राशि पिछड़ी जातियों की उन्नति के लिये नियत करती हैं वह पर्याप्त नहीं होती। और यदि सवर्णहिन्दुओं को भी अनुसूचित जातियों में सम्मिलति किया गया तो संविधान में विहित कालावधि में पिछड़ी जातियों का उद्धार नहीं हो सकेगा।

अतः गृह मंत्री से प्रार्थना है कि कुमारी को अनुसूचित जातियों की सूची से निकाल दिया जाये।

श्री भटकर (बुलडाना अकोला—रक्षित, अनुसूचित जातियां) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि सन १९३१ की मर्दुमशुमारी (जनगणना) में जो शिड्यूल्ड कास्टस् लिखी हैं और जो बिल में शामिल की गयी हैं वे बराबर नहीं हैं। बिल में कम जातियां शामिल की गयी हैं। इन जातियों की संख्या बराबर कम होती चली गयी है। इनकी जो संख्या १९३१ की मर्दुमशुमारी (जनगणना) के समय थी वह आगे बराबर सन १९५१ तक कम होती चली गयी है। ऐसा मालूम होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जैसा चाहती है वैसी ही इनकी संख्या लिख दी जाती है। स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट में धोबी आज भी शिडयूल्ड कास्ट में लिखे जाते हैं मगर इस संशोधन में नहीं है। बुरुटड या वरुड़ शिड्यूल्ड कास्ट के है इनको शामिल किया जाना चाहिये। वेसे ही कुछ चमार हैं जिनको शामिल नहीं किया गया है। हमारे यहां मध्य प्रदेश में मराठी चमार बोले जाते हैं। उनको मराठी डोर भी कहते हैं। मेरा सुझाव यह है मैं चाहता हूं कि मराठी चमार और मराठी डोर भी इसमें शामिल कर लिये जायें ताकि इनको भी फायदा मिल सके।

†**श्री कृ० ल० मोरे** (कोल्हापुर व सतारा–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : मैं संशोधन संख्या २५३, ३२५, ३५४ और ३५५ प्रस्तुत करता हूं।

मेरे संशोधन संख्या ३५४ और ३५५ का प्रयोजन यह है कि 'मादिरा' को उचित क्रम में रखा जाये। पहले यह जाति अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश १९५० की सूची २१ में थी अतः मैं वास्तविक परिवर्तन नहीं कर रहा हूं।

संशोधन २५३ को प्रस्तुत करने का मेरा प्रयोजन यह है कि जिन कतिपय राज्यों को सूची से निकाल दिया गया है उन्हें सम्मिलित किया जाये। इन्हें निकालने के संबंध में पिछड़ी जाति आयोग के तर्क विश्वसनीय नहीं है। ये जातियां चक्रबादियान्द्रासार, चुहार, चुहड़ा, डाकालेरु, कोलचा अथवा कोलबा आदि हैं।

संशोधन ३२५ में मैं केवल 'मांग' का पर्यायवाची शब्द दे रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उन्हें मातंग कहा जाता हैं।

कई माननीय सदस्य उठे।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मुझे खेद है कि मैं अब और माननीय सदस्यों को बोलने के लिये नहीं कहूंगा। सरकार ने इन सब संशोधनों पर विचार कर लिया होगा और अब माननीय मंत्री उत्तर देंगे कि उन्हें संशोधन स्वीकार हैं अथवा नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बाल्मीकी** : कोरियों के विषय में किसी ने कुछ नहीं कहा। इस संबंध में मेरा एक संशोधन है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य चाहते है कि प्रत्येक सदस्य को एक मिनट दिया जाये तो मैं तैयार हूं।

†**कई सदस्य** : जी हां।

†**इ० ईयाचरण** (पोन्नानी–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : मेरे संशोधन १०३ का प्रयोजन कनक्कन पून्नियां और बटूवन जातियों को सम्मिलित करना है।

ये मालाबार की तीन मुख्य जातियां हैं। इन के सामाजिक रीति, प्रथा और व्यवस्था अनुसूचित जातियों जैसे हैं अतः इन्हें मालाबार जिला की अनुसूचित जातियों में सम्मिलित किया जाये।

श्री बाल्मीकी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १५—

पंक्ति ६ से ११ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :

"६४ कोरी"

"६५ गोंड"

आज हमारे देश में भंगियों और बाल्मीकियों की हालत अछूतपन के लिहाज़ से बिलकुल गिरी हुई है और कम से कम गांधी जी ने "भंगी" शब्द अपने मुंह से इस्तेमाल किया है, तो सारी स्टेटस् के अन्दर मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि भंगी शब्द शामिल कर लिया जाय।

दूसरा जो मेरा अमेंडमेंट नम्बर (संशोधन संख्या) ३५६ है जिसमें कोरी और गोंड के वास्ते कहा गया है और गोंड कुछ क्षेत्र के अन्दर ही नहीं बल्कि सारे सूबे के अन्दर परिगणित जाति लिस्ट में शामिल कर लिये जांय, यह मेरे अमेंडमेंट की मंशा है। यह बात ठीक है कि कोरियों की हालत यक़ीनी तौर से ख़राब है और उसके बारे में माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये और वे काफी गरीब और पिछड़े हुए लोग हैं और सारे सूबे में उनको शेड्यूल्ड कास्ट में शामिल समझा जाय।

जहां तक गोंडों का ताल्लुक है वे हमारे वहां भरे पड़े हैं। वह कहां तक ट्राइब्स (आदिम जातियों) के अन्दर हैं यह हमारे प्रदेश का प्रश्न है और जब मैं पढ़ता था तो मेरे साथी गोंड लड़कों को अछूतपन के लिहाज़ से सहूलियतें मिलती थीं लेकिन आज वह अलहदा होना चाहते हैं। ट्राइब्स के लिहाज़ से जो कुछ मेरे साथी श्री भक्त दर्शन जी ने कहा है वह बहुत ठीक है। मैं ने ट्राइब्स के बीच में अपने सूबे में काम किया है और मैं जानता हूं कि जौनसर, बाबर और दूसरे स्थानों में उनकी हालत बड़ी नाज़ुक है। उनकी स्थिति को उनके रहने सहन, सभ्यता नृत्य तथा कला और जीवन को ध्यान में रख कर सुधारा जाय। मैं चाहता हूं कि उनको भी उन्नति का अवसर दिया जाय।

श्री जांगड़े : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल सदन का एक मिनट समय लेना चाहता हूं। पहले तो मुझे यह कहना है कि मैंने देखा है कि कई राज्य सरकारों ने बहुत सी ऐसी जातियों को शामिल किया है, १०, १५ जातियां जिनकी कि टोटल पापुलेशन (कुल जनसंख्या) केवल १५ या २० हजार है जब कि उन्होंने एक, दो ऐसी जातियों को उसमें शामिल करने से छोड़ दिया है जिनकी कि संख्या २, २ लाख और ३, ३ लाख है और ऐसा करना हम हरिजनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करना है। मैं चाहता हूं कि हरिजनों का यह आखिरी चुनाव है और इस प्रकार की नीति किसी राज्य सरकार को बर्तनी नहीं चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

इतना कहने के बाद मैं अपने संशोधनों पर आता हूं। मेरा संशोधन यह है कि सतनामी जाति के लोग बिहार, आसाम और बंगाल में हज़ारों और लाखों की तादाद में पहुंचे हुए हैं और वहां पर इंडस्ट्रियल ऐरिया में औद्योगिक क्षेत्रों में जाकर काम करते हैं, उनको वहां पर हरिजन माना जाय।

इसके अतिरिक्त मुझे यह कहना है कि मध्य प्रदेश में गांडा और पनका बहुत पिछड़ी हुई जातियां हैं और उन्हें आज भी अछूत माना जाता है, वे ट्राइबल एरिया में कम रहती हैं, प्लेंस में ज्यादा रहती हैं, मैं चाहूंगा कि गांडा जाति को और पनका जाति को हरिजनों में शामिल किया जाय। जहां तक पनका जाति का ताल्लुक है उसको भी अछूत माना जाता है और कई स्थानों पर उसके प्रति छूआ-छूत बर्ते जाने की शिकायतें मिली हैं और मैं चाहूंगा कि पनका जाति जिसकी हालत बहुत खराब है और जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको भी शामिल किया जाय।

श्री प० ल० बारूपाल (गंगानगर झुंझनू,—रक्षित अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय मेरे संशोधन ११८ नम्बर तक से १२२ नम्बर तक हैं। मैं अधिक न कह कर राजस्थान के विषय में यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जो अनुसूचित जातियां पहले सूची में शामिल होने से छूट गई थीं उनको गृह मंत्रालय ने शामिल कर लिया है जिससे यह होगा कि आज तक जो परिगणित जाति होते हुए भी अपने अधिकारों से वंचित थीं अब उनके वाजिब अधिकार प्राप्त हो जायेंगे।

यहां पर मैं यह सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में कुछ ऐसे लोग जो कि स्वीपर्स का एक ही पेशा करते हैं, जैसे कि भंगी मेहतर, बाल्मीकि आदि। इसी प्रकार दूसरी जातियां जैसे मेघ, मेघवंशी, मेघवाल, कोटवाल चमार वालाई, वेरुवा, भाभी और कामदिया, उन सब को एक ही सूची में शामिल कर दिया जाय और ज्वायन्ट करके रक्खा जाय और ऐसा होने से हरिजनों के अन्दर एकता बढ़ेगी और भाईचारे का भाव बढ़ेगा। जब तक कि हम लोग इस देश के अन्दर से छुआछूत को ख़त्म नहीं कर देंगे और आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करेंगे तब तक इस देश के अन्दर जातीयता और साम्प्रदायिकता बढ़ेगी और मैं समझता हूं कि इस मुल्क से जातीयता और साम्प्रदायिकता को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि ऐसी तमाम हरिजन जातियां जो एक पेशा करती हैं, जिनकी एक संस्कृति है, एक खानपान रस्म और रिवाज है, उनको एक ही लिस्ट में रक्खा जाय तो इससे हरिजनों में आपस में बंधुत्व और भ्रातृभाव बढ़ेगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो मेरे ११८ से लेकर १२२ तक संशोधन हैं उनको मान लिया जाय और जो जुदा जुदा हैं उनको एक जगह करने में सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है। क्योंकि वह जातियां परिगणित जाति की सूची में तो सरकार ने मान ही ली हैं आशा है इस में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

†**श्री ब० कु० दास** (कंटाई) : मैं अपना संशोधन संख्या ११७ प्रस्तुत करता हूं।

पिछड़ी जाति आयोग ने दलाई जाति को अनुसूचित जातियों में सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। राज्य सरकार का मत है कि यह जाति अत्यंत न्यून है। मै नहीं समझता कि इस का कारण क्या है क्योंकि यह जाति मेरे निर्वाचन क्षेत्र, पास के जिले और २४ परगनों में बसी हुई है। पश्चिमी बंगाल की सूची में, प्रवृष्टि २३ में यह जाति केदरा नाम से लिखी गई है। जनगणना के समय उन्होंने दलाई नाम बताया अतः उनकी संख्या कम रही। अतः उन्हें अनुसूचित जातियों में सम्मिलित करने में कठिनाई नहीं होगी।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला मथुरा पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अमेंडमेंट नं० २५५ और २५९ हैं जिन्हें मैं प्रस्तुत करता हूं।

अमेंडमेंट (संशोधन) नं० २५५ के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि बेलदार एक जाति है जो शेड्यूल्ड कास्टस् (अनुसूचित जातियां) में सम्मिलित की गई है इस आर्डर के मुताबिक।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कृष्ण चन्द्र]

बेलदार जाति की एक कांफरेंस दिसम्बर, १९५१ में उत्तर प्रदेश में हुई थी। उस में उन्होंने मांग की थी कि हमारी जाति को पिछड़ी जातियों की लिस्ट में न रक्खा जाय। उनमें से हमारा नाम निकाल दिया जाय। उसके बाद बैकवर्ड क्लासेज कमिशन आया, उसके सामने भी यह मांग की गई कि उन को पिछड़ी जातियां में से निकाल दिया जाय। उसके बाद भी यह बेलदार जाति इस आर्डर में मौजूद है।

मेरा अमेंडमेंट नं० २५५ इसलिये है कि बेलदार जाति को शेड्यूल्ट कास्टस् में से निकाल दिया जाय।

दूसरा अमेंडमेंट नं० २५८ का कोरी जाति के मुताल्लिक है। कोरी जाति को जितने भी हमारे प्रदेश हैं उन सब में शेड्यूल्ड कास्टस् में माना गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के तीन डिवीजनों, रुहेलखंड, मेरठ और आगरा में कोरी जाति को शेडयूल्ड कास्टस् में नहीं रक्खा गया है। बैकवर्ड क्लासेज कमिशन ने भी इस के लिये कोई वजह नहीं बतलाई कि क्यों कोरी को इन तीन डिवीजनों में शेड्यूल्ड कास्टस् से निकाल दिया है जब कि उनके विवाह शादी के तरीके, खानपान सारे सूबे में चलते हैं और दूसरे सूबों में भी चलते हैं। उन लोगों के रीति-रिवाज, रहन-सहन दशा, सभी कुछ एक सा है। उन के लिये यह भी नहीं कहा जा सकता कि इन तीन डिवीजनों में इस जाति की संख्या बहुत कम है। सन १९३१ की मर्दुमशुमारी के अनुसार इन तीन डिवीजनों में उनकी संख्या १ लाख, ८० हजार थी। फिर भी इस जाति को अछूत जाति के अन्दर प्रतिनिधित्व देने से वंचित रक्खा गया है। मेरा प्रस्ताव है कि इस भेदभाव को मिटा देना चाहिये।

श्री रा० चं० शर्मा (मुरैना भिंड) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन नं० २३ प्रस्तुत करता हूं।

इस का आशय परिशिष्ट १ के भाग ११ में धोबी को शामिल करने से है। धोबी तो हमेशा से ही अस्पृश्य माना जाता रहा है और दूसरे प्रान्तों में भी, जैसे विंध्य प्रदेश, भोपाल, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सभी में धोबी को अस्पृश्य माना जाता है तथा अनुसूचित जातियों में उन का नाम दर्ज है। पता नहीं मध्य भारत में यह जाति अनुसूचित जातियों में नहीं रक्खी गई। जो बैकवर्ड क्लासेज कमिशन की रिपोर्ट आई है, उस ने भी सिफारिश की है कि धोबियों को अनुसूचित जातियों में शामिल कर लिया जाय। तो इस उद्देश्य से मैं यह संशोधन पेश कर रहा हूं, आशा है कि यह मान लिया जायेगा।

श्री उइके (मेंडला जबलपुर–दक्षिण–रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने अमेंडमेंट नम्बर ७०, ७१, ७२, ७३ और ७४ पेश करना चाहता हूं।

अमेंडमेंट नं० ६९, ७० और ७१ यू० पी० के सम्बन्ध में हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे आदिवासी भाई काफ़ी रहते हैं। पिछड़े हुए क्लासेज कमिशन ने भी अपनी रिपोर्ट उन के सम्बन्ध में दी है, जिस को कि मेरे मित्र ने पढ़ कर सुनाया है। मैं उस को दोहराना नहीं चाहता। यू० पी० सरकार ने अपने राज्य में आदिवासियों का होना जब कलंक समझा है तो क्या इस से भी बढ़ कर लज्जा और कलंक की बात यह नहीं है कि उन्होंने आदिवासियों को अस्पृश्यों की लिस्ट में डाल दिया है। मैं समझता हूं कि अस्पृश्यता भारत में सब से हीन चीज है। जो गोंड आदिवासी हैं, वह बंगाल में भी आदिवासी हैं, बिहार में आदिवासी हैं, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, भोपाल, विन्ध्य प्रदेश, मध्य भारत, सभी जगहों में आदिवासी ही माने जाते हैं, बम्बई में आदिवासी हैं, मद्रास में भी आदिवासी ही गिने जाते हैं, पता नहीं कैसे उत्तर प्रदेश में गोंड जाति शेड्यूल्ड कास्टस् में हो गई। यह बड़े दुःख की बात है कि बैकवर्ड क्लासेज कमिशन के कहते हुए भी उन को शेड्यूल्ड कास्टस् में डाल दिया गया है। भारत के सात आठ प्रान्तों में ऐसा नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश में ही उन की गिनती हरिजनों

†मूल अंग्रेजी में

में की जाती है। वहां पर गोंड लोग आदिवासी नहीं माने जाते हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में उन को शेड्यूल्ड कास्टस् की लिस्ट में से निकाल दिया जाय। पिछड़ी जातियों में ही लिख दिया जाय तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, एडवान्स जाति में लिख दिया जाये, लेकिन हरिजनों में उन का नाम न लिखा जाय। यू० पी० की सरकार ने यह सब से अपमानजनक बात उन के लिये की है और मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जितनी आदिवासी जातियों के सम्बन्ध में पिछड़ी जातियां के कमिशन ने सुझाव दिया है कि उन को अनुसूचित जातियां की लिस्ट से निकाल कर शेड्यूल्ड ट्राइब्स् में डाल दिया जाय, उनको जल्दी से जल्दी वहां से हटा कर शेड्यूल्ड ट्राइब्ज (अनुसूचित आदिम जातियां) में सम्मिलित कर देना चाहिये।

मेरा दूसरा संशोधन मध्य प्रदेश और मध्य भारत के सम्बन्ध में है।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम–रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां) : एक औचित्य प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की सूची में गोंड नहीं हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वे इसी सम्बन्ध में शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आठ राज्यों में गोंड सूची में सम्मिलित है जब कि यहां नहीं।

श्री उइके : मध्य प्रदेश और मध्य भारत दोनों ही ऐसे प्रान्त हैं जहां आदिवासी रीजनल बेसिस पर माने गये हैं। भारतवर्ष के जितने भी प्रान्त हैं, उन्होंने जितनी आदिवासियों की जातियां मानी हैं, सब पूरे प्रान्त के लिये मानी हैं, चाहे वह कहीं भी रहती हों, लेकिन मध्य प्रदेश में और मध्य भारत में रीजनल बेसिस पर मानी गई हैं। अगर कोई यह कहता है कि जंगलों में रहने से ही किसी को आदिवासी माना जा सकता है, मैदान में रहने से नहीं, तो अभी मध्य प्रदेश के मुताल्लिक अमेंडिंग बिल में जो कुछ किया गया है वह किस हिसाब से किया गया है, यह मेरी समझ में नहीं आता। पहले राज्य सरकार ने जिन इलाकों को प्लेन्स में आदिवासी घोषित नहीं किया था। प्लेन्स के इलाके के लोगों को आदिवासी घोषित किया गया है, लेकिन किन्हीं किन्हीं जिलों में जिन तहसीलों में आदिवासियों की संख्या ज्यादा है उन को तो छोड़ दिया गया है, जब कि कुछ तहसीलों को जिन में उन की संख्या कम है, उन्हें ले लिया गया है। मैं आप को बतलाता हूं कि जबलपुर जिले की जबलपुर तहसील में अदिवासियां की संख्या ६६,२५१ है, इसको अदिवासी एरिया घोषित नहीं किया गया है, लेकिन जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील को जिस की आबादी ५६,४९० है, मुखारा तहसील जिस की आबादी ५८,००२ है और पाटन तहसील जिस की आबादी २३,३१४ है, उन को घोषित कर दिया गया है। इस तरह से जहां पर ३८ परसेन्ट से ज्यादा आबादी आदिवासियों की है उस को तो शामिल नहीं किया गया है, जब कि कम आबादी वाले इलाकों को शामिल कर लिया गया है। इस तरह के बहुत से उदाहरण मैं दे सकता हूं, लेकिन अब चूंकि समय नहीं है, इस लिये अधिक न कह कर यही कहना चाहता हूं कि ऐसी एरियाज के आदमियों को जल्दी से जल्दी आदिवासियों में शामिल घोषित किया जाय।

श्री चांडक (बेतुल) : मेरा एक छोटा सा संशोधन शेडयूल ३ पर है जिस का नं० ३६५ है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में जो भी बहुत सी जातियां शेड्यूल्ड कास्टस् में गिनी जाती हैं, उनमें अमरावती, येवतमाल रायपुर, जिलों में और चांदा जिले कि गडचिरोखी तहसीलों में हल्बी जाति को शेड्यूल्ड कास्ट माना गया है, लेकिन भंडारा, चांदा, जिलों के दूसरे हिस्सों में इसी हल्बी जाति को हल्बी कोस्टी कहा जाता है लेकिन इस हल्बी कोस्टी जाति का उल्लेख बिल में नहीं किया गया है।

मेरी प्रार्थना यह है कि हल्बी कोष्टी की जो जाति है जिस को हल्बा और हल्बी भी कहते हैं, इसको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि रसेल की

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री चांडक]

पुस्तक "ट्राइब्स एंड कास्टस" सी० पी० अंक ३, पृष्ठ ५८२ में यह जो रिपोर्ट है उस पर यह लिखा हुआ है कि हल्बी कोष्टी हल्बी आदिम जाति की शाखा है।

इसी तरह से नागपुर हाई कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में जो कि अपील नम्बर ९३ आफ १९४४ में ता० ६-७-१९५१ को दिया है कहा है कि हल्बी कोष्टी आदिम जाति है यदि अंत में जरूरत समझी जाए तो इस फैसले की नकल मेरे पास मौजूद है जो मैं पेश कर सकता हूं, अन्त में मैं इतनी ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि हल्बी कोष्टी भी एक ट्राइब मान लिया जाए और इसको भी इसमें शामिल कर लिया जाए।

श्री रनदमन सिंह (शाहडोल-सीधी—रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, उइके साहब ने जो संशोधन पेश किये हैं, ६९ से ७४ तक, उनका मैं समर्थन करता हूं। उइके साहब के साथ साथ मेरा नाम भी इन संशोधनों में दर्ज है। इसके साथ ही साथ मेरे साथी श्री भक्त दर्शन जी ने जो संशोधन पेश किए हैं, उनका भी मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। बैकवर्ड क्लासिस कमिशन की जो रिपोर्ट है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि सरकार को इस रिपोर्ट पर अवश्य ध्यान देना चाहिये। अगर वह इस पर उचित ध्यान नहीं देती तो इसका मतलब यह होता है कि कमिशन की नियुक्ति ही बेकार में की गई थी और बेकार ही इस पर रुपया खर्च किया गया है।

विंध्य प्रदेश में आदिवासियों और हरिजनों को जो सहूलियतें दी गई हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं और उसके लिये माननीय गृह मंत्री महोदय को हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

परन्तु इसके साथ ही साथ मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पड़ोसी प्रान्त के आदिवासियों के साथ जो बुरा बर्ताव किया जा रहा है तथा जो उनकी उपेक्षा की जा रही है, उसमें हमें बहुत चिन्ता है और मैं चाहता हूं कि इस ओर विशेष रूप स ध्यान दिया जाए। जैसा कि उइके साहब ने कहा कि बिहार, बंगाल, आसाम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बम्बई, हैदराबाद, मद्रास, इत्यादि में गोंड लोग आदिवासी माने जाते हैं। हमारे गृह मंत्री महोदय का शायद यह ख्याल है कि गौड ब्राह्मण भी होते हैं, क्षत्री भी होते हैं और केवल आदिवासी ही नहीं होते हैं। मैं आज आपके सामने प्रमाणपत्र उपस्थित करने के लिये खड़ा हुआ हूं और आपको बतलाना चाहता हूं कि विंध्य प्रदेश, बिहार और यू० पी० में गौंडों की कितनी रिश्तेदारी है और उनके कितने सम्बन्धी रहते हैं। मेरे पास एक लिस्ट है जिस में कि सब नाम दर्ज हैं और मैं आपको बताना चाहता था परन्तु चूंकि समय बहुत कम है इस वास्ते मैं केवल इतना ही कहूंगा कि १७१ नाम मेरे पास हैं जिनकी रिश्तेदारियां भी उसमें दर्ज हैं। फिर वे गोंड आदिवासी क्यों न माने जाएं।

मैं मानता हूं कि ६ तारीख की मीटिंग में गृह मंत्री महोदय ने शुद्ध भावना से सब बातें कहीं। उन्होंने कहा कि जिस किसी को भी आदिवासी की लिस्ट में ले सकते हैं, वे कहेंगे तो हम अवश्य लेंगे। मैं भी शुद्ध भावना से गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वह भी इस बात को देखें कि किस तरह से इन लोगों का आर्थिक तथा दैनिक जीवन सुधर सकता है और उनको सुधारने के उपाय करें। अगर उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है तो वे बेचारे पिछड़े हुए ही रह जायेंगे और उनको ऊंचे कैसे उठाया जाएगा। किस तरह से उन लोगों की उपेक्षा की जाती है, इसका एक उदाहरण मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। इन पिछड़ी हुई जातियों के बहुत से लड़के ऐसे हैं जिन को न तो कोई स्कालरशिप दिया जाता है और न ही उनको स्कूलों में जगह मिलती है। इस तरह के ५० लड़कों की लिस्ट मेरे पास है। मेरे पास उनकी चिट्ठियां आई हैं और उन्होंने उन चिट्ठियों में अपना दुख रोया है कि शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित न होने के कारण नौकरियों में कहीं जगह नहीं मिलती है न कोई पूछताछ करता है। वे लोग अपना दुख सन् १९५२-५३ से रोते आ रहे हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उनकी अर्जियां गृह मंत्री महोदय के पास और कमिशन के पास पहुंच चुकी हैं। इसके बारे में राष्ट्रपति जी को भी लिखा गया था जिसके उत्तर में उन्होंने २२-१२-५४ को यह कहा है कि इनको कमिशन के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया गया है। मेरे पास डाकुमेंटस् कई शिकायतों के हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप डाकुमेंटस पेश न कीजिये और इनको अपने पास ही रखिये। चूंकि वक्त बहुत कम है, इस वास्ते आप अपना भाषण खत्म करें।

श्री रनदमन सिंह : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यू० पी० में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं उनका सरकार विशेष रूप से ध्यान रखे और उन पर किसी तरह का भी शक न करे। अगर सरकार चाहती है और यकीन न हो तो यकीन के लिये कि कोई और कमिटी नियुक्त हो तो वह ऐसा भी कर सकती है और फिर जांच पड़ताल के बाद वह उचित कारवाई कर सकती है। मगर कमेटी द्वारा जांच अवश्य कराई जाए।

मुझे इतना ही निवेदन करना है और मैं आशा करता हूं कि इन बातों पर जो मैंने कही हैं, अवश्य ध्यान दिया जाएगा।

डा० जाटववीर (भरतपुर-सवाई माधोपुर–रक्षित अनुसूचित जातियां) : मैं संशोधन संख्या ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८ और ४९ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने संशोधन ३८ से ४९ तक पेश किए हैं। और उनके द्वारा मैंने केवल इतना चाहा है कि जाटव जाति जो कि मध्य भारत के अन्दर सब से पिछड़ी हुई जाति है, उस को इसके अंदर जोड़ दिया जाए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यू० पी० के अंदर इस जाति के कम से कम ३०,००० लड़के पढ़ते हैं और यदि आप देखें तो आपको पता चलेगा कि वहां पर कम से कम दो सौ गज़िटिड अफ़सर (गजटकृत अधिकारी) ऐसे हैं, जो कि इस जाति को बिलौंग करते हैं। दूसरी ओर हमारे मध्य भारत में जहांपर कि इस जाति की आबादी पांच लाख के करीब है, इसको एक सेपरेट जाति के रूप में रखा जाना चाहिये। वहां पर अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि १० लड़के भी इस जाति के ऐसे नहीं हैं जो कि ग्रेजुएट हों। इसको एक सेपरेट (पृथक) जाति के रूप में रखने की सिफारिश बैकवर्ड क्लासिस कमिशन ने की थी और बड़े ज़ोर से की थी। उसका कहना था कि यह एक पृथक जाति है। लेकिन आपने इसको किसी दूसरी जाति में ही जोड़ दिया है। अगर देखें तो सन् १९५१ के सैंसस में इसे एक सेपरेट कालम दिया गया था। पिछले पांच वर्षों के अन्दर इस जाति के लोगों को अगर आप सब सुविधायें देते तो आप को पता चल जाता कि कितने अधिक लड़के इस जाति के बी० ए० पास करके कालेजों से निकलते तथा अपने अपने बच्चों और अपनी जाति का उद्धार करते। जब इन लोगों की तरफ से वज़ीफों की मांग की जाती थी, तो इनको वज़ीफे नहीं दिए जाते थे। मैं बैकवर्ड क्लासिस कमिशन को धन्यवाद देता हूं कि उसने ऐसी अच्छी रिपोर्ट दी है और मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। हम उसके सामने रिप्रिजेंटेशन ले कर गए थे और हमने उसके सामने अपनी तकलीफात पेश की थीं। अब मैं अपना संशोधन पेश करता हूं और आशा करता हूं कि इसे स्वीकार कर लिया जायगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इसमें कोई पोलिटिकल (राजनैतिक) बात नहीं है या कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि बम्बई के अन्दर लाखों रुपया खर्च करके सरकार ने चर्म उद्योग का एक कारखाना स्थापित किया है और वहां कितनी ही तादाद में खटिक लोग गए हैं लेकिन उनको वहां पर अनुसूचित जातियों में नहीं रखा गया है। बिहार में भी उनको अनुसूचित जातियों में नहीं रखा गया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस ओर भी विशेष ध्यान दिया जाए।

चूंकि समय नहीं है, इस लिये अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो संशोधन मैंने दि हैं, उनको सरकार स्वीकार कर ले क्योंकि इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है।

†**श्री पाटस्कर :** श्रीमान्, अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्ध रखने वाले इस विधेयक में संलग्न विभिन्न अनुसूचियों में कुछ विशिष्ट नाम रखने या हटाने के बारे में माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उन्हें मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। इसमें सन्देह नहीं कि जब हमने संविधान पारित किया था तब हमने इस बात को स्वीकार किया था कि ऐतिहासिक कारणों के

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाटस्कर]

फलस्वरूप भारत में ऐसे बड़े आदिम जाति क्षेत्र हैं जहां विभिन्न आदिम जातियां ऐसी हालत में रहती हैं जिन्हें हमें सुधारना चाहते हैं। साथ ही इन्हीं कारणों के फलस्वरूप सारे देश में ऐसी कई जातियां हैं जिनकी दुर्भाग्यवश कुछ हानि होती है। इसी दृष्टिकोण से हमने संविधान के अध्याय १६ में उनकी शिक्षा, उनकी सेवाओं, उनकी स्थिति का सुधार और विभिन्न विधान सभाओं में और संसद् में दस वर्ष की अवधि के लिये उनके पृथक प्रतिनिधित्व के लिये विशेष उपबन्ध किये।

इतना कहने के बाद माननीय सदस्यों से मेरा यह अनुरोध है कि जहां तक इस सूची का सम्बन्ध है वे इस प्रश्न को इस दृष्टिकोण से न देखें कि उसमें कोई विशिष्ट समुदाय अथवा देश का हिस्सा सम्मिलित है अथवा नहीं, क्योंकि इसमें कुछ त्रुटि अवश्य रहेगी और वे उसे इस दृष्टिकोण से देखें कि इस प्रश्न को हल करने के लिये हमने किसी विशिष्ट तरीके से संयुक्त प्रयत्न किस प्रकार किये हैं।

हमारे देश में इन बातों का महत्व समझते हुए संविधान के लागू होते ही राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश निकाला गया जिस में उन कतिपय समुदायों का उल्लेख था जिन्हें अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जातियां होने के आधार पर विशेष संरक्षण दिया जाना चाहिये। स्वाभाविक था कि सरकार के पास उस समय जो जानकारी थी उसकी सहायता से यह एक तदर्थ आधार पर किया गया। निश्चय ही यह आवश्यक समझा गया था कि इन सब बातों के बारे में समुचित जांच करने के लिये एक आयुक्त नियुक्त किया जाना चाहिये। एक आयुक्त नियुक्त किया गया। आयुक्त ने विस्तृत जांच करने के बाद एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिस में यह कहा गया कि कुछ जातियों को सूची में सम्मिलित किया जाये और कुछ जातियां को इस सूची से निकाल दिया जाये। किन्तु इसके बाद भी सरकार ने यह सोचा कि यह एक बड़ा विषय है जिस में गलतियां हो सकती हैं और इन गलतियों से बचने के लिये इसे विभिन्न राज्य सरकारों को सौंप दिया गया जिनके पास अधिक जानकारी थी। इसलिये अन्ततोगत्वा उनके साथ विचार-विमर्श करके और उनके परामर्श से मौजूदा सूची बनाई गई है।

मैं यह दावा नहीं करता कि यह सूची बिलकुल दोषरहित है क्योंकि मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना है और संभव है कि कुछ गलतियां हो गई हों। इस विषय पर चर्चा को जारी रखने के साथ ही हमें इस बात का स्मरण रखना चाहिये कि यह प्रश्न इतना बड़ा है कि इन बातों में कभी कोई गलती नहीं होगी यह नहीं कहा जा सकता।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इसलिये मैंने उस दृष्टिकोण से इन सुझावों पर विचार किया जो इस सभा के सदस्यों और विशेषकर ऐसे सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं जो इस विषय के बारे में किसी आयोग, आयुक्त अथवा स्वयं राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक जानते हैं। जो उद्देश्य हमने अपने समक्ष रखा है उसे प्राप्त करने के लिये हमारे प्रयत्न यहीं समाप्त नहीं हो जाते। किन्तु कोई सीमा अवश्य होनी चाहिये।

जैसा कि मैं कह चुका हूं, दो या तीन प्रयोजनों के लिये ऐसा किया गया है। माननीय सदस्यों को मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि जहां तक सेवाओं और शिक्षा का संबंध है, यदि दुर्भाग्य से कोई जातियां या आदिम जातियां छूट ही गई हैं तो सरकार जांच पड़ताल आदि करके यथाशक्य समुचित कार्यवाही करने का प्रयत्न करेगी। निस्संदेह यह बात है कि अगले निर्वाचनों के लिये उनके नाम निर्वाचन सूची में संभवतः सम्मिलित न किये जायें। आखिर हम यह कार्य बहुत देर तक तो नहीं कर सकते क्योंकि इससे सामान्य निर्वाचन स्थगित करने पड़ेंगे। यह तो असंभव है। किन्तु जहां आवश्यक होगा वहां हम इस मामले के बारे में अपनी कार्यवाही जारी रखेंगे किन्तु कोई न कोई दोष अवश्य रहेगा विशेषकर जब कि विषय इतना बड़ा हो। किन्तु सरकरा की इच्छा यह है कि चाहे कुछ भी हो इस विषय में न्याय किया जाये और जहां तक इन समुदायों के हितों का संबंध है,

समुचित आधार पर न्याय किया जायेगा। माननीय सदस्यों को मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि यद्यपि विभिन्न आधारों पर परस्पर विरोधी दावे किये गये हैं तथापि सरकार दिये गये सभी सुझावों पर निश्चय ही विचार करेगी और सब प्रयासों के बावजूद जो जातियां अथवा आदिम जातियां इस सूची में नहीं आ सकीं उनके बारे में पता लगाने का प्रयत्न भविष्य में भी करती रहेंगी। हम इस बात की व्यवस्था करेंगे कि किसी भी हालत में उन्हें शिक्षा, सामान्य प्रगति, सेवा आदि बातों के लाभ प्राप्त होते रहें।

मैं अब श्री रिशांग किशिंग के तर्क का उल्लेख करता हूं जिनका संभवत: यह ख्याल था कि उनके क्षेत्र की दो मुख्य आदिम जातियां नागा और कूकी को मनीपुर और आसाम में जान बूझ कर अलग अलग रखा गया है। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि यह सच नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि यह पूरी सूची आयुक्त के प्रतिवेदन पर आधारित है और प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद हमने इस मामले को राज्य सरकारों को सौंपा था और यह स्पष्ट है कि जो भी सिफारिशें उन्होंने कीं उन्हें हमने इस सूची में रखा है। इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। माननीय सदस्य का तर्क मेरे ख्याल में यह नहीं था कि नागा या कूकी की किसी विशिष्ट उप-आदिम जाति को उस सूची में नहीं सम्मिलित किया जो यहां प्रस्तुत की गई है। ऐसे मामले में इस प्रकार के अनुमान लगाने का प्रयत्न करना ठीक नहीं है। वास्तव में माननीय सदस्य ने यह शिकायत नहीं की थी कि उन जातियों को सूची में नहीं रखा गया। उनका आशय केवल इतना ही था कि उन समुदायों को इस प्रकार क्यों रखा गया है। किन्तु मैं उन्हें यह बता सकता हूं कि ऐसी बातें इस विषय में ही नहीं वरन् अन्य विषयों में भी होती हैं।

उदाहरण के लिये गोंडों के प्रश्न को ही लीजिये। मुझे एक सदस्य के इस प्रश्न को सुनकर आश्चर्य हुआ कि गोंडों को अनुसूचित जातियों की सूची में क्यों रखा गया और अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में क्यों नहीं। यह सच है कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों में गोंडों को अनुसूचित आदिम जाति माना गया है। किन्तु बात यह ह कि क्या वे रियायत प्राप्त करने के लिये पात्र हैं। पूछताछ करने के बाद मुझे यह ज्ञात हुआ कि जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है वहां अनुसूचित आदिम जातियों की कोई सूची नहीं है क्योंकि यह मध्य भाग में स्थित है जहां अनुसूचित और अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या अधिक नहीं है। इसलिये उन्होंने इस समुदाय को उन समुदायों की सूची में सम्मिलित किया जिन्हें विशेष रियायतें दी जाती हैं। किसी समुदाय को किसी प्रकार से ज़लील करने की इच्छा नहीं थी और इस दृष्टिकोण से ऐसा नहीं किया गया है। अन्यथा हमारी कार्यवाही समग्र मामले के मूलभूत सिद्धांत-विरोधी होगी। जातियों और आदिम जातियों की सूचियां जो इस प्रकार तैयार की जा रही हैं वह कोई विशिष्ट जाति किसी अन्य जाति से ऊंची है यह दिखाने के लिये नहीं, अपितु प्रश्न को हल करने और उन लोगों को प्रगतिशील बनाकर अन्य नागरिकों के स्तर पर शीघ्रातिशीघ्र लाने के लिये की जा रही है। इसलिये मेरा ख्याल है कि किसी जाति विशेष के अन्य जातियों की अपेक्षा ऊंच-नीच होने का प्रश्न माननीय सदस्यों द्वारा इस सभा में उठाया जाना वांछनीय नहीं है।

†**श्री जयपाल सिंह :** यदि आपका यही दृष्टिकोण है तो आप उन्हें अनुसूचित आदिम जाति में क्यों नहीं रखते ? अनुसूचित जाति में क्यों रखते हैं ?

†**श्री पाटस्कर :** मैं पूछताछ करके यह पता लगाऊंगा कि उन्हें अनुसूचित आदिम जातियों में सम्मिलित किया जा सकता है अथवा नहीं। यदि संभव हुआ तो हम यह करेंगे। किन्तु मैं इस बात को फिर से कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को यह नहीं कहना चाहिये कि कोई एक जाति या आदिम जाति किसी अन्य जाति या आदिम जाति से ऊंची है। यदि कोई गलती है तो हम यह जानना चाहते हैं कि वह क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जयपाल सिंह** : आप गलती को स्वीकार क्यों नहीं करते ?

†**श्री पाटस्कर** : हमें इस बात पर बिना किसी भावावेश के चर्चा करनी चाहिये। अनुसूचित आदिम जाति के लोगों ने भी यही कहा होता कि "हमें विशेष रियायतें चाहिये, हमें किसी अन्य श्रेणी या वर्ग में न रखिये"। इसलिये इस बात का कोई कारण अवश्य होगा। किन्तु संभव है कि गलती हो गई हो। खैर, यह अपना मानसिक सन्तुलन खो देने की एक विषय-वस्तु न होनी चाहिये।

जैसे कि धोबियों को ही लीजिये। वास्तव में बात यह है कि कुछ जातियां ऐसी हैं जिनका उल्लेख देश के किसी भाग में अनुसूचित जातियों में किया जाता है जब कि देश के अन्य भागों में उन्हें अनुसूचित जाति नहीं माना जाता है। देश के कुछ भागों में उन्हें अछूत नहीं माना जाता है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से यह कह सकता हूं कि मेरे राज्य में धोबियों को कहीं भी अछूत नहीं माना जाता। वे अनुसूचित जाति नहीं हैं। मेरे राज्य में उनके साथ किसी भी अन्य मध्यम वर्गीय समुदाय जैसा व्यवहार किया जाता है। किन्तु हो सकता है कि किन्हीं अन्य भागों में वे अपने आपको अनुसूचित जाति समझा जाना पसंद करते हों। इसलिये संबंधित राज्य से पूछताछ कर लेने के बाद ही हमने संबंधित राज्यों की अनुसूचित और अनुसूचित आदिम जातियों का निर्धारण किया है। इसी आधार पर सूची तैयार की गई है। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि यदि वास्तव में कोई गलतियां हैं तो सरकार जांच पड़ताल करेगी और उन्हें सूची में सम्मिलित करने के अतिरिक्त गलतियों को दूर करने का प्रयास करेगी।

†**श्री जयपाल सिंह** : उत्तर प्रदेश को छोड़ कर अन्य सभी स्थानों में गोंडों को अनुसूचित आदिम जाति क्यों बताया गया है ?

†**श्री पाटस्कर** : मैं इस बात का उत्तर दे चुका हूं। मैं इसके अतिरिक्त कुछ और कहना नहीं चाहता।

श्री उइके : मैं माननीय मंत्री से एक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। हरिजनों और आदिवासियों में एक अन्तर इस बात में है कि जब आदिवासी आदिवासी घोषित हो जाता है, तो लैंड एलियनेशन एक्ट के मातहत उस की जमीन की रक्षा होती है और नान-आदिवासी उससे ज़मीन नहीं ले सकता है। ज़मीन और मकान के संबंध में उसकी रक्षा हो जाती है। इसके अतिरिक्त स्पेशल मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, डाइवोर्स का कानून और दूसरे सोशल रिफ़ार्मज़ के एक्ट्स से ट्राइबल्ज़ एग्ज़ेम्प्टेड होते हैं। वे दो तीन शादियां कर सकते हैं। जब चाहे डाइवोर्स कर सकते हैं। पति के मरने के बाद स्त्री को उसकी जायदाद पर अधिकार नहीं होता है। अब अगर इन लोगों को ट्राइबल्ज़ डिक्लेयर नहीं किया गया, तो ये ऐट्क्स उन पर लागू होंगे, जिसके कारण उनकी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ हो जायेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति की रक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है ?

†**श्री पाटस्कर** : जैसा कि मैंने कहा है कि सरकार इस मामले पर सम्बन्धित राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करेगी और जो कुछ किया जा सकता है वह करेगी।

†**श्री जयपाल सिंह** : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री का जो आशय मैं समझ सका हूं वह यह है। किसी समुदाय को अनुसूचित जातियों में नहीं वरन् अनुसूचित आदिम जातियों में सम्मिलित किया जाये, जिन के लिये विशेष अधिनियम बनाये गये हैं, इस संबंध में माननीय सदस्यों के तर्क कितने ही अकाट्य क्यों न हों, किन्तु माननीय मंत्री इस विषय पर विचार करने के लिये समय चाहते हैं। उन्हें किसी निष्कर्ष

---

†मूल अंग्रेजी में

पर, चाहे वह कितना ही अच्छा हो, पहुंचने से पहिले अपने परामर्शदाताओं, आयुक्त से विचार-विमर्श करना है और इस संबंध में आगे जांच करनी है। इसलिये माननीय सदस्यों को चाहिये कि वे उन्हें समय दें। इस बात को इस सभा के समक्ष पुनः लाना माननीय मंत्री के लिये कठिन न होगा।

†**श्री जयपाल सिंह** : हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसा कि मध्य प्रदेश के हमारे मित्र ने कहा.....

†**श्री पाटस्कर** : हम इस बात का प्रबन्ध करेंगे कि उन्हें अन्य अधिकारों से वंचित न किया जाये।

† **श्री जयपाल सिंह** : संविधान में भूमि आदि के बारे में केवल अनुसूचित आदिम जातियों के लिये परित्राण दिये गये हैं न कि अनुसूचित जातियों के लिये। माननीय मंत्री संविधान-विरोधी कार्यवाही कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि केवल उत्तर प्रदेश को छोड़ कर शेष सब स्थानों में गोंडों को अनुसूचित आदिम जाति किस प्रकार लिखा गया है ?

श्री उइके : अध्यक्ष महोदय, मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि गोंड शिड्यूल्ड ट्राइब्स (अनुसूचित आदिम जाति) में न रहने से उनको यह सेफगार्ड (परित्राण) मिलेंगे या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति शांति। हम कब तक यह सुनते रहेंगे ? क्या गोंड अनुसूचित आदिम जाति की सूची में किसी समय रहे हैं ? इसके पहले एक आदेश रहा है; यह केवल संशोधन करने वाला आदेश है। क्या उत्तर प्रदेश में गोंड कभी अनुसूचित आदिम जातियों में रखे गये थे और क्या इस विशिष्ट संशोधन से पूर्ववत् स्थिति में कोई अन्तर आता है? अन्यथा यदि प्रश्न उनको किसी एक या अन्य श्रेणी में रखने का है तो माननीय मंत्री को उस पर विचार करने के लिये समय लगेगा।

†**श्री जयपाल सिंह** : माननीय मंत्री इसे निकाल दें।

†**श्री पाटस्कर** : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस विषय में गलतफहमी या भावावेष की आवश्यकता नहीं है।

†**श्री जयपाल सिंह** : यह भावावेश का नहीं वरन् आपके अज्ञान का प्रश्न है।

†**श्री पाटस्कर** : यह प्रश्न अज्ञान का नहीं वरन् कुछ पक्षों के भावावेश में आने का है। मैंने पहले ही यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि इस मामले में हम राज्य सरकारों से परामर्श लेंगे। एक आयोग नियुक्त किया गया था तथा जांच की गयी थी। इसके बावजूद यदि कोई गल्ती हुई है तो हम उसे सुधारने का प्रयत्न करेंगे। इस अवस्था में मैं और कोई आश्वाशन नहीं दे सकता।

प्रस्तुत संशोधनों में से अनेक संशोधनों के बारे में यही स्थिति है। मैं संशोधन संख्या १६९ और १७० को स्वीकार कर रहा हूं। मैं संशोधन संख्या ४२१ और ४२२ को प्रस्तुत करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ ७—

पंक्ति १९ के पश्चात् निम्न जोड़ा जाये :

"5A. Ganda or Gandi."

["५क. गंडा या गंडी"]

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाटस्कर]

(२) पृष्ठ ३२—

पंक्ति १९ में:

"गंडा या गंडी सहित" इन शब्दों को निकाल दिया जाये ।

हमने इसे स्वीकार किया है क्योंकि हमारे पास प्रमाण हैं । अन्य मामलों में भी यदि गलतियां हों तो हम उन्हें दूर करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री उइके : मध्य प्रदेश के सम्बन्धमें करीब २० लाख आदिवासियों की समस्या है । इसमें उनकी बड़ी हानि होने वाली है । इसलिये मैं बार बार उठ कर प्रार्थना करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री यह कहते हैं कि वे अपने परामर्शदाताओं से पुनः मंत्रणा करेंगे और वे इसके लिये समय चाहते हैं ।

मैं संशोधन संख्या ४२१ और ४२२ को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री अमज़द अली :** ये संशोधन कार्य-सूची में नहीं हैं । हम जानना चाहते हैं कि यह क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** भाग क और ख राज्यों की सभी अनुसूचित जातियां प्रथम अनुसूची में दी हुई हैं । दूसरी अनुसूची का सम्बन्ध भाग ग राज्यों की अनुसूचित जातियों से है । इसी प्रकार तीसरी और चौथी अनुसूची का सम्बन्ध भाग क और ख (तीसरी अनुसूची) और भाग ग (चौथी अनुसूचि) राज्यों से है । "गंडा या गंडी " उत्तर प्रदेश में तीसरी अनुसूची में अनुसूचित आदिम जातियों में सम्मिलित.....

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** मध्य प्रदेश में ।

†**अध्यक्ष महोदय :** हां, मध्य प्रदेश में । संशोधन संख्या ४२१ का उद्देश्य "गंडा या गंडी" को मध्य प्रदेश की अनुसूचित आदिम जातियों की अनुसूची से हटाना है । मध्य प्रदेश में "गंडा या गंडी" नामका एक समुदाय है । इन्हें अनुसूचित आदिम जातियों में रखा गया था और अब उन्हें अनुसूचित आदिम जातियों की श्रेणी से हटाकर मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों की श्रेणी में रखने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

किसी विशिष्ट नाम से पुकारे जाने वाले लोग किसी एक राज्य में अनुसूचित जाति के सदस्य हो सकते हैं और किसी अन्य राज्य में अनुसूचित आदिम जाति के सदस्य हो सकते हैं । मुझे खेद है कि इस बात के कारण कुछ गलतफहमी हुई है । मैं इसे मतदान के लिये रखता हूं ।

†**श्री जयपाल सिंह :** यह विशिष्ट संशोधन एक ही राज्य में मौजूद अन्तर के सम्बन्ध में है । माननीय मंत्री ने यह कहा है कि विभिन्न राज्यों में अन्तर हो सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** एक ही राज्य में कुछ अन्तर हो सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं आन्ध्र के बारे में अपने अनुभव से यह बता रहा हूं । मध्य प्रदेश में अन्तर हो या न हो । अन्तर है या नहीं यह तो मैं नहीं जानता । मैं इसे मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

(१) पृष्ठ ७—

पंक्ति १९ के पश्चात:

"5A. Ganda or Gandi." ["५क गंडा अथवा गंडी"] शब्द रखे जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) पृष्ठ ३२—

पंक्ति १९ में :

"including Ganda or Gandi" ["गंडा या गंडी सहित"] शब्द हटा दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ५—

पंक्ति १ के पश्चात् :

"21A. Madiga Dasu and Mashten" ["२१क. मदिगा और मशती"] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ५—

पंक्ति ७ के पश्चात् :

"27A. Relli" ["२७ क. रेली"] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३०—

पंक्ति ३५:

"Katghora" ["काटघोरा"] शब्द के बाद "Mungali" ["मंगली"] शब्द रखिये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संशोधन संख्या २८४ तथा ३५६ अध्यक्ष द्वारा मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस प्रकार एक एक प्रस्ताव की अनुमति नहीं दूंगा ।

†**श्री जयपाल सिंह** : औचित्य के प्रश्न पर यदि कोई संशोधन प्रस्तुत हो गया हो तो यह सभा का कार्य है कि वह प्रस्तावक यदि उस पर जोर देना चाहे तो उसे वापस लेने की अनुमति दें । सरदार अ० सिं० सहगल के मामले में ऐसा नहीं किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा ने इसे अस्वीकृत कर दिया है। उन्होंने वापस लेने की कभी अनुमती न मांगी । अब मैं अन्य सारे संशोधनों को मतदान के लिये रखूंगा ।

संशोधन संख्या ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, १८, १९, १०२, २८५, २८६, २८७, ३७५, ३७६, १२४, १२५, १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३५, १३६, १३७, १३८, १३९, १४०, १४१, १४२, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६, १५७, १५८, १५९, १६०, १६१, ३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६,

†मूल अंग्रेजी में

३३७, ३३८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७, ३४८, ३४९, ९०, ९८, ३८२, ७, ८, १०, २७९, २४, १७१, १७२, १७३, १६३, १६४, १६५, १६७, २९१, २९२, २९३, २९४, २९५, २९६, २९७, २९८, २९९, ३००, ३०१, ३०२, ३०३, १०१, १०४, १०५, १०८, १०९, ३२६, ३२७, ३२८, २३२, १३, १४, १५, १६, ५१, २५३, ३२५, ३५४, ३५५, ११७, २५५, २५८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ३६५, २३, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९ **अध्यक्ष द्वारा सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।**

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं अनुसूचियों को मतदान के लिये रखूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूचियां १, २, ३ और ४ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूचियां, १, २, ३ और ४ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गईं ।

खण्ड १ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गयें ।

†**श्री पाटस्कर** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि "विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये" ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

हमने १५ मिनट नियत किये थे, हमने अधिक समय ले लिया है। प्रत्येक माननीय सदस्य के लिये एक या दो मिनट ।

†**श्री जयपाल सिंह** : मैं समझता हूं हमें इस विधेयक को रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिये । मैंने अपने संसदीय जीवन में आज तक ऐसा निकम्मा और अव्यवस्थित विधेयक नहीं देखा है । मैं कभी भी यह आशा नहीं कर सकता था कि स्वतंत्र भारत में भी ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया जा सकेगा । और इस पर हम लोगों को इस विधेयक पर बोलने के लिये केवल १ मिनट दिया गया है । १ मिनट में भला कोई व्यक्ति क्या तर्क दे सकता है ! मैं इस सभा के नेता से केवल यही अर्ज करूंगा कि वह स्वयं पृष्ठ २२ पर यह देख सकते हैं कि दिल्ली के भीलों को अनुसूचित जातियों में रखा गया है । इसी प्रकार हम गोंडों की हालत पहले ही देख चुके हैं । यह नेहरू सरकार जो चाहे कर सकती है । आप चाहे जिसको जिस जाति में रख दें । किन्तु आपको यह ध्यान रखना चाहिये कि आपने आदिम जातियों के लिये संविधान में क्या कहा है ? मुझे यह सब देख कर बड़ा धक्का पहुंचता है क्योंकि मेरा आदिम जातियों के प्रति एक विशेष लगाव है । शायद इसके उत्तर में सरकार कहेगी कि हमने यह परिवर्तन पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किया है । इसमें हमारा क्या कसूर है ? मगर मैं पूछता हूं कि क्या आप प्रत्येक आयोग की प्रत्येक बात मान लेते हैं ? क्या आपने राज्य पुनर्गठन आयोग की सब बातों को जैसे का तैसा मान लिया है ? वास्तविकता यह है कि सरकारी पक्ष के किसी भी व्यक्ति को आदिम जातियों की भावनाओं का ठीक ज्ञान नहीं है । मैं नहीं जानता कि इस विधेयक को रखने वाले मंत्री महोदय अनुसूचित जाति के हैं अथवा किस अन्य जाति के । मैं उनसे एक सीधा सा प्रश्न पूछता हूं कि वह हमारी भावनाओं की इस तरह क्यों खिल्ली उड़ा रहे हैं ? वह हमें क्यों व्यर्थ में उत्तेजना दिला रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को शांत होना चाहिये । उन्हें अपनी बात को ठंडे दिल से कहना चाहिये । मंत्री महोदय किस जाति के हैं इस प्रकार की बातें कहने का कोई लाभ नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार चाहे जिस किसी भी सिफारिश को मान सकती है। माननीय सदस्य उसका विरोध कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य को मंत्री महोदय की जाति के बारे में कहे गये वचन वापस लेने चाहियें।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : कोई व्यक्ति किसी भी जाति से संबंध रख सकता है। इसमें मान अपमान की कोई बात नहीं है। मेरा विश्वास है कि भारत में सभी व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से जातीयता से सम्बद्ध हैं। क्योंकि जाती पांति की प्रथा भी जातीयता की द्योतक है। माननीय सदस्य को इसमें उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं है।

†**श्री जयपाल सिंह** : मैंने केवल यही कहा है कि मैं नहीं जानता कि मंत्री महोदय इस जाति के हैं अथवा किसी अन्य जाति के। दूसरी बात, इस सभा के नेता ने यह कहा है कि मैं उत्तेजित हो गया हूं। मुझे उत्तेजित होने का प्रत्येक अधिकार है। किन्तु प्रधान मंत्री ने जो यह कहा है कि जाति पांति की प्रथा आदिम जातियों की ही प्रथा पर आधारित है वह सरासर गलत है। इसमें तनिक भी सत्य नहीं है। आदिम जातियों में जाति पांति का कोई भेद नहीं है। जिस किसी व्यक्ति को आदिम जातियों के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन का तनिक भी ज्ञान होगा वह कभी भी ऐसी सारहीन बात नहीं कहेगा।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कदाचित माननीय सदस्य इतने उत्तेजित हैं कि उन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं है कि सभा में क्या कहा जा रहा है। मैंने यह कब कहा है कि आदिम जातियों में जाति पांति की प्रथा है। मैंने यह कहा है कि ग़ैर-आदिम जातियां भी किसी न किसी प्रकार से जातीयता से सम्बद्ध हैं। जाति पांति का होना भी जातीयता का ही लक्षण है।

†**श्री जयपाल सिंह** : ख़ैर, मैं उनको आदिवासियों के समाज का और अध्ययन करने के लिये आमंत्रित करता हूं।

अब मैं विधेयक की ओर आता हूं। इस विधेयक के बारे में मुझे यह आपत्ति है कि यह विधेयक अनुसूचित जातियों की दृष्टि से बड़ी जल्दी से पारित हो रहा है। प्रत्येक संशोधन रखने वाले को अपने संशोधन पर बोलने के लिये केवल एक मिनट दिया गया है। मैं मानता हूं कि सरकार के पास समय की बड़ी कमी है। परन्तु हमें ऐसी अपेक्षा नहीं प्रदर्शित करनी चाहिये। यदि हमारे पास समय नहीं है तो हम इस विधेयक पर विचार स्थगित कर सकते है। अतः मैं सरकार को मशवरा दूंगा कि वह इस विधेयक को पास न करे अपितु इस पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुनर्विचार करे।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं इसे सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भारत की प्रशासनिक व्यवस्था के पुनरीक्षण सम्बन्धी डा० एपलबी के प्रतिवेदन पर विचार करने का प्रस्ताव

†**श्री मात्तन** (तिरुवल्ला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत की प्रशासनिक व्यवस्था के पुनरीक्षण के संबंध में डा० पॉल एच्० एपलबी के प्रतिवेदन पर विचार किया जाये।"

श्रीमान्, आपने इसी सत्र में डा० एपलबी के प्रतिवेदन पर विचार करने की मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके मुझ पर जो अनुग्रह किया है उसके लिये मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मात्तन]

सबसे पहले मैं आपको संक्षेप में डा० एपलबी की पृष्ठभूमि बता देना चाहता हूं जिससे कि आपको यह पता लग जाये कि उन का इस विषय में कितना गहन अनुभव है। उनका जन्म १८९१ में हुआ था। वह १९४० से ४४ तक कृषि विभाग म उप-सचिव रहे, १९४४ से ४७ तक अमरीका की बजट ब्यूरो के निर्देशक रहे और १९४७ से ५० तक बोर्ड आफ इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एफेयर्स के सदस्य रहे और १९५३ में फ्रेंकलिन रूजवेल्ट फाउंडेशन बोर्ड के सदस्य रहे हैं। और इसी भांति १९५२ से ५६ तक वह भारत सरकार तथा फोर्ड फाउंडेशन के परामर्शदाता भी रहे हैं। गर्ज यह कि उन्हें सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था का एक विशद् अनुभव है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

उनकी भारत की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में इस दूसरी रिपोर्ट ने देश में पहली रिपोर्ट की अपेक्षा अधिक दिलचस्पी पैदा की है। उनकी पहली रिपोर्ट कोई दो वर्ष पहले प्रकाशित हुई थी।

कई समाचार-पत्रों ने इस रिपोर्ट पर अपने विचार प्रकट किये हैं। भारत के महालेखा परीक्षक ने बताया है कि यह जनतंत्रीय सरकार के बारे में एक बिल्कुल नई प्रकार की कल्पना है। यह वास्तविकताओं से सर्वथा शून्य है और किसी ज्ञान के बिना बनाई गई है। एक साप्ताहिक आर्थिक पत्र ने इसकी प्रशंसा में इस प्रकार कहा है कि यह सरकारी क्षेत्र में शीघ्रता से निर्णय किये जा सकने के प्रश्न पर बड़ा अच्छा प्रकाश डालती है और इस पर अमल करने से द्वितीय पंचवर्षीय योजना को बड़ी तेज़ गति से क्रियान्वित किया जा सकता है।

डा० एपलबी की रिपोर्ट मुख्यतया सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उद्योगों के संबंध में ही है। उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना बड़ी अधूरी रही है। प्रधान मंत्री का भी यही अनुभव था। उनके विचार में यह कमी केन्द्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई है। इसी लिये उन्होंने एक विश्व-विख्यात अनुभवी व्यक्ति को उसके संबंध में पड़ताल करने तथा उस पर अपनी रिपोर्ट देने के लिये आमंत्रित किया है ताकि हम सरकारी क्षेत्र में शीघ्र निश्चय कर सकने के नये तरीकों को जान सकें।

डा० एपलबी के प्रतिवेदन के संबंध में सरकारी क्षेत्रों से जो अधिक गर्मागर्म बातें सुनने में आई हैं इनका एक विशेष कारण है। यदि इसके संबंध में महालेखा परीक्षक, अध्यक्ष, गृह मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय में पहिले पारस्परिक विभागीय चर्चा हो जाती तो हमें ऐसी बातें सुनने का अवसर न आता।

खैर, इसके इलावा इस रिपोर्ट का मुख्य विषय यह है कि शक्तियों को कैसे निम्नतम स्तर तक प्रत्यायोजन किया जाये जिस से कि प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ सके। यह कोई नई बात नहीं है। महालेखा परीक्षक ने भी स्वयं एक बार शक्तियों का मंत्रालयों में निम्नतम स्तर तक प्रत्यायोजित करने के बारे में सुझाव दिया था। किन्तु डा० एपलबी ने इस संबंध में एक विचित्र स्थिति पर प्रकाश डाला है। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसके ऊपर के अधिकारियों से बढ़कर उसे कुछ और शक्तियां मिल जायें परन्तु कोई भी व्यक्ति अपनी शक्तियां नीचे को अधिकारियों को प्रत्यायोजित नहीं करना चाहता है। आपको राष्ट्रीयकृत बीमा निगम का उदाहरण याद ही होगा। उस समय महालेखा परीक्षक ने कैसे अपनी शक्तियों के प्रत्यायोजन पर आपत्ति प्रकट की थी।

डा० एपलबी अथवा महालेखा परीक्षक ने स्वतंत्र रूप से जो सुझाव दिया है उसका यह तात्पर्य नहीं है कि गृह मंत्रालय अथवा वित्त मंत्रालय से अधिकार लेकर दूसरे मंत्रालयों को दे दिये जायें। किन्तु उनका यह अभिप्राय है कि सभी मंत्रालयों में ऊपर के अधिकारियों के कुछ अधिकारों का नीचे के अधिकारियों में हस्तांतरण कर दिया जाये। हमें शक्तियों के प्रत्यायोजन के प्रश्न को पूर्ण-रूप से देखना चाहिये, आंशिक रूप से नहीं। इसमें संसद् के अधिकारों का प्रत्यायोजन भी शामिल है।

वास्तव में प्राक्कलन समिति ने १९५३-५४ की अपनी ९वीं रिपोर्ट में इस प्रकार की एक व्यवस्था का पहले ही खाका खींचने का प्रयत्न किया था। क्योंकि उनका कहना था कि अंग्रेजों के शासन काल में कुछ विशेष कारणों से वित्त मंत्रालय को सबसे अधिक प्रमुखता दी गई थी। और दूसरे, उस सरकार का यह लक्ष्य था कि देश में शांति बनाये रखने के लिये कम से कम सरकारी कर्मचारियों को अवश्य प्रसन्न रखा जाना चाहिये।

किन्तु आज सब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज सरकार जनता के प्रतिनिधियों के सामने एक उत्तरदायी सरकार है। आज देश में सर्वत्र एक बड़े पैमाने पर विकास कार्य किये जा रहे हैं। आज की प्रशासनिक व्यवस्था पहले से कहीं अधिक जटिल तथा विस्तृत बन चुकी है। इसलिये यह आवश्यक नहीं कि आज की बदली हुई परिस्थितियों में भी पहले जैसी प्रशासनिक व्यवस्था जरूर सफल हो सके। किन्तु अब भी सभी मंत्रालयों के अधिकारी कोई निश्चय करने के लिये वित्त मंत्रालय का ही मुंह ताका करते हैं। और वित्त मंत्रालय को भी सभी बातों की पहले जैसी नुकताचीनी करने की आदत बनी हुई है। इस से काम की प्रगति में बड़ी बाधा पड़ती है। जब तक वित्त मंत्रालय किसी योजना की छानबीन करके उसकी स्वीकृति देता है तब तक वर्ष का अधिकांश भाग समाप्त हो जाता है और बाद में उस रुपये के व्ययगत होने के भय से उसको जल्दी से समाप्त करने के लिये हम अंधाधुंध व्यय करने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार प्राक्कलन समिति की उक्त रिपोर्ट में भी हमें डा० एपलबी के सुझावों की झलक मिलती है।

एक और बात है जिसकी ओर, मेरा विचार है, महालेखा परीक्षक का ध्यान नहीं गया है। डा० एपलबी ने प्रशासन में स्थायी परिवर्तन करने का सुझाव नहीं दिया है। मैं तो समझता हूं कि उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आपातकाल में इसे उपयोग में लाने का सुझाव दिया है। मैं, इसके स्थायी परिवर्तन के पक्ष में नहीं हूं परन्तु क्योंकि सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना को प्रत्येक संभव उपाय से क्रियान्वित करना चाहती है इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं तथा मेरा विचार है कि आपातकाल में इसका उपयोग करने के लिये सभी ओर से इसका समर्थन होगा।

इस सिफारिश के संबंध में महालेखा परीक्षक से मेरी बातचीत हुई तथा उन्होंने कहा कि डा० एपलबी ने यह नहीं कहा है कि इसको आपातकाल में ही प्रयोग में लाया जाये। परन्तु मैंने जब इस आधार पर भी प्रतिवेदन पर विचार किया तब भी मुझे कितनी कंडिकायें ऐसी मिलीं जिनसे यह सिद्ध होता था कि उन्होंने द्वितीय योजना काल में इसे उपयोग में लाने की सिफारिश की है। मैं तो यह समझता हूं कि इस प्रतिवेदन के आलोचकों ने यह विचार नहीं किया कि उसको क्रियान्वित न करने से योजना पर आघात होगा। जब हमने योजना को प्राथमिकता दी है, तब हमें समस्त इस प्रकार के कार्य करने चाहियें जिन में योजना के सफल होने में सहायता मिले। इसलिये मेरा सुझाव है कि योजना की सफलता के लिये इन सिफारिशों को इस प्रकार से लागू किया जाना चाहिये जो कि संविधान के उपबन्धों के अनुकूल हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय के तत्वावधान में सचिवों की एक उच्च-स्तरीय समिति नियुक्त की जाये जिसके सभापति वित्त मंत्री हों। वही डा० एपलबी के प्रतिवेदन पर विचार करें। तथा जो सिफारिशें उनके अनुसार योजना के लिये सहायक हो सकती हैं उनको लागू करने की सिफारिश करें। इनके स्थायी रूप से लागू करने के संबंध में एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग स्थापित किया जाना चाहिये जो भारत के प्रशासनिक ढांचे में आवश्यक सुधार करे।

जैसा कि महालेखा परीक्षक ने बताया, देश पर अपना शासन बनाये रखने के लिये विदेशियों के लिये प्राधिकार का एकाधिपत्य रखना आवश्यक था। परन्तु यदि अब हमें अपनी योजनाओं को सफल बनाना है तो विभिन्न परियोजनाओं के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों को पर्याप्त प्राधिकार सौंपने चाहियें।

†**श्री जयपाल सिंह** : एक औचित्य प्रश्न पूछता हूं। सभा की यह परिपाटी है कि विवाद के समय किसी व्यक्ति विशेष के कथनों अथवा नामों का उल्लेख यहां नहीं करते हैं। परन्तु माननीय सदस्य महालेखा परीक्षक का नाम तथा उनके कथनों का उल्लेख यहां कर रहे हैं जो उचित नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : किसी प्रतिवेदन पर विचार करते समय, उस पर उनकी सम्मति बताना उचित ही है। मेरे विचार से इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है।

†**श्री मात्तन** : महालेखा परीक्षक का डा० एपलबी से इस बात पर मतभेद है कि जहां डा० एपलबी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये सचिवालय के महत्व पर जोर डाल कर इसे शक्ति सम्पन्न बनाने के पक्ष में हैं वहां जिम्मेदारियों का प्रत्येक स्तर पर वितरण चाहते हैं। मैं प्रशासनिक पद्धति का विशेषज्ञ नहीं हूं परन्तु प्रतिवेदन पढ़ने के पश्चात् मुझे यह आभास हुआ है कि यद्यपि उन्होंने निश्चित रूप से यह नहीं कहा है परन्तु उनके विवरणों से यह जानकारी हो जाती है कि डा० एपलबी भी इसी के पक्ष में हैं।

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और मैं लोक लेखा समिति का सदस्य हूं तथा महालेखा परीक्षक के सम्बन्ध में कुछ भी कहा जाना लोक लेखा समिति पर आक्षेप करना है। डा० एपलबी ने संसद् के सम्बन्ध में टिप्पणियां की हैं। परन्तु संसद् के अधिकारों पर कोई भी नियंत्रण लगाने में समर्थ नहीं है। अधिकारों को प्रत्यायोजित करने का यह अर्थ नहीं है कि संसद् ने अपने अधिकारों को छोड़ दिया है। केवल इससे तो जिम्मेदारी की भावना का उदय होता है।

आपातकालीन उपाय के रूप में, जब किसी किसी प्राधिकारी की भावना का आभास न मिले मेरी महालेखा परीक्षक तथा सचिवों से प्रार्थना है कि सक्षम अधिकारी से उच्च अधिकारी की स्वीकृति ले लेने पर इतना बल न दें। जहां शक्ति का प्रत्यायोजन हुआ हो वहां उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये जिन्होंने ठीक फैसले किये हों।

मैं मानता हूं कि महालेखा परीक्षक संसद की ओर से लेखों की देख रेख करता है। परन्तु सामान्यतः मैंने यह पाया है कि उनके द्वारा उठायी गयी आपत्तियां अधिकांशतः उच्च अधिकारियों द्वारा स्वीकृत न प्राप्त करने के सम्बन्ध में होती हैं। परन्तु यदि अधिकार अन्य व्यक्तियों को दिये जाने लगें तो इस प्रकार की आपत्तियां कभी नहीं उठने की। मेरे से सरकारी संस्थाओं के प्रबन्ध निदेशकों तथा प्रबन्धकों ने शिकायतें की हैं कि लेखापरीक्षकों की लगातार आलोचनाओं से वह अपना काम कार्यपटुता से नहीं करते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते कि उनकी किसी भी प्रकार आलोचना हो। यदि वह कुछ गड़बड़ करते हैं तो उन्हें दन्ड दीजिये परन्तु दो तीन वर्ष पूर्व के निर्णयों पर उन पर दोषारोपण न कीजिये क्योंकि सम्भव है परिस्थितिवश उन्हें वैसा करने को बाध्य होना पड़ा हो।

इसलिये मेरा सुझाव है कि कुछ अधिकारों का प्रत्यायोजन होना चाहिये तथा संसद् तथा महालेखा परीक्षक को उन व्यक्तियों की सराहना करनी चाहिये जिन्होंने ठीक निर्णय किये हों। इससे प्रोत्साहन मिलेगा तथा कार्यपटुता बढ़ेगी।

उदाहरण के तौर पर, लोग बैंकों में ऋण लेने के लिये आते हैं तथा बैंकों को शीघ्रता से काम करना पड़ता है तथा माल छुड़ाना पड़ता है। यदि आप इसकी आलोचना करेंगे तो वह जिम्मेदारी महालेखा परीक्षक पर डाल देगा। इसलिये हमें कार्यपटुता बढ़ाने के लिये अधिकारों को छोट पदाधिकारियों को प्रत्यायोजन करना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गाडगील** : यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है तथा केवल दो घंटे इसको देना उचित नहीं है। मेरा सुझाव है कि चर्चा दो घंटे तक रहे तथा फिर मिलने पर इस पर विचार के लिये और समय दिया जाये ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : सरकार का विचार इस मामले पर, इस सत्र में चर्चा करने का नहीं था। इस कारण नहीं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है अपितु इस कारण कि हम विभिन्न मंत्रालयों तथा सरकार के विभागों और मंत्रिमंडल द्वारा इसके विभिन्न पहलुओं की जांच कराना चाहते थे। स्पष्टरूप से मैं यह कह सकता हूं कि हम इसकी जांच कर रहे है तथा यदि मुझसे इस सम्बन्ध में कुछ कहने के लिये कहा जाये तो संक्षेप में इस सम्बन्ध में मैं यही कहूंगा कि मैं माननीय सदस्यों के विचार सुनने यहां आया हूं। मुझे प्रसन्नता होगी यदि इन प्रश्नों पर चर्चा हो। मैं नहीं कह सकता कि अगले सत्र में क्या होगा।

दुर्भाग्यवश, माननीय प्रस्तावक का भाषण सुनते हुए, मैं डा० एपलबी के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में इतना सचेत नहीं था जितना महालेखा परीक्षक के सम्बन्ध में। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह भी एक महत्वपूर्ण भाग है। परन्तु मैं चाहता था कि वह प्रतिवेदन के अन्य भाग के सम्बन्ध में भी कुछ कहते। तथा वह भाग वह है जहां उन्होंने संसदीय हस्तक्षेप की आलोचना की है अथवा संसद् के निमंत्रण की चर्चा की है। इन बातों पर संसद् को विचार करना चाहिये। अन्य मामले कम महत्व के हैं तथा इसको प्रस्तुत करते समय, प्रस्तावक को यह भी बताना चाहिये था कि यह प्रतिवेदन किस प्रकार बनाया गया। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान प्रतिवेदन के प्रथम पृष्ठ की ओर आकर्षित कराना चाहूंगा जहां उन्होंने सरकारी कार्यों की सराहना की है तथा फिर अपनी आलोचना करते हैं ।

मैं सदस्यों का ध्यान प्रतिवेदन के दूसरे पृष्ठ की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। यह प्रकाशित नहीं होना था। यह एक निजी दस्तावेज था जिसको उन्होंने मुझे तथा भूतपूर्व वित्त मंत्री को विचारार्थ प्रस्तुत किया था। उन्होंने यह बताया था कि यह प्रकाशित होने के लिये नहीं है तथा यदि हम इसका प्रकाशन भी करना चाहते हैं तो भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु यह प्रकाशित करने के लिये नहीं लिखा गया है उसका उन्होंने जानबूझकर उस भाषा का प्रयोग किया है तथा वह भाषा कठोर है। मेरा विचार है कि हमें इसी दृष्टिकोण से स्वागत करना चाहिये, चाहे हम उससे सहमती हों अथवा असहमत। हमें अपना ज्ञान बढ़ाने की आवश्यकता रहती है तथा इसी आधार पर हमें विभिन्न मामलों पर विचार करना चाहिये। मैं इसकी पूर्णतः जांच कर रहा हूं। मैं इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा का स्वागत करता हूं परन्तु समय की गारंटी नहीं देता।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक सदस्य को १० अथवा १५ मिनट मिलेंगे ।

†**श्री जयपाल सिंह** : यह बहुत कम है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्यों की इच्छा है तो २० मिनट किये जा सकते हैं परन्तु इस तरह से केवल तीन सदस्य बोल सकते हैं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : यह एक आश्चर्यजनक बात है कि पंचवर्षीय योजना की चर्चा को बीच में छोड़ कर हम डा० एपलबी की रिपोर्ट पर विचार करने लगे हैं, जिस में कहा गया है कि संसद् सफलता प्राप्त करने के प्रयत्नों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। डा० एपलबी ने सामान्यतया बहुत जोरदार और दोटोक बातें कही हैं, जिनसे मुझे कुछ अचंभा होता है। किन्तु हमें यह देखना है कि इस रिपोर्ट से, जो देश ने भारी रकम देकर खरीदी है, किस तरह लाभ उठाया जाये।

इसमें संदेह नहीं कि विभागीय प्रशासन की वर्तमान प्रणाली भारी भरकम, दुखदाई और समय नष्ट करने वाली है। योजनाओं के काल में इसमें विशेष रूप से परिवर्तन करने की

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

आवश्यकता है। मुख्य समस्या यह है कि उपक्रमों के सुचारू प्रबन्ध के लिए संसदीय नियन्त्रण किस हद तक और किस प्रकार का होना चाहिए ?

डा० एपलबी ने समस्या को सुलझाने की बजाय इसे और जटिल बना दिया है। उनका सुझाव है कि हमें असैनिक सेवा में विश्वास रखना चाहिये और संयुक्त सचिवों द्वारा शासन से डरना नहीं चाहिए। वे कहते हैं कि भारत में और अधिक संयुक्त सचिव, उपसचिव, अवर सचिव, प्रबन्ध संचालक और उनके अधीनस्थ कर्मचारी होने चाहियें। मैं नहीं कह सकता कि यदि शासन अधिकाधिक इन्हें सौंप दिया जाये, तो हमारी क्या दशा होगी। उनका एकमात्र हल यह है कि नौकरशाही बढ़नी चाहिए और इसकी शक्तियों पर कोई रोक नहीं होनी चाहिये। देश इस हल को आसानी से स्वीकार नहीं कर सकता।

भारत जैसे गरीब देश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिये एक क्रांति की आवश्यकता है और यह क्रांति अभी नहीं हुई। स्वतन्त्रता के बाद भी लोगों में उत्साह पैदा नहीं हुआ और इसके कारण योजना को क्रियान्वित करने में बाधा पड़ती है।

ब्रिटेन से हमें संसदीय ढांचा मिला है और हमें एक ढांचे की सीमाओं के अन्दर अपनी योजना को क्रियान्वित करना है। संसदीय प्रणाली के अपने गुण हैं और इसके द्वारा प्रशासन पर कुछ नियन्त्रण रहते हैं। इन नियन्त्रणों को हम हटा नहीं सकते, क्योंकि इनसे हमें काफी सफलताएं मिली है। किन्तु हमारा उद्देश्य आज यह है कि हम इस प्रणाली में सुधार करें और अधिक से अधिक लोगों को प्रशासन से सम्बद्ध करें। इस दृष्टि से डा० एपलबी की रिपोर्ट बिलकुल निराशाजनक है।

संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था म अपव्यय, भ्रष्टाचार और कार्यक्षमता को रोकने के लिये प्रबन्ध है, जिसे समाप्त कर देने से हमें बहुत हानि होगी। डा० एपलबी ने ठीक कहा है कि वर्तमान प्रशासन का काम बहुत धीरे और निराशाजनक वातावरण में होता है। किन्तु हम जानते है कि यदि नौकरशाही को और शक्ति दी गई और लोकतंत्रात्मक प्रतिबन्ध और संरक्षण हटा लिये गये, तो हमें प्रशासन में फिर उन अत्याचारों का सामना करना पड़ेगा, जिनका अनुभव हमने युद्धकाल में किया था। योजना को क्रियान्वित करने के लिए भी हम यह सहन नहीं करेंगे।

डा० एपलबी ने यह अच्छी तरह नहीं समझा कि अब की भारतीय सरकार ब्रिटिश काल की सरकार से भिन्न है। संयुक्त सचिवों आदि को अधिक शक्ति देने के बजाय आवश्यकता इस बात की है कि यह धारणा उत्पन्न की जाये कि सब पदाधिकारी देश के शासन के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं। सचिवालय की शक्तियां और बढ़ाने की बजाय हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि सब स्तरों पर कार्यपालिका पदाधिकारी को उतनी शक्ति दी जाये, जो उनके उत्तरदायित्व के अनुरूप हो, और सभी स्तरों पर प्रशासन का लोगों और उनके प्रतिनिधियों के साथ सम्पर्क रहे।

डा० एपलबी ने कहा है कि संसद् प्रशासन में बहुत हस्तक्षेप करती है और वह नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों और लोक लेखा समिति के काम को अत्यधिक महत्व देती है। उन्होंने सिफारिश की है कि संसद् को अपना काम नीति सम्बन्धी भाषणों तक ही सीमित रखना चाहिए और प्रशासन को प्रशासकों के हाथ में छोड़ देना चाहिये। मेरा निवेदन है कि संसद् प्रशासन में न हस्तक्षेप करती है और न करना चाहती है। वह केवल यह चाहती है कि नौकरशाही को देश के लोगों के उत्साह और आशाओं को दबाने न दिया जाये। यह देखना संसद् का कर्तव्य है कि जो भी निर्णय किये जायें, वे देश के लोगों के हित में हों और सरकारी क्षेत्र को उचित ढंग से चलाया जाये। संसद् बाधा नहीं डालना चाहती, सहायता करना चाहती है।

डा० एपलबी ने नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के काम के बारे में जो आलोचना की है, वह न्यायोचित नहीं है। संभवतः हमारे संविधान में नियन्त्रक महालेखा परीक्षक सबसे अधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी है। वर्तमान परिस्थितियों में हम उनसे यह भी नहीं कह सकते कि वह अपना काम बन्द कर दें। वह इस बात की व्यवस्था करते हैं कि संसद् द्वारा विनियोजित राशियां उचित रूप से और मितव्ययता से खर्च की जायें। हमें उनकी रिपोर्टें प्राप्त होती हैं और हम यह आवश्यक समझते हैं कि संसद को बताया जाये कि संसद् द्वारा विनियोजित की गई राशियां किस तरह खर्च की जा रही हैं। केवल इस कारण कि डा० एपलबी ने सिफारिश की है, हम संसद् द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों और संरक्षणों को समाप्त नहीं कर सकते।

डा० एपलबी ने लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकों की भी आलोचना की है। मेरे विचार में ऐसी बातों का उनकी रिपोर्ट में कोई स्थान नहीं होना चाहिए था। वह किसी और स्थान पर इस विषय की चर्चा कर सकते थे।

यदि डा० एपलबी चाहते हैं कि प्रशासन की ऐसी प्रक्रियाएं स्थापित की जायें, जो लोकतंत्रात्मक सिद्धान्तों के अनुरूप हों, तो उन्हें भिन्न प्रकार की रिपोर्ट देनी चाहिये थी। यह स्पष्ट है कि उनकी सहानुभूति किन के साथ है। वे सचिवालय के उच्च पदाधिकारियों के समर्थक हैं। उन्हें खेद है कि हम अपने उच्च प्रशासकों को केवल ४,००० रुपये प्रति मास वेतन देते हैं जो उनके शब्दों में १९३९ के जमाने के ७२६ रुपये के बराबर हैं। किन्तु उन्होंने उन असंख्य सरकारी कर्मचारियों के बारे में जिन्हें १०० रुपये से भी कम वेतन मिलता है, कुछ नहीं कहा। हमें याद रखना चाहिये कि यदि हमें प्रशासन को सफल बनाना है, तो इन छोटे कर्मचारियों और स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

हमें खेद है कि सरकार अभी तक श्रमिकों को प्रबन्ध से सम्बद्ध नहीं कर सकी। श्रम-प्रबन्ध सम्बन्धों का प्रभाव प्रशासन और परियोजनाओं की कार्यक्षमता पर पड़ता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी परियोजनाओं में कार्यक्षमता बढ़े, तो श्रमिकों को प्रशासन से सम्बद्ध करने के मामले पर अवश्य ध्यान देना चाहिये, और प्रत्येक स्तर पर न केवल श्रमिकों को बल्कि स्वयंसेवी अभिकरणों को भी प्रशासन से सम्बद्ध करना चाहिये।

मेरे पास विस्तार में जाने का समय नहीं है किन्तु मैं यह नहीं कहता कि हमें एपलबी रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। उनकी कुछ सिफारिशें बहुत अच्छी हैं, किन्तु उन्होंने भारत की समस्याओं को समझने का कोई प्रयत्न नहीं किया और उन्होंने यह अनुभव नहीं किया कि वर्तमान परिस्थितियों में हमें अपनी समस्याओं को संसदीय प्रशासन की सीमाओं के अन्दर रहते हुए हल करना चाहिये। इसलिए यह रिपोर्ट बहुत हद तक स्वीकार्य नहीं है।

मेरा सुझाव है कि इस रिपोर्ट की जांच करने के लिये संसद् की एक समिति बनाई जाये, जो डा० एपलबी की सिफारिशों के आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

†**श्री गाडगील** : मुझे रिपोर्ट के व्यक्तिगत पहलू में कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही मैं उस आलोचना से सहमत हूं जो डा० एपलबी ने नियन्त्रक महालेखा परीक्षक आदि के बारे में की है। मुझे इस बात में दिलचस्पी है कि भारत एक कल्याण राज्य है और समाजवादी राज्य बनना चाहता है। संविधान में दिये गये उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये प्रशासन का कार्यक्षम होना अत्यावश्यक है। स्वतन्त्रता से पहले भारत बहुत हद तक एक पुलिस राज्य था। अब स्थिति भिन्न है और सरकार अपनी कार्यवाही केवल शांति और व्यवस्था बनाये रखने तक सीमित नहीं रख सकती। अब सरकार उत्पादन और वितरण के क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है। इसी दृष्टि से पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गाडगील]

यह डा० एपलबी की तीसरी रिपोर्ट है। मैं इसमें दी गई शिफारिशों की जांचे गुणावगुण के आधार पर करूंगा। मेरे विचार में वर्तमान प्रशासन के बारे में उन्होंने जो राय कायम की है, वह बहुत हद तक ठीक है। किन्तु उनके द्वारा सुझाये गये उपचारों के बारे में मतभेद हो सकता है। हमें देखना यह है कि कर्मचारियों, दृष्टिकोण और प्रशासनीय उत्साह के पहलुओं से हमारी वर्तमान प्रशासनीय व्यवस्था काफी है या नहीं। कार्यक्षमता की परख इस बात से की जा सकती है कि क्या वह उद्देश्य जिसके लिये कोई मंत्रालय था या विभाग स्थापित किया गया है, प्राप्त कर लिया गया है या नहीं और क्या उस उद्देश्य को निर्धारित समय में प्राप्त किया गया है।

इस प्रशासन को सफल कहा जा सकता है, जिस में प्रत्येक पदाधिकारी या पदाधिकारी वर्ग का उत्तरदायित्व निश्चित कर दिया गया है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो अवलम्बनीय महत्व की भावना समाप्त हो जाती है। इसलिये डा० एपलवी के कुछ सुझावों पर विचार करना उचित है।

डा० एपलबी और महालेखा परीक्षक में जो विवाद है, मैं उस के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। संसद् के सदस्यों को केवल इस बात में दिलचस्पी है कि इस के द्वारा आवंटित रुपया उचित रुप से खर्च किया जाये। महालेखा परीक्षक का यह काम नही है कि वह नीति, प्रशासनीय निर्णय या लोकहित के बारे में अपनी राय दे। यह काम सदन का है। प्रशासन की कार्यक्षमता के हेतु हमें महालेखा परीक्षक के कार्यक्षेत्र और कृत्यों की स्पष्ट व्याख्या कर देनी चाहिये।

आज तो सरकार समाजवादी राज्य की स्थापना की आकांक्षा से समाज सेवक ही बन रही है। अतः सरकार का क्षेत्र बढ़ रहा है। आज यह कहना ठीक नहीं होगा कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम नियंत्रण करती है। आज बात बिल्कुल उल्टी है। यदि वह हमारे लिये अन्न, कपड़ों और आवास की व्यवस्था नहीं कर सकती तो मैं उसे समाजवादी सरकार नहीं कह सकता। कुछ भी हो, जहां तक नीति का संबंध है यह संविधान में दिये गये वचनों को पूरा नहीं कर सकी है।

संसद् को इस बात का ध्यान रखना है कि जो बड़ी बड़ी राशियां स्वीकृत की जा रही है उन्हें किस प्रकार और किस अभिकर्ता द्वारा व्यय किया जा रहा है, कर-दाताओं से एकत्र की गई धनराशियों के व्यय के बारे में संसद् की जानकारी होनी चाहिये। परन्तु सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि संसद् उनका ध्यान नहीं रख सकती है।

मेरे विचार से समाजवाद का अर्थ तो यही है कि सरकार मूल उद्योगों का और शीघ्र लाभ देने वाले उन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करे जिनका राष्ट्रीयकरण सरकार ने अभी तक नहीं किया है। परन्तु यह तो करना ही पड़ेगा। इस से सरकार का यह क्षेत्र और भी विस्तृत होगा। अतः शीघ्र कार्य करने और दत्तमत धन पर संसद् के उचित नियंत्रण को बनाये रखने के लिये कोई व्यवस्था की ही जानी चाहिये।

बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने वाले विधेयक पर चर्चा करते समय इस पहलू पर विचार किया गया था कि क्या लेखा परीक्षा निजी अधिकृत लेखपालों (चार्टर्ड अकाऊंटेंट) द्वारा की जाये अन्यथा महालेखा परीक्षक द्वारा। मेरा सुझाव है कि यहां भी लेखा परीक्षा आयोग जैसी किसी ऐसी मशीनरी की व्यवस्था की जाये जो समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिवेदन की जांच करके सभा के समक्ष विचार के लिये एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। इससे संसद् का पूरा नियंत्रण रहेगा।

नियंत्रण उसी हालत में कम किया जाना चाहिये जब ऐसा करने से क्षमता बढ़े, काम शीघ्रता से हो और योजना को ठीक प्रकार कार्यान्वित किया जा सके। कई वर्ष पूर्व जिस प्रकार के व्यक्ति भर्ती किये जाते थे वे हमारे लिये उपयोगी नहीं है और प्रतिवेदन में भर्ती के बारे में जो आलोचना की गई है वह विचार करने योग्य है। लोक सेवा आयोग के पास कई मांगें भेजी जाती है परन्तु

अपेक्षित अर्हताओं वाले व्यक्ति नहीं मिलते है, अतः डा० एपलबी का सुझाव है कि एक एक व्यक्ति की मांग करने की बजाये पदालियों की मांग की जाये और आवश्यकता पड़ने पर उनमें से नियुक्तियां कर ली जाये।

भारतीय सिविल सर्विस में जिस उद्देश्य से प्रेरित हो कर लोग पहले आते थे उससे आज काम नहीं चल सकता है। आज इस सेवा में आने वाले का उद्देश्य अधिक अध्यात्मिक, नैतिक और महान होना चाहिये। उसे चार हजार, तीन हजार अथवा दो हजार रुपये से नही तोला जाना चाहिये। यह तो निश्चित है कि सरकारी कर्मचारी को इतना वेतनादि तो प्राप्त होना ही चाहिये जिस से कि वह समाज में अपने जीवन स्तर को बनाये रख सके। परन्तु पैसे से अधिक आकर्षण इस बात का होना चाहिये कि हम नये भारत का निर्माण करने वाले हैं। मेरा विचार है कि विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हजारों नवयुवकों को इस कार्य के लिये तैयार किया जा सकता है। इसलिये मेरा सुझाव यही है कि सरकार को अब भर्ती करने की नीति में परिवर्तन करना चाहिये।

इसके साथ ही जिम्मेदारी की भावना का विकास करना भी आवश्यक है। और यह काम काफी मात्रा में शक्तियों के प्रत्यायोजन से ही हो सकता है। कई लोगों का विचार है कि शक्ति के प्रत्यायोजन से शक्ति छिन जाती है। परन्तु श्री एपलबी का कहना ठीक है कि शक्ति के प्रत्यायोजन से जिम्मेदारी का विस्तार होता है, और कई लोगों को जिम्मेदारी का आभास और अनुभव होता है। अंग्रेजों के शासन काल में कर्मचारियों को कार्यवाहक अवसर मिला करते थे। यदि कोई जिलाधीश छुट्टी पर जाता था तो डिप्टी कलेक्टर उसके स्थान पर तीन-चार मास तक कार्य करता था जिससे कि उसे सब बातों का ज्ञान हो जाता था। तीन चार बार ऐसा होने पर वह बिल्कुल दक्ष हो जाता था। इसलिये मेरा सुझाव यही है कि प्रबन्ध संचालक के साथ साथ दो तीन उप-संचालक भी बोर्ड के सदस्य होने चाहिये, जो कि काम का अनुभव प्राप्त करते रहें, और समय पर जिम्मेदारी को संभाल सकें। डा० पाल ठीक ही कहते है कि छोटी सी बात के लिये अधिक विस्तार से आलोचना किये जाने के कारण ही जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते हैं। कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पर कार्य करना नहीं चाहता है। इस मनोवृत्ति को बदलना है और यह मनोवृत्ति शक्ति के प्रत्यायोजन से ही बदली जा सकती है। क्योंकि सरकार का कार्य क्षेत्र बढ़ रहा है, इसलिये संसद् के समक्ष और विधान भी आयेंगे ही। जहां तक सिद्धांत का संबंध है हमें विभागों और मंत्रालयों को शक्ति का अधिक से अधिक प्रत्यायोजन करना ही होगा। कई निगामों के नियम, विनियम बनाने का प्रश्न आयेगा, इसलिये हमें केवल आधार भूत सामान्य नीति से ही संबंध रखना चाहिये और नियंत्रण के लिये कोई लेखा परीक्षण आयोग अथवा इसी तरह की कोई और व्यवथा करनी चाहिये जो कि सभी प्रकार की रिपोर्टों के संगृहीत रूप को संसद् के समक्ष प्रस्तुत कर दिया करे। जिससे कि हमें यह ज्ञान हो कि हमारे द्वारा स्वीकृत धन राशि ठीक ढंग से खर्च की जा रही है अथवा नहीं। मुझे केवल सरकार से यही प्रार्थना करनी है कि वह शीघ्र ही अपनी नीति निश्चित करे, क्योंकि प्रशासन का राज्य से वैसा ही संबंध है जैसा कि व्याकरण का भाषा से होता है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य रचना से आनन्द की अनुमति होती ही है।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** (जिला बनारस–पूर्व) : मैं अनुभव करता हूं कि हमें डा० एपलबी का आभार मानना चाहिये, क्योंकि यदि वह सदस्य होते तो शायद किसी भी संसद् सदस्य से अधिक जोरदार भाषा में आलोचना करते। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, इस से केवल यही सिद्ध होता है कि कई बार संसद् की आलोचना ठीक होती है। वास्तव में जनता के प्रत्येक प्रतिनिधि का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने मत को जोरदार ढंग से प्रकट करे। जब तक आप उन लोगों में, जिनका कर्तव्य जिम्मेदारी संभालने है, जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न नहीं करते, हमारे भविष्य के लिये कोई आशा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र और संसदीय संस्थाओं का अर्थ ही आलोचना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्रि० ना० सिंह]

डा० एपलबी ने अपनी रिपोर्ट में जो कुछ कहा उसका भावार्थ यह है कि सामाजिक बुद्धिमत्ता पूर्णरूपेण संगठित संस्थाओं की प्रतिक्रिया भाग से ही विशिष्ट निर्णय में परिणित की जा सकती है। परन्तु इसके साथ ही शर्त है कि सर्वोच्य सत्ता पर ऐसे निकाय का नियंत्रण हो जो सार्वजनिक नियंत्रण के अधीन है। इस दार्शनिक से बट्रंड रसेल का संभरण हो आता है। मैं उनका अभिप्राय समझने में सर्वथा असमर्थ हूं। जनता के प्रतिनिधियों के रूप में हम यह अनुभव करते है कि सर्वोच्य सत्ता में सुधार हो। एवं उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाय।

दूसरी बात यह है कि हम चाहते क्या हैं, मैं कड़ी भाषा का प्रयोग नहीं करुंगा, क्योंकि आज की नौकरशाही ईमानदारी, योग्य और जनमत के प्रति उत्तरदायी है। यह भी हमारी एक मांग थी और हमें अपना चुनाव करना था। मतदाताओं ने भी अंतिम उद्देश्य के लिये चुनाव किया, हम लोक लेखा समिति और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों से परिचित ही है। मैं कह सकता हूं कि इस मामले में हमने मतदाताओं की इच्छाओं का पूर्णरूप से पालन किया है। इसी भावना से हम काम करते है और हमारी इच्छा यही है कि हमारे सभी अधिकारी भी इसी भावना से कार्य करें। यदि इसी भावना से कुछ कहा गया है तो अच्छा ही है, इससे जो कुछ हमने किया है वह जनता पर प्रकट हो गया है।

आखिर इस रिपोर्ट में कौन सी नई बात कही गयी है। शक्तियों का प्रत्यायोजन। कौन कहता है कि ऐसा न किया जाये। परन्तु जो भी प्राधिकार शक्ति का प्रत्यायोजन अपने से किसी नीचे के व्यक्ति को करता है, उसका यह उद्देश्य कभी नहीं होता है कि उसका अनुचित प्रयोग किया जाय। यह सब तो इस विश्वास के आधार पर किया जाता है कि उसका ठीक और उचित प्रयोग किया जायेगा। और एपलबी रिपोर्ट में दिये सुझाव की भावना भी यही है। इसी आधार पर प्रशासन चलता है और चलना चाहिये। परन्तु वह कहते है कि जब भी कोई निर्णय किया जाये तो ऊपर से नीचे तक एक मत से होना चाहिये। यदि अवर सचिव सहमत नहीं होता है तो फाइल वापिस हो जाती है। यह तो शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं है। वास्तव में शक्तियों के प्रत्यायोजन का सिद्धांत इसी अवस्था में लागू होना चाहिये। इसी प्रकार से काम किया जाना चाहिये। यह प्रत्यायोजन का ठीक ढंग नहीं है।

अभी जो हमारे पुराने और सम्माननीय सदस्य श्री गाडगील ने कहा उससे पता चलता है कि उन्होंने लोक लेखा समिति, लेखा परीक्षण तथा प्राक्कलन समिति की रिपोर्टों का अध्ययन नहीं किया है। कहीं भी ये समितियां अपने दायरे से इतनी बाहर नहीं गयी है कि जिसे कि हस्तक्षेप कहा जा सके। उन्होंने किया भी क्या है? यही कि प्रशासन व्यवस्था के संबंध में कुछ सुझाव दिये हैं। और यह तो प्राक्कलन समिति का कार्य ही था। लोक लेखा समिति ने भी कुछ मामलों को उसी तरह निपटाया जिस तरह कि संसार के अल्प देशों में ऐसे मामलें थे। लोकतंत्रीय ढंग से निपटाया जाता है। यह तो दैनिक कार्य की बात है। जहां लोगों को कुछ संदेह होता है और अधिक जांच की आवश्यकता होती है तो हमारी समिति कहती है, "हम अनुभव करते हैं कि इस मामले की और जांच की जानी चाहिये और सरकार को यह जांच कार्य करना चाहियें"। इसलिये कहां लोक लेखा समिति अथवा प्राक्कलन समिति द्वारा हस्तक्षेप किया गया है?

†**श्री मात्तन्** : क्षमा कीजिये, लोक लेखा समिति नहीं, महालेखा परीक्षक के कर्मचारी प्रत्येक मामले मे हस्तक्षेप करके स्वविवेक को चुनौती देते हैं।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : अधीनस्थ कर्मचारियों में कोई खराबी हो, तो मैं क्या यह कह सकता हूं? संविधान में हमारे प्रशासन का जो ढंग निर्धारित किया गया है उसमें क्या गलती है? यह ब्योरे की बात है और उपयुक्त व्यक्ति इस कार्य को करते हैं।

यह संसद् किस प्रकार कार्य कर रही है यह एक ब्योरे का प्रश्न है। क्या श्री एपलबी ने इतने बड़े आरोप लगाने के पूर्व हमारी समितियां अथवा संसद् से कोई परामर्श किया था?

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं किया गया। बिना दूसरे के पक्ष की बात को सुने कोई राय दे देना बहुत अनुचित है। हम गलती कर सकते हैं, संसद् गलती कर सकती है। कोई नहीं कह सकता कि प्रत्येक समय हमने ठीक ही कार्य किया था। हम सब मनुष्य हैं और गलती कर सकते हैं। इसी आधार पर ही लोकतंत्र चलता है। इसलिये अच्छा होता यदि वह ज्ञात कर लिया जाता कि हम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं।

वास्तव में श्री गाडगील का यह कहना गलत है कि महालेखा परीक्षक ने नीति विषयक मामले में हस्तक्षेप किया है। उसकी जितनी रिपोर्टें प्रकाशित हुई है, किसी में भी ऐसा नहीं है। हां, लोक लेखा समिति में हमने नीति विषयक मामलों पर चर्चा अवश्य की है। इस संसद् का ही एक अंग होने के कारण ऐसा करने का हमें अधिकार था। परन्तु यदि सदन यह समझे कि सार्वजनिक हित में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था, तब तो बात ही और है। परन्तु अब तक जो कुछ भी किया गया है वह संविधान की भावना के अनुरूप ही किया गया है।

सार्वजनिक उपक्रमों के सम्बन्ध में मैं भी उतना ही उत्साही हूं जितना कि इस सदन में कोई अन्य सदस्य होगा। मैं उनके विकास का समर्थक हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक उपक्रमों पर राष्ट्र का नियन्त्रण हो। एक दिन ऐसा होकर रहेगा और पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भी यही है। साथ ही हम यह चाहते हैं कि जहां भी ऐसा हो उसका आधार लोकतंत्रात्मक नियन्त्रण होना चाहिए। सार्वजनिक उपक्रम और निजी उपक्रम में अन्तर तो होता ही है। यदि आज रेलवे निजी उपक्रम होता तो हम अपनी शिकायतों को व्यक्त नहीं कर सकते थे और उनका सुधार नहीं हो सकता था। सार्वजनिक हित के मामले में तो संसद् को बोलने का अधिकार है ही। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि रेलवे जैसे राष्ट्रीय उपक्रम के सम्बन्ध में, जो कि एक प्रकार का व्यापारिक उद्यम है, हमने प्रत्येक छोटी से छोटी बात की सूचना प्राप्त की है। जो कुछ भी हम रेलवे मंत्री और संचार मंत्री से पूछते हैं, मंत्रिमंडल स्तर पर उस पर विचार भी किया जाता है। ऐसे ब्योरे वाले मामले भी है जिन्हें सदन को देखना ही पड़ता है।

प्रश्न काल के सम्बन्ध में भी उन्होंने कुछ कहा है। हम चाहे बहुत उच्च स्तर के व्यक्ति न हों परन्तु प्रश्नों का घंटा संसद् के समय का एक लाभदायक उपयोग है। इससे सदस्यों और प्रशासन दोनों को लाभ होता है। यह ठीक है कि जैसे जैसे हमें अनुभव प्राप्त होता जायेगा हम बहुत कुछ सीखेंगे। परन्तु यह कह कर संसद् की आलोचना करना कि प्रश्न काल से कोई लाभ नहीं है, कोई महत्व नहीं रखता है।

मैं अपने मान और प्रतिष्ठा की बात कहता हूं, पीठ ठोकना नहीं चाहता। परन्तु मैं यह कहूंगा कि इस संसद् ने, इस महान सदन ने बड़ी पवित्र परम्पराओं का निर्माण किया है और देश के इतिहास के बड़े कठिन काल में यह सुन्दर कार्य किया गया है, हमें उस पर अभिमान है। हमें इसकी चिन्ता नहीं कि एक विदेशी क्या कहता है। यह लोकतंत्र है और मत व्यक्त करने की सब को स्वतन्त्रता है। एक बाहर वाले को भी यह अधिकार है कि वह इस देश के सर्वोच्च निकाय की आलोचना करे। आज इस देश में कौन है जो इस बात पर अभिमान नहीं करेगा कि सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुये हमने अपनी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को कायम रखा है और किस प्रकार हम महान उपक्रमों में भाग ले रहे हैं।

जैसा कि मैंने कहा था कि एक व्यक्ति के लिए बिना कुछ जाने या हमारी बात सुने हम महान संसद् के सम्बन्ध में कुछ कहना ठीक नहीं है। एक तरफा निर्णय दे दिया गया है। प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि वह रिपोर्ट परिचालित करने के लिये नहीं थी परन्तु गलती से सबको परिचालित कर दी गयी।

अच्छा हुआ इस पर चर्चा हो गयी। मैं चाहता हूं कि आप अधिक समय दें ताकि इस पर पूर्ण निष्पक्षता से विचार किया जा सके।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्रीमान्, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस चर्चा के प्रारम्भ में ही मैंने बताया था कि मैं एपलबी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों, दिये गये सुझावों और की गई आलोचना के विस्तार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले सरकार सावधानी से इन पर विचार करे और बाद में उन्हें जानकारी और मार्ग प्रदर्शन के लिये संसद् के समक्ष रखा जाये ।

मैं प्रारम्भ में ही कह दूं कि हमें इस विषय पर संसद् सदस्यों द्वारा चर्चा किये जाने का स्वागत करने चाहिये । श्री मात्तन् ने सचिवों की एक समिति का सुझाव दिया । मैं उनका अभिप्राय नहीं समझ पाया । सचिव तो इन पर विचार कर ही रहे हैं । जो चीजें उन्हें सौंपी जाती हैं वे उन पर विचार करते हैं और निश्चय ही वे अपनी सिफारिशों भी भेजेंगे । परन्तु ठीक तरीका यह है कि यदि समय हो तो हम कुछ संसद् सदस्यों से अनौपचारिक बैठकें करें जैसी कि योजना आयोग के लिये की गई थीं । परन्तु उसके लिये एक शर्त है कि भविष्य में काम में लाने के लिये प्रत्येक शब्द को अभिलेख में न रखा जाय क्योंकि उससे व्यर्थ ही समय और शक्ति नष्ट होती है । पर अनौपचारिक रूप से बैठ कर विभिन्न मामलों पर चर्चा करना सरकार के दृष्टिकोण से निश्चय ही बड़ा लाभदायक होगा । मैं इसकी प्रत्याभूति तो नहीं दे सकता—मैं नहीं जानता कि आगामी सत्र में हमें क्या कार्य करना है—परन्तु आशा है कि हम यह भी करेंगे ।

इस प्रतिवेदन को इस दृष्टि से देखा गया है कि जैसे यह हमारे किसी विशेषाधिकार अथवा नियम पर प्रहार करती है और हमें अपना बचाव करना है । लोक-सभा यह देखेगी कि सरकार के विभिन्न विभागों, वित्त मंत्रालय आदि की बड़े कठोर शब्दों में आलोचना की जाती है, मुझे और मेरे सहयोगियों को उस पर कोई आपत्ति नहीं है । हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी आलोचना की जाये । इसका आशय यह नहीं है कि हम उससे सहमत हैं । उससे सहमत होना या न होना अलग बात है पर हम आलोचना का स्वागत करते हैं । इसीलिये हमने इस बार और पिछली बारे जब डा० एपलबी यहां आये थे, इसका स्वागत किया था ।

इसमें सन्देह नहीं कि डा० एपलबी को न केवल अमरीका की बल्कि निश्चय ही योरुप की और अन्य देशों की प्रशासनिक प्रक्रियाओं का काफी अनुभव है । बहुत समय तक उन्हें प्रशासन सम्बन्धी मामलों का विशेषज्ञ माना जाता रहा है । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि भारत के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है वह ठीक या अच्छा ही है । परन्तु वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अपनी राय व्यक्त करने का हक है और उनकी राय पर ध्यान पूर्वक विचार किया जाना चाहिये ।

लगभग तीन या चार वर्ष पूर्व वह पिछली बार यहां आये थे और जो प्रतिवेदन उन्होंने उस समय दिया था वह बहुत समय पश्चात् लोक-सभा के समक्ष रखा गया था और राज्य सरकारों को भेजा गया था । वस्तुतः उस प्रतिवेदन से हमें बहुत लाभ हुआ और उस प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् वित्त मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों की आन्तरिम प्रक्रियाओं में कुछ सुधार किये गये । मेरे विचार से किसी हद तक एपलबी प्रतिवेदन पर चर्चा किये जाने के कारण ही संगठन और रीति विभाग आरम्भ किया गया था, और वह बहुत अच्छा कार्य कर रहा है । वस्तुतः समय समय पर परिवर्तन किये जाते रहे हैं । यह समूचे प्रशासन में व्याप्त है और जो परिवर्तन किये गये हैं अथवा दिन प्रति दिन किये जाते हैं वे हमारी भलाई के लिये ही हैं ।

इसके पश्चात् वह दूसरी बार लगभग दो वर्ष हुए तब आये थे और उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थीं — उन्होंने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया या नहीं यह मुझे ठीक से याद नहीं है ।

तीसरी बार वह हाल ही में आये । कुछ समय के लिये वह न्यूयार्क राज्य के वित्त मंत्री रहे हैं । वहां उन्हें वित्त मंत्री नही कहा जाता है परन्तु न्यूयार्क राज्य में कार्य वह यही करते हैं । वह

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में कार्य करते हैं, और यह मामले होते भी बड़े हैं । इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें हमारे वित्तीय मामलों का अन्तिम रूप से निर्णय करने की अर्हता प्राप्त है। परन्तु इससे किसी हद तक क्षमता और अनुभव का अवश्य पता चलता है। वह सेवा निवृत्त होने वाले हैं और किसी हद तक वह अपने जीवन का कार्य समाप्त कर चुके हैं, उन्होंने प्रशासनिक प्रक्रिया और वित्तीय तथा अन्य प्रक्रियाओं के बारे में काफी कुछ बताया है। हमने उनकी यात्रा का स्वागत किया और उससे काफी लाभ उठाया है।

उनकी आलोचना का उद्देश्य यह रहा है कि आज हम भारत में अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकते हैं। हमारे देश को सामाजिक और अन्य मामलों को शीघ्र हल करना है, औद्योगीकरण करना है और आर्थिक क्षेत्र के प्रत्येक अवस्था में प्रगति करनी है। यह सब कुछ कैसे किया जाये? उन्होंने यह बताया है कि हम तत्कालीन प्रशासन पद्धति और अंग्रेजों से उत्तराधिकार में प्राप्त पद्धति का अनुसरण करते हुए यह सब कार्य सन्तोषजनक ढंग से नहीं कर सकते हैं। उन्होंने व्यक्तियों की सराहना की है और उन्होंने यह भी कहा है कि भारत के प्रशासन के स्तर की तुलना संसार के किसी भी देश से की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक दृष्टिकोण और प्रशासन की शुद्धता के दृष्टिकोण से—यद्यपि कुछ विभागों में भ्रष्टाचार है—भारत सरकार के चोटी के १२ देशों में से एक है। इसके पश्चात् उन्होंने बताया कि हमारी वर्तमान पद्धति पहली किस्म के राज्य के लिये ठीक थी परन्तु इस से शीघ्र उन्नति नहीं हो सकती है और बहुत सी रुकावटों और प्रतिबन्धों के कारण अत्याधिक विलम्ब होता है यह उनकी पहली आलोचना थी।

जब वह दूसरी बार आये तो उन्होंने इस बात पर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया कि उनकी आशा से अधिक तीव्रता से प्रगति हुई थी, इसका यह भी कारण था कि कुछ परिवर्तन किये गये थे और उनके विचारानुसार प्रशासनिक शासनतंत्र ने अधिक परिश्रम किया था। उन्होंने इस अवसर पर यही कहा कि उन्होंने प्रगति इसलिये की क्योंकि वह श्रमता से अधिक कार्य करते रहे, परन्तु सदा वे ऐसा नहीं करते रह सकते हैं। एक स्थायी और शीघ्र प्रगति करने वाली पद्धति के विकास के लिये आपको कुछ परिवर्तन करने होंगे। डा० एपलबी की आलोचना का सारांश यह है कि इस प्रशासनिक व्यवस्था की गति अधिक होनी चाहिये। उनकी आलोचना की पृष्ठभूमि समूचा संसार है परन्तु मुख्यतः यह अमरीकन पृष्ठभूमि है और वह उसे पसन्द भी करते हैं। मैंने डा० एपलबी का प्रतिवेदन एक प्रसिद्ध अंग्रेज प्राध्यापक को, जिसकी पृष्ठभूमि स्पष्टतः इंग्लैण्ड की थी, वह श्री हीरेन मुकर्जी के विश्वविद्यालय, आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के थे, दिखाया था और उन्होंने डा० एपलबी की अमरीकन पृष्ठभूमि को पसन्द नहीं किया था।

डा० एपलबी अथवा आक्सफोर्ड के दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा इससे अधिक अन्तर नहीं पड़ता है। वे दोनों ही रुचिकर हैं और लाभदायक भी है क्योंकि वे दोनों प्रस्तुत प्रश्न को विभिन्न दृष्टिकोणों से देख रहे हैं। हमारी रुचि किस बात में है? हम यह नहीं चाहते कि किसी ढांचे विशेष को ही रखा जाये, अथवा दूसरे प्रशासनिक ढांचे को बदल दिया जाये हम तो केवल यही चाहते हैं कि कार्य तेजी से तथा यथासम्भव शीघ्रता से हो। हम चाहते हैं कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का कार्य क्षमता और तेजी से और प्रशासन को शुद्ध रखते हुए आगे बढ़े। हमारा उद्देश्य केवल यही है। अतः हम सभी सुझावों का स्वागत करते हैं चाहे वह कहीं से भी क्यों न प्राप्त हुए हो। हम उनका अपने और संसद् के अनुभव के आधार उनकी जांच करेंगे और पद्धति में सुधार करने की चेष्टा करेंगे। यह तो कोई भी नहीं कह सकता कि उसकी प्रशासन व्यवस्था दोष रहित है। पूर्ण रूप से दोष रहित तो कोई बात भी नहीं होती है। यह बात स्वीकार की जा चुकी है और मेरा विचार है कि सभी इसे स्वीकार करेंगे कि हमारी प्रशासन व्यवस्था के ढांचे ने जो मूलतः अन्य प्रयोजनों को सामने रखते हुए तैयार किया गया था, अपने आपको हमारी आशा से अधिक सुचारू रूप से भारत में हुए परिवर्तन के अनुकूल बना लिया है। मैं तो यह कहूंगा कि प्रशासन व्यवस्था ने, उसके अधिकांश भाग ने अपने आपको बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल बना लिया है। परन्तु यह केवल अनुकूलन का ही प्रश्न नहीं है बल्कि उस से भी अधिक महत्व का विषय है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इस सभा में कई बार यह आलोचना की जाती है और सम्भव है कि वह ठीक भी हो, कि सभी सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या, मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों की संख्या बढ़ रही है। परन्तु कार्य में भी आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। काम कितना बढ़ गया है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हम इसे पर्याप्त मात्रा में करते हैं या नहीं इसका निर्णय मुझे नहीं करना है। परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि काम बहुत बढ़ गया है। काम दोगुना अथवा तीन गुना नहीं बढ़ा है बल्कि यह पहले से ५० अथवा १०० गुना बढ़ा है। इससे प्रत्येक व्यक्ति पर बहुत बोझ पड़ता है; काम बढ़ रहा है; कर्मचारी कम हैं; प्रशिक्षित कर्मचारी कम हैं। स्पष्ट है कि जिस प्रकार का काम हमें अब अधिक से अधिक करना है उसके लिये प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता है। हमें प्रशिक्षित प्रविधिज्ञों, प्रशिक्षित वैज्ञानिकों, प्रशिक्षित इंजीनियरों, प्रशिक्षित प्रशासनिक पदाधिकारियों तथा अन्य की आवश्यकता है। हमें निरन्तर इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हमारी आज की बड़ी समस्याओं में से एक जन शक्ति का प्रश्न है। देश की जन शक्ति को यह वर्तमान तरीके से नहीं किया जा सकता है, जिसमें लोग कालेजों और विश्वविद्यालयों में एक अव्यवस्थित रूप में भर्ती हो जाते हैं और फिर बाद में बिना रोजगार के भटका करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के काम के लिये आवश्यकता होती है, वे उसके उपयुक्त नहीं होते हैं। हमारे पास बहुत अधिक कार्य है और उसके लिये व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना है और किसी भी प्रशिक्षित व्यक्ति को भटकने नहीं देना चाहिये। निस्संदेह, हम आज से कहीं अधिक संख्या में इन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करेंगे। इतना ही नहीं, हमें दूसरे देशों के साथ प्रतियोगिता भी करनी है।

मुझे बताया गया है कि सोवियत संघ में प्रतिवर्ष ७५,००० इंजीनियर प्रशिक्षित किये जाते हैं। हम ७५,००० इंजीनियर प्रशिक्षित न कर सकें, लेकिन ५,००० या १०,००० को तो प्रशिक्षित कर ही सकते हैं। हमें यह करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यह संख्या भी बढ़ जायेगी। मैंने आज ही पढ़ा कि सोवियत संघ में २,५०,००० विज्ञान के अध्यापक हैं, केवल विज्ञान के ही। यही बात यह बताती है कि वहां विज्ञान और प्रौद्योगिकीय तथा अन्य चीजों को कितना अधिक महत्व दिया जाता है। प्रशासन का समूचा तरीका ही बदलता जा रहा है। आधुनिक जीवन की समूची प्रवृत्ति में ही परिवर्तन हो रहा है। हमारी प्रशासकीय पद्धति को भी अपने-आपको उसी के अनुसार ढालना पड़ेगा। अब अधिक दिनों तक वह अपने पुराने तरीके से नहीं चल सकती है।

सोवियत संघ और अमरीका में वैसे कोई समानता नहीं है। और एक प्रकार से तो वे दूसरे के विपक्षी हैं, लेकिन उन में भी एक या कई बातों में समानता है। अन्य बातों के अतिरिक्त उन में इस एक बात में अवश्य समानता है कि उन दोनों देशों में एक जीवन-शक्ति है, परिस्थितियों के अनुसार अपने आपको ढाल लेने की शक्ति है, उन्हें परिवर्तन हो रहे वर्तमान संसार का ज्ञान है और वे अपने-आपको उस के उपयुक्त बना रहे हैं, वैज्ञानिक, औद्योगिक और प्रौद्योगिक तथा अन्य रूप से अपने-आपको उसके उपयुक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि अन्य सभी देश उनसे पिछड़ गये हैं। इसलिये, आप देखेंगे कि अमरीका और सोवियत संघ के औसत व्यक्ति भारत की जो आलोचनायें करते हैं वे एक ही प्रकार की होती हैं। अमरीकी लोगों को हमारे देश में लग जाने वाले प्रतिबन्ध और संतुलन पसंद नहीं आते हैं। वे तो केवल यही चाहते हैं कि कार्य आगे बढे। अमरीकी कहता है : 'यह सब क्या है ?' प्रतिबन्ध लगाना और सन्तुलन कायम करना तो प्रत्येक सरकार के लिये आवश्यक होता है, लेकिन वह कहता है कि "इस देश में वह बहुत अधिक है।" हमारे देश में, सोवियत संघ से बहुधा विशेष व्यक्ति ही आते हैं, लेकिन उनका भी कहना यही है कि इस प्रकार कार्य सम्पन्न नहीं कराया जा सकता है और इन प्रतिबन्धों और सन्तुलनों तथा शर्तों से उसमें रोड़ा अटकता है। वे कहते हैं कि आप सोवियत संघ की भांति अपने यहां भी महाप्रबन्धक को ही सारे कार्य का भार क्यों नहीं सौंप देते ? सैद्धांतिक रूप से यह ठीक नहीं है। सैद्धांतिक रूप से तो संसद् ही सर्वोच्च है, और उसे सर्वोच्च रहना ही चाहिये। देश में लोकतन्त्रात्मक ढांचा रहना ही चाहिये। हमें अपने संविधान के मूलभूत आधार को ही मानकर चलना चाहिये। इससे किसी को भी इन्कार नहीं है। प्रतिबन्ध तो होने चाहिये। महालेखा परीक्षक होना चाहिये।

यह सब तो ठीक है। लेकिन, संविधान से कोई ठोस परिणाम निकालने की समस्या एक व्यावहारिक समस्या है, सैद्धांतिक समस्या भर नहीं है। इसलिये, हम आलोचनाओं का स्वागत करते हैं। कई आलोचनायें हमें प्राप्त भी हुई हैं।

यहां मेरे जो मित्र इस्पात के कारखानों के निर्माण के संबंध में कार्य कर रहे हैं, उनसे सोवियत की जनता लगातार यही कहती रहती है कि इसे शीघ्रता से किया जाना चाहिये। उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन किया जाना चाहिये, यह किया जाना चाहिये वह किया जाना चाहिये। हमे आगे बढ़ना ह। हम दूसरों की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। यह एक विचित्र सी बात है कि सोवियत संघ और अमरीका के प्रशासनिक ढांचों में इतना भारी अन्तर होते हुए भी, हमारे संबंध में उनकी आलोचनायें एक ही प्रकार की होती हैं।

इस संबंध में, मैं यह भी बता दूं, और अपने मित्र तथा सहयोगी श्री मुकर्जी का ध्यान मैं इसकी ओर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि वे सदा ही नौकरशाही का उल्लेख करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि इस प्रकार की नौकरशाही व्यवस्था मानवीय भावनाओं को कुचल देती है, आदि-आदि। मुझे यह नहीं मालूम कि सोवियत संघ के वर्तमान शासकों को वह क्या कहेंगे। मेरे विचार से तो उन्हें नौकरशाही के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। वहां का शासन तो नौकरशाही का निचोड़ है, और मैं कह सकता हूं कि हमारे देश में समाजवादी प्रगति जितनी ही अधिक होगी, हमारे यहां उतनी ही नौकरशाही बढ़ती जायेंगी। समाजवाद का यही अवश्यम्भावी परिणाम है। यह बिलकुल स्पष्ट है। यह दूसरी बात है कि वह एक अधिक अच्छी प्रकार की नौकरशाही हो। लेकिन वह है नौकरशाही ही, और आज की पेचीदा हालत में नौकरशाही आवश्यक भी है, फिर चाहे वह भारत हो, या अमरीका या सोवियत संघ हो।

अमरीका में, पहले की अपेक्षा अब कुछ कम नौकरशाही है। पिछले काल में, उनके यहां बहुत अधिक नौकरशाही थी, जिसे 'विजित राजनीतिक दल से भी सभी पद आदि छीन लेने की प्रणाली' कहा जाता था। इसका अर्थ यह है कि जब भी कोई नया प्रशासन सत्तारूढ़ होता है तो वह गांव के स्थानीय पहले के पोस्ट मास्टर तक को निकाल देता है। पता नहीं कि अब भी वहां यह सब कुछ किया जाता है या नहीं, लेकिन पहले किया जाता था। प्रत्येक चीज में परिवर्तन कर दिया जाता है और नये दल के व्यक्ति रख दिये जाते हैं। सोवियत संघ प्रणाली में भी कभी-कभी एकाएकी बहुत अधिक पदों से व्यक्तियों को हटा दिया जाता है, मुझे उसका पूरा ब्योरा मालूम नहीं है।

लेकिन, इससे बात यही निकलती है कि नौकरशाही से बचा नहीं जा सकता है। यदि आप चाहते हैं तो उस में सुधार कर सकते हैं, और आपको यह करना भी चाहिये। लेकिन वह नौकरशाही तो रहती ही है। पिछले जमाने में, हम नौकरशाही का अर्थ समझते थे भारतीय सिविल सर्विस और कुछ अन्य सेवायें। हां, अब वह धारणा नहीं रही है। अब भारतीय सिविल सर्विस का वह पुराना रूप क्रमशः मिटता जा रहा है; केवल कुछ ही व्यक्ति बचे हैं। दूसरे लोग आ रहे हैं और अब एक नये वातावरण में भारतीय प्रशासनिक सेवा का जन्म हुआ है और उसे परिपक्वता दी जा रही है। लेकिन इसके अतिरक्त, स्वाभाविक रूप से, इस तथाकथित नौकरशाही पर एक नया आक्रमण हो रहा है, और वह आक्रमण है प्रविधिक व्यक्तियों का– इंजीनियरों, प्रौद्योगिक व्यक्तियों आदि का। वे हमारी इस पूरी व्यवस्था में एक बड़ी संख्या में आते जा रहे हैं और आगे इससे भी अधिक संख्या में भर्ती होंगे। आपको इन व्यक्तियों पर निर्भर करना पड़ेगा, आपको उन्हें अधिकाधिक प्रशिक्षण देना पड़ेगा। आगे चल कर समय आयेगा जब आप उनका हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में उपयोग करेंगे, और आपकी सरकार तब तो इस प्रकार अधिकाधिक रूप में नौकरशाही बनती जायेगी। हां, तब नियंत्रण आदि का भी हजारों और लाखों तरीके होंगे।

अब फिर, हमारा कार्य बहुत अधिक पेचीदा और विभिन्न प्रकार का होता जाता है। संसद् का कार्य इतना अधिक कठिन होता जाता है कि संसद् के लिये उसके साथ कदम से कदम मिला कर चलना कठिन हो रहा है। यदि संसद् उसके साथ-साथ चलने में असमर्थ है और इस के बावजूद भी

[श्री जवाहरलाल नेहरु]

उसको नियंत्रण करना ही है तो उसे समूचे प्रशासन में से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण स्थानों को चुनकर उन पर ही अपनी सारी शक्ति लगानी आवश्यक है,उसे यह देखना है कि वे कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं जिन्हें उसे अपने नियंत्रण में रखना है और जिन पर प्रतिबन्ध लगाना अत्यावश्यक है और किन अपेक्षाकृत कम महत्व के विषयों पर उसे व्यर्थ में समय नहीं गंवाना है। अन्यथा महत्वपूर्ण मामले रह जाते हैं और ध्यान छोटे-छोटे कम महत्व के मामलों पर ही लगा रहता है।

यदि माननीय सदस्य इंगलैंड की संसदीय प्रणाली के विकास के इतिहास का स्मरण करें, तो वे देखेंगे कि इंगलैंड में १९ वीं शताब्दी की संसद् अपने आज के वर्तमान स्वरूप से बिलकुल ही भिन्न थी। यद्यपि वह कोई बहुत लोकतन्त्रात्मक संसद् नहीं थी, मेरे कहने का आशय यह है कि उसमें मताधिकार बहुत ही सीमित था, तथापि इस एक तथ्य के अतिरिक्त, उस संसद् के पास पर्याप्त अवकाश रहता था। गैर-सरकारी सदस्यों के पास काफी अधिक समय रहता था। वह गैर-सरकारी सदस्यों की संसद् थी। सरकार शायद ही कभी कोई महत्वपूर्ण सामाजिक विधान प्रस्तुत करती थी। हां, कभी कभी तो वह भी विधान प्रस्तुत करती थी, लेकिन बहुत ही कम और वह भी कभी-कभी। संसद् का पूरा भार गैर-सरकारी सदस्यों पर ही रहता था।

क्रमशः संसद् और संसद् में कार्य करने वाली सरकार का कार्य इतना अधिक बढ़ गया है कि ब्रिटिश संसद् में भी, अन्य संसदों की भांति, बेचारे गैर-सरकारी सदस्य को कोई समय ही नहीं मिल पाता है। सर्वाधिक महत्व की बातों को संसद् सिद्धांत के आधार पर किये गये किसी वास्तविक निर्णय के आधार पर ही निर्णीत करती है और उसके बाद उसे किसी अन्य निकाय को सौंप देती है। एक उदाहरण लीजिये। १९ वीं शताब्दी और २० वीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल की संसदों में दो मुख्य दल हुआ करते थे और वे उनमें बिलकुल विभाजित रहती थीं। दो दल थे—एक मुक्त व्यापार के पक्ष में था और दूसरा विपक्ष में था। महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में पुराने उदार और कन्जरवेटिव दलों में सदा ही मतभेद रहता था। लेकिन बाद में, जब संरक्षण की नीति अपना गई, और सौ वर्षों से चली पुरानी ब्रिटिश नीति को त्याग दिया गया, तो एक आश्चर्यजनक बात हुई। इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाने पर और व्यापार बोर्ड को सूचियों और शुल्कों आदि के, ब्योरा तैयार करने के लिये कहे जाने पर, संसद् को विचार करने का समय ही नहीं मिल पाया, उसके पास समय का अभाव हो गया। उसने केवल यही निर्णय किया कि हम संरक्षण की नीति को रखेंगे। इसके बाद का सारा कार्य व्यापार बोर्ड के अधिकारियों ने ही किया।

इसलिये परिस्थिति के वशीभूत हो कर संसद् इन सभी कार्यों को नहीं कर सकती है क्योंकि कार्य बहुत अधिक है। भारत में जब एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों राज्य निगम होंगे तो स्पष्ट है कि उस समय संसद् यदि चाहे तो भी उस के पास इनमें से प्रत्येक की जांच आदि करने के लिये समय नहीं होगा। उस के पास शक्ति है, और यदि वह चाहे, तो किसी भी समय जो वह चाहे कर सकती है। लेकिन, आपको अन्य तरीके निकालने पड़ेंगे जिससे कि पर्याप्त प्रतिबन्ध लगाये जा सकें और साथ ही अग्रेतर प्रगति के लिये प्रोत्साहन दिया जा सके।

यह वास्तविक समस्यायें हैं, जो केवल एपलबी प्रतिवेदन के कारण ही पैदा नहीं हो गई हैं। ये सभी समस्यायें वर्तमान परिस्थिति के कारण ही पैदा हुई हैं, जीवन के तथ्यों के कारण ही पैदा हुई हैं और हमें उनका सामना करना है। और जैसे जैसे हम अनुभव प्राप्त करते जाते हैं और परिवर्तनों की आवश्यकता देखते जाते हैं, हमें उन पर सावधानी से विचार करना है, उन के संबंध में चर्चा करनी है और अपनी प्रशासकीय प्रणाली को या कहिये कि वित्तीय प्रणाली को धीरे-धीरे क्रमशः परिवर्तित करना है।

श्री गाडगील ने कहा है कि वे सरकारी प्रस्ताव चाहते हैं। मुझे आशा है कि अगले सत्र में अवश्य ही इस संबंध में सरकार के विचार प्रस्तुत किये जायेंगे। लेकिन, ये सभी कोई एक एकीकृत प्रस्ताव के रूप में नहीं हैं। इनमें बहुत सी चीजें हैं, और वे सभी निरन्तर तथा क्रमशः परिवर्तित होती जा रही हैं।

उदाहरण के लिये, पिछले एक-दो वर्षों में, हम क्रमश: अधिकाधिक रूप में अधिकार का प्रत्यायोजित करते रहे हैं। हमने उस सिद्धांत को एक मोटे तौर पर मान लिया है। लेकिन शायद हम उसे उतनी तेजी से इस कार्य को नही कर रहे हैं,जितनी तेजी से कि हमें करना चाहिये था। वित्त मंत्रालय जिसके बारे में केवल डा० एपलबी ने ही नहीं बल्कि बहुधा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों ने भी काफी शिकायतें की हैं, अब अपने अधिकार को प्रत्यायोजित कर रहा है और आन्तरिक वित्तीय सलाहकारों की प्रणाली को लागू कर रहा है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक मामले को वित्त मंत्रालय के पास भेजने के स्थान पर, संबंधित मंत्रालय के पास वित्त मंत्रालय का कोई एक सलाहकार बातचीत कर लेता है और हम मामले को चलता कर देते हैं। इससे विलम्ब नहीं होता है। केवल बहुत ही महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में मंत्रालय से बातचीत करना आवश्यक है। हम इसी प्रकार के परिवर्तन कर रहे हैं। हो सकता है, कि हम उतनी तेजी से प्रगति न कर रहे हों जितनी तेजी से कि हमें करनी चाहिये।

स्वायत निगमों और अन्य निकायों को प्रधिकार के प्रत्यायोजन के सम्बन्ध में भी, हमारा विचार यही है कि यह किया जाना चाहिये और यथासम्भव प्रतिबन्धों और नियन्त्रणों को लागू करने का प्रयास करना चाहिये। इसलिये यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर हां या न में दिया जायें, यह उसकी जांच करने और उसमें ऐसे परिवर्तन करने का प्रश्न है जो वांछनीय मालूम पड़े और जिनके करने में वित्तीय या अन्य किसी प्रकार का कोई खतरा न हो ऐसे परिवर्तन क्रमश:करते जाना चाहिये। देखना यह चाहिये कि उनके करने में कोई गम्भीर वित्तीय या अन्य खतरे न हों। हम इस विषय में इसी प्रकार कार्य कर रहे हैं और कार्य करते रहेंगे। मैं समय समय पर सभा को इससे सम्बन्धित कार्यवाही से अवगत कराता रहूंगा। हम, वास्तव में, तमाम प्रश्नों के उत्तर में सदस्यों को इस विषयों के सम्बन्ध में बताते ही रहे हैं, और मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगले सत्र में मुझे आशा है कि हम सदस्य की इच्छानुसार अधिक से अधिक संसद सदस्यों से इस विषय के सम्बन्ध में एक अनौपचारिक चर्चा का आयोजन करने में समर्थ होंगे। प्रश्न कुछ सदस्यों को चुनने का नहीं है। जितने भी सदस्यों की इस विषय में रुचि है और चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, वह सम्मिलित हो सकेंगे। हम उन तमाम विषयों के संबन्ध में चर्चा करेंगे जो प्रशासकीय प्रणाली और अन्य मामलों के सम्बन्ध में एपलबी प्रतिवेदन में उठायें गये हैं। वास्तव में इससे सम्बन्धित अन्य विषयों के सम्बन्ध में भी चर्चा की जायेगी।

लेकिन, मैं एक बार फिर कहूंगा कि हमें डा० एपलबी द्वारा प्रयुक्त कड़ी भाषा को देखकर चिड़चिड़ाना नहीं चाहिये। यदि मुझें तब इसका पूरा विश्वास होता कि उस प्रतिवेदन को संसद के सामने रखा जायेगा, तो डा० एपलबी ने दूसरे ही प्रकार की भाषा का प्रयोग किया होता। लेकिन हम चाहत यह थे कि हमारे सरकारी कर्मचारियों—वरिष्ठ पदाधिकारियों—को कुछ सावधान कर दिया जाय। उन्होंने मुझसे यह कहा भी था। वास्तव में, वे अपने प्रतिवेदन की भाषा में परिवर्तन करने को तैयार भी थें। यदि प्रतिवेदन को प्रकाशित किया जाना था तो वे इसकी भाषा में परिवतन कर देना चाहते थे। लेकिन मैंने उनसे इसे इसी रूप में रहने देने के लिये कहा था। मैंनें कहा था कि यह इस रूप में काफी ठीक है। इसीलिये, इसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। लेकिन हमें इसकी भाषा के सम्बन्ध में नहीं, बल्कि उस बड़ी समस्या के सम्बन्ध में सोचना चाहियें जो हमारे अपने और अन्य देशों के सामने भी है। निस्सन्देह, मैं भली प्रकार जानता हूं कि वह एक समस्या है जिसे आज इंग्लैंड को भी हल करना है। हां, इंग्लैंड की समस्या बिल्कुल हमारी समस्या जैसी नहीं है, लेकिन वह हमारी समस्या से सर्वथा भिन्न भी नहीं है। आखिर, हमारे देश की असैनिक सेवायें एक प्रकार से इंग्लैंड के ही नमूनें पर तो ढाली गयी थीं। उनको भी उन्हीं कठिनाई का सामना करना पड़ा था, जो हमारे सामनें आयी थी। हां, यह हो सकता है कि उनको हमसे अधिक अनुभव था और उनका देश भी छोटा है, जो भी हो, लेकिन फिर भी उनकी अपनी समस्यायें हैं। मैं जानता हूं कि यह भी ठीक है कि सोवियत संघ भी इस समस्या को हल करने में जुटा हुआ है कि प्राधिकार को किस सीमा तक प्रत्यायोजित किया जाये और किस सीमा तक न किया जाये। मैं जानता हूं और मैं जब सोवियत संघ में गया था तो उन्होंने हमें भी बताया था कि हमने प्राधिकार का प्रत्यायोजन न कर के एक भारी भूल

[श्री जवाहरलाल नहरु]

की थी, और वे अब भी केवल इसीलिये प्राधिकार का अधिकाधिक प्रत्यायाजन करते जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अनभव कर लिया है कि प्रत्यायोजन न करने से उनकी शीघ्रगामी व्यवस्था बार बार प्रतिबन्धित हो पाती थी और उसकी गति रुक जाती थी। हां, यह अवश्य है कि उन्होंने एक बड़े ही सूक्ष्मपर्यवेक्षण की व्यवस्था की है। वह तो प्रत्येक सरकार करती है। लेकिन, प्रत्येक पेचीदा और विशाल प्रशासन प्राधिकार को प्रत्यायोजन किये बिना अपना कार्य नहीं चला सकता है। मैं इस सभा को एक बार फिर स्मरण दिलाता हूं कि संयुक्त सचिवों, उपसचिवों और सहायक सचिवों की जिस प्रकार के सरकार के सम्बन्ध में माननीय सदस्य इतना कुछ कहते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार की सरकार आज अमरीका और सोवियत संघ दोनों में ही वर्तमान हैं।

एक सदस्य की रिहाई

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचित करना ह कि मुझे अहमदाबाद नगर के जिला पुलिस अधीक्षक ने सूचना दी है कि अहमदाबाद के न्यायिक दन्डाधिकारी नें लोक सभा के सदस्य श्री अ० क० गोपालन को ६ सितम्बर, १९५६ को भारतीय दण्ड सहिता की धाराओं १४३, १४५ और १८८ के अपराधों से विमुक्त कर दिया है।

इसके पश्चात् लोकसभा मंगलवार, ११ सितम्बर, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, १० सितम्बर, १९५६] पृष्ठ

[सभा पटल पर रखे गये पत्र] २१०१–०२

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) गैर-सरकारी सदस्यों और विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति की १३वें सत्र के दौरान में हुई बैठकों (६०वीं और ६७वीं) की कार्यवाही का सारांश।

(२) १९५६–५७ के लिये अनुदानों की मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में सदस्यों से प्राप्त कुछ आलोचनाओं के उत्तरों वाले कुछ और विवरणों की एक एक प्रति।

(३) सम्पदा शुल्क अधिनियम, १९५३ की धारा ८५ की उपधारा ३ के अन्तर्गत २२ अगस्त, १९५६ की, अधिसूचित संख्या ४२/एफ संख्या १/६/५६-ईडी की एक प्रति जिसके द्वारा सम्पदा शुल्क नियमों १९५३ में कुछ और संशोधन किया गया है।

(४) विमान निगम नियमों, १९५४ के नियम ३ के उप-नियम (५) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति—

(१) एयर इंडिया इन्टरनैशनल कारपोरेशन के १ वर्ष १९५६–५७ के राजस्व और व्यय के आय-व्ययक प्राक्कलनों का सार।

(२) इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के वर्ष १९५६–५७ के राजस्व और व्यय के आय-व्ययक प्राक्कलनों का सार।

(५) संविधान के अनुच्छेद ३३८(२) के अधीन ३१ दिसम्बर, १९५५ को समाप्त होने वाले समय तक के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग १ और २) की एक प्रति।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल्वे), १९५३–५४, उपस्थापित . . २१०२

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने १९५३–५४ के लिये आय-व्ययक (रेलवे) के बारे में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें दिखाने वाला एक विवरण उपस्थापित।

याचिका उपस्थापित २१०२

श्री रामचन्द्र रेड्डी ने १७ प्रार्थियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित की जो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों आदेश (संशोधन) विधेयक, १९५६ के बारे में थी।

विधेयक पारित २१०२–५१

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जाति i आदेश (संशोधन) वधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव सम्बन्धी चर्चा का उत्तर विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर) ने दिया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खंडवार विचार आरम्भ हुआ। खंड २ से ७, अनुसूची १ से ४ और खंड १ स्वीकृत हुए और विधेयक संशोधित रूप में पारित हुआ।

पृष्ठ

एपलबी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव २१५१–६८

श्री मात्तन ने भारत की प्रशासनिक प्रणाली के पुनरीक्षण सम्बन्धी डा० पाल० एच० एपलबी के प्रतिवेदन पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चर्चा के बाद प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु) ने विवाद का उत्तर दिया।

सदस्य की रिहाई २१६८

उपाध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को बताया कि श्री अ० क० गोपालन, सदस्य, लोक-सभा के सैकंड कोर्ट अहमदाबाद के ज्युडीशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने ६ सितम्बर, १९५६ को उन पर भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं १४३, १४५ और १८८ के अधीन अपराधों से मुक्त कर दिया है।

मंगलवार ११. सितेम्बर १९५६ के लिये कार्यावलि—

दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प पर चर्चा।

———

भा० स० मु० नासिक—विभाग ३—२५४ लोक सभा/५६—२६-१२-५७